अष्टम माला, खंड 48, अंक 20

गुरुवार, 6 अप्रैल, 1989
16 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 48 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 6 अप्रैल, 1989/16 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	शुद्धि
16	नीचे से 10	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
19	1	"अययन" के स्थान पर "अध्ययन" पढ़िये।
19	8	उत्तर के आरंभ में "(क) और (ख)" पढ़िये।
86	1	"(ज)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
162	नीचे से 9	"(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
163	नीचे से 12	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
191	20	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
202	10	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 48, तेरहवां सत्र, 1989/1910/1911 (शक)

अंक 27, गुरुवार, 6 अप्रैल 1989/16 चैत्र, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 512 से 518	...	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		19-204
तारांकित प्रश्न संख्या : 519 से 527 और 529 से 532	...	19-29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4969 से 4987, 4989 से 5084, 5086 से 5109, 5111 से 5156 और 5158 से 5170	...	29-204
सभा पटल पर रखे गए पत्र :	...	208-213
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक : पुरःस्थापित	...	213
नियम 377 के अधीन मामले :	...	213-219
(एक) सागर को शेष देश से हवाई मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता		
श्री डाल चन्द्र जैन	...	213
(दो) केरल को केन्द्रीय विद्युत ग्रिड से बिजली का पूरा कोटा आबंटित किए जाने की आवश्यकता		
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	...	216
(तीन) भयन्दर (ठाणे) के टेलीफोन उपभोक्ताओं को महानगर टेलीफोन निगम, बम्बई के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता		
श्री अनूपचन्द शाह	...	216-217
(चार) मध्य प्रदेश में आगर में एक छावनी बनाए जाने की आवश्यकता		
श्री बापूलाल मालवीय	...	217

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(पांच) फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए जाने की आवश्यकता

श्री अजीज कुरेशी ... 217

(छः) आंध्र प्रदेश में काकीनाडा या राजामुंदरी में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीहरि राव ... 217-218

(सात) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में पर्यवेक्षक संवर्ग में व्याप्त असन्तोष को दूर किए जाने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि ... 218

(आठ) "नेहरू रोजगार योजना" के लिए धनराशि आबंटित करने में पिछड़े और सीमान्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत ... 218-219

नियम 193 के अधीन चर्चा : ... 219-230

अफगान विद्रोहियों तथा पंजाब में आतंकवादियों के बीच संबंध का समाचार

श्री सोमनाथ रथ ... 219-220

डा० दत्ता सामंत ... 220-224

कुमारी ममता बनर्जी ... 222-224

श्री सैयद शाहबुद्दीन ... 224-226

श्री पी० चिदम्बरम ... 226-230

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90 ... 230-322

ऊर्जा मन्त्रालय

श्री अनिल बसु ... 230-237

श्री राम प्यारे पनिका ... 237-242

डा० प्रभात कुमार मिश्र ... 242-245

श्रीमती गीता मुखर्जी ... 245-249

श्री एन० टोम्बी सिंह ... 249-251

श्री पी० ए० एंटनी ... 251-253

डा० ए० कलानिधि ... 253-256

श्री कल्पनाथ राय ... 257-264

श्री तम्पन थामस ... 265-268

प्रो० पी० जे० कुरियन ... 268-270

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	...	270-273
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	273-275
श्री बीरेन्द्र सिंह	...	275-278
श्री बी० बी० रमैया	...	278-280
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	280-283
श्री हरीश रावत	...	284-285
श्री दामोदर पांडे	...	285-289
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	289-291
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	291-294
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	...	294-296
श्री मोतीलाल सिंह	...	297-298
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	...	298-304
श्री के० पी० सिंह देव	...	305-309
श्री राम प्यारे सुमन	...	309-311
श्री चरनजीत सिंह वालिया	...	311-312
श्री भरत सिंह	...	312-313
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि	...	313-314
श्री महाबीर प्रसाद यादव	...	314-316
श्री अजीज कुरेशी	...	316-318
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	319-320
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	320
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	321-322

लोक सभा

गुरुवार, 6 अप्रैल, 1989/16 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आम की मंजरियों में रोग

[अनुवाद]

*512. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम की मंजरियों में रोग लग जाने के कारण आम की उपज साठ प्रतिशत कम होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग के किसी उपचार का पता लगाया गया है;

(ग) क्या कोंकण, गोवा तथा गुजरात के बलसाद जिले के आम उत्पादकों ने सरकार से आम की उपज वाले क्षेत्रों पर विमान से छिड़काव करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) आम की मंजरियों में रोग लगने के कारण आम की फसल की हानि अनेक राज्यों में होती है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं, किन्तु हानि की मात्रा कृमियों/रोगों के गम्भीर प्रभाव और इस सम्बन्ध में किए गए पौध संरक्षण उपायों पर निर्भर करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : स्पीकर सर, सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि मंजरी में रोग के कारण भारी नुकसान हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि महाराष्ट्र और खास कर कोंकण में जितना बढ़िया आम का उत्पादन होता है उतना बढ़िया यू० पी० और बिहार में भी नहीं होता है। लेकिन मंजरी रोग और भूरिया जैसे रोग उसमें लग जाने से कम से कम 40 या 80 प्रतिशत तक का नुकसान हो जाता है। इसके कारण बेचारा किसान रोता है। इसमें उसे गवर्नमेंट की भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। जैसे आपने बाकी फसलों के लिए इन्शोरेंस स्कीम चलायी हुई है ऐसी स्कीम इसमें भी शुरु की जानी चाहिए। हमें मालूम नहीं सरकार इसके बारे में क्या सोच-विचार

कर रही है ? पाकिस्तान में आम का उत्पादन 80 मिलियन टन तक होने लगा है और वह 15 हजार टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस साल हमारा 10 हजार का टारगेट है। जापान ने तो इसमें रोग लग जाने के लिए इस आम को लेने से मना कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का यह सबसे बढ़िया साधन है। बॉयलॉजिकल कंट्रोल में कुछ संशोधन हुआ है और पैस्टीमाइड्स का उपयोग करने के बाद भी इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सका है। गन्ने जैसी दूसरी फसलों पर एरियल स्प्रेयिंग के लिए जो 50 परसेंट सबसिडी राज्य सरकारों को दी जाती है, वैसी ही सबसिडी इसमें देने के बारे में क्या सरकार सोच रही है ? आप तो जानते हैं कि पेड़ के ऊपर आदमी जा नहीं सकता है इस कारण नीचे से कुछ दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। इस प्रकार छिड़काव न करने से आम की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। संशोधन केन्द्रों के द्वारा यहां जो काम हो रहा है वह बहुत कम हो रहा है। क्या संशोधन केन्द्र और खोलने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री श्याम लाल यादव : मान्यवर, माननीय सदस्य ने कई बातें उठाई हैं और पहली बात आम के उत्पादन के सम्बन्ध में है। आम का उत्पादन विशेष कर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में होता है। हम इसका अभी टोटल एक्सपोर्ट करते हैं। 1987-88 में आम का कुल उत्पादन 14900 मीट्रिक टन, लगभग 15 हजार मीट्रिक टन हुआ था। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि जापान ने कोई पाबंदी लगा दी है, ऐसी बात नहीं है। जो आम हमारे यहां से पक कर जाते थे, जिस तरह से वह पकाये जाते थे उसके पकाने की पद्धति में उनको एतराज था और उस तरह से पकाये हुए आम जापान नहीं लेना चाहता। उन्होंने सुझाव दिया है कि इन्कूबेशन से गर्म चैम्बर में रखकर आम पकाये जायें तो उस तरह का इन्तजाम किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में जापान से बातचीत की जा रही है, जब वह मशीन आ जाएगी तो उस तरह से आम को पकाकर भेजा जाएगा। इस सम्बन्ध में बात काफी आगे बढ़ी है। दूसरा इन्होंने एरियल स्प्रे के लिए कहा। एरियल स्प्रे के लिए जैसा मैंने कहा कि किसी राज्य सरकार ने इसकी मांग नहीं की है और आम के बाग में एरियल स्प्रे बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है, उसकी बहुत-सी कठिनाइयां हैं जो माननीय सदस्य जानते हैं। मैं उसको कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। आम की जो बीमारियां हैं, उनकी पहचान है और उन बीमारियों की क्या दवा है और किस प्रकार से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसका पूरा विवरण है। यह कई बीमारियां हैं और उसके लिए जो-जो दवाएं हैं, नियंत्रण के जो तरीके हैं, वह किसानों को भी प्रचार माध्यमों से बताये जाते हैं। उसमें दो बीमारियां हैं और दो तरह के कीड़े लगते हैं, इन सबकी दवाइयां खोज ली गई हैं और वह हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हैं और किसान उनका उपयोग भी करते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि बायोलोजिकल कण्ट्रोल का क्या इन्तजाम किया गया, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि बायोलोजिकल कण्ट्रोल के लिए लखनऊ में आई० सी० ए० आर० का हार्टीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसमें खोज की गई है और मैंगो मिलि बग जो होता है उसको मारने के लिए लेडी बर्ड बिटल है, वहां उसका प्रयोग करके देखा जा रहा है। दूसरे फलों पर इसका प्रयोग हुआ है, जैसे कर्नाटक में नींबू, संतरा वगैरह पर लेकिन अभी आम के मामले में लखनऊ का हार्टीकल्चर इंस्टीट्यूट उसको परीक्षण के तौर पर देख रहा है और वह ज्यों ही परीक्षण के तौर पर कामयाब हो जाएगा तो वह किसानों को वितरित किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में रिसर्च कहां-कहां हो रही है, मैं बताना चाहूंगा

कि सेंट्रल लेविल पर इसके तीन रिसर्च सेंटर हैं, एक तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टीकल्चर रिसर्च, बेंगलौर में है और सैन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टीकल्चर लखनऊ में है। इसके अलावा 7 राज्यों में राज्य स्तर के 7 रीजनल रिसर्च स्टेशंस हैं। इस तरह से सारे देश में यह काम हो रहा है और नए रिसर्च सैन्टर कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : सर, मैं तो यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकारों ने एरियल स्प्रे के लिए सब्सिडी मांगी तो सरकार उस बारे में क्या सोचेगी? आम की उपज बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई खास स्कीम बनाई है और उसकी मार्केटिंग की सुविधा, किसान को अच्छे दाम दिलाने के लिए और किसानों की कोआपरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार कुछ सोच रही है? जो नई टैक्नोलोजी आ रही है, जैनेटिक साइंस और उसके साथ ही जो टिश्यू कल्चर आई है उस बारे में आपका कोई खास संशोधन हो रहा है? हो रहा है तो उसका क्या परिणाम निकला है और नहीं हो रहा तो समयबद्ध, कालबद्ध कार्यक्रम आप इस बारे में बनायेंगे कि किस तरह डिसीज फ्री प्लाण्ट्स किसानों को मिल सकें?

श्री श्याम लाल यादव : जहां तक आम के सम्बन्ध में सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लगाने का प्रश्न है, कोई भी सहकारी समिति इस काम को कर सकती है। उसका प्रोजैक्ट बनाकर यदि वह भेजें, एन० सी० डी० सी० के पास, जो इस तरह की संस्थाओं की आर्थिक सहायता करती है तो अवश्य इस पर विचार किया जाएगा।

टिश्यू कल्चर की तरफ तो अभी बहुत प्रगति नहीं हुई है लेकिन इस तरह के आम हैं, जैसे आम्रपाली है, वह अच्छी वैरायटी है, जिस पर रोगों का असर बहुत कम पड़ता है लेकिन वह अभी जुम्मा-जुम्मा 12 साल का है, उसमें कोई नई वैरायटी नहीं है लेकिन जो रोग हैं, बीमारी का जैसे मैंने निवेदन किया, उसका पूरा-पूरा इन्तजाम है और उसके लिए दवाइयां भी हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आपका भी ख्याल है कि आम का एरियल स्प्रे नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

प्रो मधु दंडवते : महोदय, मैं उस निर्वाचन-क्षेत्र से हूं जहां पूरे देश में सबसे बढ़िया एल्फेंजों आम का उत्पादन होता है ·· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या सब्सिडी भी नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, प्रश्न के भाग (ग) "क्या कोंकण, गोवा तथा गुजरात के वलसाद जिले के आम उत्पादकों ने सरकार से आम की उपज वाले क्षेत्रों पर विमान से छिड़काव करने का अनुरोध किया है" के लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है, "जी, नहीं।" मेरे विचार से मंत्री

महोदय ने पर्याप्त जानकारी एकत्रित नहीं की है। क्या यह सच नहीं है कि विशेषकर महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र ऐसा है जहां से देश के सबसे बढ़िया अल्फोंसो आम का उत्पादन होता है तथा वहां से उसका निर्यात किया जाता है और उससे आपको मिलती है···(व्यवधान) मैं आपको अपने निर्वाचन-क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं सबसे बढ़िया आम आपको खिलाऊंगा। इनका स्वाद 'शून्य काल' की तरह कड़वा नहीं होगा।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि कोंकण प्रदेश में ही कुछ ऐसे आम उत्पादक हैं, जिन्हें आम उत्पादन के क्षेत्र में अपने नए प्रयोग करने तथा आम के मौसम से बहुत पहले ही आमों का उत्पादन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशष पुरस्कार दिए गए हैं किन्तु उसकी शिकायत यह है कि सबसे बढ़िया उत्पादन करने के बावजूद कुछ रोगों के कारण फसल खराब हो जाती है और उन्होंने इसके कुछ उपाय भी बताए हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह कोंकण क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों से यह पता लगाएं कि इस रोग से बचने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा सकते हैं, तथा उन्हें आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन भी दिया जाए ताकि हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार में और भी वृद्धि की जा सके ?

श्री श्याम लाल यादव : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत हूं और हम इस पर विचार करेंगे। हम इस बात का पता लगायेंगे कि किसानों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत कुछ किया जा सकता है।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : महोदय, आजकल आम उत्पादकों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आम की फसल के लिए कोई फसल बीमा योजना है।

श्री श्याम लाल यादव : आम की फसल के लिए कोई फसल बीमा योजना नहीं हैं। राज्य सरकारें ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। यदि वे ऐसा कोई प्रस्ताव भेजती हैं तो हम निश्चय ही उस पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बीमा प्राकृतिक आपदा से एक प्रकार की राहत है। किन्तु यदि बीमा कीटों से होने वाले नाश के सम्बन्ध में किया जाए तो मेरे विचार से अच्छा होगा। मेरा केवल यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

सब्सिडी का कुछ करवाइए, यह आपने हटवा दी है। यह सही काम नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विमान छिड़काव सबसे बढ़िया है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे काफी मात्रा में खाद्यान्न, फल आदि खराब होने से बच जायेंगे तथा इनका बीमा किया ही जाना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने आपको लिखा था कि पंजाब में यह बंद कर दिया गया है। मेरे विचार से यह किया ही जाना चाहिए।

श्री श्याम लाल यादव : विमान छिड़काव के लिए राज-सहायता दी जाती है। प्रश्न केवल यह है कि आम के लिए यह लाभप्रद नहीं है अर्थात्, काफी अध्ययन के बाद यह पाया गया है कि यह लाभप्रद नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसके लिए लाभप्रद ?

श्री श्याम लाल यादव : किसानों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्योंकि कुछ पेड़ बहुत लम्बे होते हैं और कुछ बहुत छोटे और छिड़काव नीचे तक पहुंच नहीं पाता··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम यह जानते हैं। हमारे फलोद्यान में छिड़काव किया जाता है। मैं यह जानता हूं। उसकी कोई समस्या नहीं है और हम इसका समाधान कर सकते है।

काकीनाडा पत्तन का विकास

*513. श्री सी० सम्बु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों पर माल के लदान और उतारने के कार्य में हुई वृद्धि के कारण काकीनाडा पत्तन के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) काकीनाडा पोर्ट के और आगे विकास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

श्री सी० सम्बु : हमारे देश की मुख्य बंदरगाहों पर बहुत भीड़-भाड़ होती है। इन बन्दरगाहों पर माल उतारने में कई सप्ताह लग जाते है। पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाहों जैसे मद्रास और कलकत्ता में बहुत भीड़-भाड़ रहती है। विशेषकर मद्रास बंदरगाह पर जहाजों से माल उतारने और लादने के काम में असाधारण विलम्ब हो रहा है जिससे व्यापारियों, निर्यातकों और आयातकर्त्ताओं को बड़ी असुविधा हो रही है। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से काकीनाडा बंदरगाह को एक मुख्य बंदरगाह में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है।

श्री राजेश पायलट : मैं काकीनाडा बंदरगाह के बारे में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में प्रायः यह कहता रहा हूं कि काकीनाडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पहले, एक योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार लघु पत्तनों के विकास में सहायता दिया करती थी। किन्तु मधु दंडवते जी के समय से, जब जनता सरकार सत्ता में थी, उन्होंने यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकार को लघु पत्तनों को सहायता नहीं देनी चाहिए। इसी कारण पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद कोई सहायता नहीं दी गई। किन्तु सातवी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद यह निर्णय लिया कि 100 करोड़ रुपये लघु पत्तनों के विकास के लिए दिए जाएं। सरकार 100 करोड़ रुपये नहीं दे सकी किन्तु हमने यह निर्णय लिया कि लघु पत्तनों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये दिए जाएं। इन 20 करोड़ रुपयों में से 10 करोड़ रुपये काकीनाडा पत्तन के लिए निर्धारित किए गए। हमने दो पत्तनों का चयन किया—महाराष्ट्र में राडी का तथा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा का। किन्तु अब राज्य सरकार ने पत्तन के विकास का काम एशियाई विकास बैंक के सुपुर्द कर दिया है जो लगभग 120-130 करोड़ रुपये दे रहा है। वह रिपोर्ट आ गई है। केन्द्र सरकार ने तकनीकी रूप से इसे स्वीकृति दे दी है। मुझे आशा है कि योजना आयोग अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसे एशियाई विकास बैंक के समक्ष रखने का निर्णय लेगा।

श्री सी० सम्बु : 1984 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र का तथा इस

पत्तनों का भी दौरा किया था। उस समय उन्होंने काकीनाडा में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में आश्वासन दिया था कि काकीनाडा पत्तन को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराके एक मुख्य पत्तन बना दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कम से कम वह यह आश्वासन तो दें कि इस पत्तन को एक मुख्य पत्तन में बदलने का काम आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में शुरू कर दिया जाएगा ?

श्री राजेश पायलट : मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने काकीनाडा पत्तन को मुख्य पत्तन में बदलने की बात नहीं कही होगी क्योंकि यदि यही नीति थी तो हमें इसकी जानकारी सरकार से मिल गई होती। मैं भी विभाग में हूं। (व्यवधान)

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : 1984 में प्रधानमंत्री जी ने एक सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह खड़े मत होइए।

श्री राजेश पायलट : मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के बीच इस बारे में पत्र-व्यवहार होता रहता है और किसी भी पत्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया है। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने ऐसा न कहा हो।

जहां तक इसे मुख्य पत्तन में बदलने का सम्बन्ध है, फिलहाल हमारी नीति किसी भी लघु पत्तन को बड़े पत्तन में बदलने की नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, हम यह काम एशियाई विकास बैंक को सौंप रहे हैं। इस पर 120 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद यह एक बहुत महत्वपूर्ण पत्तन बन जाएगा तथा उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जवाब में भी कहा है और लिख कर भी उन्होंने दिया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट के और डेवलपमेंट करने के लिए वहां से प्रोपोजल भेजा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्लियरली कि उस प्रोपोजल पर आप कब तक विचार करेंगे, कब तक उसको क्लियर करेंगे और कब तक उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी से बात हुई या नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा या नहीं, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं आपको ही प्रधानमंत्री मान कर आप से कहता हूं कि तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट को काकीनाडा पोर्ट से बहुत फायदा होगा। क्योंकि अलीलाबाद, निजामाबाद, वारंगल ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, अध्यक्ष महोदय बहुत दूर जाना पड़ता है। उसमें रायलसीमा और नलगोंडा कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट लाभ उठा सकते हैं। आप नौजवान और योग्य मंत्री हैं। इसमें भी थोड़ा-सा नौजवान की तरह जवानी दिखा कर हमारे इस पोर्ट को आगे बढ़ायेंगे ऐसी मैं आप से आशा करता हूं। आप इसके बारे में कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय तुलसी जी ने इतना मक्खन लगाया है। कुछ तो कीजिए।

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य से एक ही मामले, एक ही बात में मुझे थोड़ा दुःख है। जब वे दिल्ली में आते हैं तो नौजवानों की बात बड़े प्यार से करते हैं और हैदराबाद जाते हैं तो वहां नौजवानों का साथ नहीं देते। आप संसद् सदस्य हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं। गंगा गए तो गंगादास, जमना गए तो जमनादास।

श्री राजेश पायलट : यह बहुत इमपोर्टेंट माईनर पोर्ट है और इसकी हैंडलिंग को आप देखें तो पायेंगे कि चार-पांच साल से इसकी हैंडलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। आज करीबन 12-13 लाख टन साल भर में हम हेंडलिंग कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाऊंगा कि मैंने खुद जून 1988 में मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि हम लोग सेन्टर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप भी अपने वार्षिक बजट में, एनुअल बजट में काकीनाडा के लिए धनराशि रखें और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे रखवाने की कोशिश करें। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी ने वार्षिक बजट में काकीनाडा का प्रोग्राम नहीं रखा और आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी प्रोजेक्ट नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : नहीं, महोदय, इसे वार्षिक बजट में रखा गया है।

श्री राजेश पायलट : मैं आपको अपने रिकार्ड से बता रहा हूं।

[हिन्दी]

फिर भी अपने टोटल बजट में आंध्र प्रदेश के माइनर प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपया रखा है जबकि हमने रिक्वेस्ट की थी आप अपने एनुअल प्रोजेक्ट में एलोकेशन करके, आठवें प्लेन में प्रोजेक्ट को रखें। जहां तक हमारा सवाल है हम इसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और हमारी बहुत कोशिश है कि प्लेनिंग कमीशन इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए जल्दी एप्रूव कर दे। इसके लिए हमारे प्रयत्न लगातार जारी हैं।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में जल परिवहन महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। परन्तु पिछले कई वर्षों से निकर्षण में असामान्य विलम्ब होने से भारी जहाज तूतीकोरिन जैसे नये बन्दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते जिसके परिणामस्वरूप भारी पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी हुई है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं अब भी मेरे चुनाव क्षेत्र में श्रमिकों की समस्या बरकरार है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या वर्ष 1989 के दौरान तूतीकोरिन बन्दरगाह का निकर्षण किया जायेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे किसी न किसी कारणवश रोका जा रहा है। तूतीकोरिन के श्रमोन्मुखी विकास के हित में और चिदम्बरनार जिले के हित में जिनका नाम एक महान स्वतन्त्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है मैं माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1989 के अन्तर्गत तूतीकोरिन बन्दरगाह का निकर्षण किया जायेगा।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, निकर्षण के बारे में प्रत्येक बन्दरगाह की अपनी योजना होती है और कार्यक्रम के अनुसार निकर्षण निगम इस कार्य को आरम्भ करता है। इस बात पर हम भी आग्रह कर रहे हैं और हमें आशा है कि कुछ समय बाद हम प्रत्येक बन्दरगाह में ऐसी निकर्षण प्रणाली विकसित करने में सफल हो जायेंगे जिससे सभी बन्दरगाह अपने निकर्षण के बारे में स्वतन्त्र हो जायेंगे।

किसी भी प्रमुख बन्दरगाह के लिए निकर्षण अति महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जहां तक तूतीकोरिन बन्दरगाह का सम्बन्ध है वहां कुछ मुकदमेबाजी चल रही है। उसके कारण कुछ रुकावट

है। परन्तु मैं इसका उत्तरदायित्व लूंगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां निकर्षण कार्य किया जाए। निकर्षण के बहाने हम श्रमिकों का नुकसान नहीं कर सकते। यह हमारी नीति नहीं है और हम इस बात पर ध्यान देंगे कि श्रमिकों की देखभाल की जाए। जहां तक तूतीकोरिन बन्दरगाह का सम्बन्ध है मैं पुनः इसका उत्तरदायित्व लेता हूं।

डा० कृपा सिंधु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे काकीनाडा बन्दरगाह के बारे में व्यक्तिगत अनुभव है ··(व्यवधान)···अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि बन्दरगाह के आन्तरिक क्षेत्र में वर्तमान जहाज डुबाव की स्थिति क्या है। क्या मंत्री महोदय इस बन्दरगाह का बाहरी क्षेत्र बनाने और सुविधायें प्रदान करने के बारे में विचार करेंगे क्योंकि काकीनाडा बन्दरगाह ऐसा सबसे गहरा बन्दरगाह है जहां से उड़ीसा का पश्चिमी भाग बहुत सी सामग्री का निर्यात कर रहा है। मेरी जानकारी यह है कि उसकी व्यवस्था लागत और निकर्षण लागत कम होगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि चाहे आन्ध्र प्रदेश सरकार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे अथवा नहीं, क्या आठवीं योजना के अन्तर्गत काकीनाडा को एक प्रमुख बन्दरगाह बनाने और इसको एक बाहरी बन्दरगाह बनाने के बारे में विचार करेंगे।

श्री राजेश पायलट : काकीनाडा बन्दरगाह में डुबाव लगभग दो मीटर लम्बा है। जहां तक इस परियोजना को आठवीं योजना में सम्मिलित करने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही सदन को यह सूचना दे चुका हूं कि हम राज्य सरकार के सहयोग और सामंजस्य से इस बारे में भरपूर प्रयास करेंगे ताकि इसे आठवीं योजना में सम्मिलित किया जा सके क्योंकि यह उस क्षेत्र में एक ऐसा महत्वपूर्ण बन्दरगाह है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं इस परियोजना में सहायता देने के लिए ए०डी०बी० को कहा गया है।

कोयले की ढुलाई हेतु रक्षित (कैप्टिव) पत्तनों का विकास

*514. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय तटवर्ती ताप बिजलीघरों तक कोयला पहुंचाने के लिए रक्षित (कैप्टिव) पत्तनों का विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ में विकसित किये जाने वाले रक्षित (कैप्टिव) पत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए किसी विदेशी कम्पनी को नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन विदेशी कम्पनियों और अध्ययन आदि पर खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यक्रम तैयार किए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केरल में कयामकुलम और कर्नाटक में नन्दीकुर में राष्ट्रीय थर्मल पावर

निगम के प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कैप्टिव पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) उपर्युक्त कैप्टिव पत्तनों के लिए किसी विदेशी कम्पनी को नहीं लगाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) कैप्टिव पत्तनों के विकास तथा अन्य वैकल्पिक सुविधाओं के बारे में भारत-डच द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : महोदय माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि केरल में कयामकुलम और कर्नाटक में नन्दीकुर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए रक्षित पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या संबंधित राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य संगठन ने इस बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है और इन दोनों राज्यों में बिजली की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्री महोदय इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखते हैं ? इन दोनों राज्यों मे बिजली की भारी कमी है और इन राज्यों में प्रस्तावित रक्षित बन्दरगाहों के विकास में सहायता करने के लिए माननीय मन्त्री क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, देश में कोयले की आवश्यकता और भारी विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत बोर्ड प्राधिकरण ने देश में ताप केन्द्रों की स्थापना के लिए 13 स्थानों को प्रस्तावित किया है और इन दो स्थानों केरल में कयामकुलम और कर्नाटक में नन्दीकुर का उत्तरदायित्व एन०टी०पी०सी० ने लिया है और इन बारे में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है।

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह व्याख्या करें कि भारत-डच द्विपक्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवहार्यता अध्ययन के लिए किन-किन क्षेत्रों के बारे में विचार करने का प्रस्ताव किया गया है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह अध्ययन कब किया जाएगा और क्या इसकी समाप्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और क्या इस बारे में वित्तीय भागीदारी के बारे में भी विचार किया गया है। क्या कर्नाटक और केरल की इन प्रस्तावित परियोजनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा ? मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस बारे में वैकल्पिक सुविधाओं के बारे में भी विचार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि ये वैकल्पिक सुविधाएं कौन-कौन सी हैं जिनके बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री राजेश पायलट : जैसाकि मैंने उल्लेख किया है इस प्रश्न के दो भाग हैं, जिनमें से एक भाग विद्युत विभाग से सम्बन्धित है। संयंत्रों के स्थान के बारे में उनकी अपनी योजना और अपना अध्ययन है। हमें बन्दरगाहों पर कोयले की ढुलाई और कोयला प्राप्त करने का प्रबन्ध करना पड़ता है। इस समय हमारे दिमाग में ऐसे दो स्थान हैं। सातवीं योजना के दौरान ही हमारा तूतीकोरिन बन्दरगाह का विस्तार करने का कार्यक्रम है और दूसरा स्थान मद्रास में इन्नौर में एक रक्षित बन्दरगाह बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्यवाही जारी है और इन सभी स्थानों पर रक्षित बन्दरगाहों के लिए भारत-डच द्विपक्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बातचीत की जा रही है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय यह प्रश्न पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटों पर रक्षित बन्दरगाहों के विकास से सम्बन्धित है। और इस बारे में एन०टी०पी०सी० अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। महोदय अभी तक एन०टी०पी०सी० द्वारा स्थापित किए गए सुपर ताप केन्द्र मुख्यत उत्तर भारत में ही केन्द्रित हैं और दक्षिण का निकटतम सुपर ताप केन्द्र रामागुंडम में स्थापित है और रामगुंडम से तमिलनाडु अथवा केरल में बिजली ले जाने में भारी संप्रेषण हानियां होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया था कि माल उतारने के स्थल पर ही नहीं अपितु लदान स्थल पर भी रक्षित बन्दरगाह होना चाहिए ताकि समुद्र द्वारा कोयले की ढुलाई की जा सके जो कि अपेक्षाकृत सस्ता है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार इस कार्य को कितनी जल्दी आरम्भ करने जा रही है और क्या इस भारत-डच द्विपक्षीय कार्यक्रम में प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली एक निश्चित परियोजना रिपोर्ट सम्मिलित है और यदि ऐसा है तो इस प्रस्ताव को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है ऐसे 13 स्थान हैं। यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मैं उन स्थानों को पढ़कर सुना सकता हूं। वे स्थान मुख्यतः देश के दक्षिणी भाग में हैं : विशाखापट्टनम, कुद्दालूर, त्रिकारपुर, गोआ तूतीकोरिन (विस्तार), उत्तर मद्रास, नागपट्टिनम नन्दीकुर, डबेल, पांडिचेरी, कयामकुलम कारवाड़ और वदीनार।

मुझे विद्युत मन्त्रालय और विद्युत क्षेत्र से यह सूचना प्राप्त हुई है कि इन सभी स्थानों का चयन कर लिया गया है और जब भी सरकार के संसाधन अनुमति देते है उन्हें आठवीं योजना अथवा नवीं योजना में सम्मिलित किए जाने की संभावना है। अतः एक ओर यह आयोजन जारी है। खानों से पत्तनों तक कोयला पहुंचाने के लिए रक्षित रूप में सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए विद्युत मंत्रालय के सामंजस्य से भी हमारी योजना है। इस समय हमने उन दो स्थानों का चयन किया है और वे अन्तिम चरण में हैं और उनके यथासंभव जल्दी ही सम्मिलित किए जाने की संभावना है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, केरल में बिजली की भारी कमी के कारण भारत सरकार ने कयामकुलम में एक सुपर ताप संयंत्र की स्वीकृति दी थी और इसी सदन में ऊर्जा मंत्री ने यह कहा था कि कयामकुलम ताप संयंत्र को 1995 तक चालू कर दिया जायेगा और एक रक्षित बन्दरगाह कयामकुलम ताप संयंत्र की सहायता करेगा क्योंकि यदि कोयले की ढुलाई रेल द्वारा की जाती है तो यह महंगा पड़ता है और यदि इसे समुद्र द्वारा ले जाया जाता है तो यह सस्ता पड़ता है यह व्यवहार्य भी है अतः यदि सुपर ताप केन्द्र को वर्ष 1995 में आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है और जब आप एक रक्षित बन्दरगाह की स्थापना करते हैं, आप अब भी इस बारे में विचार कर रहे हैं और किसी द्विपक्षीय समझौते का इन्तजार कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इन दोनों परियोजनाओं में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जायेगा। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप सैद्धान्तिक रूप से कयामकुलम रक्षित बन्दरगाह को स्वीकार कर चुके है और यदि हां तो क्या आप इसे वर्ष 1995 में चालू किए जाने वाले संयंत्र से पहले चालू करने के लिए कार्य आरम्भ करने जा रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसा भी मैंने अपने पहले उत्तर में कहा था कि दोनों मन्त्रालयों द्वारा इसमें सामंजस्य स्थापित करना होगा। स्पष्ट रूप से मैं यह कह कर उत्तर नहीं दे सकता, 'ठीक है, मेरा विभाग उस स्थान पर एक रक्षित बन्दरगाह का निर्माण करेगा' क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय यह निर्णय ले सकता है कि यह स्थान उचित नहीं है। इसलिए, इसमें योजना मन्त्रालय और तीनों विभागों को सामंजस्य स्थापित करना होगा। लेकिन जैसा भी मैंने कहा है, जहां तक सरकार

का संबंध है रक्षित कोयला परिवहन सुविधाओं को अगले 20 साल तक के लिए संभालना होगा जो कि ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की आवश्यकता तथा देश में ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अत: तीनों विभागों के कार्य का यही वास्तविक परिणाम होना चाहिए। मैं यह नहीं कह सकता कि कोयले के लिए रक्षित सुविधाएं तब तक दी जायेंगी जब तक इसका स्थान ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती और परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जाती जब तक परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जाती तब तक पहले यह कहना कठिन है कि इतना कोयला उपलब्ध होगा। लेकिन हमारा संबंध विषम और समन्वय से है नीति निरूपण ऊर्जा क्षेत्र के साथ मिलकर किया जा रहा है।

कृषि आदानों की खरीद के अल्पावधि ऋण

*515. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि आदानों की खरीद के लिए विभिन्न राज्यों को अल्पावधि ऋण मंजूर किये जाते हैं, यदि हां, तो किस आधार पर;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा कितने-कितने ऋण की मांग की गई और राज्यों को वर्ष 1988-89 के दौरान कितना ऋण मंजूर किया गया;

(ग) किन-किन राज्यों को उनकी जरूरत और मांग के अनुसार ऋण मंजूर नहीं किए गए; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी हां।

राज्य सरकारों को उर्वरकों, बीजों और कीटनाशी दवाइयों जैसे कृषि आदानों की खरीद करने और उनका वितरण करने में उन्हें सहायता देने के लिए अल्पावधि ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। अल्पावधि ऋणों की स्वीकृति करते समय उर्वरकों की मांग और खपत, सूखा/बाढ़ का प्रभाव और उर्वरकों की सम्भाल करने वाली सहकारी समितियों का पूर्णतया विकसित न होने जैसी बातों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता है। विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान मांगी गई और उन्हें स्वीकृत की गई अल्पावधि ऋण की राशि का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। बजट सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण राज्यों को उनकी मांगों के अनुसार अल्पावधि ऋण नहीं दिए जा सके।

अनुबन्ध

राज्य द्वारा मांगी गई और स्वीकृत की गई अल्पावधि ऋण

करोड़ रुपए में

क्र०सं०	राज्य	मांगी गई	मंजूर की गई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	22.60
2.	असम	मा०प्र०	3.25

1	2	3	4
3.	बिहार	45.00	29.20
4.	गुजरात	70.00	12.56
5.	हरियाणा	48.32	8.75
6.	हिमाचल प्रदेश	2.00	1.80
7.	जम्मू व कश्मीर	18.94	2.95
8.	कर्नाटक	23.00	14.55
9.	केरल	8.00	4.20
10.	मध्य प्रदेश	23.00	12.60
11.	महाराष्ट्र	30.50	16.45
12.	मणिपुर	मा०प्र०	0.70
13.	मेघालय	2.00	0.30
14.	उड़ीसा	30.02	16.20
15.	पंजाब	99.50	20.85
16.	राजस्थान	76.64	12.65
17.	तमिलनाडु	22.39	14.60
18.	त्रिपुरा	0.60*	0.94**
19.	उत्तर प्रदेश	100.00	38.05
20.	पश्चिम बंगाल	50.00	26.10
21.	गोआ	2.00	0.40
22.	सिक्किम	0.85	0.30
	योग	677.76	260.00

मा०प्र० — मांग प्राप्त नहीं हुई

*सिर्फ एक मौसम के लिए

**ऋण दोनों मौसमों के लिए मंजूर किया गया है यद्यपि अनुरोध एक ही मौसम के लिए किया गया था।

डा० गौरी शंकर राजहंस : उत्तर में यह कहा गया है कि अल्प-अवधि ऋण देते समय सूखे और बाढ़ जैसी शर्तों का ध्यान रखा जाता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या अल्पावधि ऋण देते समय दूसरी प्राकृतिक विपदाओं जैसे—भूकम्प इत्यादि का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री श्याम लाल यादव : बाढ़ और सूखे जैसी विपदाओं के लिए अल्पावधि ऋण को स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार की जाती है। अगर कुछ राज्यों द्वारा भूकम्प के बारे में भी विचार करने को कहा जाता है, तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

डा० गौरी शंकर राजहंस : हम लोगों ने मन्त्री महोदय का ध्यान भूकम्प द्वारा लाई गई तबाही की ओर दिलाया है। हम लोगों को अभी तक इस आधार पर कोई ऋण नहीं प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिला सकता हूं कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य को ऋण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है बिहार, उनके अपने राज्य उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा और पंजाब की उपेक्षा की गई है।

श्री श्याम लाल यादव : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा की मैंने अपने उत्तर में बताया है कि अल्पावधि ऋण किस आधार पर प्रदान किये जाते हैं। ये ऋण मुख्य तौर पर खाद, बीज और कीटनाशी के लिये दिया जाता है। पैसे की कमी के कारण प्रत्येक राज्यों द्वारा की गयी मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है और, इसीलिये, यह सम्भव नहीं है कि राज्यों द्वारा की गयी मांग को पूर्णरूप से पूरा किया जाये। इसलिये, यहां कुछ मतभेद हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार के लिए खरीफ मौसम में 315 टन खाद की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था और अल्पविकसित राज्य को प्रतिशत हिस्सा 37.5 प्रतिशत है। अब हमने उन्हें 6.40 करोड़ रुपये दिए हैं। पिछड़ेपन के आधार पर उन्हें सहकारी क्षेत्र के लिए 11.20 करोड़ रुपये दिये गये हैं। उनका कुल हक 17.60 करोड़ रुपये बनता था और कुल आवंटन 15.60 रुपये किया गया। पश्चिमी बंगाल को 13.05 करोड़ रुपये दिए गए। इसलिये सहकारिता अल्पविकसित के आधार पर उन्हें सहकारी विकसित राज्यों के अपेक्षा ज्यादा अंश मिला है।

केन्द्रीय सरकार पिछले कई सालों से प्रति साल 260 करोड़ रुपये दे रही है। 1980-81 साल में यह राशि 200 करोड़ रुपये थी। इसे 1982-83 में 250 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1983-84 में इसे 260 करोड़ रुपये कर दिया गया और वह राशि 1989-90 में भी जारी है। उस सीमा के अन्तर्गत हमें अग्रिम अल्पावधि वित्त व्यवस्था करनी होती है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : इस दृष्टिकोण से बिहार का कुछ ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : किसानों को फसल ऋण अग्रिम प्रदान किया जाता है लेकिन प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़ या सूखे की स्थिति में यह फसल ऋण को अल्पावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसका भुगतान भी स्थगित कर दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं जब भुगतान स्थगित कर दिया जाता है तो वे वही ब्याज क्यों काटते हैं और कुछ मामलों में तो ब्याज की दांडिक दर भी लगाते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस पर ध्यान देंगे कि कब फसल ऋण अल्पावधि ऋण में परिवर्तित किये जाते हैं, और स्थगित समय में ब्याज की दर माफ होती है या नहीं ?

श्री श्याम लाल यादव : यह प्रश्न उस प्रश्न से बिलकुल ही भिन्न है जो कि यहां पूछा गया है और यह केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में है। अब राज्य सरकारें अपनी सहकारी और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को विभिन्न दरों पर अल्पावधि ऋण प्रदान करती हैं। इस साल ब्याज की दर में कमी की गयी है ?

5000 रुपये तक की राशि के लिये ब्याज की दर 10% है। यह 5,000 रुपये से 7,500 रुपये तक होती है।

7,500 रुपये से 10,000 तक—11.5%
10,000 रुपये से 15,000 तक—11.5%
15,000 से ऊपर और 25,000 तक—12.5%
14% को घटा कर 12% कर दिया गया है।

उस देश में जहां सूखा पड़ा है वहां पर पहले ही यह घोषणा कर दी गयी है कि कुल ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं होगा। अगर 100 रुपया ऋण लिया गया है तो इसका अधिकतम ब्याज 100 रुपया ही होगा। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसके ऊपर दांडिक ब्याज दर कितनी है ? हाल ही में वित्त मंत्री ने यह सूचित किया है कि बैंक इस बात से सहमत हो गये हैं कि दांडिक ब्याज दर को समाप्त कर दिया जाय और साधारण ब्याज दर लगायी जाये। क्या इस संबंध में मंत्री महोदय से कोई सूचना मिल सकती है।

श्री श्याम लाल यादव : इस संबंध में वित्त मंत्री आपको बतलायेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा की आप भली भांति जानते है कि अल्पावधि ऋण मुख्यत: सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और वे दो कठिनाईयां खड़ी कर रही है पहले तो सहकारी संस्थाएं उन्हें बी संघटक खाद खरीदने के लिये आग्रह करती है जिससे जो किसान ऋण लेते हैं उन्हें बाध्य होकर, उंची दरों पर खाद खरीदनी पड़ती है ? आप भी इससे अवगत होंगे तथा मंत्री महोदय भी इससे भली-भांति परिचित होंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि अनिवार्य रूप से बी संघटक खरीदने की इस शर्त को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रश्न के रूप में रखें। मैं उनसे नहीं पूछ सकता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता था। मंत्री महोदय को यह याद होगा की सरकार अल्पावधि ऋण के लिये अनिवार्य बीमा योजना को समाप्त करने के लिए सहमत हो गई है। लेकिन उन्होंने एक बार इसे लागू कर दिया है। क्या सरकार अपने प्रस्ताव को ध्यान में रखकर इस अन-उत्पादक योजना को समाप्त करेगी ? क्या वे अनिवार्य रूप से बी संघटक के खरीद को भी समाप्त करेगी।

श्री श्याम लाल यादव : जहां तक सहकारी संस्थाओं द्वारा फसल ऋण देने का संबंध है निश्चय ही ये ऋण आवश्यक आदान के लिये प्रदान किए जाते हैं ? अगर ये ऋण आवश्यक आदान के लिये है तो किसान आवश्यक चीजें खाद, बीज और कीटनाशक सहकारी संस्था से खरीदने के लिए बाध्य हैं। अगर यह एक ऋण है, तो उसके लिये कोई शर्त नहीं है। समाज यह ऋण देने के लिए सदैव तैयार रहता है।

जहां तक खाद के मूल्य का प्रश्न है तो सहकारी संस्था द्वारा इसके मूल्य में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती। वे भी उसी कीमत पर इसे बेच रहे हैं।

जहां तक फसल बीमा का प्रश्न है, यह योजना कुछ राज्यों में चालू है। जिन राज्यों ने इसे शुरू नहीं किया है उन्हें इसके लिये बाध्य नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसमें देखना होगा। उन्हें किसी भी चीज को खरीदने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा हो सकता कि उन्हें ये चीजें ज्यादा कीमत पर खरीदनी पड़ती हों। इसे आपको देखना है। आप कृपया इस पहलू का ध्यान रखें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बीमे के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तो इसे अनिवार्य क्यों किया गया?

अध्यक्ष महोदय : हम इसके बारे में बात करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया है और इसके फलस्वरूप चावल के उत्पादन में पिछले तीन सालों में खासकर पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुई है।

यद्यपि यह कार्यक्रम अभी तक चालू है सरकार द्वारा इन राज्यों को स्वीकृत किया गया ऋण इन राज्यों की आवश्यकता से बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर बिहार राज्य ने 45 करोड़ रु० की मांग की थी जबकि 29.20 करोड़ रु० स्वीकृत किये गये। उड़ीसा के लिये 30.02 करोड़ रु० की मांग थी लेकिन सिर्फ 16.20 करोड़ रु० स्वीकृत किये गये थे। पश्चिमी बंगाल के लिये 50 करोड़ रु० की मांग थी परन्तु सिर्फ 26.11 करोड़ रु० स्वीकृत किये गये। विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के दृष्टिकोण से क्या सरकार मुफ्त में गरीब किसानों और फसल में भागीदार लोगों को कृषि निवेश उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जिससे कि इन राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम सफल हो सके?

श्री श्याम लाल यादव : सभी चीजें मुफ्त में उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन राज्य सरकारें जो भी निवेश उपलब्ध कराना चाहे करा सकती है। लेकिन सीमान्त किसानों, छोटे किसानों को विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष सहायता दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था वहां की गयी है। इस समय यहां मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करते हैं तो मैं उन आंकड़ों को उपलब्ध करा सकता हूं।

ऐल्यूमीनियम फास्फाइड की बिक्री

*516 **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐल्यूमीनियम फास्फाइड की गोलियां, जो कि मनुष्यों के लिए बहुत विषाक्त हैं, खुले आम बाजार में बिक रही हैं, जबकि देश में केवल गोदामों को ही इसकी बिक्री के लिए लाइसेंस दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) विषाक्तता के कारण ऐल्यूमीनियम फास्फाइड का उपयोग भण्डारण भांडागारों तक सीमित है। ऐल्यूमीनियम फास्फाइड की बिक्री केवल निम्नलिखित को ही की जाती है :—

1. सरकारी विभाग;

2. सरकारी उपक्रम; और

3. भांडागार निगमों तथा भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठन ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री नरसिंह सूर्यवंशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से यह पता चलता है कि स्टोरेज और वेयर हाउसेज के लिए यह रैस्ट्रिक्टेड है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जरिए ही इसको बेचा जाता है। मगर शिकायत यह है कि आम बाजार में यह एवेलेबल है, क्या मंत्रालय के पास कोई ऐसी यंत्रणा है कि इसको देखे, चैक करे कि कहीं यह खुले बाजार में तो नहीं बिक रहा है, मानव-जीव हानि तो नहीं हो रही है ? इसके लिए उनके पास क्या यंत्रणा है और कितनी बार आपने इसको चैक किया है और कितने मसले आपके सामने आए हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री श्याम लाल यादव : मान्यवर जैसा मैंने जवाब में कहा है, कानून में यह व्यवस्था है कि जो अनाज केवल गोदाम में रखा जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए यह है । सरकारी जो अंडरटेकिंग्ज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, वेअर हाउसेज हैं कार्पोरेशन के, उन्हीं को यह बेचा जाता है और वही इसका उपयोग कर सकते हैं । आम बिक्री के लिए यह नहीं है । आम बिक्री पर बराबर नजर रखी जाती है और काफी नियमों में परिवर्तन भी किया गया है और इन्सैक्टी साइड एक्ट, 1968 के अन्तर्गत दफा 27 में इसके लिए इंतजाम भी है । मैं समझता हूं कि इस तरह से खुली बिक्री का इसमें प्रावधान नहीं है, लाइसेंस में भी नहीं है । अगर कहीं होता है और बताया जाएगा तो इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोन

[अनुवाद]

*517. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष जोन विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई राज्य-वार सर्वेक्षण किया किया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, जितना महत्वपूर्ण यह सवाल है, उतना ही निराशाजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : बराबर तुलना होनी चाहिए । जितना तगड़ा सवाल हो, उतनी तगड़ी ना हो ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर आधारित उद्योग की प्रचुर संभावना को देखते हुए देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय

की स्थापना की है और उसके माध्यम से कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने की दिशा में एक ठोस पहल की गई है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने इसेंटिव के बारे में और देश के विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिकजोन्स को ध्यान में रखते हुए क्या कोई विभिन्न योजनायें बनायी हैं ? माननीय मंत्री जी इसके बारे में हमें जानकारी देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : माननीय सदस्य ने बहुत ही स्पष्ट प्रश्न किया है और मैं उसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दूंगा। देश में अब विशेष निर्यात क्षेत्र हैं और जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अथवा पैकिंग उद्योग के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग करना चाहता है उसका स्वागत है। हमें अब नये क्षेत्र नहीं बनाने हैं। केन्द्र सरकार की ओर से हमने पूरे देश में केन्द्रीय ऐजेंसियां बनायी हैं। हम लोगों ने देश को छः केन्द्रीय ऐजेन्सियों में बांट दिया है और हम राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे है और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वे अपने राज्यों में एकल स्वीकृति ऐजेंसी स्थापित कर सके जिससे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अथवा पैकिंग उद्योग में रूचि रखने वाले लोगों को राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अन्ततः लोग उससे उबकर यह कहते हैं कि वे इसे नहीं चाहते हैं।

अब प्रश्न के द्वितीय भाग की चर्चा करते हैं जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और पैकिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा अनेक प्रकार की रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान किये गए हैं। मेरे पास इसकी पूरी सूची उपलब्ध है और उनमें से कुछ को मैं पढ़ता हूं और उद्धृत करता हूं "मुर्गी पालन व्यवसाय द्वारा प्राप्त आय में से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत आय को आयकर की संगणना के उद्देश्य से छूट; प्रशीतन सामानों के पुर्जों और मशीनरी तथा खाद्य और दुग्ध उत्पादकों के परिवहन के लिये प्रशीतन वाहनों ने प्रयुक्त संपीड को कम्प्रेसरों के उत्पाद शुल्क में 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की कमी।" यह एक बहुत ही मुख्य क्षेत्र है जिससे अन्ततः किसानों को लाभ होगा। विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इससे बहुत खुश होगें। क्यों कि हाल ही में हमने अन्नानास सान्द्र की पैकिंग शुरू की है जिसे कि आदिवासी किसान दस पैसे या पांच पैसे की दर से बेचा करते थे और अन्त में इसे फेंक दिया करते थे। मेरे मंत्रालय के निर्माण के बाद तथा प्रधान मत्री द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखने से हम लोग उसी अन्नानास को 2.00 रु० प्रति अन्नानास की दर से सीधे किसानों से खरीद रहे हैं जिनके लिये उन्हें पांच पैसे अथवा दस पैसे मिला करते थे और सारा देश त्रिपुरा क्षेत्र अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा लाये गए अन्नानास का स्वाद चख रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। अनेक ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके लिये विदेशी सहयोग करना चाह रहे हैं···(व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात कहने दें। मैं एक-एक कर आप लोगों को उत्तर दूंगा। खाद्य प्रसंस्करण और पैकिंग उद्योग में हमने रियायती मूल्यों पर 13 प्रसंस्करण की मशीनें ली हैं। क्रीम रहित दूध और संघनित दूध के उत्पादन शुल्क में 15 से 10 प्रतिशत कमी हुई है और डि मछली, मांस, टेपीओका और साबूदाने से तैयार डिब्बा बन्द खाद्य सामग्रियों के उत्पादन शुल्क में 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी हुई है। और भी अनेक चीजें हैं। मैं सभा पटल पर इसे रख सकता हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं माननीय मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि विस्तृत अध्ययन और आगे के प्रसंस्करण के लिए मुझे एक सूची दी जाये···(व्यवधान) मैं सूची पाने का भी हकदार हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश के उद्यमकर्त्ताओं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां तो अब तक कितने स्वीकृत किये गये हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा तैयार किये गये कुछ प्रस्तावों को मध्य प्रदेश की सरकार ने अग्रसारित किया है जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसे मेरे मंत्रालय से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, के लिए उद्यमकर्त्ता उनके पास सिफारिश कर रहे हैं । इस समय निगम ने 32 प्रस्तावों को पेश किया है जिसके लिये 572.55 लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें वितरित नहीं किया गया है । कुछ प्रस्तावित परियोजनायें मिष्ठान, आलू की पपड़ी और चिप्स, मूंगफली का मक्खन, आटा, निर्जलित/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और सब्जियों से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है । आप उन्हें सूची दे सकते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : किसानों और उद्योग कर्त्ताओं द्वारा फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना में सहायता प्रदान करने, उन्हें प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने और ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार या पांच वर्ष पूर्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गयी थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इस राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कोई भी कार्य अब तक नहीं किया गया है । खाद्य प्रसंस्करण के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण निकाय है । हम यह भी नहीं जान पाए हैं कि अभी यह किसके अन्तर्गत है यह कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत है अथवा नयी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अन्तर्गत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने इसकी अध्यक्षता की है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने इसका निर्माण किया है इसलिए मैं इससे सम्बद्ध करता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं समझता हूं यह एक सामुदायिक परियोजना है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या माननीय मंत्री कृपया सभा को यह बतायेंगे कि क्या इस राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कोई प्रगति की गयी है और इसकी देख-रेख कौन कर रहा है ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं इस बोर्ड को अपने मंत्रालय में रखने के लिए बहुत इच्छुक हूं । मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कृषि मंत्रालय इसे मुझे दे दे ताकि मैं इसकी देखभाल करूं और यह देखूं कि इसके उचित परिणाम निकले ।

राव बीरेन्द्र सिंह : दो मंत्रालयों के विवाद के बीच इस विभाग की समाप्ति नहीं हो जानी चाहिए ।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : हम प्रकृति के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं । मध्य प्रदेश के अमर कंटक क्षेत्र में किसानों के न्यूनतम प्रयासों से ही अत्यधिक मात्रा में खुम्बी की पैदावार होती है । रायगढ़ क्षेत्र में न्यूनतम प्रयासों से ही बहुत अधिक भाग में टमाटर की पैदावार होती है । क्या केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय की ओर किसानों को उनके मूल्य प्राप्ति के लिए कोई तकनीकी सहायता और सुविधायें दिये जाने के संबंध में सर्वेक्षण कराने संबंधी प्रस्ताव है ? क्या कृषि उत्पादों से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रेलवे प्लेट फार्मों पर आप देखेंगें कि ये सारी चीजें बहुत ही सस्ते दामों में बेची जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । वह इस पर विचार कर सकते हैं ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र

*518. **श्री उत्तम राठौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इस वर्ष प्रवेश के लिए कुल कितने विद्यार्थियों के नाम दर्ज किये गए; और

(ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की सुविधा के लिए कितने अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नाम दर्ज कराने वालों की संख्या 50123 है। इस समय देश में 118 अध्ययन केन्द्र चल रहे हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : इन लोगों के नामांकन के लिए मैं कुलपति श्री रामा रेड्डी को बधाई देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन कौन से विभाग हैं जहां विद्यार्थियों को पढ़ाया अथवा शिक्षा दी जाती है।

श्री एल० पी० शाही : सबसे अधिक प्रमुख और लोकप्रिय पाठ्यक्रम स्नातक पाठ्यक्रम है। 50% से भी अधिक विद्यार्थियों ने इसमें नामांकन लिया है। डिस्टेंस एजुकेशन में डिप्लोमा, प्रबंधन मोड्यूल 1 और 2, क्रिएेटिन राईटिंग (अंग्रेजी) में डिप्लोमा, अर्न्तस्नातक बी० ए० और बी० कॉम, नॉन प्लस-2 और प्लस-2 पाठ्यक्रम, ग्रामीण विकास में प्रमाण-पत्र बी० ए० और बी० काम के लिए स्नातक डिग्री, खाद्य पदार्थ एवं पोषण में प्रमाणपत्र आदि पाठ्यक्रम हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एम० बी० संजीवनी पोत को शुष्क गोदी में खड़ा करने का प्रभार

[अनुवाद]

*519. **डा० बी० वेंकटेश :**

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० बी० संजीवनी पोत के बार-बार स्थान परिवर्तन के कारण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को कोचीन पत्तन न्यास को प्रभारों की भारी धन राशि का भुगतान करना पड़ा;

(ख) क्या पोत के मालिकों ने कोचीन शिपयार्ड को शुष्क गोदी के सभी प्रभारों का भुगतान किया था;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जहाज के मरम्मत कार्य को पूरा करने में शिपयार्ड को अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कोचीन शिपयार्ड ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को किसी प्रकार के शिफ्टिंग चार्ज का भुगतान नहीं किया है। जिन जहाज मालिकों को शिफ्टिंग चार्जेज का भुगतान किया गया है, उन्होंने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से प्रतिपूर्ति के रूप में 8 लाख रुपए का क्लेम किया है। तथापि, कोचीन शिपयार्ड में इस संबंध में 6.44 लाख रुपए की देयता बताई है।

(ख) और (ग) मालिकों ने कांट्रैक्ट के तहत उनकी और देय सभी ड्राईडाकिंग प्रभारों का भुगतान कर दिया है।

(घ) मरम्मत कार्य पूरा करने में शिपयार्ड द्वारा लम्बा समय लेने के अन्य कारणों में निम्नलिखित प्रमुख कारण थे :—

(i) अतिरिक्त इस्पाती कार्य,

(ii) आर्डर दिए गए उपकरणों की प्राप्ति में विलम्ब, और

(iii) सप्लाई किए गए उपकरणों में खामियां दूर करना।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम

*520. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम संबंधी योजना पूर्व के सीमावर्ती राज्यों में भी लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की प्रगति का उन राज्यों में जिले-वार ब्यौरा क्या है, जहां ये कार्यान्वित की जा रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) सीमान्त क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम संसाधन विकास पर केन्द्रित है जो सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए एक विवेचित निवेश है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रयास राज्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों का पूरक हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ किए गए क्रियाकलापों में नए स्कूलों का खोला जाना, भवनों का निर्माण, अतिरिक्त-कक्षा-कक्ष, पेयजल और शौचालयों के रूप में अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था, नए आई० टी० आई० की स्थापना और विद्यालय को सुदृढ़ बनाना, पालिटेक्निक आदि खोलना शामिल है। चार राज्यों में कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए प्रधान कार्यकलापों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	कार्यकलाप का नाम	गुजरात	जम्मू और काश्मीर	पंजाब	राजस्थान
1	2	3	4	5	6
1.	नए प्राइमरी स्कूलों का खोला जाना।	6	67	—	396
2.	प्राइमरी स्कूलों की संख्या जिनके लिए भवन/अतिरिक्त कक्षा-कक्ष/शौचालय/पेय-जल सुविधाएं संस्वीकृत की गई हैं।	250	1739	1896	1453

1	2	3	4	5	6
3.	(क) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	600	—	400	900
	(ख) गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र	—	—	400	—
	(ग) जन-शिक्षण-निलायम	90	400	85	500
4.	(क) नए आई०टी०आई० की स्थापना	1	2	2	1
	(ख) विद्यमान आई०टी०आई० को सुदृढ़ बनाना	—	11	6	4
5.	नए पालिटेक्निकों की स्थापना	1	—	1	1

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का फैजाबाद-लखनऊ खण्ड चौड़ा करना

[हिन्दी]

*521. श्री निर्मल खत्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के फैजाबाद से लखनऊ तक के मार्ग को चौड़ा करके इसे दो लेन वाली सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस सड़क पर प्रतिवर्ष कितनी दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ग) क्या इस सड़क की खराब हालत को ध्यान में रखते हुए इसे "हाट-मिक्स" प्रणाली से निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) लखनऊ से फैजाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पहले ही दो लेन वाली सड़क है ।

(ख) लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद जिलों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के लखनऊ-फैजाबाद खण्ड पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या निम्न-लिखित है, जैसा कि राज्य पुलिस द्वारा सूचित किया गया है :

1986 में	202
1987 में	209
1988 में	220

(ग) सड़क सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में है। तथापि, लखनऊ से 35 कि० मी० तक हाट मिक्स बिटुमिनस लेयर्स के साथ पैदल पथ को मजबूत बनाने के काम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण

*522. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण करने के संबंध में क्या कार्यवाही की है, जैसकि बिहार सरकार ने अनुरोध किया है; और

(ख) इन गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्र और बिहार सरकार पृथक-पृथक कितना वित्तीय योगदान करेंगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण विकास विभाग गोदामों की स्थापना हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, गोदाम कृषि ऊपज तथा निवेशों के भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। बिहार सरकार के अनुरोध पर अभी तक कुल 1.54 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले 156 ग्रामीण गोदामों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति के लिये लम्बित नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु सहकारी सोसायटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। अभी तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने बिहार राज्य में 1596 गोदामों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने इन ग्रामीण गोदामों की स्थापना हेतु 164.75 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता रिलीज की है तथा राज्य सरकार ने 185.00 लाख रु० का अंशदान किया है।

"इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन फार कन्टिन्यूइंग एजुकेशन" का "प्रयत्न प्रोजेक्ट"

[अनुवाद]

*523. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित "इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसियेशन फार कन्टिन्यूइंग एजुकेशन" ने "प्रयत्न प्रोजेक्ट" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या लक्ष्य हैं; और

(ग) इस परियोजना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) इस मंत्रालय को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, सतत शिक्षा के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या बाल विकास की आवश्यकताओं के लिए युवा तथा सामुदायिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने में मुख्य ग्रामीण विश्वविद्यालयों के संकाय और छात्रों की रूचि हो सकती है, उनके लक्ष्यों का पता लगाने के क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। तथापि, इस परियोजना को चलाया नहीं गया है।

प्रौढ़ साक्षरता के लिए निर्धारित लक्ष्य

*524. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में अब तक क्या उपलब्धि हुई हैं; और

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में प्रौढ़ साक्षरता के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :—

(अंक लाख में)

क्रम सं० वर्ष	सातवीं योजना में स्थिति		
	लक्ष्य	नामांकित संख्या	किए गए साक्षरों की संख्या
1. 1985-86	75.46	66.53	47.26
2. 1986-87	83.60	77.02	54.33
3. 1987-88	89.23	80.29	55.37 (अस्थायी)
4. 1988-89	99.13	81.47	

(अस्थायी) अध्ययन परिणाम के मूल्यांकन की प्रक्रिया के पश्चात ही साक्षर किए गए व्यक्तियों की संख्या के संबंध निश्चित स्थिति मालूम हो जायेगी।

(ग) कार्यात्मक साक्षरता के ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नेहरू युवा संगठन, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा कार्यात्मक साक्षरता के उन कार्यक्रम के जरिए नामांकित प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए साक्षर स्तर प्राप्त करने में कमी के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) उचित अध्यापन अध्ययन वातावरण की कमी।

(ii) बुनियादी साक्षरता, उत्तर-साक्षरता तथा सतत् शिक्षा के बीच प्रभावशाली संबंध का न होना।

(iii) पदाधिकारियों के गुणात्मक प्रशिक्षण का अभाव।

(iv) प्रभावशाली मीडिया विस्तार तथा साक्षरता संदेश के प्रसार में सहायता और साक्षरता के अनुकूल वातावरण का न होना।

(v) विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षार्थियों का अनियमित रूप से भाग लेना।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को तैयार करते समय उपर्युक्त कमियों को ध्यान में रखा गया है।

नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण संबंधी नीति

*525. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी नीति बनाई है कि नवोदय विद्यालयों में कार्यरत दम्पत्तियों को एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति को पूर्ण तथा लागू किया जा रहा है; और

(ग) यदि कोई ऐसी नीति नहीं है, तो क्या सरकार का ऐसी नीति तैयार करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) नवोदय, विद्यालयों में, शिक्षक, अब तक, केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। कोई स्थानांतरण नीति अब तक नहीं बनायी गयी है क्योंकि हाल ही में यह योजना आरंभ की गयी है। तथापि, रिक्तियों के उपलब्ध होने पर एक ही स्टेशन पर दम्पत्तियों की नियुक्ति के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नवोदय विद्यालयों में दम्पत्तियों के स्थानान्तरण/नियुक्तियों की उपयुक्त नीति यथा समय तैयार करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी[

तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरों का जीर्णोद्धार

*526 **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर में तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है और अब तक कितना कार्य हुआ है; और

(ख) तत्संबंधी भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान 2,32,900.00 रु० की राशि संस्वीकृत की गई थी। इस अवधि के दौरान किए गए विशेष संरक्षण कार्यों में क्षतिग्रस्त और गुम हुई जालियों की जगह दूसरी जालियां लगाना, प्रांगणभिति की मरम्मत, मोहम्मद गौस के मकबरे से घास-फूस को काटना और मंच के फर्श के टूटे-फूटे और गायब हुए पत्थरों को लगाना तथा तानसेन मकबरे का रासायनिक परिरक्षण शामिल हैं।

(ख) वार्षिक रखरखाव और मरम्मत कार्य के अतिरिक्त 1989-90 के संरक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए गए हैं :

मोहम्मद गौस का मकबरा

(i) क्षतिग्रस्त संरचनात्मक इकाईयों को बदलना

(ii) जलबन्दी

तानसेन का मकबरा

(i) दृश्य दरारों/जोड़ों को भरना

(ii) क्षतिग्रस्त पत्थर की जालियों की मरम्मत करना।

भारत और सोवियत संघ के बीच औद्योगिक सहयोग

[अनुवाद]

*527. श्री के० प्रधानी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के संबंध में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच किसी समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों को घाटा

*529. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक एककों की क्षमता का एकक-वार कितना उपयोग हुआ और उनको कितना-कितना घाटा हुआ;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान भारतीय उर्वरक निगम को कितना घाटा हुआ और यह सरकारी क्षेत्र के सभी एककों को हुए कुल घाटे का कितना प्रतिशत है; और

(ग) भारतीय उर्वरक निगम को भारी घाटा होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक उत्पादक कम्पनियों की एकक-वार क्षमता उपयोगिता तथा उठाई गयी हानियां गत तीन वर्षों दौरान जिनके लेखा परीक्षित लेखें उपलब्ध है निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है :—

तालिका-1   क्षमता उपयोग की प्रतिशतता

कम्पनी/एकक का नाम		नाइट्रोजन 1985-86	नाइट्रोजन 1986-87	नाइट्रोजन 1987-88	फास्फेट 1985-86	फास्फेट 1986-87	फास्फेट 1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8
1. एफ० सी० आई०							
	सिन्दरी	33.8	61.8	64.8	—	—	—
	गोरखपुर	60.2	64.2	59.0			
	रामागुण्डम	24.3	49.6	23.6			
	तलचर	23.2	25.8	37.4			
2. एच० एफ० सी०							
	नामरूप—I	38.0	19.6	23.0	—	—	—
	नामरूप—II	38.6	57.2	57.3			

1	2	3	4	5	6	7	8
	नामरूप—III	—	—	53.7			
	दुर्गापुर	30.4	32.4	38.0			
	बरौनी	16.1	40.5	50.2			
3. एन० एफ० एल०							
	नंगल—I	76.0	71.4	77.9			
	नंगल—II	91.0	88.4	92.2			
	भटिंडा	71.6	72.1	86.1			
	पानीपत	60.4	80.9	87.4			
	विजयपुर	—	—	—			
फैक्ट							
	उद्योग मण्डल	76.0	67.3	68.8	85.7	81.9	75.9
	कोचीन—I	37.0	69.4	58.5	—	—	—
	कोचीन—II	79.5	98.8	103.8	61.8	78.9	85.2
आर० सी० एफ०							
	ट्राम्बे	90.2	95.2	107.1	88.4	88.2	111.3
	ट्राम्बे—4	69.1	82.3	79.6	69.1	82.3	79.6
	ट्राम्बे—5	89.5	101.1	79.5	—	—	—
	थाल	55.1	70.2	89.3	—	—	—
एम० एफ० एल०							
	मद्रास	74.4	89.4	25.6	83.0	92.0	51.1
पी० पी० एल०							
	पारादीप	—	58 8	:8 8	—	58.8	58.8

तालिका—2 शुद्ध हानि (रु० करोड़ में)

कम्पनी/एकक का नाम		1985-86	1986-87	1987-88
1		2	3	4
एफ० सी० आई० :	सिन्दरी	(−)46.02	(—) 20.77	(+)59.11*
	गोरखपुर	(—)11.08	(—) 13.18	(—)26.18
	रामागुण्डम	(—)24.26	(+) 2.59	(·−)33.93
	तलचर	(—)42.74	(—) 39.21	(—)22.45
	विपणन और अन्य	(—) 5.28	(—) 31.98	(—)19.22
	योग	(—)129.38	(—)102.53	(—)42.67*

1	2	3	4
एच० एफ० सी० : नामरूप	(—) 29.07	(—) 19.74	(—) 28.36
दुर्गापुर	(—) 30.89	(—) 38.74	(—) 45.23
बैरोनी	(—) 17.37	(—) 30.40	(—) 31.32
विपणन और अन्य	(+) 5.76	(+) 2.56	(+) 0.07
योग :	(—) 71.56	(—) 86.22	(—)104.84
एम०एफ०एल० : मद्रास	(—) 7.60	(+) 6.64	(—) 26.05
पी० पी० एल० : पारादीप	—	(—) 8.26	(—) 20.34
पी०डी०आई०एल० : सिन्दरी	(+) 0.52	(—) 0.39	( ) 5.18
कुल योग :	(—)208.02	(—)190.76	(—)199.08

*सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण संयंत्रों के 86.10 करोड़ रुपये की संचित हानि को बट्टे खाते में डालने के पश्चात् ।

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा उठायी गयी शुद्ध हानि का प्रतिशत 1986-87 के दौरान हानि उठाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सभी उर्वरक कम्पनियों द्वारा उठायी गयी कुल शुद्ध हानि का लगभग 54 प्रतिशत बैठता है ।

(ग) एफ० सी० आई० द्वारा उठाई गयी हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(1) कोयले पर आधारित संयंत्रों द्वारा निम्न क्षमता उपयोगिता जहां कोयला प्रौद्योगिकी पहली बार इस्तेमाल की गयी है तथा उपस्कर असंगतियों, अपर्याप्त उपयोगिता समर्थन की समस्यायें अन्तर्ग्रस्त है;

(2) कुछ संयंत्रों की पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी;

(3) पावर की समस्या विशेष रूप से कोयले पर आधारित एकक में;

(4) तलचर में कोयले की घटिया किस्म;

(5) अधिक जनशक्ति; और

(6) समापन समस्यायें ।

पौधों के रोगों का पहले पता लगाना

*530 श्री महेश्वर तांती : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौधों को होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या पौधों को होने वाले रोगों एवं महामारियों का पहले से ही पता लगाने के लिए कोई विधि विकसित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) फसलों को सहनशील/प्रतिरोधी किस्में निकालना, समेकित कृमि प्रबन्ध, फफूंदी नाशी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, संगरोध के विनियमों को लागू करना और विस्तार प्रयासों को सुदृढ़ बनाना, मुख्य कदम हैं, जो सरकार द्वारा पौधों के रोगों पर काबू पाने के लिए उठाये गये हैं।

(ख) और (ग) महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ों तथा तापमान, नमी, वर्षा धूप, बादलों आदि जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणिक पहलुओं की छान-बीन द्वारा पौधों के रोगों और उनकी महामारी फैलने के बारे में पूर्व जानकारी देने की विधियां विकसित की गई हैं/की जा रही हैं।

गेहूं को किट्ट (रस्ट) जैसे वायु द्वारा पैदा होने वाले रोगों की मानिटरिंग ट्रैप-नर्सरी, स्पोर-ट्रैपों तथा गश्ती सर्वेक्षणों द्वारा की जाती है। अन्य किस्म के रोगों के लिए पूर्व सूचक माडल विकसित करने के वास्ते मौसम के प्रतिमानों का इस्तेमाल किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय वाणिज्यिक पोत "आईलैंड स्टार" का डूबना

*531. **श्री पो० एम० सईद** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय वाणिज्यिक पोत "आईलैंड स्टार" मार्च, 1989 के प्रथम सप्ताह में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह के अंदरोथ द्वीप के निकट डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन कारणों से हुई;

(ग) पोत में कितने व्यक्ति सवार थे और इनमें से कितने व्यक्ति डूब गये;

(घ) यदि कोई बचाव कार्यवाही की गई तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पोत को सागर से बाहर निकालने तथा इस दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) यह जहाज 5.3.1989 को "मदद इलाही" नामक दूसरे जहाज से टकराने के बाद डूब गया।

(ग) और (घ) आईलैंड स्टार पर सवार 18 व्यक्तियों में से मदद इलाही नामक जहाज ने 12 व्यक्तियों को बचाया और 6 व्यक्ति लापता हैं। एक रूसी जहाज और "द्वीप सेतु" नामक एक भारतीय यात्री जहाज ने 6.3.1989 को इस क्षेत्र में खोज-कार्य किया। हेलीकाप्टर के साथ आई० एन० एस० वीर नामक नौसैनिक जहाज और "राजेश्वरी" नामक तटरक्षक जहाज ने भी टक्कर वाले स्थान तथा एंड्रोथ द्वीप के आसपास खोज कार्य किया किन्तु अब तक लापता व्यक्तियों में से कोई भी नहीं मिल पाया है।

(ङ) जहाज के मलबे को निकालने या न निकालने का निर्णय लेना जहाज के मालिक पर निर्भर है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि मलबे से नौचालन को कोई खतरा नहीं है।

महानिदेशक (नौवहन) मृत कर्मीदल के सदस्यों के निकट सम्बन्धियों से कामगार मुआवजा आयुक्त के समक्ष कलेम प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है।

हैलियोथिस रोग से कपास की फसलों को बचाने के लिए जैविक नियंत्रण

*532. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैलियोथिस रोग से कपास की फसलों को बचाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नई और पुरानी कीटनाशक औषधियों के पूर्णतः असफल रहने की जानकारी है;

(ख) क्या वर्ष 1950 से निकारागुआ, कोस्टारिका और अन्य देशों में कपास की फसलों के इन्हीं कीड़ों से नष्ट होने से बचाने के लिये जैविक नियंत्रण पद्धतियां संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत दस वर्षों से कोयम्बटूर स्थित राष्ट्रीय जैविक नियंत्रण केन्द्रों अथवा जैविक नियंत्रण के संबंध में पूर्णतः कार्यरत भारत कृषि अनुसंधान परिषद/भारत सरकार को 22 प्रयोगशालाओं जैसे स्थानों पर इन्हीं तरीकों के परीक्षण और उनके विकास में असफलता के क्या कारण हैं।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) कुछ कीटनाशी दवाइयां हाल ही के वर्षों में आंध्र प्रदेश में कपास को फसल में हैलियोथिस नामक कृमि पर काबू पाने के लिये प्रभावी नहीं पायी गई।

(ख) निकारागुआ तथा अन्य देशों में समेकित कृमि प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कपास की फसल में हैलियोथिस पर काबू पाने के लिये जैविक नियंत्रण पदार्थों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

(ग) भारत में न्यूक्लियर पालिहेड्रोसिस वाइरस के जरिए जैविक नियंत्रण विधि का विकास किया गया है। प्रदर्शनों के जरिए किसानों को इसे अपनाने के लिये कहा जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में वाहनों की संख्या

4669. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, केन्द्रीय सरकार तथा सम्बद्ध कार्यालयों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व में तथा इनके नाम पंजीकृत कारों और जीपों की संख्या कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : संघ सरकार के अनेक मंत्रालय हैं और बहुत से मंत्रालयों विशेषकर गृह, रक्षा, शहरी विकास, जल संसाधन, वित्त, संचार इत्यादि मंत्रालयों के बड़ी संख्या में सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के भी बड़ी संख्या में कार्यालय हैं। भारत और विदेशों में स्थित भारी संख्या में कार्यालयों से अपेक्षित सूचना एकत्र करना एक महंगा और समय लगने वाला सर्वेक्षण होगा। सूचना एकत्र करने के लिए जितना समय और प्रयास अपेक्षित है, सूचना से उतने परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

विदेशी जेलों में भारतीय श्रमिक

4970. **श्री आर० एम० भोये०** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक वर्ष-वार और देश-वार विदेशी जेलों में कितने भारतीय श्रमिक नजरबंद किये गये; और

(ख) उन्हें मुक्त कराने के लिए उन देशों में भारतीय दूतावासों द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

"दुर्गापुर स्टील प्लान्टस डूबियस डिसटिंक्शन जीप्ड आफ रुपीज 75 लाख"
शीर्षक के समाचार

4971. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 मार्च, 1989 के बम्बई के साप्ताहिक समाचार पत्र "बिलट्ज में दुर्गापुर स्टील प्लांट्स डुबियस डिसटिन्कशन जीप्ड आफ रूपीज 75 लाख" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और यह धोखाधड़ी किस प्रकार की जाती है; और

(ग) इस धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) दुर्गापुर के मैसर्स बार्टर कैरियर्स द्वारा प्रस्तुत बिल का दिनांक 22.12.1988 को भुगतान करने से पहले पता चला जिस पर दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर थे। उसके पश्चात् उस ठेकेदार के पिछले बिलों की जांच की गई। मई, 1985 से लेकर नवम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान इस ठेकेदार को ऐसे जाली कार्य-आर्डरों, जिन पर दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर थे, के आधार पर 39,89,930 रुपए का भुगतान किया गया था।

उपर्युक्त मामलों का पता चलने पर दिनांक 23.12.1988 को दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सम्पर्क किया जिसने मामले की छान-बीन आरम्भ कर दी है।

इस धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा, परन्तु प्रत्यक्षत: ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बिल पास करने वाले अनुभाग और रोकड़ लेखा अनुभागों के स्टाफ की मिली-भगत से की गई जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया है और वह मामले की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने पर ही की जाएगी। इस बीच दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने इस प्रकार के मामले की भविष्य में पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी नियंत्रणात्मक कदम उठाए हैं।

भारत की सोवियत रूस को राहत सामग्री की सप्लाई

4972. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सोवियत रूस को राहत सामग्री भेजने में अपना सहयोग प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सहायता सामग्री से लदे पांच आई० एल०-76 विमान जिनमें कुल 150 टन सामान था, 10 से 28 दिसम्बर, 1988 के बीच भेजे गए थे। इन वस्तुओं में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, रेड क्रास से प्राप्त सामग्री तथा निजी उद्योग से प्राप्त अनुदान शामिल था। सहायता सामग्री में क्या-क्या चीजें हों, इसका फैसला सोवियत प्राधिकारियों की सलाह से उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप किया गया था। भारतीय सहायता सामग्री में कंबल तथा उनी वस्त्र, आर्कटिक तम्बू, स्ट्रैचर तथा अस्पताल के पलंग, विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा और शल्य उपकरण तथा दवाईयां शामिल थी। इसके अलावा, समूचे भारत से नागरिकों तथा संस्थाओं से नकद अंशदान को उचित रूप से वहां तक पहुंचाने के लिए "प्रधान मंत्री आर्मिनिया भूकंप सहायता कोष" की स्थापना भी की गई है। राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों से अनुरोध किया गया कि वे अंशदान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएं।

पेय जल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की रिपोर्ट

4973. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेय जल संबंध प्रौद्योगिकी मिशन ने सरकार को पानी उपलब्धता के बारे में अपनी रिपोर्ट मार्च, 1989 में प्रस्तुत करनी थी; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संबंध में रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत जल की उपलब्धता की निगरानी, समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराने के संदर्भ में मासिक, तिमाही तथा वार्षिक आधार पर की जा रही है।

(ख) 1 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में अभी 978 बिना जल स्रोत वाले समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी।

द्विपक्षीय सरकारी दौरे

4974. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 से अब तक किन-किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के द्विपक्षीय सरकारी दौरे किये हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान किन-किन देशों के शासनाध्यक्षों ने भारत के द्विपक्षीय सरकारी दौरे किये;

(ग) इसी अवधि के दौरान किन किन देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत का सरकारी तौर पर द्विपक्षीय दौरा किया; और

(घ) इसी अवधि के दौरान हमारे राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्रियों ने किन-किन देशों का सरकारी दौरा किया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सूचना विवरण-1 में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण-2 में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-3 में दी गई है।

(घ) सूचना विवरण-4 में दी गई है।

विवरण-1

उन देशों के नाम जिनके राज्याध्यक्षों ने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की

वर्ष 1986

1. नीदर लैंड	जनवरी
2. वेटीकन	फरवरी
3. सेशेल्स	अप्रैल
4. बंगला देश	जुलाई
5. निकारागुआ	सितम्बर
6. जोर्डन	अक्तूबर

वर्ष 1987

1. पेरू	जनवरी
2. फिनलैंड	फरवरी
3. पाकिस्तान	फरवरी
4. रोमानिया	मार्च
5. अंगोला	अप्रैल
5. श्रीलंका	नवम्बर
7 भूटान	दिसम्बर
8. वानूआतू	दिसम्बर

वर्ष 1988

1. श्री लंका	जनवरी
2. अफगानिस्तान	मई
3. मोजाम्बिक	मई
4. बंगला देश	सितम्बर
5. नेपाल	सितम्बर
6. अंगोला	अक्तूबर
7. मारीशस	नवम्बर
8. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	नवम्बर
9. स्वापो	नवम्बर
10. मालदीव	दिसम्बर

वर्ष 1989 (मार्च तक)

1. फ्रांस	फरवरी
2. टर्की	फरवरी
3. मंगोलिया	मार्च
4. फिलिस्तिनी मुक्ति संगठन	मार्च

विवरण-2

उन देशों के नाम जिनके शासनाध्यक्षों ने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की

वर्ष 1986

1. ग्रीक	जनवरी
2. कोरिया गणराज्य	मार्च
3. टर्की	अप्रैल
4. जर्मन संघीय गणराज्य	अप्रैल
5. स्वापो	मई
6. युगोस्लाविया	जुलाई
7. जाम्बिया	सितम्बर
8. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	नवम्बर

वर्ष 1987

1. डेनमार्क	जनवरी
2. मलेशिया	जनवरी
3. नीदरलैंड	मार्च
4. नार्वे	जुलाई
5. फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन	अगस्त
6. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	नवम्बर

वर्ष 1988

1. इटली	जनवरी
2. कम्पूचिया	जनवरी
3. कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	फरवरी
4. सिंगापुर	मार्च
5. फिलिस्तिनी मुक्ति संगठन	अक्तूबर
6. कम्पूचिया	नवम्बर

वर्ष 1989 (मार्च तक)

1. माल्टा	जनवरी
2. वियतनाम	जनवरी
3. आस्ट्रेलिया	फरवरी
4. थाईलैंड	मार्च

विवरण-3

उन देशों के नाम जिनके विदेश मंत्रियों ने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की।

वर्ष 1987

1. भूटान	जनवरी
2 यूनाइटेड किंगडम	मार्च
3. स्विटजरलैंड	मार्च
4. नीदरलैंड	मई
5. बेनिन	जुलाई
6. ईरान	अगस्त
7. भूटान	दिसम्बर

वर्ष 1987

1. कनाडा	फरवरी
2. अफगानिस्तान	फरवरी
3. मारीशस	फरवरी
4. ईरान	फरवरी
5 कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	फरवरी
6. फ्रांस	मार्च
7. नेपाल	मार्च
8. उरूग्वे	मार्च
9. नेपाल	जून
10. जापान	अगस्त
11. उगाण्डा	अगस्त
12. बर्मा	सितम्बर
13. इथोपिया	नवम्बर
14. ईरान	नवम्बर
15. नेपाल	दिसम्बर

वर्ष 1988

1. अल्जीरिया	जनवरी
2. अफगानिस्तान	फरवरी
3. पोलैंड	फरवरी
4. हंगरी	फरवरी
5. निकारागुआ	अगस्त
6. गयाना	अगस्त
7. इण्डोनेशिया	अगस्त
8. अफगानिस्तान	सितम्बर
9. यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य	दिसम्बर

वर्ष 1989 (मार्च तक)

1. जिबूती	जनवरी
2. अफगानिस्तान	मार्च
3. बुर्किना फासो	मार्च
4. यूनाइटेड किंगडम	मार्च

विवरण-4

भारत के राष्ट्रपति ने जिन देशों की यात्रा की उनके नाम

1986

1. नेपाल	जुलाई
2. यूगोस्लाविया	अक्तूबर
3. पोलैंड	नवम्बर
4. ग्रीक	नवम्बर

1987

शून्य

1988

1. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	जुलाई
2. मंगोलिया	जुलाई
3. पाकिस्तान	अगस्त
4. नीदरलैंड	सितम्बर
5. फिनलैंड	सितम्बर
6. साइप्रस	सितम्बर

7. चेकोस्लोवाकिया	सितम्बर
8. भूटान	अक्तूबर

1989 (मार्च तक)

1. जापान	फरवरी

भारत के प्रधान मन्त्री ने जिन देशों की यात्रा की उनके नाम

1986

1. मालदीव	फरवरी
2. स्वीडन	मार्च
3. जाम्बिया	मई
4. जिम्बाबे	मई
5. अंगोला	मई
6. तन्जानिया	मई
7. मारीशस	जुलाई
8. मेक्सिको	अगस्त
9. यूनाइटेड किंगडम	अगस्त
10. जिम्बाबे	सितम्बर
11. इण्डोनेशिया	अक्तूबर
12. आस्ट्रेलिया	अक्तूबर
13. न्यूजीलैंड	अक्तूबर
14. थाईलैंड	अक्तूबर

1987

1. श्रीलंका	जुलाई
2. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	जुलाई
3. कनाडा	अक्तूबर
4. संयुक्त राज्य अमरीका	अक्तूबर
5. नेपाल	नवम्बर
6. बर्मा	दिसम्बर

1988

1. स्वीडन	जनवरी
2. जापान	अप्रैल
3. वियतनाम	अप्रैल

4. सीरिया	जून
5. जर्मन संघीय गणराज्य	जून
6. हंगरी	जून
7. जोर्डन	जुलाई
8. यूगोस्लाविया	जुलाई
9. स्पेन	जुलाई
10. टर्की	जुलाई
11. भूटान	सितम्बर
12. चीन	दिसम्बर
13. पाकिस्तान	दिसम्बर

भारत के विदेश मन्त्री ने जिन देशों की यात्रा की उनके नाम

वर्ष 1986

1. ईरान	जनवरी
2. कुवैत	जनवरी
3. बहरीन	जनवरी
4. संयुक्त राज्य अमरीका	फरवरी
5. थाईलैंड	मार्च
6. इण्डोनेशिया	मार्च
7. जाम्बिया	मई
8. जिम्बावे	मई
9. अंगोला	मई
10. तन्जानिया	मई
11. मारिशस	जुलाई
12. युनाइटेड किंगडम	अगस्त
13. मेक्सिको	अगस्त
14. जिम्बावे	अगस्त
15. संयुक्त राज्य अमरीका	सितम्बर
16. आस्ट्रेलिया	अक्तूबर
17. न्यूजीलैंड	अक्तूबर
18. थाईलैंड	अक्तूबर

19. थाईलैंड	दिसम्बर
20. सिंगापुर	दिसम्बर

वर्ष 1987

1. नेपाल	जनवरी
2. थाईलैंड	जनवरी
3. वियतनाम	जनवरी
4. यूनाइटेड किंगडम	जनवरी
5. चेकोस्लोवाकिया	मार्च
6. पोलैंड	मार्च
7. कीनिया	अप्रैल
8. जिम्बाब्वे	अप्रैल
9. यूनाइटेड किंगडम	अप्रैल
10. अफगानिस्तान	अप्रैल
11. यूनाइटेड किंगडम	मई
12. संयुक्त राज्य अमरीका	मई
13. हांगकांग	मई
14. कोरिया गणराज्य	मई
15. जापान	मई
16. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	मई
17. कम्पूचिया	मई
18. चीन	मई
19. थाईलैंड	मई
20. सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ	जून
21. यूगोस्लाविया	जून
22. इटली	जून
23. सिंगापुर	जुलाई
24. मारीशस	जुलाई

वर्ष 1988

1. नेपाल	जून
2. यूनाइइटेड किंगडम	जुलाई

3. कनाडा	जुलाई
4. संयुक्त राज्य अमरीका	जुलाई
5. नेपाल	अगस्त
6. पाकिस्तान	अगस्त
7. संयुक्त अरब अमीरात	सितम्बर
8. साइप्रस	सितम्बर
9. संघीय जर्मन गणराज्य	सितम्बर
10. यूनाईटेड किंगडम	सितम्बर
11. संयुक्त राज्य अमरीका	सितम्बर
12. मालदीव	नवम्बर
13. चीन	दिसम्बर
14. पाकिस्तान	दिसम्बर

वर्ष 1989 (मार्च तक)

1. यूनाइटेड किंगडम	जनवरी
2. साइप्रस	जनवरी
3. संयुक्त अरब अमीरात	जनवरी
4. यूनाईटेड किंगडम	फरवरी
5. जिम्बाबे	फरवरी
6. जापान	फरवरी
7. नेपाल	मार्च
8. संघीय जर्मन गणराज्य	मार्च
9. नीदरलैंड	मार्च
10. यूनाइटेड किंगडम	मार्च

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के केन्द्र खोलना

4975. श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान अपने अनेक केन्द्र खोल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) बम्बई स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान ने दो विस्तार केन्द्र—एक हैदराबाद में और दूसरा मद्रास—में खोले हैं। संस्थान की दो और केन्द्र खोलने की योजना है।

बिहार में उपलब्ध खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

4976. **श्री एस० डी० सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उपलब्ध खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी हां। बिहार में खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना के अनेक प्रस्ताव हैं।

सिंहभूम जिले के चंडिल में बिहार स्पंज आयरन लि० का एक स्पंज आयरन संयत्र निर्माणाधीन है।

बिहार राज्य खनिज विकास निगम ने पलामू जिले के बिश्रामपुर में ग्रेनाइट परिष्करण संयंत्र पलामू जिले के सेरमा में पलामू मेग्नेटाइट परिष्करण संयंत्र, हजारी बाग जिले में संयुक्त क्षेत्र में माइका-पेपर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यवाही की है। उनके अन्य प्रस्तावों में हजारी बाग जिले के रामगढ़ के निकट विशेष धुंआ-रहित ईंधन संयत्र की स्थापना, ग्रेनाइट खनन तथा पालिश परियोजना और हजारी बाग जिले में उपोत्पाद प्राप्ति कोक ओवन संयंत्र की स्थापना शामिल हैं।

रोहतास जिले के चूनापत्थर निक्षेपों पर आधारित एक सीमेंट कारखाना, तथा बोकारो इस्पात संयंत्र के धातुमल पर आधारित उद्योग भी बालूमठ (पलामू जिला) और बोकारो के विभिन्न स्थलों पर लगाए जाएंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मदर डेयरी को हुआ घाटा

[अनुवाद]

4977. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी को वर्ष 1980 से वर्ष 1987 की अवधि के दौरान लाभ हुआ था और यदि हां, तो वर्ष 1987-88 तथा उसके पश्चात् की अवधि के दौरान इसे घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या अधिकांश घाटा मदर डेयरी द्वारा चलाये जाने वाली दूध तथा फल एवं सब्जी दोनों परियोजनाओं के लेखाओं को सम्मिलित करने के कारण हुआ है;

(ग) क्या दूध तथा फल एवं सब्जी परियोजनाओं के लेखाओं को अलग-अलग रखा जा रहा है; और

(घ) क्या मदर डेरी ने फल एवं सब्जी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रारम्भ किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) मदर डेयरी, दिल्ली को लेखा वर्ष 1984-85, 1987-88 और 1988-89 के दौरान हानि हुई है। इन हानियों के कारण राज्य सहकारिता डेयरी महासंघों को ताजे दूध को आपूर्ति के

लिए बढ़ी हुई कीमतें देना, सुरक्षित रखी गयी दुग्ध जिन्सों के अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि तथा परिचालन व ऊपरी व्ययों में वृद्धि हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अब पृथक खाते रखे जा रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सरकार को मंजूरी से फल और सब्जी परियोजना शुरू की थी।

डाक्टर फैलो की उपाधि के लिये आकस्मिक निधि

4978. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से वर्ष 1987-88 में "डाक्टर-फैलो" उपाधि के लिए कितनी आकस्मिक निधि निर्धारित की थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : वर्ष 1987-88 के दौरान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 96,970 रुपये के फुटकर अनुदान 53 डाक्टर फैलोज को संस्वीकृत किए गए थे।

सरसों की उत्तम किस्मों का विकास

4979. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र ने ऊतक प्रत्यारोपण विधि से सरसों की उत्तम किस्मों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) कोई नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई स्टील प्लांट के स्टोर के मदों की बिक्री

4980. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई स्टील प्लांट को गत तीन महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कुछ स्टोरों के मदों के लिए अनेक निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय स्टील प्लांट के स्टोर में उपलब्ध मदों को खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भिलाई इस्पात संयंत्र, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मांग को प्राथमिकता देता है और

उपलब्ध अधिशेष मदों की सूचियों को समय-समय पर उपक्रमों को परिचालित करता है। यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टॉक से स्टोर मदें भी जारी करता है।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन जलपोत प्राप्त करना

4981. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जल-परिवहन के लिए जलपोत प्राप्त करने हेतु वर्ष 1988-89 और 1989-90 में कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इन जलपोतों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन जलपोतों का निर्माण देश में ही किया जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस खरीद की शर्तें क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की कार्गो ढुलाई क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से जहाजों की खरीद के लिए निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं :—

1988-89	—	15.00 करोड़ रु०
1989-90	—	26.00 करोड़ रु०

(ख) से (घ) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने देश के यार्डों को 63 जहाजों के लिए आर्डर दिए हैं। 63 जहाजों में से 12 जहाज केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के राजाबागान डाक यार्ड में निर्मित किए जा रहे हैं। 1989-90 की वार्षिक योजना में कलकत्ता और हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जल मार्ग पर यात्री सेवा के लिए 2 होवर क्राफ्ट सुलभ कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए अभी आर्डर नहीं दिए गए हैं।

नये नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना

4982. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में कुछ और नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें सातवीं योजना के अन्त तक इस प्रकार के केन्द्र होंगे; और

(ग) इस समय, राज्य-वार किन-किन जिलों में नेहरू युवक केन्द्र स्थित है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अब तक जिन जिलों में नेहरू युवा केन्द्र स्थित है, के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक शेष जिलों में एक नेहरू युवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण	
राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अब तक के जिलों के नाम जिनमें नेहरू युवा केन्द्र स्थित है।
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद
	2. अनन्तपुर
	3. चित्तूर
	4. कड़प्पा
	5. पूर्वी गोदावरी (काकीनाडा)
	6. गुंटूर
	7. करीमनगर
	8. खम्माम
	9. कृष्णा (विजयवाड़ा)
	10. कुरनूल
	11. महबूब नगर
	12. मेडक (सिद्दीपट)
	13. नालगोंडा
	14. नेल्लोर
	15. प्रकासम (अंगोल)
	16. निजामाबाद
	17. रंगारेड्डी (हैदराबाद)
	18. श्रीकाकुलम
	19. विशाखापटनम
	20. विजयानगरम
	21. वारांगल
	22. पश्चिमी गोदावरी (इलुरू)
अरुणाचल प्रदेश	1. निम्न सुबानसिरी (जिरो)
	2. उच्च सुबानसिरी (दापोरिजो)
	3. पश्चिमी सिआंग (आलोंग)
असम	1. बारपेटा

1	2
असम	2. कच्छार (सिलचर)
	3. डिब्रूगढ़
	4. धुब्री
	5. गोलपारा
	6. कामरूप (गुवाहाटी)
	7. कर्बी अंगलोंग (डिफू)
	8. करीमगंज
	9. लखीमपुर
	10. नौगांव
	11. उत्तरी कच्छार (हफलोंग)
	12. सोनीतपुर (तेजपुर)
बिहार	1. औरंगाबाद
	2. बेगुसराय
	3. भागलपुर
	4. भोजपुर (आरा)
	5. दरभंगा
	6. देवघर
	7. धनबाद
	8. गया
	9. गिरीडीह
	10. गोड़ा
	11. गोपालगंज
	12. गुमला
	13. हजारी बाग
	14. जहाँनाबाद
	15. कटिहार
	16. खागरिया
	17. लोहारडागा
	18. माधीपुरा

1	2
बिहार	19. मधुबनी
	20. मुंगेर
	21. मुज्जफरपुर
	22. नालन्दा (बिहार शरीफ)
	23. नवादा
	24. पालामु (डाल्टनगंज)
	25. पश्चिम चम्पारन (बेतिहा)
	26. पटना
	27. पूर्वी चम्पारन (मोतीहारी)
	28. पुर्णिया
	29. रांची
	30. रोहताश (सासाराम)
	31. सहरसा
	32. सन्थाल परगना (डुमका)
	33. साहेबगंज
	34. समस्तीपुर
	35. सरन (छपरा)
	36. सिंहभूम (छाईबासा)
	37. सितामढ़ी
	38. सिवान
	39. वैशाली (हाजीपुर)
गोवा	1. पणजी
गुजरात	1. अमरेली
	2. बरूच
	3. जूनागढ़
	4. कच्छ (भुज)
	5. खेड़ा (नडीयाड)
	6. मेहसाणा
	7. पंचमहल (गोदरा)
	8. साबरकंठ (हिम्मतनगर)

1	2
गुजरात	9. सूरत
	10. सुरेन्द्र नगर
	11. वाडोडरा
	12. वलसाड़
	13. अहमदाबाद
हरियाणा	1. अम्बाला
	2. भिवानी
	3. फरीदाबाद
	4. गुडगांव
	5. हिसार
	6. जिन्द
	7. करनाल
	8. कुरुक्षेत्र
	9. महेन्द्रगढ़ (नारनोल)
	10. रोहतक
	11. सीरसा
	12. सोनीपत
हिमाचल प्रदेश	1. बिलासपुर
	2. चम्बा
	3. हमीरपुर
	4. कांगड़ा (धर्मशाला)
	5. किन्नौर (कल्पा)
	6. कुल्लू
	7. लाहौल-स्पिति (किलौंग)
	8. मण्डी
	9. शिमला
	10. सिरमौर (नाहन)
	11. सोलन
	12. ऊना
जम्मू और कश्मीर	1. कथुआ

1	2
कर्नाटक	1. बेलगांव
	2. बिदर
	3. बीजापुर
	4. चिकमंगलूर
	5. दक्षिण कन्नड़ (मंगलौर)
	6. गुलबर्गा
	7. हासन
	8. कोडागू (मादीकेरी)
	9. कोलार
	10. मांड्या
	11. मैसूर
	12. रायचूर
	13. उत्तर कन्नड़ (कारवार)
केरल	1. ऐल्लेपी
	2. केन्नानूर
	3. इदूक्की (थोडूपूजा)
	4. कोझीकोड
	5. मालापुरम
	6. पालघाट
	7. क्विलोन
	8. त्रिचूर
	9. त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	1. बालाघाट
	2. बस्तर (कंकर)
	3. बेतूल
	4. भिण्ड
	5. भोपाल
	6. छत्तरपुर,
	7. छिन्दवाड़ा
	8. दमोह

1	2
मध्य प्रदेश	9. दतीया
	10. देवास
	11. धार
	12. दुर्ग
	13. पूर्वी निमार (खंडवा)
	14. गूना
	15. ग्वालियर
	16. होशिंगाबाद
	17. इन्दौर
	18. जबलपुर
	19. झबुआ
	20. मॉडला
	21. मंदसौर
	22. मोरिना
	23. नरसिम्हापुर
	24. पन्ना
	25. रायगढ़ (जेशंपुर नगर)
	26. रायपुर
	27. रायसन
	28. राजगढ़
	29. राजनन्द गांव
	30. रतलाम
	31. रिवा
	32. सागर
	33. सतना
	34. शिहोर
	35. सियोनी
	36. साह्दूल
	37. शाहजांहपुर
	38. शिवपुरी

1	2
मध्य प्रदेश	39. सिद्धी
	40 सरगूजा (अम्बिकापुर)
	41. टिकमगढ़
	42. उज्जैन
	43. विदिसा
	44. पश्चिमी निमार (खरगांव)
महाराष्ट्र	1. अकोला
	2. अमरावती
	3. ओरंगाबाद
	4. भंडारा
	5. बुल्डाना
	6. चन्द्रपुर
	7. गढ़चीजोली
	8. जलगांव
	9. जालना
	10. कोल्हापुर
	11. लटूर
	12. नादेड़
	13. ओस्मानाबाद
	14 परबनी
	15. रायगढ़
	16. रत्नागिरी
	17. शोलापुर
	18. थाणे
	19. यवतमाल
मणिपुर	1. विशनुपुर
	2. चन्देल
	3. चुराचान्दपुर
	4. इम्फाल

1	2
मणिपुर	5. सेनापति
	6. तमेंगलोंग
	7. थाऊबल
	8. उखरूल
मेघालय	1. पूर्वी खासी हिल्स (शिलांग)
	2. जैनतीया हिल्स (जोवाई)
	3. पश्चिमी गारो हिल्स (तूरा)
मिजोरम	1. ऐजवल
	2. लूंगसेई
नागालैंड	1. कोहिमा
	2. मोकोकचूंग
	3. पहेक
	4. वोखा
	5. जूनहेबोटो
उड़ीसा	1. बालनगीर
	2. बालेसवड़
	3. धनकनाल
	4. गन्जम (बरहामपुर)
	5. कालाहांडी (भवानीपटना)
	6. केन्झूझार
	7. कोरापुट
	8. मयूरभंज (बारीपाडा)
	9. फुलबानी
	10. पूरी
	11. सम्बलपुर
	12. सुन्दरगढ़
पंजाब	1. अमृतसर
	2. भटिंडा

1	2
पंजाब	3. फरीदकोट
	4. फिरोजपुर
	5. गुरदासपुर
	6. होशियारपुर
	7. जालन्धर
	8. कपूरथला
	9. लुधियाना
	10. पटियाला
	11. रूपनगर
	12. संगरूर
राजस्थान	1. अजमेर
	2. अलवर
	3. बांसवाड़ा
	4. बाड़मेर
	5. भरतपुर
	6. भीलवाड़ा
	7. बीकानेर
	8. बुन्दी
	9. चित्तौड़ गढ़
	10. चुरू
	11. धोलपुर
	12. डूंगरपुर
	13. गंगानगर
	14. जयपुर
	15. जैसलमेर
	16. जालोर
	17. झालवाड़
	18. झूंझून्

1	2
राजस्थान	19. जोधपुर
	20. कोटा
	21. नागौर
	22. पाली
	23. सवाई माधोपुर
	24. सीकर
	25. सिरोही
	26. टोंक
	27. उदयपुर
सिक्किम	1. पूर्वी जिला (गंगटोक)
	2. दक्षिणी जिला (नामची)
तमिलनाडु	1. कोयमबत्तूर
	2. धर्मपुरी
	3. कन्या कुमारी (नगर कोइल)
	4. मद्रास
	5. मदुराई
	6. नीलगिरी (उडागामन्डालम)
	7. उत्तरी अरकोट (वैलोर)
	8. पसूमोन मूथूरामालिंगम (शिवगंगई)
	9. परीयार (इरोड)
	10. पुदूकोटाई
	11. सेलम
	12. दक्षिणी अरकोट (कूडालौर)
	13. थंजावूर
	14. तिरूचीरापल्ली
	15. तिरूनेलवेली कट्टाबोमेन

1	2
त्रिपुरा	1. उत्तरी त्रिपुरा (धर्मनगर)
	2. दक्षिणी त्रिपुरा (उदयपुर)
	3. पश्चिमी त्रिपुरा (अगरतल्ला)
उत्तर प्रदेश	1. आगरा
	2. अलीगढ़
	3. इलाहाबाद
	4. अल्मोड़ा
	5. आजमगढ़
	6. बहराईच
	7. बलीया
	8. बान्दा
	9. बाराबंकी
	10. बरेली
	11. बस्ती
	12. बिजनौर
	13. बदाऊं
	14. बुलन्दशहर
	15. चमोली
	16. देहरादून
	17. देवरिया
	18. एटा
	19. इटावा
	20. फैज़ाबाद
	21. फरूखाबाद (फतेहगढ़)
	22. फतेहपुर
	23. गढ़वाल (पौढ़ी)
	24. गाजियाबाद

1	2
उत्तर प्रदेश	25. गाजीपुर
	26. गोन्डा
	27. गोरखपुर
	28. हमीरपुर
	29. हरदोई
	30. जलौन (ओरई)
	31. जोनपुर
	32. झांसी
	33. कानपुर (ग्रामीण)
	34. खेरी
	35. ललितपुर
	36. लखनऊ
	37. मेनपुरी
	38. मथुरा
	39. मेरठ
	40. मिर्जापुर
	41. मुरादाबाद
	42. मुज्जफरनगर
	43. नेनीताल
	44. पीलीभीत
	45. पिथौरागढ़
	46. प्रतापगढ़
	47. रायबरेली
	48. रामपुर
	49. साहरनपुर
	50. शाहजांहपुर
	51. सीतापुर

1	2
उत्तर प्रदेश	52. सुल्तानपुर
	53. टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्र नागर)
	54. उन्नाव
	55. उत्तर काशी
	56. वाराणसी
पश्चिमी बंगाल	1. बंकूरा
	2. बर्धमान
	3. बीरभूम (सूरी)
	4. कलकत्ता
	5. दार्जिलिंग
	6. हावड़ा
	7. हुगली (चिन्सूरा)
	8. जलपाईगुड़ी
	9. कूचबिहार
	10. माल्दा (इंग्लिस बाजार)
	11. मिदनीपुर (मिदनापुर)
	12. मुरशीदाबाद (बरहामपुर)
	13. नादिया (कृष्ण नगर)
	14. पुरुलिया
	15. 24 परगना (बरसात)
	16. 24 परगना (डायमंड हारबर)
	17. पश्चिमी दीनाजपुर (बालूरघाट)
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1. अण्डमान (पोर्ट ब्लेयर)
	2. निकोबार (कार निकोबार)
चण्डीगढ़	1. चण्डीगढ़
दादर और नागर हवेली	1. सिलवासा
दमन और दीव	1. दमन
	2. दीव
दिल्ली	1. अलीपुर
	2. महरोली
	3. नागलोई

1	2
लक्ष द्वीप	1. क्वारात्ती
पांडिचेरी	1. करायकल
	2. पांडिचेरी

शीतल पेयों और अन्य पेयों में कृत्रिम रंगों और सुगन्धों का प्रयोग

4983. श्री मोहन भाई पटेल :
श्री चिंतामणि जेना :
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण एककों द्वारा शीतल पेयों और अन्य पेयों में प्रयोग किये जाने वाले कृत्रिम रंगों और सुगन्धों को मनुष्य के लिए हानिकारक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क), (ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

शीतल पेयों और अन्य पेयों का उत्पादन करने में खाद्य रंगों और सुगंधों का प्रयोग फल उत्पाद आदेश, 1955 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। फल उत्पाद आदेश केवल उन शीतल पेयों पर लागू होता है जिनका उत्पादन उत्प्रेरक शक्ति से किया जाता है। फल उत्पाद आदेश की दूसरी अनुसूची के भाग XXII में अनुमेय हानिरहित उन खाद्य रंगों की सूची दी गई है जिनका शीतल पेयों सहित फल के उत्पादों में प्रयोग किया जा सकता है।

2. जब खाद्य पदार्थों में रंगों का प्रयोग किया जाता है तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं। खाद्य पदार्थों में केवल कुछ रंगों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। इन रंगों के लिए मानक भी निर्धारित किए गए हैं और इन रंगों के लिए भारतीय मानक संस्था का प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इन उपबंधों का किसी प्रकार के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

नियमों और फार्मों को दो भाषाओं में छापना

[हिन्दी]

4984. श्री परसराम भारद्वाज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा विभाग में कितनी नियम पुस्तिकाएं और फार्म प्रचलन में हैं;

(ख) इनमें से कितनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है और उन्हें दो भाषाओं में प्रकाशित किया गया है;

(ग) शेष का हिन्दी में अनुवाद न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें दो भाषाओं में कब तक प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) इस विभाग द्वारा विभागीय प्रयोग के लिए एक नियम पुस्तिका और 58 फार्म निर्धारित किए गए हैं। ये सभी दोनों भाषाओं में हैं। इसके अतिरिक्त इस विभाग में अन्य मंत्रालयों द्वारा निर्धारित 29 नियम पुस्तिकाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें से 11 दोनों भाषाओं में हैं। शेष 18 नियम पुस्तिकाओं को दोनों भाषाओं में मुद्रित करना सम्बन्धित मंत्रालयों का कार्य है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त "क" और "ख" में दिए गए उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का निर्माण

[अनुवाद]

4985. प्रो० मधु दण्डवते : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के लिए पुरस्कार प्राप्त डिजाइन के भवन का निर्माण कार्यनिर्धारित समय के अनुसार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे पूरा होने की सम्भावित तारीख क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विलम्ब के लिए ठेके की शर्तों के अनुसार देय हुई राशि का भुगतान सरकार करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही) : (क) और (ख) इन्दिरागांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के भवन परिसर के लिए पुरस्कार-विजेता वास्तुकार के साथ वास्तुशिल्पीय सेवाओं से सम्बन्धित एक करार किया गया है। यद्यपि निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी निर्माण-पूर्व कार्य प्रगति पर है।

भवन परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पूरा किए जाने का लक्ष्य है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि विज्ञान केन्द्र और आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स

4986. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में "कृषि विज्ञान केन्द्रों" और "आपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट्स" के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार के पास धन की कमी होने के कारण प्रगति धीमी होने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा राज्य सरकार को सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, उड़ीसा में पांच कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो क्योंझर (जिला-कोरापुट), सिमलीगुडा (कोरापुट), बलियापाल (जिला-बालासोर), भंभनगर (जिला गंजम) तथा कौशल्यागंज, धौली में स्थित हैं । औसतन ये कृषि विज्ञान केन्द्र प्रत्येक वर्ष मिश्रित फसल उत्पादन, मुर्गीपालन, बत्तख पालन, मात्स्यिकी फलों तथा सब्जियों आदि की खेती में 14200 किसानों को प्रशिक्षण देते हैं ।

उड़ीसा राज्य में पांच व्यावहारिक अनुसंधान प्रयोजनाएं हैं । ये प्रायोजनाएं हैं : (i) कटक में चावल के कीड़ों का समाकलित नियन्त्रण (ii) कटक में चावल का उत्पादन (iii) पूरी जिले में उड़ीसा की तटीय मृदा का प्रबन्ध (iv) फुलभणी जल संभर में संसाधन प्रबन्ध और (v) कृषि नगर में मिश्रित मछली पालन ।

इन व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं के तहत कई नयी प्रौद्योगिकियां जैसे थ्रेशहोल्ड वेल्यू पर आधारित कीट नियन्त्रण, चावल की कीटरोधी किस्मों का उपयोग जैसे—नीला एम० डब्ल्यू० 10, उपराऊ भूमि में हीरा, उदय, सी आर 333-6-1 तथा मोती मध्यम के तहत और निचली भूमि वाले क्षेत्रों के लिए कालासारी, पानीधान, सी. आर. 333-1-1-3, सी. आर. 333-5-2-3; सी. आर. 629-246, सी. आर. 310-10, सी. आर. 309-275, सी. आर. 235-61 तथा सी. एस. आर.-6 जैसी सहनशील आशाजनक चावल की किस्मों के उपयोग से सम्बन्धित नई प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है तथा उन्हें अमल में लाया गया है । इन परियोजनाओं ने चावल की उपज में 100 से 200 प्रतिशत तक की वृद्धि दिखाई है । भिन्न-भिन्न कृषि उद्यमों जैसे—बागवानी, पशु उत्पादन और पीसिकल्चर का भी किसानों के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है ।

जलसंभर कार्यक्रम में फसल की गैर-परम्परागत किस्में लोकप्रिय हो रही हैं । भूमि सुधार कार्यों का मिट्टी और जल के बेहतर संरक्षण के साथ-साथ फसल उत्पादन पर भी अच्छे प्रभाव देखे गए हैं । मिश्रित मछली पालन से सम्बन्धित व्यावहारिक अनुसंधान परियोजना को अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल से स्थानान्तरित किया गया है और यह सी० आई० एफ० ए० धौली में अभी भी निर्माण अवस्था में है ।

(ख) से (घ) कृषि विज्ञान केन्द्र और व्यावहारिक अनुसंधान परियोजनाओं या टी० जी० कृषि अनुसंधान परिषद से सीधे वित्तीय सहायता मिलती है। इन्हें पर्याप्त धनराशि दी प्र. यन इसलिए उड़ीसा राज्य सरकार के पास धन की कमी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन

4987. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों तथा कीटनाशी दवाओं के व्यापक एवं भयंकर दुष्प्रभावों पर विचार करते हुए सरकार का विचार कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन में किन-किन बातों को शामिल किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के लागू किए जाने की 18 वर्षों की अवधि में हुए अनुभव के आधार पर इसमें संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विचाराधीन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ "कीटनाशक" की भावात्मक परिभाषा और पंजीकरण तथा अपराधों से सम्बन्धित मामले शामिल हैं।

उर्वरकों के बेहतर वितरण के लिए निकासी केन्द्र (रेक पाइन्ट) खोलना

[हिन्दी]

4989. **श्री के० एन० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में रेक पाइन्ट (निकासी केन्द्र) खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का उर्वरकों के बेहतर वितरण के लिए अतिरिक्त रेक पाइन्ट खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इस वर्ष कितने अतिरिक्त "रेक पाइन्ट" खोलने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) रेल मंत्रालय ने अनेक रेलवे स्टेशनों/साइडिंग को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, जैसा कि कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक आदि को ब्लाक रेकों में यातायात संचालन के लिए उपयुक्त घोषित किया है।

(ख) इस समय उर्वरक विभाग का मात्र उर्वरकों के वितरण के लिए रेक पाइंट खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पदोन्नति/स्थानान्तरण सम्बन्धी नीतियों में परिवर्तन

[अनुवाद]

4990. **श्री एन० टोम्बी सिंह** :
श्री मुहीराम सैकिया :
श्री मानिक रेड्डी :
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

988 में आयोजित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के "व्यवस्थापक बोर्ड" की ापकों, उप-प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के न्धी नीतियों में बोर्ड द्वारा लिए गए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

क्षा अधिकारियों, सहायक आयुक्तों के स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के बाद उनकी तन... र्गनिर्देश देने वाली कोई नीति विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) शासी बोर्ड द्वारा 27-12-1988 को हुई इसकी बैठक में अनुमोदित मार्गदर्शी रूपरेखाओं की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं

1. सामान्य नीति यह होगी कि प्राय: प्रधानाचार्यों सहित शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाए। सामान्य स्थानान्तरण, केवल संगठनात्मक कारणों या अनुरोध पर अथवा चिकित्सा आधारों पर प्रभावी होंगे।

2. ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं होगी जिसके बाद एक शिक्षक/उप-प्रिंसिपल/प्रिंसिपल/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त का स्थानान्तरण अनिवार्य होगा।

3. प्रत्येक वर्ष पदोन्नति प्रदान करने के बाद स्थानान्तरण किए जायेंगे।

4. स्थानान्तरण, सामान्यत:; ग्रीष्म अवकाश के दौरान से प्रभावी होंगे। स्थानान्तरण, 31 अक्तूबर के बाद से प्रभावी नहीं होंगे।

5. स्थानान्तरण, पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किए जायेंगे।

6. निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पालन करने के बाद स्थानान्तरण प्रभावी होंगे :

   (क) प्रशासनिक कारणों पर स्थानान्तरण।

   (ख) नियुक्ति के स्थान से दूर गम्भीर बीमारी के कारणों से इलाज के लिए अपेक्षित स्थानान्तरण।

   (ग) परिवार में सम्मिलित होने के लिए पति-पत्नी का स्थानान्तरण और इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों का उनके स्थान की सुविधा के अनुसार उनका स्थानान्तरण।

7. साधारणतया स्थानान्तरण के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उपर्युक्त (6) में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त एक शिक्षक ने तीन शैक्षिक सत्रों को पूरा नहीं कर लिया हो।

8. एक समान वेतनमानों में शिक्षकों की अन्य श्रेणियों, पी० आर० टी० तथा टी० जी० टी० को सामान्यतया उस क्षेत्र के बाहर तैनात नहीं किया जाएगा जहां उनका चयन किया गया था।

9. नियुक्ति पर सभी श्रेणियों के शिक्षकों को जहां तक सम्भव होगा, भीतरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में तैनात किया जाएगा।

10. रिक्ति की उपलब्धता पर, पी० जी० टी०/उपप्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्तों को पदोन्नति पर अथवा सीधी भर्ती पर उस राज्य में, जहां उन्हें नियुक्त किया जाता है, के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में नियुक्त किया जाएगा, अथवा जैसा भी मामला हो, वे अधिवासित हो और उसे उस राज्य से सामान्यत: कम से कम पांच वर्ष के लिए नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इसके लिए बाध्य करने वाले कारण न हो।

11. वे पी० जी० टी०/उपप्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जिनकी सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष अथवा इससे कम रह गए हैं, उन्हें रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, यदि वे अपने मूल राज्य में पहले से ही कार्य कर रहे हैं पदोन्नति/सीधी भर्ती पर बाहर तैनात नहीं किया जाएगा।

12. कार्मिक विभाग द्वारा पता लगाए गए कठिन क्षेत्रों में नियुक्त, शिक्षकों/उप-प्रिंसिपलों/प्रिंसिपलों को कठिन क्षेत्रों में तीन वर्ष पूरे करने के बाद उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार स्टेशन प्रदान किए जायेंगे बशर्ते कि वहां रिक्तियां उपलब्ध हों। तथापि, ये उन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होंगे जो विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं।

13. किसी भी आधार पर स्थानान्तरण के उस अनुरोध पर, स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि एक शिक्षक ने अपने विद्यमान नियुक्ति के स्थान पर पांच वर्ष पूरे नहीं कर लिए हों।

विदेशों में वीजा कार्यालय खोलना

4991. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ अन्य देशों में वीजा कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 में ये कार्यालय किन/किन देशों में खोले जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० के० तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार का 1990 के आरम्भ तक नखोदका (सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ) में एक प्रधान कोंसलावास खोलने का इरादा है।

उड़ीसा में बाक्साइट के भंडार

4992. **श्रीमति जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट, कालाहान्डी और बोलनगीर जिलों में बाक्साइट के अतिरिक्त भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इन जिलों में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाक्साइट के कितने भण्डारों का पता चला है; और

(घ) इन क्षेत्रों से भण्डारों के समुचित विदोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एन० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने उड़ीसा के खान निदेशालय की भागीदारी में वर्ष 1976-77 की पूर्वीघाट बाक्साइट परियोजना के अन्तर्गत राज्य के कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगीर जिलों में बाक्साइट हेतु गवेषण कार्य किया था। बाद में, उड़ीसा खान निदेशालय ने बोलनगीर तथा सम्बलपुर जिलों मे स्थित गंधमर्दन निक्षेप में गवेषण किया तथा उड़ीसा में अतिरिक्त बाक्साइट भंडारों की पुष्टि की। खनिज गवेषण निगम लि० ने कई प्रखण्डों में विस्तृत गवेषण करके बाक्साइट भंडारों की प्रमाणित श्रेणी में पुष्टि की। कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगीर जिलो में क्रमश: लगभग 1052 मिलियन टन, 239 मिलियन टन तथा 158 मिलियन टन बाक्साइट भण्डार होने का अनुमान है।

(घ) कोरापुट जिलान्तर्गत पंचपटमाली बाक्साइट निक्षेपों के आधार पर एशिया के सबसे बड़े बाक्साइट एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलेक्स की स्थापना हेतु वर्ष 1981 में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी निगमित की गई। परियोजना कार्यान्वियन के उन्नत चरण में है तथा कम्पनी ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) द्वारा/उड़ीसा में गंधमर्दन बाक्साइट निक्षेपों के विकास का कार्य स्थानीय आंदोलन के कारण, दिसम्बर, 1985 से रुका हुआ हैं। उड़ीसा सरकार स्थिति से पूर्णतया अवगत है।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा शारजाह में गैस आधारित उर्वरक संयंत्रोंकी स्थापना

4993. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को शारजाह में गैस आधारित उर्वरक एकक की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की लागत कितनी है;

(ग) क्या इस संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र की स्थापना कब तक की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०) से अनुरोध किया गया है कि

वे शारजाह यू० ए० ई० में एक अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार करें। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत गल्फ कार्माशियल कारपोरेशन इन्टरनेशनल (जी० सी० सी० आई०) द्वारा लगभग 1,000 करोड़ रुपये बताई है। तथापि लागत के ब्यौरे नहीं निकाले गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में मलेशिया के साथ सहयोग

4994. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मलेशिया के बीच कृषि, विशेष रूप से "आयल पाम" खेती में सहयोग के लिए कोई प्रस्ताव दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है तथा मलेशिया द्वारा किस रूप में सहायता दी जाएगी, और

(ग) "आयल पाम" की खेती के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है।

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (ग) मलेशिया के प्राथमिक उद्योग मन्त्री, माननीय दातो डा० लिन केंग यैक के नेतृत्व में मलेशिया के एक शिष्टमण्डल ने 2 दिसम्बर, 1987 को कृषि मन्त्री से भेंट की थी और साथ-ही-साथ दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया था। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप आयल पाम के पौध लगाने और इसके उद्योग सम्बन्धी सभी पहलुओं तथा इस क्षेत्र में सहयोग के व्यापक पहलुओं का का अध्ययन करने के लिए भारतीय दल का मलेशिया दौरा करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

शीतल पेय उद्योग के लघु औद्योगिक एककों को दी गई रियायतें वापस लेना

4995. श्री टी० बाल गौड़ : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय उद्योग के लघु औद्योगिक एककों को दी गई उत्पाद शुल्क सम्बन्धी रियायतें अचानक वापस ली गई हैं;

(ख) क्या संगठित क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों में 49 लघु एकक उद्योग हैं;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क सम्बन्धी रियायतें वापस लेने से एकक न केवल घाटे में चल रहे हैं बल्कि धन की अनापेक्षित मांग के कारण वे बंद होने के कगार पर हैं; और

(घ) लघु औद्योगिक एककों द्वारा वित्तीय संस्थाओं को अपने ऋणों की अदायगी में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) शीतल पेय उद्योग सहित लघु उद्योग निर्माताओं, जो अपने सामान पर ऐसे अन्य व्यक्तियों जो राजस्व

विभाग की दिनांक पहली मार्च, 1986 की अधिसूचना के अधीन रियायत प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, के ब्रांड नाम अथवा ट्रेड नाम (पंजीकृत अथवा अपंजीकृत) का इस्तेमाल कर रहे हैं, के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क सम्बन्धी रियायतें वापस ले ली गई हैं।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना केन्द्रगत आधार पर नहीं रखी जाती हैं।

(घ) रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए कुछ सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध हैं और ये सुविधायें और रियायतें शीतल पेय उद्योग के एककों के लिए भी बराबर उपलब्ध हैं।

लड़कियों की तस्करी

4996. श्रीमती ऊषा चौधरी :
श्री रामकृष्ण मोरे :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग एक लाख नेपाली लड़कियां हर वर्ष भारत में लाई जाती हैं और उन्हें वेश्यावृत्ति करने को विवश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि

[हिन्दी]

4997. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को गत दो वर्षों में वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ पहली बार उठाया तथा कितने व्यक्तियों ने इसका लाभ दूसरी बार उठाया;

(ग) क्या उपकरणों आदि की खरीद हेतु चैक लाभार्थी के नाम के स्थान पर व्यापारी के नाम पर जारी किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान

किया गया कुल आबंटन, भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई धनराशि तथा पहली बार तथा दूसरी बार सहायता किए गए परिवारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को नकद धनराशि नहीं दी जाती है। वित्तदायी संस्थाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से लाभार्थियों की ओर से अनुमोदित सप्लायर अथवा वस्तुएं सप्लाई करने तथा सेवाएं प्रदान करने वाले निकायों या संगठनों अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा प्राधिकृत एजेंसी को कार्य निष्पादित करने हेतु भुगतान करती है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली को इस आशय की कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, इस संबंध में जनता की आशंका को दूर करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत एक क्रय समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें लाभार्थी, ऋण संस्था के एक प्रतिनिधि, एक तकनीकी विशेषज्ञ तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में से एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है।

विवरण

वर्ष	कुल आबंटन	भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई धनराशि	पहली बार सहायता प्राप्त परिवार	दूसरी बार सहायता प्राप्त परिवार
1	2	3	4	5
	(लाख रुपये में)	(लाख रुपए में)		
1987-88	11651.576	5825.79	195195	598728
1988-89	13186.37	6618.471	366230 (फरवरी, 89 तक)	169090 (फरवरी, 89 तक)

एम० वी० अन्सतासिस पोत

[अनुवाद]

4998. श्री सोमजी भाई डामर: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन कलकत्ता ने पनामा में पंजीकृत एम० वी० अन्सतासिस नामक एक पोत खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो इसके खरीदने, विक्रय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और स्वामित्व में परिवर्तन की तारीखें क्या हैं और पोत के पिछले मालिकों और कप्तान का क्या नाम है;

(ग) क्या केरल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन ने इस पोत को मै० स्टील इंडस्ट्रीयल केरल लिमिटेड, कालीकट को हस्तान्तरित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो हस्तान्तरण विक्रय पर हस्ताक्षर करने और स्वामित्व में परिवर्तन की तारीखें क्या हैं;

(ङ) क्या मैं० मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन मैं० स्टील इण्डस्ट्रियलस केरल लि० कालीकट ने वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 42 के अन्तर्गत पोत परिवहन महानिदेशक, बम्बई से अपेक्षित लिखित अनुमति प्राप्त कर ली है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या अधिनियम की धारा 29 और 65 की अपेक्षाओं के अनुसार एम० वी० अन्सतासिस के स्वामित्व से संबंधित घोषणा पोत परिवहन महानिदेशक को दे दी गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या पोत परिवहन महानिदेशक से अधिनियम की धारा 456 के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त की गई है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) केन्द्रीय सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) और (ख) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन ने दिनांक 10.12.80 के समझौता-करार के तहत मैसर्स पोलासिया कैरियर्स लिमिटेड से एम०वी० अन्सतासिस नामक पोत खरीदा है। पनामा की कम्पनी, मैसर्स इफैस्को मेरी टाइम कंपनी द्वारा जारी किए गए 2.12.80 के विक्रय-बिल के अनुसार एस०ए० पनामा इसका पूर्ण-स्वामी था। पोत 18.12.80 को सौंप दिया गया था। विक्रेता मैसर्स पोलासिया कैरियर्स से मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को दिया गया विक्रय बिल दिनांक 11.12.80 का है।

(ग) से (ट) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन ने पोत को स्क्रैप प्रयोजन के लिए आवंटन आधार पर मैसर्स सिल्क केरल को बेच दिया। आवंटन की तारीख 10.12.80 है। स्क्रैप प्रयोजन के लिए विदेशी झण्डे धारी पोतों के आयात के लिए माध्यम एजेंसी के रूप में पोत को वापसी दर-वापसी के आधार पर मेसर्स सिल्क केरल को बेचा गया था। इफेस्को मेरी टाइम कम्पनी के प्रतिनिधि से सुपुर्दगी मैसर्स सिल्क द्वारा ली गई थी।

पोत का आयात केवल स्क्रैपिंग प्रयोजन के लिए किया गया था। अतः इस मामले में जहाजरानी महानिदेशक आदि को स्वामित्व के संबंध में घोषणा की आवश्यकता नहीं थी।

वेलेस्टोन इट खानें

[हिन्दी]

4999. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में वेलेस्टोनाइट खान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खनिज पदार्थ की देश में और विदेशों में भारी मांग है;

(ग) क्या यह खान अभी तक गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस खान अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस खान का राष्ट्रीयकरण कब तक कर लिया जायेगा और गत तीन वर्षों के दौरान इस खनिज पदार्थ से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) राजस्थान में वोलेस्टोनाइट की एक चालू खान है; इसके अलावा, राजस्थान में इस खनिज के तीन पट्टे है, जिनके अन्तर्गत फिलहाल खनन नहीं हो रहा है।

(ख) नवीनतम औद्योगिक उपयोग के कारण, इस खनिज की भारत और विदेशों में कुछ मांग है। लगभग 18,000 टन की वार्षिक देशी मांग देशी उत्पादन से पूरी की जाती है और कुल देशी उत्पादन की लगभग एक तिहाई मात्रा निर्यात कर दी जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस खान के अधिग्रहण का अभी कोई विचार नहीं है। वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 में अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः 95.8, 59.1 तथा 14.5 लाख रुपये थी।

कृषि विज्ञान केन्द्र

[अनुवाद]

5000. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या स्थान और उनकी स्थापना की तारीख आदि का ब्योरा क्या है तथा इनके लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार को कृषि विज्ञान केन्द्र भंजनगर, उड़ीसा के प्रशिक्षण आयोजक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भंजनगर में कृषि विज्ञान केन्द्र के भवन के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिसके लिए उड़ीसा कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उड़ीसा राज्य में 5 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं। प्रत्येक केन्द्र का स्थान और शुरू करने की तारीख निम्न प्रकार हैं :—

	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम और स्थान	स्थापना की तारीख	मंजूर की गई धनराशि (रुपये लाखों में)	खर्च की गई धनराशि (रुपये लाखों में
1	2	3	4	5
1.	कियोंझर, जिला कियोंझर	1.4.82	31.26	27.71
2.	सिमिलिगुडा जिला कोरापुट	11.1.83	25.70	24.11

1	2	3	4	5
3.	बालिआपाल, जिला-बालासुर	29.4.83	29.18	24.95
4.	भंजनगर, जिला गंजम	25.3.85	25.00	12.51
5.	धौली, जिला पुरी	13.10.76	20-14	18.30

(ख) और (ग) उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भंजनगर के प्रशिक्षण आयोजक के विरुद्ध बार-बार गैर हाजिर होने के बारे में शिकायत मिली है। विश्वविद्यालय ने अधिकारी को जल्दी ही बदलने का निर्णय लिया है।

(घ) भंजनगर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के मुख्य भवन के निर्माण के निविदाओं (टेंडर) पर निर्णय ले लिया गया है। निर्माण का कार्य 10 नवम्बर, 1988 से शुरू हो गया है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन के समाचार

5001. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेनेवा में मानवाधिकार आयोग से इस बात पर आपत्ति प्रकट की है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को पूर्व सूचना भेजे अथवा स्पष्टीकरण मांगे बिना भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन किए जाने के आरोप लगाए है;

(ख) यदि हां, तो आपत्ति पर क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) क्या मानवाधिकार आयोग ने कोई स्पष्टीकरण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो आयोग से अपने अभिमत पर पुनर्विचार करने के लिए राजी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां। मानवाधिकार आयोग के 45वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए भारत का जो शिष्टमंडल गया था उसने बाध्यतावश और अनिच्छा से गायब हो जाने से सम्बद्ध कार्य दल द्वारा अपनाए गए क्रियाविधिक तरीकों पर कड़ी आपत्ति की। इस कार्य दल ने एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर अपनी रिपोर्ट में भारत की स्थिति के संबंध में कतिपय बेबुनियादी उल्लेख किए थे।

(ख) कार्य दल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इसके क्रियाविधिक तरीकों में सुधार की जरूरत है। इसके अध्यक्ष ने कहा कि कार्यदल संबंधित सरकारों के विचार और टिप्पणियां मांगेगा और उनको मद्देनजर रखते हुए प्राप्त आरोपों पर अपनी रिपोर्ट देने की प्रक्रिया में सुधार करने के मामले पर विचार करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

5002. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खनिजों पर आधारित कुछ और उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ख) राजस्थान में खनिज पर आधारित उद्योग लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को पहले ही कितनी सहायता दी जा चुकी है;

(ग) क्या राज्य ने इसका पूरा सहयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) राजस्थान में "उद्योग शून्य" तथा "औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े" जिलों का निर्धारण कर लिया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य खान व भूतत्व विभाग भारतीय भूसर्वेक्षण व अन्य एजेंसियों के परामर्श से क्रमश: लगातार विस्तृत खनिज सर्वेक्षण और खनिज पूर्वेक्षण कर रहा है।

राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश निगम ने खनिज आधारित उद्योगों का टाटा इकनामिक कंसल्टेंसी सर्विसेज से 1973 में सर्वेक्षण करवाया था। इस सर्वेक्षण के आधार पर, विभिन्न खनिजों पर आधारित औद्योगिक परियोजनाओं का निर्धारण कर लिया गया है। फिलहाल अन्य किसी सर्वेक्षण का विचार नहीं है।

(ख) राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश निगम से वित्त प्राप्त खनिज आधारित औद्योगिक यूनिटों को केन्द्रीय अर्थ-सहायता (सबसीडी) के रूप में स्वीकृत और आवंटित केन्द्रीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक व निवेश निगम को दी गई अर्थ सहायता वस्तुत: प्रयुक्त राशि पर आधारित है।

विवरण

केन्द्र सरकार से निवेश सबसीडी प्राप्त और राजस्थान औद्योगिक व निवेश निगम से वित्त प्राप्त खनिज-आधारित उद्योगों का ब्यौरा

	उत्पाद	स्वीकृत सबसीडी (लाख रु० में)	वितरित सबसीडी (लाख रु० में)
	1	2	3
1. क्राउन सिरेमिक्स लि०	चीनी काकरी	11.96	11.96
2. फाइन मार्बल एण्ड मिनरल (प्रा०) लि०, मकराना	मार्बल चिराई	8.05	8.00
3. मंजुश्री मिनरल्स लि०, नागौर	"	15.00	13.07
4. डीजे नीलम मार्बल इन्डस्ट्रीज लि०, मकराना	"	8.59	8.09
5. अलंकृत मार्बल (प्रा०) लि०, उदयपुर	"	7.10	5.79
6. फैंसी स्टोन्स (ई०) लि०, उदयपुर	"	8.65	7.80

	1	2	3
7. एसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज (कोटा) लि०, उदयपुर	मार्बल टाइल्स	15.00	15.00
8. एस०एस० मार्बल्स (प्रा०) लि०, उदयपुर	मार्बल चिराई	6.56	5.89
9. सरस्वती मार्बल एण्ड ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, उदयपुर	,,	8.19	8.11
10. अरुण माइका इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, भीलवाड़ा	अभ्रक चूर्ण	10.27	10.27
11. अरावली मार्बल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	मार्बल स्लैब	5.35	4.43
12. निर्मल मार्बल्स प्रा० लि० उदयपुर	,,	8.92	8.54
13. कल्याण सुन्दरम सीमेंट इण्डस्ट्रीज लि०, बासवाड़ा	सीमेंट	15·00	15.00
14. कोहिनूर मार्बल्स प्रा० लि०	मार्बल स्लैब	12.10	11.35
15. सेन्चुरी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट (प्रा०) लि०, सिरोही	,,	15.30	14.99
16. माहेश्वरी मार्बल एण्ड ग्रेनाइड (प्रा०) लि०, मकराना	मार्बल स्लैब	9.43	8.97
17. ममता मार्बल्स (प्रा०) लि० मकराना	,,	7.43	7.09
18. ओम मार्बल्स (प्रा०) लि० सिरोही	,,	22.59	22·59
19. एलीगेन्ट मार्बल्स (प्रा०) लि०, सिरोही	,,	24.23	24.23
20. स्वपिनका टाइल्स (प्रा०) लि०, सिरोही	मार्बल स्लैब एण्ड टाइल्स	18.97	16.95
21. सिरोही सीमेंट लि०, सिरोही	सीमेंट	25.00	25.00
22. सुनेर मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स (प्रा०) लि०, उदयपुर	मार्बल	14.75	13.49
23. लक्ष्मी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स लि०, उदयपुर	,,	9.98	9.57
24. ऋतु मिनरल्स (प्रा०) लि०, उदयपुर	,,	14.61	14.55
25. ओसवाल ग्रेनाइट्स (प्रा०) लि०, उदयपुर	,,	10.45	9.00

	1	2	3
26. आर०एस०आर०के० मार्बल्स (प्रा०) लि०, उदयपुर	,,	7.50	7.46
27. मेवाड़ मार्बल्स (प्रा०) लि०, आबू रोड	,,	23.39	24.34
28. यूनीलिंक सीमेंट (प्रा०) लि०, जोधपुर	सीमेंट	17.86	17.86
29. देवश्री सीमेंट लि०, जोधपुर	,,	15.00	15.00

एक राजनैतिक दल के सदस्य की गुप्त स्थान पर एल०टी०टी०ई० के नेता से भेंट

5003. **श्री शरद दिघे** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक राजनैतिक दल के सदस्य द्वारा श्रीलंका में एल०टी०टी०ई० के नेता से किसी गुप्त स्थान पर की गई कथित भेंट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में समाचारों पत्रों में जो छपा है उससे अधिक सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) समाचार पत्रों में छपे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य से सहमत हैं कि यह यात्रा एक बहुत गैर-जिम्मेदाराना हरकत थी और इससे समस्या को सुलझाने में कोई सहायता नहीं मिली है।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन

5004. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार विभिन्न राज्यों को राज्य-वार मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ख) अब तक कितने हेक्टर मरुभूमि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

(लाख रुपये में)

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संसाधनों विकास—निधियों का आबंटन तथा उपयोग

मरुभूमि विकास कार्यक्रम 5 राज्यों में चल रहा है जिनका उल्लेख नीचे दिए गए तालिकाबद्ध विवरण में किया गया है।

राज्य	आबंटन (जल संसाधन विकास के लिए)			उपयोग (व्यय)		
	1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88
गुजरात	54.79	109.99	33.00	25.41	83.71	158.78
हरियाणा	42.83	75.84	62.00	32.58	102.56	118.56
हिमाचल प्रदेश	63.69	45.25	30.00	52.51	49.38	36.37
जम्मू व कश्मीर	44.55	98.34	45.00	29.05	90.73	69.41
राजस्थान	212.26	654.46	600.00	122.09	863.48	706.27
योग	418.12	983.88	770.00	261.64	1189.86	1089.39

विवरण-2

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित सिंचाई संभाव्यता

(हैक्टेयर)

राज्य	सृजित की गई सिंचाई संभाव्यता (शुरू से लेकर मार्च, 88 तक)
गुजरात	2014
हरियाणा	1050
हिमाचल प्रदेश	1673
जम्मू व कश्मीर	462
राजस्थान	12888
कुल :	19087

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों/लड़कियों में साक्षरता

5005. श्री अमर सिंह राठवा :
श्रीमती ऊषा चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों में साक्षरता की प्रतिशतता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यह सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) निरक्षरता की समस्या विशेष रूप से गुजरात के आदिवासियों में व्याप्त निरक्षरता का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को किस कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) भारत सरकार के जनगणना आयुक्त प्रत्येक 10 वर्षों में एक राष्ट्रीय जनगणना का आयोजन करते हैं जिसमें अ० जा०/अ० ज० जा० के लड़के और लड़कियां दोनों की साक्षरता की प्रतिशतता की गणना शामिल होती है, पिछली जनगणना वर्ष 1981 में आयोजित की गई थी। विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए है जैसे राष्ट्रीय साक्षरता अभियान गैर-औपचारिक शिक्षा (ग० अ० शि०) आश्रम स्कूल, छात्रवृत्तियां, पुस्तक बैंक। अनुदान, मध्यान भोजन, लड़कियों के लिए छात्रावास, कमजोर छात्रों के लिए उपचारी शिक्षण कक्षाएं, लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति इत्यादि।

(घ) सरकारी प्रबंध से चलने वाले स्कूलों में, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क है। कुछेक राज्य/संघ शासित प्रदेश अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों के लिए माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं।

विवरण

अ० जा०/अ० ज० जा० की साक्षरता दर—1981 जनगणना

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	17.65	24.82	10.26	7.82	12.02	3.46
असम	—	—	—	—	—	—
बिहार	10.40	18.02	2.51	16.99	26.17	7.75
गुजरात	29.79	53.14	25.61	21.14	30.41	11.64
हरियाणा	20.15	31.45	7.06	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	31.50	41.94	20.63	25.94	38.75	12.82
जम्मू और काश्मीर*	22.44	32.34	11.70	—	—	—
कर्नाटक	20.59	29.35	11.55	20.14	29.96	10.03
केरल	55.96	62.33	49.73	31.79	37.52	26.02
मध्य प्रदेश	18.97	30.26	6.87	10.68	17.74	3.60
महाराष्ट्र	35.55	48.85	21.53	22.29	32.38	11.94
मणीपुर	33.63	41.94	24.95	39.74	48.88	30.35
मेघालय	25.78	33.28	16.30	31.55	34.19	28.91
नागालैंड	—	—	—	40.32	47.32	32.99
उड़ीसा	22.41	35.26	9.40	13.96	23.27	4.76
पंजाब	23.86	30.96	15.67	—	—	—
राजस्थान	14.04	24.40	2.69	10.27	18.86	1.20
सिक्किम	28.06	35.74	19.65	33.13	43.10	22.37
तमिलनाडु	29.67	40.65	18.47	20.46	26.71	14.00
त्रिपुरा	33.89	43.92	23.24	23.07	33.46	12.27
उत्तर प्रदेश	14.96	24.83	3.90	20.45	31.22	8.69
पश्चिम बंगाल	24.27	34.26	13.70	13.21	21.16	5.01
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	31.11	38.43	23.24

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	37.14	45.88	22.38	14.04	20.79	7.31
चंडीगढ़	37.07	46.04	25.31	—	—	—
दादर और नागर हवेली	51.20	58.52	44.74	16.86	25.46	8.42
दिल्ली	39.30	50.21	25.89	—	—	—
गोवा, दमन और दीव	38.38	48.79	27.84	26.48	33.65	18.89
लक्षद्वीप	—	—	—	53.13	63.34	42.92
मिजोरम	84.44	88.33	53.33	59.63	64.12	55.12
पांडिचेरी	32.36	43.11	21.21	—	—	—
भारत**	21.38	31.12	10.93	16.35	24.52	8.04

टिप्पणी—* पाकिस्तान तथा चीन के गैरकानूनी अधिकार के क्षेत्रों की जनसंख्या को निकालकर। नागालैंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों तथा लक्षद्वीप के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई जातियां तथा हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी के लिए कोई जनजातियां निर्धारित नहीं की गई थी।

** असम को निकालकर जहां जनगणना नहीं की जा सके।

भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग की बैठक

5006. श्री एस० बी० सिदनाल :
　　श्री बी० एस० बासवराजू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए हाल ही में सोवियत संघ से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में संबंधित विषयों पर की गई चर्चा का क्या परिणाम निकला ;

(ग) सोवियत संघ के साथ किन-किन समझौतों पर पूर्णतः वार्ता हो चुकी है और किन-किन समझौतों पर अभी चर्चा की जानी शेष हैं; और

(घ) सोवियत संघ के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान किए गए समझौतों को कब तक पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नई दिल्ली में 7 मार्च से 9 मार्च, 1989 तक सम्पन्न आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग

से संबद्ध भारत-सोवियत अन्तर सरकारी आयोग के 12वें अधिवेशन में परस्पर लाभप्रद भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की समग्र रूप से समीक्षा की गई और इसे और सुदृढ़ बनाने, उसका विस्तार करने तथा इसे विविधता प्रदान करने के तौर-तरीकों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

1985—88 की अवधि में भारत-सोवियत शिखर बैठकों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधों के और विकास के संबंध में जो समझौते हुए थे, उनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर आयोग ने अपना गहरा संतोष व्यक्त किया और इस बात पर गौर किया कि भारत में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में भारत-सोवियत समझौतों के क्रियान्वयन में काफी प्रगति हुई है। आयोग ने इस बात पर गौर किया कि 1986 में दुतरफा व्यापार को 1992 तक बढ़ाकर 2.5 गुणा करने का जो लक्ष्य तय किया था, उसे प्राप्त करने की दिशा में भारत-सोवियत व्यापार में संतोषजनक प्रगति हो रही है।

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव ने जुलाई, 1987 में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के जिस एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए थे, उसके क्रियान्वयन पर आयोग ने संतोष व्यक्त किया।

विद्युत, तेल तथा गैस, कोयला, लौह और अलौह धातुओं, मशीन निर्माण, कम्प्यूटर और इलैक्ट्रोनिकी, संचार, कृषि तथा कृषि औद्योगिकी क्षत्र, जल संसाधन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की वर्तमान परियोजनाओं/कार्यक्रमों की गहराई से समीक्षा करते हुए, आयोग ने इस बात के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और निर्देश जारी किए कि सम्बन्धित क्षेत्रों में इस गति को बनाए रखा जाए, सहयोग के नए अवसरों और क्षेत्रों का पता लगाया जाए तथा प्रोतोकोल में यथा सहमत समय-सीमा के भीतर परिणामों को हासिल करने की कोशिश की जाए।

रेलों और नागरिक विमानन के क्षेत्रों में आयोग ने भारत-सोवियत सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया और इन क्षेत्रों में नए कार्यदल गठित करने का फैसला किया।

आयोग ने संयुक्त उद्यम, उत्पादन सहयोग. दोनों देशों के उपक्रमों के बीच सीधे संबंध जैसे आर्थिक सहयोग के नए रूपों का विकास करने के लिए नए सिरे से जोर देने की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया और इस उद्देश्य के लिए आर्थिक सहयोग के नए रूप के बारे में एक कार्यदल का गठन किया है।

सोवियत पक्ष ने हमें यह बताया कि सोवियत सुदूर-पूर्व आर्थिक क्षेत्र में, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन यूनिटों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाएं हैं जिनमें सिले-सिलाए वस्त्र, जूते और कृषि उत्पादों का परिसंस्करण भी शामिल है। भारत ने बताया कि वह सोवियत सुदूर-पूर्व और साइबेरिया के विकास में सहयोग करने क लिए अत्यन्त इच्छुक है जिसमें इस क्षेत्र की वन संपदाओं का आपसी लाभ के लिए इस्तेमाल करने के निमित संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना भी शामिल है।

समरकंद, बुखारा और ताशकंद में भारतीय कम्पनियों द्वारा जो तीन होटल निर्माण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी संतोषजनक प्रगति पर भी आयोग ने गौर किया और इस बात पर भी सहमति हुई कि अलमा अता, उरगेंच, खीवा, फ्रुंजे, खाबरोव्स्क, व्लादीवोस्तोक तथा नखोदक में भारतीय कम्पनियों द्वारा सात और होटलों के निर्माण संबंधी संविदाओं को सितम्बर 1989 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा

आयोग ने भारतीय व्यापार क्षेत्रों तथा सोवियत उपक्रमों और संगठनों के बीच सहयोग को

सुधारने के लिए दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कदमों पर गौर किया जैसे कि भारत-सोवियत समिति (सोवियत पक्ष में) और भारतीय स्टियरिंग समिति के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप और सोवियत संघ में भारत के साथ व्यापार सहयोग एसोसिएशन की स्थापना। इस बात पर भी सहमति हुई कि अगले 2 वर्ष में मास्को में एक भारतीय व्यापार केन्द्र की स्थापना भी की जाएगी।

सम्पन्न समझौतों के क्रियान्वयन की बराबर समीक्षा की जाती है। संयुक्त आयोग के अन्तर्गत गठित संबंधित कार्य दलों द्वारा इस बात पर बराबर निगरानी रखी जाती है जिसकी वर्ष में एक या दो नियमित बैठकें होती हैं। समझौतों की समूची परिधि की संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्षों द्वारा अगले वर्ष के अन्त में उनकी अगली कार्यकारी बैठक में और 1990 के ग्रीष्म में मास्को में होने वाले संयुक्त आयोग के 13वें अधिवेशन में समीक्षा की जाएगी।

सुल्तानपुर दबास गांव, दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि आबंटित करना

[हिन्दी]

5007. **श्री गंगा राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण दिल्ली क्षेत्र के सुल्तान दबास गांव के 153 निर्धन भूमिहीन हरिजनों में से प्रत्येक को एक एकड़ कृषि भूमि आबंटित की गई थी और पट्टे के दस्तावेज भी उन्हें सौंप दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें भूमि का कब्जा दे दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उन्हें भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जाएगा?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार इस प्रकार का कोई आबंटन अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

[अनुवाद]

5008. **श्री राज करन सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों का दाखिला दिलाने की सिफारिश के लिए संसद सदस्यों का निर्धारित कोटा निर्धारित है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का संसद सदस्यों को निर्धारित दाखिला कोटा आबंटित करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) 30

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

तमिलनाडु में उत्तरी बकिंघम नहर को पक्का करने की योजना

5009. **श्री आर० धनुष कोडी अतीतन :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में उत्तरी बकिंघम नहर को पक्का करने संबंधी योजना का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब स्वीकृत की गयी थी और उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमिलनाडु में इन्नौर से चितामणि लाक चेनेज 16/0 कि० मी० से 34.80 कि० मी० तक नार्थ बकिंघम कैनाल के सुधार से संबधित स्कीम को 200.00 लाख रु० की लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में मई, 1987 में संस्वीकृत किया गया था। स्कीम को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और उसके मार्च, 1990 तक पूरा हो जाने का शिड्यूल है। स्कीम में लाइट जंगल की क्लियरिंग, ड्रेजिंग, फ्लोटिंग एक्सकेवेटर की खरीद, केनाल साइडा की लाइनिंग, इन्नोर में व्हार्फ का निर्माण, स्टोर, ट्रांजिट शेड, कार्यालय और इन्नोर साउथ लाक पर एप्रोच रोड की परिकल्पना की गई है। इनलेट्स का निर्माण, मौजूदा इनलेट्स/लाक्स की मरम्मत, फुट ब्रिजेज का निर्माण, तथा अन्य विविध सुविधाएं। इस स्कीम पर राज्य सरकार द्वारा अक्तूबर, 1988 तक 35.00 लाख रु० की राशि खर्च की जा चुकी है।

क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र

5010. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहा हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और इन केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(ग) विदेश के कितने प्रशिक्षण (कोच) इस समय देश में विभिन्न केन्द्रों में हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खेल प्रशासनों के समन्वय से भारतीय खेल प्राधिकरण/केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए खेल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के देश में निम्नलिखित छः क्षेत्रीय केन्द्र (कोष्ठक में किए गए मुख्यालयों सहित), स्थापित किए गए है :—

(I) केन्द्रीय केन्द्र (इस समय दिल्ली में)

(II) पूर्वी केन्द्र (कलकत्ता)

(III) उत्तरी केन्द्र (इस समय पटियाला में)

(IV) उत्तर-पूर्वी केन्द्र (इम्फाल)

(V) दक्षिणी केन्द्र (बंगलौर)

(VI पश्चिमी केन्द्र (गांधीनगर)

ये केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं।

(ग) खेल विज्ञान में 21 विदेशी प्रशिक्षक और विशेषज्ञ इस समय विभिन्न केन्द्रों में हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

मगध विश्वविद्यालय को अनुदान

[हिन्दी]

5011. **श्री कुंवर राम :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क, गत तीन वर्षों के दौरान मगध विश्वविद्यालय को कितनी अनुदान राशि दी गई है;

(ख) इस समय इस विश्वविद्यालय के सहायता इत्यादि के लिए कितने आवेदन पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं योजना में मगध विश्वविद्यालय को सामान्य विकास हेतु 100.00 लाख रु० का आवंटन किया है। सामान्य विकास के अंतर्गत सहायता, भवन, उपकरण, पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं, स्टाफ आदि के लिए है। आयोग द्वारा 1985-86 से 1987-88 को अवधि में 48.36 लाख रु० का अनुदान दिया गया जिसके ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

	(रु० लाख में)
1985-86	25.50
1986-87	17.87
1987-88	4.99

विश्वविद्यालय को जनवरी, 1987 में सामान्य विकास के अन्तर्गत उनके प्रस्तावों पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था ताकि 100 लाख रु० के आवंटन में से शेष अनुदान देने को अन्तिम रूप दिया जा सके, परन्तु विश्वविद्यालय विचार-विमर्श के लिए नहीं आया। प्रस्तावों को अब विश्वविद्यालय से विचार-विमर्श करके आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में संतरे की फसल को क्षति

[अनुवाद]

5012. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष महाराष्ट्र के नागपुर जिले में सन्तरे की फसल पूर्णरूप से नष्ट हो गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सन्तरे की फसल की हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने सन्तरे की फसल को बचाने के कोई उपाय किए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) चूंकि महाराष्ट्र से कोई क्षति होने की सूचना नहीं मिली है, इसलिए इस सम्बन्ध में सहायता नहीं दी गई है। तथापि, लैय फ्लाइ, लीफ माइनर, ट्विग ब्लाइट और सिट्रस में गुमोसिस को रोकने के लिए दीर्घावधिक उपायों के रूप में नागपुर में सिट्रस के लिए एक अनुसधान केन्द्र की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या

5013. श्री मुहीराम सैकिया :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1989 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों की श्रेणीवार स्वीकृति और वास्तविक संख्या कितनी थी;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किए जाने/उसकी पुनरीक्षा किए जाने के लिए कोई कार्य-अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो श्रेणीवार कितने कर्मचारियों की संख्या की सिफारिश की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 1-3-89 की यथास्थिति के अनुसार, संस्वीकृत स्टाफ की संख्या और वास्तविक रूप से कार्यरत स्टाफ के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कार्य अध्ययन प्रगति पर है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 1-3-89 तक की यथा स्थिति के अनुसार संस्वीकृत स्टाफ संख्या तथा वास्तविक रूप से कार्यरत स्टाफ

क्र. सं.	पदनाम	संस्वीकृत स्टाफ	वास्तविक रूप से कार्यरत स्टाफ
1	2	3	4
1.	आयुक्त	1	—
2.	संयुक्त आयुक्त	2	1
3.	उप-आयुक्त	5	3
4.	सतर्कता अधिकारी	1	—
5.	सहायक आयुक्त	2	2
6.	सहायक आयुक्त (प्रशा०)	1	—
7.	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	2	2
8.	विशेष कार्य अधिकारी	1	—
9.	शिक्षा अधिकारी	5	5
10.	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	1	1
11.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1
12.	लेखा अधिकारी	2	1
13.	आन्तरिक लेखा परीक्षक अधिकारी	1	—
14.	कार्यपालक इंजीनियर	1	1
15.	अनुभाग अधिकारी	11	10
16.	हिन्दी अधिकारी	1	1
17.	वरिष्ठ विश्लेषक	1	1 (कनिष्ठ विश्लेषक समायोजित किए गए)
18.	कनिष्ठ विश्लेषक	1	1
19.	लेखा अधीक्षक	9	9
20.	प्रशासन अधीक्षक	1	1
21.	अनुसंधान सहायक	1	1
22.	विधि सहायक	2	2
23.	सांख्यिकीय सहायक	1	—

1	2	3	4
24.	सहायक शिक्षा अधिकारी	6	3
25.	सहायक सम्पादक	1	1
26.	सम्पादकीय सहायक	1	1
27.	तकनीकी सहायक	1	1
28.	तकनीकी अधिकारी	1	1
29.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1
30.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	—
31.	सहायक	35	34
32.	लेखा परीक्षा सहायक	13	13
33.	प्रूफ रीडर	1	1
34.	हिन्दी अनुवादक	4	4
35.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	1	1
36.	अपर श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक	80	62
35.	वरिष्ठ आशुलिपिक	8	9 (सहायक के स्थान पर एक आशुलिपिक समायोजित किया गया)
38.	कनिष्ठ आशुलिपिक	17	12
39.	अवर श्रेणी लिपिक	60	49
40.	बिजली मिस्त्री	1	1
41.	वरिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर	1	1
42.	गेस्टेटनर आपरेटर	1	1
43.	स्टाफ कार ड्राइवर	4	4
44.	दफतरी	8	8 (दफतरी के स्थान पर तीन ग्रुप "डी" समायोजित किए गए)
45.	ग्रुप "डी"	23	23
46.	चौकीदार	2	2
47.	सफाईवाला	2	2

बम्बई में "अपना उत्सव"

5014. **डा० ए० के० पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में "अपना उत्सव" के आयोजन पर हुए व्यय को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने किस अनुपात से वहन किया है; और

(ख) किन-किन राज्यों ने ऐसे उत्सव आयोजित करने की उत्सुकता व्यक्त की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव आमन्त्रित नहीं किए गए क्योंकि भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बम्बई में अपना उत्सव आयोजित करने का प्रशासनिक निर्णय ले लिया था।

उर्वरकों की बर्बादी और चोरी

5015. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक एकक द्वारा उत्पादित उर्वरकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन एककों से उर्वरकों की बड़े पैमाने पर बर्बादी और चोरी होती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक एकक से प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्वरक की बर्बादी और चोरी का ब्यौरा क्या है;

(घ) उर्वरकों की चोरी के मामले में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार ने इन एककों से उर्वरकों की बर्बादी और चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) देश में गत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के एकक द्वारा उत्पादित उर्वरकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) किसी भी प्रकार की बरबादी और चोरी को रोकने के लिए निर्माण एककों द्वारा अनेक उपाय किए जाते हैं जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करना, कार्यदल द्वारा निरीक्षण, माप तोल परीक्षण, भण्डार को आवधिक रूप से खाली कराना और स्टाक की जांच करना, सतर्कता अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण, रेल डिब्बों को खाली कराने में निगरानी रखना, नियमित लेखा परीक्षा करवाना आदि।

विवरण

सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनी का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित उर्वरकों के नाम
1	2
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया	
सिन्द्री आधुनिकीकरण	यूरिया
	अमोनियम सल्फेट
गोरखपुर	यूरिया
रामागुण्डम	यूरिया
तालचर	यूरिया
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	
नांगल-I	सी. ए. एन.
नांगल-II	यूरिया
भटिण्डा	यूरिया
पानीपत	यूरिया
विजयपुर	यूरिया
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०	
नामरूप-I	अमोनियम सल्फेट
नामरूप-II	यूरिया
नामरूप-III	यूरिया
दुर्गापुर	यूरिया
बरौनी	यूरिया
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	
उद्योगमण्डल	अमोनियम सल्फेट
	20 : 20
	एस. एस. पी.
	अमोनियम क्लोराइड
कोचीन-I	यूरिया
कोचीन-II	20 : 20
	डी. ए. पी.
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	
ट्राम्बे	यूरिया
	15 : 15 : 15

1	2
ट्राम्बे-4	ए. एन. पी. (20.7 : 20.7)
ट्राम्बे-5	यूरिया
थाल	यूरिया
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	
मद्रास	यूरिया
	17 : 17 : 17
	14 : 28 : ,4
पारादीप फास्टफेट्स लि०	डी. ए. पी.
पाइराइट्स फास्टफेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	मसूरी फोस
	एस. एस. पी.

कपास की अधिक पैदावार देने वाले बीज

5016. **श्री कादम्बूर जनार्दनन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम और छोटे रेशे वाली कपास की अधिक पैदावार देने वाले जिन बीजों का विकास किया गया है उनके नाम आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिक उपज और रोग प्रतिरोधी शक्ति की दृष्टि से ये किस्में कितनी लाभप्रद सिद्ध होंगी;

(ग) क्या ये बीज सभी कपास उत्पादक राज्यों को वितरित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) चालू वर्ष के दौरान किसानों को देने के लिए मध्यम एवं श्रेष्ठ मध्यम तथा छोटे रेशे वाली कपास की अधिक पैदावार वाली अनेक किस्मों का विकास किया गया है। वर्ष 1985—88 के दौरान जारी की गयी किस्मों और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी उपयुक्तता का विवरण संलग्न है।

(ख) इन किस्मों की उपज पहले की किस्मों से 10 से 15 प्रतिशत तक अधिक है और ये किस्में कम समय में तैयार होती हैं और इनकी ओटाई की प्रतिशत भी बेहतर है। इनमें रोग तथा जीवाणुओं को सहन करने की शक्ति भी बेहतर है।

दो देशी संकर किस्में अर्थात् डी० डी० जी० 2 और जी० कॉट एच० वाई-7 अधिकांश रोगों और कीटाणुओं को सहने में समर्थ हैं और वर्तमान देशी किस्मों की अपेक्षा इन किस्मों की उपज 60 से 70 प्रतिशत अधिक दर्ज की गयी है। ये किस्में फ्यूसेरियम विल्ट रोग की रोधी हैं। अबधिता किस्म अधिकांश बाल-वार्म कीड़ों की प्रतिरोधी है।

(ग) इन किस्मों को उनके नाम के आगे दिए गए राज्यों के लिए जारी किया गया है तथा इन किस्मों के बीज सम्बन्धित राज्यों के किसानों को उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

I. उत्तरी कपास क्षेत्र

(i) माध्यम/उत्कृष्ठ	—	एल. एच. 900, एफ. 505, एल. एच. 886 (पंजाब)
मध्यम रेशा	—	एच. एस. 45 (हरियाणा), विकास (उ० प्र०) ।
(ii) छोटा रेशा	—	डी. एस. 5 (हरियाणा)
		आर. जी. 8 (श्रीगंगानगर ट्रेक, राजस्थान) ।

II. केन्द्रीय कपास क्षेत्र :

मध्यम/उत्कृष्ठ	—	जी. कोट डी. एच. 7 (गुजरात)
मध्यम रेशा	—	पूर्णिमा (मराठवाड़ा ट्रेक, महाराष्ट्र)

III. दक्षिण कपास क्षेत्र :

मध्यम रेशा	—	अवधिता, डी. डी. जी. 2,
		जे. एच. 119 (कर्नाटक)
		के. 10 (तमिलनाडू का दक्षिण वारानी ट्रेक) ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा श्रमिक ठेकेदारों को बदलना

5017. **श्री अनूप चन्द शाह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने महाराष्ट्र में माल की ढुलाई के लिए वर्तमान श्रमिक सहयोग समिति के स्थान पर गैर-सरकारी श्रमिक ठेकेदार को शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों तथा श्रमिक समिति के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का रूख क्या था; और

(ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का श्रमिक ठेकेदारी जी पुरानी प्रथा को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने 22-2-1989 को एक बैठक बुलाई थी जिनमें "सेल" तथा श्रमिक सहकारी समिति के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने कलांबुली स्थित "सेल" के स्टाकयार्ड में इस्पात और इस्पात की मदों को संभालने के लिए सहकारी समिति के विद्यमान प्रबन्ध के साथ अपनी प्राथमिकता को बनाए रखने का संकेत दिया था तथा "सेल" ने "सेल" और श्रमिक सहकारी समिति के बीच

विद्यमान ठेके को तब तक बरकरार रखने का निर्णय लिया है जब तक कि नया समझौता नहीं हो जाता जिसके बारे में सहकारी समिति के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

एकेडेमिक स्टाफ कालेजों की स्थापना का प्रस्ताव

5018. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

श्री राम प्यारे पनिका :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में एकेडेमिक स्टाफ कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक 48 विश्वविद्यालय निर्धारित किए हैं जहां शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक शैक्षिक स्टाफ कालेज से प्रति वर्ष करीब 250 नए भर्ती किए गए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की आशा की जाती है। अनुस्थापन कार्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह है, कार्यक्रम का स्वरूप बहुविषयक है और विभिन्न विषयों से संबंधित अध्यापकों को एक साथ बुलाया जाता है। 43 स्टाफ कालेज आरंभ किए जा चुके हैं तथा 106 अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए और करीब 3,800 अध्यापकों को अनुस्थापन शिक्षा दी गई है। दूसरे चरण में शैक्षिक स्टाफ कालेज, सेवारत अध्यापकों के लिए विषयोन्मुख पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करेगा। आयोग ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 93 विश्वविद्यालय विभागों/संस्थानों को निर्धारित किया है।

धूलिया-सूरत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

[हिन्दी]

5019. **श्री मानिकराव होडल्य गावित** : क्या जल-भूतल परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण धूलिया-सूरत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है क्योंकि इस सड़क का नागपुर से धूलिया तक का एक हिस्सा पहले ही राजमार्ग घोषित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सेक्टर के सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय कठिनाई के कारण अभी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में संदर्भाधीन सड़क को शामिल करना संभव नहीं है।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण

5020. **श्री केशवराव पारधी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तरह भूकम्पीय सर्वेक्षण आदि के लिए "शाट होल" ड्रिलिंग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दी गई ठेका दरों के पश्चात् कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तुलनात्मक दरों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का "डिजीटल फील्ड सिस्टम फाइव" द्वारा परीक्षण आधार पर भूकम्पीय सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए "शोटहोल" ड्रिलिंग करनी होगी। ये सर्वेक्षण, उद्देश्य और विशिष्टियों के संदर्भ में, तेल व प्राकृतिक गैस के सर्वे से भिन्न होते हैं।

(ख) तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक नहीं है, क्योंकि शोटहाल्स विशिष्टियों की सही और कड़ी चौकसी सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रथम चरण के परीक्षण सर्वेक्षण हेतु शोटहोल ड्रिलिंग का काम ऐसे केन्द्र सरकारी उपक्रम को सौंपने का विचार किया जा रहा है, जिसको इस विषय में प्रमाणित महारत हासिल हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करना

[अनुवाद]

5021. **श्री श्रीहरि राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी के संबंध में जल विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक अध्ययन कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग कब तक घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार करने के लिए जलीय सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करना इसकी पूर्व-अपेक्षाएं हैं। कृष्णा नदी के लिए ये अध्ययन आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और ये अभी चल रहे हैं।

योग अध्यापक के पदों को फालतू घोषित किया जाना

5022. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में वर्ष-वार 1988-89 के शैक्षिक सत्र में योग अध्यापकों के अनेक पदों को फालतू घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) कुल मिलाकर केन्द्रीय विद्यालयों में कोई योगा अध्यापक अतिरिक्त घोषित नहीं किया गया है। फिर भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा क्षेत्रों के अन्दर ही पदों और अध्यापकों का समायोजन किया गया है। इस प्रकार के समायोजनों को स्कूलों में योगा के शिक्षक से संबंधित नीति में हुए परिवर्तनों के कारण करना जरूरी हो गया था। वर्ष 1986 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन बोर्ड ने शारीरिक शिक्षा को योगा के साथ समेकित करने और इसे VI से XII तक की कक्षाओं में पढ़ाने का निर्णय लिया। इस पर अध्यापकों तथा अन्यों द्वारा आपत्ति की गई थी। इस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए और स्कूलों में योग शिक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नीति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस मामले पर पुन: विचार किया और वर्ष 1988 में यह निर्णय किया कि शिक्षण बोर्ड के यथा अपेक्षित अंशकालिक और पूर्णकालिक योग अध्यापक प्रदान किए जाए। इस बीच अध्यापकों के परिहार्य स्थानान्तरण से बचने के लिए अध्यापकों और पदों के समायोजन का सहारा लेना पड़ा।

केरल में केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

5023. **श्री टी० बशीर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्रीय विद्यालयों में अधिक संख्या में छात्रों को दाखिला दिये जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिन्ना हाउस का भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को आबंटन

5024. **श्री राजकुमार राय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में जिन्ना हाउस को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परिषद को कब तक कब्जा दिया जाएगा; और

(ग) परिषद से कितनी धनराशि ली जायेगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को बम्बई स्थित जिन्ना हाउस देने के लिए अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बोकारो स्टील प्लांट में भर्ती

[हिन्दी]

5025. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील हैवी प्लांट में गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई; और

(ख) ऐसी नियुक्तियों में छोटा नागपुर के जनजातीय लोगों को दी गई प्राथमिकता का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने में की गई नियुक्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा तथा उनमें आदिवासियों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	की गई कुल नियुक्तियां	कुल नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियो की संख्या
1986	434	32
1987	363	88
1988	304	40

अनुसूचित जनजातियों (छोटा नागपुर के आदिवासियों सहित) को नियुक्तियों में आरक्षण देने के संबंध में सरकार के निर्देशों का बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा पालन किया जा रहा है ।

"इंटीग्रेटिड को-आपरेटिव रिजर्वायर फिशरीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट"

[अनुवाद]

5026. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में "इंटीग्रेटिड को-आपरेटिव रिजर्वायर फिशरीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट" को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस परियोजना के लिए सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कुल कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना में गुजरात के पांच जिलों में 2.303 करोड़ रुपए की कुल लागत से करीब 9573 हैक्टेयर जलाशय क्षेत्र में मात्स्यिकी के विकास की परिकल्पना की गई है । इसके कुछ महत्वपूर्ण परियोजना घटक इस प्रकार हैं :—

(1) डिम्पोना पालन, मत्स्य रखरखाव और मत्स्य स्क्रीनों के प्रावधान हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन;

(2) मछुआरों के लिए मत्स्यन आदानों (क्राफ्ट एंड गीयर) का प्रावधान;

(3) मत्स्य विपणन समर्थन का प्रावधान;

(4) प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवा;

(5) राज्य स्तर पर तकनीकी एवं परियोजना कार्यान्वियन सैल तथा सहकारी संगठनों आदि को सुदृढ़ करना । इस परियोजना के पूर्ण विकास के स्तर पर करीब 1120 मीटरी टन अतिरिक्त मछलियों के उत्पादन किये जाने की आशा है, जिससे करीब 1020 मछुआरे लाभान्वित होंगे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1.845 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है, जिसमें 1.534 करोड़ रुपए का ऋण और 0.311 करोड़ रुपए की राजसहायता शामिल है । इस राशि में से 6.13 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है ।

पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का विस्तार

[हिन्दी]

5027. **श्री अख्तर हसन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का विस्तार करने में मिली सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन फसलों के नाम क्या हैं जिनके उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना के अन्तर्गत चुना गया है और इस संबंध में कहां तक सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार की आंठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण भारत में हरित क्रांति का विस्तार करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) देश के पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86) के शुरू से क्रियान्वित किया जा रहा है । चावल, गेहूं, मक्का, चना और अरहर का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1988-89 से पूर्वी राज्यों सहित 14 राज्यों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है ।

छ: पूर्वी राज्यों में, जहां विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है औसत वार्षिक उत्पादन 1984-85 को समाप्त होने वाली त्रैवार्षिक के दौरान 282.5 लाख मीटरी टन था, जो बढ़कर 1987-88 को समाप्त होने वाली त्रैवार्षिक के दौरान 332.1 लाख मीटरी टन हो गया । विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई अन्य मुख्य फसलों के उत्पाद 1988-89 अर्थात् की भी परियोजना के कार्यान्वियन के प्रथम वर्ष के दौरान बढ़ने की सम्भावना है ।

(ग) से (ङ) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम 1988-89 में अपने प्रारम्भ से आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिण राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, तथापि आठवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

एलिफेंटा की गुफाएं और बम्बई के बीच यात्री नौकायें चलाना

[अनुवाद]

5028. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई और एलिफेन्टा की गुफाओं के बीच आते-जाते समय समुद्र में भारी संख्या में लोग/पर्यटक स्टीमर दुर्घटनाओं के कारण मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन गुफाओं को जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एलिफेन्टा की गुफाओं और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच भारतीय नौवहन निगम की यात्री नौकायें चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। पिछले 5 वर्षों के दौरान केवल एक दुर्घटना दर्ज है जिसमें 4 यात्री मारे गए थे।

(ख) और (ग) भारतीय नौवहन निगम के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय शैक्षिक वेतन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव

5029. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों के वेतन संबंधी विवाद को निपटाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक वेतन बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्यों में उनके अधीन स्कूलों के शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ सम्बन्धी मांगों को निपटाने के लिए उनके अपने तंत्र तथा प्रबन्ध होते हैं। संघ शासित क्षेत्रों में तथा केन्द्रीय संगठनों के अधीन स्कूल शिक्षकों के वेतनमान संशोधित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से, केन्द्रीय सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को छोड़कर) के शिक्षकों के वेतनमान भी संशोधित कर दिए गए हैं। केन्द्र राज्यों को उनके नियंत्रण में आने वाले इंजीनियरी कालेजों सहित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन करने के लिए अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत की सीमा तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में कर्मचारी

5030. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या वहां के कार्यभार के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सही और सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए उपरोक्त पासपोर्ट कार्यालय में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें कब तक नियुक्त कर दिया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) जी नहीं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के अनुसार वहां पर अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तथापि वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक इस समय बंगलौर में कार्यालय के कार्यभार का जायजा ले रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों को सही स्थान रोकने, उनकी गति और वक्त की पाबंदी के बारे में मौके पर जांच

5031. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम अधिकारियों द्वारा बसों को बस स्टाप पर रोकने उनकी गति, वक्त की पाबंदी के बारे में मौके पर जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो 1988 के दौरान ऐसी जांच कितनी बार की गई और दिल्ली परिवहन निगम के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अधिकारियों ने आगे क्या कार्यवाही की;

(ग) 1988 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को बस ड्राइवरों और कंडक्टरों के अभद्र और लापरवाहीपूर्ण व्यवहार के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम गति को विनियमित करते समय, समय की पाबंदी और स्टापों पर बसों को रोकने के लिए नियमित आधार पर चैकिंग करता है।

(ख) उनके चैक करने के परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम ने 1988 के दौरान अनुचित स्थान पर बस रोकने तथा समय की पाबंदी के अभाव के 737 मामलों का पता लगाया। दोषी ड्राइवरों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है।

(ग) 2096।

(घ) अपराध की गम्भीरता के अनुसार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। उपचारी उपाय के रूप में दोषपूर्ण ड्राइविंग आदतों वाले ड्राइवरों को लाइन ड्यूटी से हटा दिया जाता है और उन्हें रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण स्कूल में भेज दिया जाता है।

वैकल्पिक कृषि हेतु स्वीडन से सहायता

5032. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1989 के "इकानामिक टाइम्स" में "स्वीडिश एंड फार आलटरनेटिव फार्मिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार "वैकल्पिक कृषि" अथवा "विष-मुक्त कृषि" हेतु भी वित्तीय सहायता देती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। लेकिन, भारत सरकार को इस विषय पर स्वीडिश सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) भारतीय सन्दर्भ में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशियों के इस्तेमाल के बिना वैकल्पिक खेती की संकल्पना सम्भव नहीं है। भारत में 1987-88 में रासायनिक उर्वरकों के जरिये पोषक-तत्वों की खपत 51.2 कि. ग्राम प्रति हैक्टेयर थी। कई विकसित एवं विकासशील देशों की रासायनिक पौध पोषक-तत्वों की खपत का स्तर भारत के खपत-स्तर से काफी अधिक है। बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई खाद्य-आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से आर्गेनिक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को इष्टतम स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। भारत में कीटनाशियों का इस्तेमाल आवश्यकता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, कृमिनाशियों/कीटनाशियों के अत्याधिक प्रयोग के हानिकारक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से, कीटों के बायोलाजिकल और मैकेनिकल नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, समेकित कीट प्रबन्ध को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

सरकारी तथा सहकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

5033. **श्री कमल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी/सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) ये पद किस-किस तारीख से रिक्त पड़े हैं और उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों में अध्यापकों की कमी का छात्रों के अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

नेपाल को व्यापार और पारगमन के लिए सुविधाएं

5034. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाल को व्यापार और पारगमन संबंधी विशेष सुविधाएं दिया जाना बंद करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने इन सुविधाओं की बहाली का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) व्यापार और पारगमन के संबंध में भारत-नेपाल संधियां 23 मार्च, 1989 को साथ-साथ समाप्त हो गई और इसके साथ ही इन संधियों के अन्तर्गत नेपाल को जो विशेष सुविधाएं दी जाती थी वे भी अब प्रभावकारी नहीं रही।

(ग) और (घ) सरकार ने नेपाल की शाही सरकार को यह निमंत्रण दिया है कि वह व्यापार और पारगमन के संबंध में एक संयुक्त संधि के बारे में बातचीत करे। नेपाल के विदेश मंत्री की 26-27 मार्च, 1989 को नई दिल्ली की यात्रा के दौरान नेपाल की शाही सरकार ने व्यापार और पारगमन के संबंध में अलग-अलग द्विपक्षीय संधियों के प्रारूप का नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

सहकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से सहायता

5035. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण देने की प्रक्रिया का पुन: निर्धारण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कृषक समुदाय के लिए लाभप्रद होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का क्या उचित परिवर्तन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार के किसानों को कृषि आदानों की सप्लाई

[हिन्दी]

5036. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा जिला आलू, प्याज, हरी सब्जियों और गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र के किसानों को रियायती दरों पर कृषि आदानों, कृषि ऋण ऊर्जा और फार्म उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) बिहार में नालन्दा जिला आलू, प्याज, हरी सब्जियों और गेहूं का उत्पादन करने वाले जिलों में एक महत्वपूर्ण जिला है।

(ख) इस समय, आदानों आदि की सप्लाई करने के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :—

(1) प्रमाणित बीजों, बीज उपचार, मृदा सुधारकों एवं खरपतवार नियन्त्रण के लिए सहायता;

(2) ब्याज की रियायती दर पर अल्पावधि ऋण; और

(3) उर्वरक बिक्री केन्द्र खोलना।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के मजदूरों को मजूरी का भुगतान

[अनुवाद]

5037. श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोलार स्थित भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के उनके मजदूरों को अपनी मजदूरी नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड से बाजार मूल्य पर सोना प्राप्त करते रहने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत गोल्ड माइन्स लि० को, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, खुले बाजार में स्वर्ण बेचने का अधिकार दे दिया गया है। भारत गोल्ड माइन्स लि० से स्वर्ण अधिग्रहीत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म, भुवनेश्वर

5038. श्री अनादि चरण दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म, भुवनेश्वर द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान कितने मूल्य के मुर्गी प्रजनन अवयव खरीदे गए;

(ख) क्या इन अवयवों की किस्म का प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 18,70,500 रुपये।

(ख) जी, हां।

(ग) कुक्कुट आहार अवयवों का विश्लेषण आर्द्रता, प्रोटीन, बालू सिलिका, कच्चे रेशे, एसिड अघुलनशील भस्म, नमक और एफ्लाटोक्सीन घटकों के लिए कराया गया था।

आपरेशन फ्लड

[हिन्दी]

5039. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आपरेशन फ्लड" विभिन्न राज्यों में चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में इसे किन-किन जिलों में चलाया जा रहा है;

(ग) क्या सहरसा जिला भी इन जिलों में शामिल है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सहरसा जिला उक्त परियोजना के अंतर्गत कब तक शामिल किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय बिहार में निम्नलिखित दुग्ध क्षेत्र आपरेशन फ्लड में शामिल हैं :—

	दुग्ध क्षेत्र	**जिले**
1.	पटना	पटना, नालंदा और वैशाली।
2.	समस्तीपुर	समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी।
3.	बेगुसराय	बेगुसराय और खगड़िया।
4.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारन।
5.	रोहतास	रोहतास औए भोजपुर।
6.	सारन	सारन, सिवान और गोपालगंज।
7.	मुंगेर	मुंगेर और भागलपुर।
8.	गया	गया और नवादा।

इसके अतिरिक्त, दुग्ध विपणन के लिए जमशेदपुर, रांची और बुकारो जिले भी शामिल किए गए हैं।

(ग) और (घ) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत कवरेज के लिए सहरसा दुग्ध क्षेत्र का प्रस्ताव भी किया गया था, जिसमें सहरसा और माधेपुर जिले शामिल हैं। तथापि, उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं और सामुदायिक सुविधाओं के अभाव में बिहार डेरी संघ यह कार्यक्रम शुरू नहीं कर सका।

(ङ) सहरसा दुग्ध क्षेत्र को आपरेशन फ्लड-3 के अन्तर्गत शामिल करने के लिए बिहार डेरी संघ से कोई विस्तृत प्रस्ताव राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उप-आयुक्त और सहायक आयुक्त के रिक्त पद

[अनुवाद]

5040. **श्री सैफुद्दीन अहमद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उप-आयुक्त और सहायक आयुक्त के रिक्त पदों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) उपायुक्त के दो पद तथा सहायक आयुक्त (प्रशा०) का एक पद रिक्त है। नियमों के अनुसार इन पदों को भरने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

ब्रह्मपुत्र नदी का धुबरी-सदिया जलमार्ग

5041 **श्री अब्दुल हमीद** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी का धुबरी से सदिया तक का जलमार्ग "राष्ट्रीय जलमार्ग" बनाया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए इस परियोजना हेतु कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस परियोजना से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ब्रह्मपुत्र नदी के सँदिया धुबरी खण्ड को पहले ही राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जा चुका है और संगत अधिनियम अर्थात् "राष्ट्रीय जलमार्ग (ब्रह्मपुत्र नदी का सँदिया धुबरी खण्ड) अधिनियम, 1988" को 26.12.88 से लागू कर दिया गया है।

(ख) यद्यपि 1988-89 के दौरान इस राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन 1989-90 में 150.00 लाख रु० का प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) रोजगार की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा जलमार्ग का किस हद तक उपयोग किया जाता है और इस स्तर पर रोजगार सम्भावना संबंधी ब्यौरों का आंकलन करना सम्भव नहीं है।

आर्थिक महत्व अथवा अंतर्राज्यीय सड़कों के लिए केंद्रीय ऋण, सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि

5042. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक महत्व का अथवा अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए केंद्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक राज्य-संघ राज्य क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है और उसने कितनी खर्च की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार को जारी की गई राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा 1988-89 के दौरान किए गए खर्च के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 1988-89 के दौरान किए गए खर्च को संकलित करके अभी सूचना नहीं भिजवाई गई है।

विवरण

लाख रु०

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1988-89 के लिए जारी की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2.50
2.	असम	1.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य
5.	बिहार	100.00
6.	चण्डीगढ़	शून्य
7.	दिल्ली	शून्य
8.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य
9.	दमन एवं दीव	शून्य
10.	गोवा	शून्य
11.	गुजरात	11.00
12.	हरियाणा	90.00
13.	हिमाचल प्रदेश	40.00
14.	जम्मू एवं काश्मीर	शून्य
15.	कर्नाटक	72.00
16.	केरल	74.00
17.	लक्षद्वीप	शून्य
18.	मध्य प्रदेश	शून्य
19.	महाराष्ट्र	शून्य
20.	मणिपुर	1.00
21.	मेघालय	शून्य
22.	मिजोरम	शून्य
23.	नागालैंड	1.00
24.	उड़ीसा	23.00
25	पांडिचेरी	शून्य
26.	पंजाब	54.00
27.	राजस्थाक	27.00

1	2	3
28.	सिक्किम	शून्य
29.	तमिलनाडु	10.00
30.	उत्तर प्रदेश	365.00
31.	पश्चिम बंगाल	128.50
	कुल :	1000.00 लाख

तांबे की मांग और उत्पादन

5043. श्री चिन्तामणि जेना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तांबे की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तांबे की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना है;

(ग) क्या देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, तांबे की नई खानों का पता लगाने के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) देश में तांबे की अनुमानित मांग और देशी उत्पादन की 1986-87 से स्थिति तथा 1989-90 के लिए प्रायोजना इस प्रकार है :—

यूनिट-टन

वर्ष	मांग	उत्पादन (ट्रोल-प्रद्रावित तांबा सहित)
1986-87	1,04,000	44,563
1987-88	1,28,000	42,134
1988-89	1,35,000	52,416
1989-90 (प्रायोजित)	1,35,000	50,000

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तथा जम्मू व कश्मीर में विभिन्न आधार धातु क्षेत्रों में तांबे के लिए गवेषण किया है। गत तीन वर्षों के दौरान ही खनिज गवेषण निगम लि० ने भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलंजखंड में ज्ञात तांबा निक्षेपों का विस्तृत गवेषण किया है।

सर्वेक्षण और गवेषण एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मलंजखंड निक्षेप में 1.39% तांबांश वाले 84.83 मिलियन टन अयस्क भंडार, 0.88% तांबांश वाले 125 मिलियन टन उप-

सीमांत भंडार और 1.03% तांबांश वाले 213 मिलियन टन संभावी भंडारों को मिलाकर कुल 423 मिलियन टन अयस्क भंडार होने का अनुमान है।

अपराधिक मामलों में सहायता के लिये स्विटजरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

5044. **श्री एच० ए० डोरा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्विटजरलैंड ने अपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के लिए हाल ही में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा 20.2.1989 को स्विटजरलैंड के साथ अपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता के संबंध में एक करार किया है। करार की शर्तों के अन्तर्गत यह प्रावधान रखा गया है कि दोनों देशों के कानून प्रवर्तन प्राधिकारी एक दूसरे को सहयोग देंगे जिसमें गवाहों का पता लगाने में सहायता करना, गवाहों का बयान लेना और उनका परिसाक्ष्य लेना, न्यायिक अथवा व्यवसायिक प्रलेखों को प्रस्तुत करना तथा उनका प्रामाणीकरण करना और न्यायिक अथवा प्रशासनिक दस्तावेजों की तामिल शामिल है।

पश्चिम बंगाल में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा

5045. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में गन्तव्य स्थान के नाम का बोर्ड

[हिन्दी]

5046. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन की कई बसों के गन्तव्य स्थान के नाम के बोर्ड में बस रूट की संख्या हाथ से चाक द्वारा लिखी होती है जो स्पष्ट पढ़ने में नहीं आता जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस बात के स्थायी निर्देश हैं कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में गन्तव्य स्थान दर्शाने वाले विधिवत पेंट किए हुए बोर्ड लगाए जाएं। इन निर्देशों का पालन किया जाता है केवल इक्का दुक्का मामलों को

छोड़ कर जहां जन-सेवा के हित में किसी बस को उसके मूलत: निर्धारित रूट से हटाकर किसी अन्य रूट पर भेजना पड़ता है। ऐसे मामलों में पेंट किए गए बोर्डों की अनुपलब्धता के कारण रूट संख्या और गन्तव्य स्थान चाक से लिख दिए जाते हैं। दिल्ली परिवहन निगम से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन मामलों में जो चाक से लिखा जाए वह मोटे अक्षरों में हो।

कीटनाशी यंत्र का विकास

[अनुवाद]

5047. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कोई कीटनाशी यंत्र विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका मौके पर परीक्षण कारगर पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश के कृषि प्रधान क्षेत्रों में इस यंत्र का प्रयोग करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, काइम्बटूर द्वारा तैयार किये गये पावर स्प्रेयर के जरिए एक सक्शन ट्रेप अटैचमेंट का परीक्षण किया गया, जिसे सफेद फ्लाई, कपास का लीफ होपर और कई अन्य कीटों जैसे उड़ने वाले कीटों को फुर्ती से पकड़ने में प्रभावी पाया गया है।

(ङ) और (च) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय इसे अन्य स्थानों पर भी लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए मानदंड

[हिन्दी]

5048. **श्री आर० एम० भोये** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टलों के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश को दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए :—

वर्ष		
1. 1986-87	—	25,25,143/-रुपए
2. 1987-88	—	41,40,639/-रुपए
3. 1988-89	—	39,73,577/-रुपए

(ख) कामकाजी महिलाओं के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित होस्टल भवनों का निर्माण करने के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत धन का आबंटन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार नहीं किया जाता। अनुदान स्वयंसेवी संगठनों के आवेदन-पत्रों के आधार पर दिया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली स्थित बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केन्द्र द्वारा किया गया अध्ययन

[अनुवाद]

5049. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संसाधन, दिल्ली स्थित बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केन्द्र ने पटाखे छोड़ने से जलने की घटनाओं के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में आतिशबाजी से जलने से पीड़ितों के संबंध में पांच वर्ष से अधिक का अध्ययन पूरा कर लिया गया है। यह अध्ययन दिल्ली के दो प्रमुख अस्पतालों में और दिल्ली में घरेलू सर्वेक्षणों के जरिए तथा दिल्ली के आसपास के गांवों के एक ग्रुप में किया गया है। परिणाम यह दर्शाते हैं कि पीड़ित व्यक्ति मुख्य रूप से किशोर तथा युवा-व्यस्क थे तथा सबसे ज्यादा नुकसान शांकवीय फुव्वारा आतिशबाजी से हुआ। डिजाइन तथा रूप और आतिशबाजी में निहित विस्फोटक सामग्री घावों के लिए विशिष्ट रूप से सहयोजित हैं।

काकिनाडा और मद्रास के बीच जलमार्ग का सुधार और विकास

5050. श्री सी० सम्बु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकिनाडा और मद्रास के बीच जलमार्गों के सुधार और विकास की व्यापक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उसे स्वीकृति भी मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पत्तन और मद्रास के बीच अन्तर्देशीय जलमार्ग काकीनाडा केनाल, इलुरू केनाल, कोमासूर केनाल और उत्तरी बकिंघम केनाल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्र में विभिन्न केनालों के सुधार के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में, चार अलग स्कीमों को संस्वीकृति के लिए भेजा था। इसी प्रकार तमिलनाडु सरकार ने भी तीन अलग स्कीमें भेजी थीं। नौचालन प्रयोजनों के लिए इन जलमार्गों को सतत् जलमार्गों के रूप में विकसित करने की जरूरत को देखते हुए आंध्र

प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परस्पर विचार-विमर्श करते हुए मद्रास और काकीनाडा के बीच जलमार्गों के विकास के लिए एक एकीकृत स्कीम तैयार करें।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निगरानी और मूल्यांकन एकक

5051. **श्री आर० एम० भोये :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का, इसके प्रारम्भ किये जाने के समय से लेकर अब तक कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इसके लिये स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निगरानी और मूल्यांकन एकक स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के आरम्भ होने से लेकर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी० ई० ओ०), वित्तीय प्रबंध तथा अनुसंधान संस्थान, (आई० एफ० एम० आर०), मद्रास भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए चार प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों सहित कई मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निष्पादन की निगरानी टेलेक्स/टेलिग्राफिक रिपोर्ट, मासिक मुख्य सूचक रिपोर्ट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट तथा परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन और निरीक्षणों द्वारा खंड-जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गुणात्मक निगरानी के आधार पर की जाती है। राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से प्राप्त समेकित सूचना को केन्द्रीय सरकार को भेजें। समवर्ती मूल्यांकन की एक पद्धति भी आरम्भ की गई है जिसके दो दौर पूरे हो चुके हैं। सारे देश में 27 ख्याति प्राप्त स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निगरानी और मूल्यांकन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था को ही पर्याप्त समझा गया है।

आपरेशन फ्लड-दो

5052. **श्री आर० एम० भोये :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड-दो परियोजनाओं में मदवार निर्धारित लक्ष्यों तथा किये गये व्यय की दृष्टि से अब तक कितनी प्रगति हुई है और तत्संबंधी कमी का वर्षवार तथा राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य किस प्रकार निश्चित किये जाते हैं और इस संबंध में प्राप्तियों का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है;

(ग) क्या आपरेशन फ्लड परियोजनाओं के कार्य निष्पादन के दौरान दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी के मामले में अलग-अलग क्षेत्रों में अन्तर बढ़ा है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक के मामले में उपलब्धियों का आकलन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड परियोजना के अन्तर्गत निधियां दिए जाने और विभिन्न मुख्य घटकों की प्रगति का वर्षवार और राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण-1, विवरण-2 विवरण-3, विवरण-4, विवरण-5, विवरण-6, विवरण-7 में दिया गया है । आपरेशन फ्लड परियोजना के अन्तर्गत राज्यों के लिए कोई मदवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं ।

(ख) वार्षिक दुग्ध उत्पादन के राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग के परामर्श से पहले के उत्पादन की मात्रा और विभिन्न पशुधन विकास योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले संभावित आदानों के आधार पर किया जाता है । विभिन्न राज्यों में दुध के उत्पादन का अनुमान नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है ।

(ग) आपरेशन फ्लड परियोजना की तुलना में दूध उत्पादन में वृद्धि में असमानताओं के प्रतिमान के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं है ।

(घ) और (ङ) फरवरी, 1984 में गठित एल० के० झा समिति का समग्र मूल्यांकन यह था कि आपरेशन फ्लड परियोजना के अन्तर्गत अपनाया जा रहा दृष्टिकोण और नीतियां ठोस हैं ।

विवरण-1

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन-फ्लड के अंतर्गत तत्कालीन भारतीय डेरी निगम जिसका वर्तमान नाम राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड है के द्वारा नियुक्ति की गई राज्यवार/वर्षवार धनराशि

(लाख रुपये में)
(अनन्तिम)

क्रम सं०	संस्थान	1985-87 के दौरान	1986-87 के दौरान	1987-88 के दौरान	अप्रैल-दिसम्बर 88 के दौरान
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान निकोबार	0.25	2.34	0.01	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	603.78	8C8.83	818.98	178.50
3.	असम	109.99	64.28	34.08	75.80
4.	बिहार	119.12	253.97	227.86	9.50
5.	दिल्ली	116.66	27.75	30.47	0.00
6.	गोवा	5.59	8.13	9.59	5.84
7.	गुजरात	1039.42	1352.01	661.73	185.62
8.	हरियाणा	263.43	271.50	274.77	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	25.13	25.53	10.26	0.00

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	343.46	788.22	625.20	251.47
11.	केरल	501.27	389.76	160.78	210.12
12	जम्मू व कश्मीर	12.34	2.68	37.60	0.00
13.	मध्य प्रदेश	961.29	404.63	94.65	96.00
14.	महाराष्ट्र	584.09	561.15	510.89	136.69
15.	मणिपुर	0.16	0 00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	1.16	1.12	0.90	0.00
17.	नागालैंड	0.16	5.08	1.44	1.10
18.	उड़ीसा	230.78	56.87	6.95	29.73
19	पांडिचेरी	34 70	28.38	9.49	10.00
20.	पंजाब	731.34	305.31	617.55	150.00
21.	राजस्थान	512.38	518.49	95.82	0.00
22	सिक्किम	15.53	—5.10	—2.90	0.00
23.	तमिलनाडु	707.71	728.56	474.03	9.44
24.	त्रिपुरा	6.96	0.25	0.03	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	485.95	803.57	855.95	140.00
26.	पश्चिम बंगाल	154.82	229.25	37.14	6.99

विवरण-2

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड के तहत दूध की राज्यवार/वर्षवार औसत खरीद (हजार किलोग्राम प्रति दिन)

राज्य का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 *दिसम्बर, 1988 तक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	590.41	689.84	708.79	636.26
असम	4.65	3.72	3.47	2.00
बिहार	23.96	76.13	71.55	71.57
गुजरात	2261.47	2137.24	2064.42	1885.49
हरियाणा	166.17	145.18	128.32	85.12
हिमाचल प्रदेश	11.26	11.08	13.70	12.76

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	7.93	6.99	5.52	4.11
कर्नाटक	525.07	689.04	857.98	863.47
केरल	102.95	112.11	148.28	202 54
मध्य प्रदेश	192.91	196.17	197.60	245.87
महाराष्ट्र	1758.85	1676.76	1608.97	1508.34
नागालैंड		0.19	0.22	0.40
उड़ीसा	8.79	17.38	25.62	35.05
पंजाब	426.73	418.53	362.79	307.65
राजस्थान	656.42	455.79	312.09	212.29
सिक्किम	2.76	3.83	3.95	3.33
तमिलनाडु	742.38	775.80	809 93	881.14
त्रिपुरा	2.54	3.71	3.12	3.06
उत्तर प्रदेश	334.77	354.?3	305.25	254.99
पश्चिम बंगाल	35.34	47.23	32.53	38.80
गोवा	11.56	11.10	10.36	10.31
पांडिचेरी	15.95	19.36	20.82	21.06
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.18	—	—

*=अनन्तिम आंकड़े

विवरण-3

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड के अंतर्गत तरल दूध के परि-संस्करण की क्षमता का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा

राज्य का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 दिसम्बर 88 तक*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1312.00	1312.00	1437.00	1437.00
असम	10.00	10.00	287.00	—
बिहार	225.00	287.00		287.00
गुजरात	3021 00	3341.00	3441.00	3441 00

1	2	3	4	5
हरियाणा	315.00	315.00	365.00	365.00
हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00	20.00	20.00
जम्मू और कश्मीर	10.00	10 00	10.00	10.00
कर्नाटक	670.00	880.00	820.00	820.00
केरल	160.00	160.00	220.00	220 00
मध्य प्रदेश	430.00	605.00	685.00	688.00
महाराष्ट्र	1900.00	1930.00	1990.00	1990.00
नागालैंड				—
उड़ीसा	70.00	60 00	60 00	90 00
पंजाब	750.00	1017.00	1060.00	1060.00
राजस्थान	750.00	910.00	900.00	900.00
सिक्किम	15.00	15.00	15.00	15.00
तमिलनाडु	690.00	762.00	771.00	771.00
त्रिपुरा	10.00	10.00	10.00	10.00
उत्तर प्रदेश	385.00	390.00	405.00	405 00
पश्चिम बंगाल	100.00	100.00	100.00	100.00
गोवा	30.00	30.00	30.00	30.00
पाण्डिचेरी	10.00	30.00	30.00	30.00
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह				—

*अनन्तिम आंकड़े

नोट—उक्त क्षमताओं में महानगरों की डेरियों की क्षमतायें शामिल नहीं हैं।

विवरण-4

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत डेरी सहकारी समितियों की राज्यवार/वर्षवार संख्या

(संचयी)

राज्य का नाम	1985-86	1986-87	198 -88	1988-89 दिसम्बर 1988 तक*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	3158	3633	4041	4080
असम	125	125	133	136

1	2	3	4	5
बिहार	1030	1218	1678	1818
गुजरात	8356	8840	9276	9355
हरियाणा	2867	3028	2974	3059
हिमाचल प्रदेश	98	136	150	172
जम्मू और कश्मीर	100	105	109	109
कर्नाटक	3236	3954	4253	4560
केरल	535	689	705	832
मध्य प्रदेश	2283	2565	3082	3263
महाराष्ट्र	2617	3370	3946	4062
नागालैंड		10	17	18
उड़ीसा	352	391	458	535
पंजाब	4094	4561	4882	4944
राजस्थान	3813	4193	4728	4883
सिक्किम	112	114	119	119
तमिलनाडु	4958	5549	5873	6355
त्रिपुरा	75	80	95	95
उत्तर प्रदेश	3701	5201	6630	6984
पश्चिम बंगाल	1024	1144	1139	1171
गोवा	76	87	92	93
पाण्डिचेरी	62	64	65	67
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	20	20	—	—

*अस्थाई आंकड़े

विवरण-5

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत डेरी सहकारी समितियों की राज्यवार/वर्षवार सदस्यता

(संख्यी)

राज्य का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	*सितम्बर, 1988 तक 1988-89
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	280215	342858	422233	461354
असम	1441	1441	1395	1446
बिहार	22184	44467	66472	73504

1	2	3	4	5
गुजरात	1193523	1315281	1362447	1390322
हरियाणा	152891	169791	177750	181393
हिमाचल प्रदेश	9991	13397	14099	14764
जम्मू और कश्मीर	4015	4015	4098	4098
कर्नाटक	480710	583853	718171	703094
केरल	88443	108874	137103	151221
मध्य प्रदेश	103454	116067	127767	128319
महाराष्ट्र	667180	694725	709576	683638
नागालैंड		299	426	426
उड़ीसा	14028	17585	24205	28753
पंजाब	221161	251392	268284	273075
राजस्थान	222829	250620	279767	299968
सिक्किम	2815	3005	3870	3968
तमिलनाडु	727626	821326	926418	990813
त्रिपुरा	4050	4495	4799	4813
उत्तर प्रदेश	211162	266092	331147	343968
पश्चिम बंगाल	56453	64959	63608	64702
गोवा	7256	8119	8927	9287
पांडिचेरी	11693	13358	13891	14660
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	950	900	—	—

*अस्थाई आंकड़े

विवरण-6

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत डेरी सहकारी समितियों की राज्यवार/वर्षवार संख्या

राज्य का नाम	1985-86	1986-87	*1987-88	सितम्बर, 1988 तक *1988-89
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	163	203	212	261
असम	9	8	8	8
बिहार	91	181	226	283

1	2	3	4	5
गुजरात	1828	1961	1968	1842
हरियाणा	257	341	324	251
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	1037	1355	1592	1658
केरल	222	11	11	12
मध्य प्रदेश	724	514	401	391
महाराष्ट्र	422	463	347	382
नागालैंड	—	—	—	—
उड़ीसा	147	71	118	108
पंजाब	776	739	782	775
राजस्थान	554	570	511	520
सिक्किम	30	31	13	—
तमिलनाडु	1749	1729	1792	1962
त्रिपुरा	9	5	5	15
उत्तर प्रदेश	626	780	768	792
पश्चिम बंगाल	405	402	234	314
गोवा	9	26	35	35
पांडिचेरी	20	30	30	35
अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह	7	—	—	—

*अस्थाई आंकड़े

विवरण-7

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत पशु-स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत डेरी सहकारी समितियों की राज्यवार/वर्षवार संख्या

राज्य का नाम	1985-86	1986-87	*1987-88	सितम्बर 88 तक *1988-89
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	667	702	879	1023
असम	12	—	—	—
बिहार	9	—	260	282
गुजरात	5761	6313	4776	6239

1	2	3	4	5
हरियाणा	806	238	262	135
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
जम्मू व काश्मीर	—	—	—	--
कर्नाटक	2457	2678	3158	2331
केरल	413	436	511	546
मध्य प्रदेश	1642	1518	1509	1422
महाराष्ट्र	1618	1697	2047	2040
नागालैंड	—	2	8	—
उड़ीसा	148	10	317	298
पंजाब	3773	3161	2703	3006
राजस्थान	3044	3025	2816	2521
सिक्किम	—	72	77	82
तमिलनाडु	3189	3381	3663	3860
त्रिपुरा	65	70	65	65
उत्तर प्रदेश	3175	4059	5047	4959
पश्चिम बंगाल	591	616	432	431
गोआ	76	84	92	93
पांडिचेरी	33	30	30	30
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—

*अस्थाई आंकड़े

पंजीकृत जहाज कम्पनियों को जहाजों के संचालन से हुआ लाभ

5053. **श्री एम० डेनिस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजीकृत सरकारी और गैर-सरकारी जहाज कम्पनियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जहाजों के संचालन से कुल तथा निवल अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऑल इंडिया टर्फ बोर्ड की स्थापना

5054. **श्री एम० डेनिस :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इंडिया टर्फ बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी

5055. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों की संख्या क्या है जिनकी पत्नियां विदेशी हैं; और

(ख) ये महिलाएं किन-किन देशों की नागरिक हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस समय भारतीय पुलिस सेवा का विदेश में कार्यरत ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसकी पत्नी विदेशी हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विदेश सेवा के महिला अधिकारी

5056. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा की कितनी महिला अधिकारी समुद्र पार के देशों में कार्यरत हैं; और

(ख) इस समय वे कहां-कहां तैनात हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस समय भारतीय विदेश सेवा की 29 महिला अधिकारी विदेशों में कार्यरत हैं।

(ख) ये अधिकारी कहां-कहां तैनात हैं, इसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. श्रीमती सोनू कोचर, राजदूत, पेरिस
2. श्रीमती मनोरमा भल्ला, हाई कमीश्नर, नैरोबी
3. श्रीमती चोकिला अय्यर, हाई कमीश्नर, माहे
4. श्रीमती सावित्री कुनाडी, राजदूत लीमा
5. श्रीमती मधु भादुड़ी, मंत्री, वियना
6. श्रीमती शशि त्रिपाठी, उप प्रधान कोंसलावास, कराची
7. श्रीमती सूर्याकान्ति त्रिपाठी, परामर्शदाता, काठमाण्डु
8. श्रीमती लक्ष्मीपुरी, परामर्शदाता, जेनेवा
9. श्रीमती एन० मिश्रा, परामर्शदाता, नैरोबी
10. श्रीमती एल० प्रसाद, परामर्शदाता, प्राग
11. श्रीमती पी० सेन व्यास, परामर्शदाता, काहिरा
12. कु० विजयलता रेड्डी, प्रथम सचिव, लिस्बन

13. श्रीमती के० कोम्मर, प्रथम सचिव, केनबरा

14. श्रीमती सुजाता सिंह, प्रथम सचिव, पेरिस

15. श्रीमती बी० मुखर्जी, प्रथम सचिव, न्यूयार्क

16. श्रीमती प्रिमरोज शर्मा, प्रथम सचिव, कोलम्बो

17. श्रीमती होमाय साहू, प्रथम सचिव, न्यूयार्क

18. श्रीमती जे० टियंगदो, प्रथम सचिव, ढाका

19. श्रीमती एन० ल्होउम, प्रथम सचिव, हवाना

20. कु० अनीता अय्यर, द्वितीय, सचिव, बीजिंग

21. श्रीमती मुक्ता डी० तोमर, द्वितीय सचिव, काठमाण्डू

22. कु० मोनिका कपिल, द्वितीय सचिव, पेरिस

23. कु० विजय ठाकुर, द्वितीय सचिव, मैड्रिड

24. श्रीमती नरेन्द्र चौहान, द्वितीय सचिव, टोकियो

25. श्रीमती रिवा गांगुली दास, तृतीय सचिव, मैड्रिड

26. कु० अरुणा सन्तवन, तृतीय सचिव रोम

27. कु० गायत्री इस्सर, तृतीय सचिव, लिस्बन

28. कु० रुचिर पाटनी, तृतीय सचिव, पेरिस

29. कु० संगीता बहादुर, तृतीय सचिव, मैड्रिड

केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यालय अधीक्षक का पद

5057. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों की भांति कार्यालय अधीक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालय कर्मचारियों को चयन ग्रेड प्रदान करने तथा एक ग्रेड विशेष में 12 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान देने के लिए कदम उठाए गए हैं; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसचिवालीय स्टाफ को सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सड़कों के निर्माण और मरम्मत की व्यापक योजना

5058. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सड़कों के निर्माण पर मरम्मत की कोई व्यापक योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई और गोआ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) संवैधानिक तौर पर भारत सरकार का मूलत: संबंध केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों से ही है। सरकार पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत का वित्त पोषण गैर-योजनागत निधियों से किया जाता है जिसके लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को एकमुश्त आबंटन किया जाता है, वे वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों को हाथ में लेते हैं।

भारत के विदेशी व्यापार में सहयोजित विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा कदाचार

5059. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश व्यापार में सहयोजित कुछ विदेशी नौवहन कम्पनियां सरकारी एजेंसियों सहित भारत के लेनदारों के बिलों का भुगतान किए बिना अपनी सुविधानुसार जब चाहें भारत में अपने संचालन कार्य बन्द कर देती हैं, जिससे न केवल इसके लेनदार संकट में पड़ जाते हैं बल्कि भारत को भी विदेशी मुद्रा की आय नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का नौवहन संचालन और नौवहन एजेंटों से संबंधित इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ऐसा कोई मामला भारतीय रिजर्व बैंक, अथवा नौवहन महानिदेशक अथवा जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) नौवहन एजेंटों के कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए सरकार ने नौवहन एजेंट (लाइसेंसिंग) विधेयक, 1987 पेश किया है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है।

अजन्ता गुफाओं का संरक्षण

5060. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजन्ता की गुफाओं में कुछ वर्षों से दीवारों से पानी रिसने के कारण तीसरी शताब्दी के मन्दिरों के विश्व विख्यात भीति चित्रों के तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अजन्ता गुफाओं को बचाने के लिए इनके संरक्षण और जीर्णोद्धार संबंधी कार्य आरम्भ किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसके कार्यान्वयन पर कितना समय लगने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं। अजन्ता गुफाओं की दीवारों के भिति चित्रों पर पानी का रिसाव नहीं हो रहा है और इसलिए उन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में जी० टी० रोड को मजबूत और चौड़ा करना

5061. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से आसनसोल और हावड़ा से होकर जाने वाली जी० टी० रोड का एक भाग खराब स्थिति में है;

(ख) क्या इस सड़क के गुजरने वाले भारी यातायात को देखते हुए इसे मजबूत बनाने और साथ ही कुछ स्थानों पर इसे चौड़ा करने के लिए वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना में कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह कार्य कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) आसनसोल और हावड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो जी० टी० रोड का अंग है, के खण्ड सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में है।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 1989-90 में शामिल कार्यों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन कार्यों की परियोजनाएं तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

वार्षिक योजना 1989-90

	लम्बाई कि०मी० में	अनुमानित लागत (लाख रु०)
1. एन० एच० 2 बाई पास के 667.5-668 और 645-649 कि०मी० के मौजूदा पैदल पथ को मजबूत बनाना	4.5	90.00
2. बर्दवान बाई पास के 586-587 कि०मी० 0-1 और 4-10 कि०मी० के 2 लेन वाले कमजोर पैदल पथ को मजबूत बनाना	8.0	120.00
3. 451-452, 453-453.6, 470-471 और 583-586 कि०मी० को मजबूत बनाना	5.6	56.00
4. बड़बड़ और दुर्गापुर में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सुधार	एल०एस०	100.00
5. मजबूत बनाने सहित 4 लेनों में चौड़ा करना		
(I) बिहार/पश्चिम बंगाल बार्डर से नूनिया ब्रिज	23	3523.00
(II) नूनिया ब्रिज—रानीगंज	14	2836.00

मध्य प्रदेश में रामतिल तिलहन की फसल

[हिन्दी]

5062. श्री के० एन० प्रधान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामतिल, मध्य प्रदेश के आदिवासी किसानों की मुख्य तिलहन फसल है;

(ख) यदि हां, तो इस फसल की खेती कितने क्षेत्र में की जाती है और इसका कितना उत्पादन होता है तथा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में इसका कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या सरकार ने इसके समर्थन मूल्य की घोषणा की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशों में रामतिल की मांग है और यदि हां, तो सरकार ने इसके निर्यात के क्या प्रबंध किए हैं; और

(ङ) क्या इस फसल की निर्यात सम्भावना को देखते हुए इस पर अनुसंधान किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, हां। अधिकांश रामतिल मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में उगाया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में रामतिल का उत्पादन और क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

वर्ष	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	उत्पादन (हजार मीटरी टनों में)
1985-86	227.8	49.2
1986-87	220.9	32.1
1987-88	218.3	44.1

राज्य में रामतिल के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होता है।

(ग) देश में अन्य तिलहनों की तुलना में रामतिल के छोटे क्षेत्र तथा उत्पादन को देखते हुए कोई समर्थन मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रामतिल की कड़ी प्रतिस्पर्धा है फिर भी भारत सरकार ने खुलेआम लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत रामतिल के निर्यात करने की अनुमति दी है।

(ङ) जी, हां।

कार्बामिट ग्रुप की कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन

[अनुवाद]

5063. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने मेथाइल आइसो साइनाइड जो भोपाल गैस कांड के बाद विश्व भर में भय का कारण बन गई थी का प्रयोग किए बिना कार्बामिट ग्रुप की कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन की नई विधि का हाल ही में पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तैयार की गई नई विधि का कोई परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और इस नई विधि के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन० सी० एल०) पुणे ने मिथाइल आइसोसाइनाइड और/अथवा फोसजीन का प्रयोग किए बिना ही कार्बमिट कीटनाशक दवा को तैयार करने की एक प्रक्रिया का विकास किया है।

(ख) जी नहीं। यह कार्य अभी तक एन० सी० एल० द्वारा केवल प्रयोगशाला के स्तर तक ही किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

बरचोना (उड़ीसा) में बौद्ध मठ की खुदाई का कार्य

5064. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उड़ीसा में कटक जिले के बरचोना क्षेत्र में सातवीं शताब्दी के बौद्ध मठ की खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कटक जिले के बरचोना क्षेत्र में बौद्ध-स्थल उदयगिरि पर खुदाई कार्य आरम्भ किए गए हैं।

(ख) उदयगिरि में 1985 में आरम्भ किए गए खुदाई कार्य 1989-90 तक जारी रहेंगे।

कीटनाशी दवाइयों का आयात

5065. **श्री दिनेश गोस्वामी** :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कीटनाशी दवाइयों की बढ़ती हुई मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी न हो पाने के कारण कीटनाशी दवाइयों का आयात करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न प्रकार की कीटनाशी दवाइयों का कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कीटनाशी दवाइयों का आयात निम्नलिखित कारणों से किया जाता है :

(1) कुछ कीटनाशी दवाइयों का स्वदेश में उत्पादन न किया जाना; अथवा

(2) स्वदेशी उत्पादन में कमी।

(ख) भारत में निर्मित न की जाने वाली कुछ कीटनाशी दवाइयों जैसे एल्ड्रिन, एट्राजाइन, अनिलोफोस, बैन्थिओकार्ब, क्लोरपाइरिफोस, कार्बोफ्यूरोन, एडीफेन्फोस, फोरमोथियोन का 1989-90 में आयात किए जाने की सम्भावना है; ऐसी कीटनाशी दवाइयों की तकनीकी ग्रेड की सामग्री के रूप में अनुमानित मांग लगभग 6500 मीटरी टन है।

बाल विकास के लिए संस्थान

5066. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में "बाल केन्द्रित शिक्षा" पर आयोजित की गई तीन दिवसीय विचार गोष्ठी में निर्णय के तौर पर बाल विकास के लिए तैयार की गई एक कार्य योजना में बाल विकास के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना किए जाने की सिफारिश की गई है ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्य किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) संगोष्ठी में भाग लेने वाले सहभोगियों द्वारा भी व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार संगोष्ठी में चर्चा के दौरान एक विशिष्ट सहभागी ने कारंवाई योजना के एक भाग के रूप में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय बाल विकास संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान शिशु शिक्षा और उसके विकास के क्षेत्र में निकट सहयोग से पहले ही कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सरकार किसी अन्य नए संस्थान की जरूरत महसूस नहीं करती।

ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से सम्बद्ध किया जाना

5067. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 26 जनवरी, 1989 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित यह समाचार देखा है जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायतों को जिन्हें अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में अधिक अच्छी जानकारी होती है, प्रायः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के बारे में किए गए मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में ग्रामीण लोगों की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं तैयार करने और कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन में ग्राम पंचायतों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इस बारे में कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. ग्राम पंचायतों द्वारा योजनायें बनाना तथा ग्राम समुदाय द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं को दर्शाना

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा पांडिचेरी में लगभग 96 प्रतिशत से 100% कार्य, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा राजस्थान में लगभग 91% से 95% कार्य, लक्षद्वीप में लगभग 87 प्रतिशत कार्य, चंडीगढ़ में 80 प्रतिशत कार्य तथा मिजोरम में 75 प्रतिशत कार्य, समुदाय द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं को दर्शा रहे थे।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में समुदाय की लगभग 93 से 100 प्रतिशत तक आवश्यकताओं का पता ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया था। तथापि, कर्नाटक, मेघालय और लक्षद्वीप में ऐसी आवश्यकताओं का मात्र 4 से 7 प्रतिशत का पता ग्राम सभा/पंचायतों द्वारा लगाया गया जबकि पांडिचेरी में ग्राम सभा/पंचायतों द्वारा किसी भी आवश्यकता का पता नहीं लगाया गया। महसूस की गई आवश्यकताओं का पता पंचायत समितियों द्वारा बिहार और उड़ीसा में लगभग 77 प्रतिशत, गुजरात और दिल्ली में 50 से 51 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में 22 से 30 प्रतिशत और महाराष्ट्र, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में 15 से 20 प्रतिशत तक लगाया गया। दूसरी तरफ, अधिकारियों (संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों सहित) ने मेघालय में लगभग 78 प्रतिशत मामलों, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, और लक्षद्वीप में 43 से 49 प्रतिशत मामलों, गुजरात और मिजोरम में क्रमश: 32 प्रतिशत और 30 प्रतिशत मामलों, आन्ध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में क्रमश: 22 प्रतिशत और 20 प्रतिशत मामलों और अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली में 6 से 15 प्रतिशत मामलों में आवश्यकताओं का पता लगाया गया।

तथापि, पांडिचेरी में सभी मामलों, असम में 53 प्रतिशत मामलों और अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में लगभग 47 प्रतिशत मामलों, तमिलनाडु में लगभग 33 प्रतिशत मामलों, मेघालय में लगभग 16 प्रतिशत मामलों, मिजोरम में 10 प्रतिशत मामलों में महसूस की गई आवश्यकताओं का पता दूसरों के द्वारा लगाया गया।

2. कार्यों का निष्पादन

ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्थान में लगभग 92 प्रतिशत कार्यों, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में लगभग 86 से 91 प्रतिशत कार्यों, तमिलनाडु में लगभग 78 प्रतिशत कार्यों और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में लगभग 71 प्रतिशत से 72 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन किया गया जबकि संबंधित विभागों ने चंडीगढ़ में सभी (100 प्रतिशत) कार्यों, कर्नाटक में 85 प्रतिशत कार्यों, गुजरात में 75 प्रतिशत कार्यों और लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश में क्रमश 67 प्रतिशत और 64 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन किया। जम्मू और कश्मीर में सभी कार्य और केरल तथा उड़ीसा में क्रमश: 93% तथा 90% कार्य लाभार्थी समितियों के जरिए निष्पादित किए गए जबकि आन्ध्र प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत कार्य उनके द्वारा निष्पादित किए गए। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य केवल कुछ ही मामलों में पाए गए अर्थात् उत्तर प्रदेश में लगभग 7 प्रतिशत कार्यों, मणिपुर में लगभग 5 प्रतिशत कार्यों, बिहार, महाराष्ट्र और मेघालय में 1 से 2 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन स्वैच्छिक

एजेंसियों के जरिए किया गया दूसरी तरफ, मिजोरम में लगभग 42 प्रतिशत कार्यों, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 36 प्रतिशत कार्यों, मणिपुर में लगभग 29 प्रतिशत कार्यों, उड़ीसा और पांडिचेरी में 7 से 8 प्रतिशत कार्यों और आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में से 5 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों द्वारा किया गया जो कि मार्गदर्शिकाओं के विरुद्ध था।

उपरोक्त एजेंसियों के अतिरिक्त कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यों का महत्वपूर्ण प्रतिशत दूसरी एजेंसियों जैसे खण्ड जिला परिषद आदि (आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं) द्वारा भी निष्पादित किया हुआ पाया गया। हरियाणा में लगभग सभी कार्य, असम और पांडिचेरी में 92 से 93 प्रतिशत कार्य, उत्तर प्रदेश में 67 प्रतिशत कार्य, मेघालय में लगभग 59 प्रतिशत कार्य, बिहार और मणिपुर में 42 से 49 प्रतिशत कार्य और लक्षद्वीप में लगभग 33 प्रतिशत कार्य दूसरी एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए गए।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए प्रावधान

[हिन्दी]

5068. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया;

(ख) सीमावर्ती जिलों में अब तक खर्च की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा यह धनराशि किन मदों पर खर्च की गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम को सीमावर्ती क्षेत्र शिक्षा विकास कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिए जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक सड़कों का निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इन सड़कों को पूरा करने के लिए सरकार की योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उपर्युक्त सीमावर्ती सड़कों का निर्माण रक्षा विभाग की धनराशि से करना चाहता है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। गृह मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। तत्पश्चात्, कार्यक्रम का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया गया था, चूंकि इसका अभिप्राय इसे उस शिक्षा तक सीमित करना था जो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए एक विवेचित निवेश था।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) शिक्षा विभाग द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार यह शिक्षा तथा सम्पूर्ण मानव संसाधन विकास पर केन्द्रित है। शिक्षा

विभाग द्वारा यथा कार्यान्वित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण करना शामिल नहीं है।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों को सभी सीमावर्ती खंडों/जिलों की आवश्यकताओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं। जिला-वार राशि संस्वीकृत नहीं की जाती है। वर्ष 1987-88 तथा वर्ष 1988-89 के दौरान चार सीमावर्ती राज्यों को मुक्त प्रशासनिक अनुमोदन की राशि तथा अनुदान निम्न प्रकार से है :—

	दी गई प्रशासनिक संस्वीकृति	मुक्त किए गए अनुदान
	(लाख रुपयों में)	
1987-88		
गुजरात	385.71	355.69
राजस्थान	849.91	738.17
पंजाब	859.75	523.95
जम्मू और काश्मीर	1558.19	882.19
कुल	3653.26	2500.00
1988-89		
गुजरात	544.00	520.00
राजस्थान	1238.00	722.47*
पंजाब	1744.00	920.00
जम्मू तथा काश्मीर	2543.00	2387.53
कुल	6069.00	4550.00

*इसके उर्मुल (यू० आर० एम० यू० एल०) ग्रामीण स्वास्थ्य तथा अनुसंधान न्यास, बीकानेर को मुक्त किए गए 11.04 लाख रुपये शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रयास राज्यों के शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के पूरक हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किए गए कार्यकलापों में नए स्कूलों को खोलना, भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, पीने के पानी तथा शौचालयों के रूप में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान, नए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा विद्यमान प्रौ० प्रशि० संस्थानों को सुदृढ़ बनाना, पालिटेक्नीकों को खोलना आदि शामिल है।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फल प्रसंस्करण एकक की स्थापना

[अनुवाद]

5069. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

प्रो० मधु दंडवते :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में फलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में कोई फल प्रसंस्करण एकक स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) किसी भी क्षेत्र में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करना कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा विभिन्न अवस्थापना संबंधी सुविधाओं पर निर्भर करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास कोंकण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में कोई फल तथा सब्जी प्रसस्करण यूनिट स्थापित करने विषयक कोई प्रस्ताव नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना

[हिन्दी]

5070. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 के दौरान जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार में कितने पिछड़े क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ख) इन जिलों में कितने व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बिहार तथा देश के अन्य राज्यों में जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले जिलों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

5071. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण किए जाने वाले मकानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण जारी रखने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) की एक उपयोजना है जो मूलतः एक रोजगार सृजन कार्यक्रम है। योजना के अन्तर्गत ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल दिया गया है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती भवन सामग्रियों अथवा श्रम का अधिक इस्तेमाल करके स्थानीय रूप से तैयार की जा सकने वाली सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत उपरोक्त नीतियों पर जोर दिए जाने से भवन सामग्री की मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण रख पाना सम्भव हो सका है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

5072. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बिहार में आवासीय मकानों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) दिसम्बर, 1988 तक ऐसे कितने मकानों का निर्माण किया गया; और

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जन दंन पुजारी) : (क) 1988-89 के दौरान योजना के अन्तर्गत बिहार को आवंटित निधियों से वर्ष के दौरान 19327 मकानों का निर्माण किया जा सकता है ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार योजना के अन्तर्गत राज्य में दिसम्बर, 1988 तक 9939 मकानों का निर्माण किया गया है ।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकार से कहा था कि 31 मार्च, 1989 तक उन सभी मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए, जिन्हें योजना के अन्तर्गत 1985-86 (इसके शुरू होने का वर्ष) से लेकर 1988-89 तक आवंटित निधियों से निर्माण किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय बीज बैंक

[अनुवाद]

5073. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय बीज बैंक खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विजयवाड़ा और नेल्लोर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का पुनर्निर्माण

5074. **श्री सी० सम्बु** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और नेल्लोर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने कितने पुल अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं;

(ख) क्या इस मार्ग पर पुराने पुलों के स्थान पर नये पुल बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में एन० एच०-5 पर नेल्लोर और विजयवाड़ा के बीच पड़ने वाले पुनर्निर्माण के लिए पता लगाए गए 20 पुलों में से 3 पुलों के प्राक्कलनों को हाल ही में संस्वीकृत किया गया है । इन सभी पुलों का पुनर्निर्माण सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान और बाद की योजनाओं के दौरान निधियों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध ढंग से किया जाना है ।

खानों में भर्ती पर प्रतिबन्ध

5075. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कितनी खानों में भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यह प्रतिबंध कब से कब तक लगाया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार स्थित खानों से यह प्रतिबंध हटाने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) सरकार ने इस्पात और खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के सरकारी उपक्रमों द्वारा संचालित खानों में कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए हैं। किन्तु, मंत्रालय के कुछ सरकारी उपक्रम आमतौर पर उन क्षेत्रों में नये लोगों को भर्ती न करने में स्वतः संयम बरत रहे हैं, जहां पहले से ही अधिक कामगार हैं।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बारे में सम्मेलन

5076. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिये फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाये जाने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई नई पहल करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) मध्य पूर्व के विषय में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव को अधिकाधिक समर्थन तो मिल रहा है परन्तु अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और यह जरूरी नहीं मानती कि इस संबंध में अलग से कोई पहल की जाए।

भारत में प्रकाशन उद्योग

5077. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक प्रकाशित करने के संबंध में भारत, विश्व में सातवें स्थान से 17वें स्थान पर आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) यूनेस्को सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक, 1987 के संस्करण अनुसार संसार में पुस्तक प्रकाशन में भारत की स्थिति 17वें स्थान पर है।

(ख) देश में पुस्तकों की प्रोन्नति के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि "जनसंख्या के सभी व्यक्तियों हेतु पुस्तकों को सुलभता से प्राप्त कराने के लिए प्रयास किए जायेंगे"। "पुस्तकों की कोटि, अध्ययन की आदत तथा सृजन लेखन को प्रोन्नत करने के उपाय किए जायेंगे। राष्ट्रीय पुस्तक नीति को तैयार करने के लिए सरकार ने 1985

में राष्ट्रीय पुस्तक नीति पर एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर पुस्तक प्रोन्नति के लिए सरकार ने कई निर्णय लिए।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना 1957 में उचित दर पर अध्ययन सामग्री निर्मित और बढ़ाने तथा जनता के बीच पुस्तक प्रवृति विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तक प्रोन्नति हेतु कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय पुस्तक नीति तैयार करने के पश्चात् (I) "आपरेशन ब्लेक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत बच्चों के लिए तथा (II) नव-साक्षरों के लिए पुस्तक निर्माण की नई योजनायें तैयार की गई हैं।

कीटनाशक नीति की समीक्षा

5070. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :**

श्री विजय एन० पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित "कीटनाशक की समस्यायें तथा विकल्प" संबंधी नेशनल कोर ग्रुप की बैठक में कीटनाशक विशेषज्ञों ने कीटनाशक नीति की सम्पूर्ण समीक्षा करने को कहा है तथा बताया है कि प्रयोग में लाई जा रही अधिकांश कीटनाशक औषधियां प्रमुख कीटों का नाश करने में असफल रही है और इनसे केवल लोगो के स्वास्थ्य को खतरा ही बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वोलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा "कीटनाशक की समस्या और विकल्प" विषय पर नेशनल कोर ग्रुप की अभी हाल ही में आयोजित बैठक में महसूस किया गया कि कीटनाशक बहुत से कृमियों पर नियंत्रण करने में असफल रहे हैं जिससे किसानों को कष्ट हुआ है और इसलिए देश को कीटनाशी दवाइयों के बिना खेती को कायम रखने के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस कथित बैठक में बहुत अधिक विषाक्त और खतरनाक जैव रसायनिक कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से होने वाले खतरों और हानि के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है।

(ख) सरकार ने कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 बनाया है ताकि मनुष्यों और जानवरों को जोखिम से बचाया जा सके और उससे संबंधित मामले निपटाये जा सकें। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देश में कीटनाशी दवाइयों के आयात किए जाने अथवा निर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि इस प्रयोजन के लिए इनका पंजीकरण न किया गया हो। देश में किसी कीटनाशक को तभी पंजीकृत किया जाता है जबकि आंकड़ों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के संबंध संतुष्टि कर ली गई हो। पंजीकरण किए जाने के समय कीटनाशी दवा के सुरक्षित और उचित अनुरक्षण तथा उपयोग की पैकेज पद्धतियां भी निर्धारित की जाती हैं। देश में उपयोग की जा रही कीटनाशी दवाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि भविष्य में उनके सतत् उपयोग, इस्तेमाल को सीमित करने, पूर्ण प्रतिबंध लगाने अथवा चरणबद्ध तरीके से इन्हें बंद किए जाने आदि के बारे में निर्णय लिया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

5079. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सभा में खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना के लिये कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) क्या अन्य कंपनियों/प्रतिष्ठानों ने भी इस संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा किए गए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विश्वविद्यालय तथा कालेज के प्राध्यापकों को तदर्थ सेवा का लाभ दिया जाना

5080. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्व विद्यालय ने हाल ही में कोई ऐसा निर्णय किया है कि प्राध्यापक को विश्वविद्यालय/कालेज की सेवा में स्थाई रूप से शामिल कर लिये जाने पर उसे, उसके द्वारा की गई तदर्थ सेवा का लाभ भी दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की सेवा का लाभ पेंशन के मामले में भी दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) तदर्थ सेवा न तो अस्थायी है और न ही नियमित।

पंचायती राज प्रणाली

5081. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांव, तालुका और जिला स्तरों पर पंचायती राज के संबंध में हुई राज्यों के मुख्य सचिवों की पिछली बैठक में क्या सिफारिशें की गई;

(ख) क्या संविधान में कोई संशोधन करने का सुझाव दिया गया था यदि हां, तो क्या ठोस सुझाव दिए गए हैं और संविधान में संशोधन करने संबंधी सुझाव के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस समय विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव संबंधी कानून

प्रक्रियाएं और नियम भिन्न-भिन्न हैं यदि हां, तो इस संबंध में देश में एक समानता लाने के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण को सुचारु और उन्हें प्रभावी बनाने की दृष्टि से उनके चुनाव नियमित समय पर कराने के लिए भी कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पंचायती राज और जिला आयोजना पर जिला मेजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिवों का सम्मेलन 30 जुलाई, 1988 को आयोजित किया गया था। सचिवों के सम्मेलन में जिन मुद्दों पर आम राय उभरी, वे निम्नलिखित हैं :—

1. यह आवश्यक और वांछनीय दोनों है कि पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाए ।
2. आयोजना निचले स्तर से शुरू होनी चाहिए ।
3. एक सामान्य नमूने के रूप में पंचायती राज का एक त्रिस्तरीय ढांचा उपयुक्त है। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों, जम्मू और कश्मीर और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है ।
4. विकास आयोजना और प्रशासन के केन्द्र बिन्दू को एक ओर गांवों से और दूसरी ओर जिलों, जो कि लोगों में सहभागिता की भावना पैदा करने में उनके इतने निकट नहीं है, से हटा कर खण्डों में स्थानान्तरित करने में लाभ है ।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर चुनावों को छोड़कर खण्ड और पंचायतों के लिए चुनाव दलीय आधार पर हो सकते हैं ।
6. हालांकि आयोजना संबंधी निर्णय और निगरानी कार्य निर्वाचित प्रतिनिधियों पर छोड़ा जाना चाहिए, परन्तु कार्यकारी उत्तरदायित्व जिलाधीश और उसके अधिकारियों की टीम के पास निहित होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जिलाधीश प्रशासन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप कार्य कर सकता है ।
7. प्रशासन के विकास संबंधी नियंत्रक पहलू अलग नहीं किए जाने चाहिए। जिले में एक केन्द्र बिन्दु होना चाहिए जो दोनों पहलूओं को देखे। जिलाधीश को केन्द्र बिन्दु होना चाहिए और उसे स्थानीय निकाय का एक कर्मचारी बनाकर इस अवस्था में उसकी स्वतंत्र स्थिति से समझौता नहीं किया जाना चाहिए ।
8. कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा न केवल सीटों के आरक्षण की नीति के जरिए वरन् कुछ वित्तीय आवंटन के निर्धारण क जरिए भी की जानी चाहिए ।
9. स्थानीय निकायों को उन्हें सौंपे गए कार्यों के बराबर ही वित्तीय और संगठनात्मक संसाधन दिए जाने चाहिए ।
10. पंचायती राज और जिला आयोजना पर सामने आए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए

एक राजनीतिक सर्वसम्मत्ति की आवश्यकता है । इस मुद्दे पर राजनीतिक आम राय के आधार पर संवैधानिक संशोधन भी किया जा सकता है ।

स्थानीय स्वशासी ईकाई होने की वजह से पंचायती राज संस्थाएं संविधान के अन्तर्गत राज्य सूची में हैं । मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों और लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर सभी संघशासित प्रदेशों में अलग-अलग शक्तियों और कार्यों वाली पंचायती राज पद्धतियां हैं । पंचायत निकायों के चुनाव कराने और उनके कार्यों की प्रक्रिया और नियम उन राज्यों के कानूनों में निहित हैं ।

मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में परम्परागत परिषदें/ग्राम परिषदें हैं । पांडिचेरी में यद्यपि पंचायती राज्य अधिनियम 1974 में अस्तित्व में आया था लेकिन इसे अभी लागू किया जाना है । लक्षद्वीप में पंचायती राज अधिनियम अभी हाल में ही पारित हुआ है और इसके अन्तर्गत नियम बनाए जा रहे हैं ।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दे रही है कि पंचायती राज निकायों के समय पर चुनाव करवाए जाएं और उन्हें पर्याप्त अधिकार और कार्य सौंपे जाएं ताकि वे विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का सशक्त माध्यम बन सकें । विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी तथा कृषि मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिनमें विभिन्न पंचायती राज निकायों के चुनाव नियमित रूप से करवाने के लिए कहा गया है ।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना

5082. श्री बी० कृष्ण राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या भारत में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर तीन गुणा करने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) और (ख) भारत के पास अपना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की काफी क्षमता है। देश में अप्रयुक्त उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से कई विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार;

(2) क्षेत्र की प्रति इकाई उर्वरक खपत में वृद्धि करना;

(3) अधिक उपज देने वाली बौनी तथा संकर किस्मों की फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करना;

(4) उन्नत प्रौद्योगिकी तथा पैकेज पद्धतियों को अपनाना;

(5) भूमि का गहन उपयोग करना तथा दोहरी और बहु-फसलीय पद्धति अपनाकर सस्यगत, क्षेत्र में वृद्धि करना;

(6) उन्नत उपकरणों और मशीनरियों का इस्तेमाल;

(7) समेकित कीट नियन्त्रण उपाय;

(8) सस्ती ऋण सुविधाएं;

(9) खेतों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के उद्देश्य से विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करना; और

(10) प्रभावी मूल्य एवं विपणन समर्थन।

चन्देरी में "सिंहपुर पैलेस" का संरक्षण

[हिन्दी]

5083. श्री महेन्द्र सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के गुना जिले में चन्देरी स्थित "सिंहपुर पैलेस" संग्रहालय के संरक्षण के लिये कितनी धनराशि मंजूर और खर्च की गई है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति न्यास के विशेषज्ञों की राय में धनराशि अकाल्पनिक बिना सोचे विचारे तरीके खर्च की गई है और इससे "सिंहपुर पैलेस" का मूल आकार ही बिगड़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष को तुरन्त रोकने और इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत 4.5 लाख रुपये की राशि में से 4 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति न्यास द्वारा अभिव्यक्त राय से सहमत नहीं हैं। जो कार्य किया गया है वह ठीक है और यह किसी महल में स्थापित स्थल संग्रहालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया गया है। प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त और गुप्त बिजली की व्यवस्था की गई है उसको छोड़कर कोई बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया गया है और इन उपायों से किसी भी रूप में इस महल की मूल वास्तुकला को कोई आघात अथवा बाधा नहीं पहुंचती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के बस-किरायों में वृद्धि का प्रस्ताव

5084. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली बसों के किरायों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फरवरी, 1986 में भी किरायों में वृद्धि की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या यात्री किराये में वृद्धि करने के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम को उस वर्ष और उसके बाद के वर्षों में भी घाटा हुआ था; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम के घाटों पर नियंत्रण के लिये कार्य क्षमता में वृद्धि करने, वहां व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने, अनियमितताओं को दूर करने और प्रशासनिक व्यय में कमी करने हेतु क्या उपाय किये हैं; और

(च) इन उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार तथा घाटों में कटौती करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने भाड़ों में संशोधन और उसे युक्तिसगत बनाने का प्रस्ताव किया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) फरवरी, 1986 में भाड़े में संशोधन से घाटे में कमी आई किन्तु वह प्रचालन खर्च में बाद में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था । दिल्ली परिवहन निगम को 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 तथा 1988-89 में (दिसम्बर, 1988 तक) प्रचालन घाटों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

(करोड़ रु०)

84-85	85-86	86-87	87-88	88-89
66.83	77.73	38.63	45.96	44.13

(दिसम्बर, 88 तक अनन्तिम)

(ङ) और (च) कार्य कुशलता बढ़ाने तथा खर्च में कमी करने के लिए सतत आधार पर उठाए गए कदमों में कम्प्यूटरीकरण, मितव्ययिता उपायों को अपनाने, टायर की बेहतर आयु, वाहनों के अनुरक्षण और रखरखाव, ईंधन संरक्षण, रूट को युक्तिसंगत बनाकर वस्तुसूची नियंत्रण करना शामिल है । इन उपायों से 1987-88 के दौरान लागत में 6 करोड़ रुपए और 1988-89 के दौरान लगभग 10 करोड़ रुपए की कमी करने में मदद मिली है ।

खाद्यान्न उत्पादन के लिए धनराशि

[अनुवाद]

5086. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ख) यह धनराशि किन विशिष्ट मदों पर खर्च की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1987-88 और 1988-89 के दौरान भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन के लिए विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 10,485.00 लाख रुपए और 28.201.15 लाख रुपये निर्मुक्त किए थे ।

(ख) फसल की आवश्यकताओं और मृदा तथा कृषि-वातावरण परिस्थितियों के आधार पर आदानों जैसे एच० वाई० वी० बीजों, उर्वरकों, कृमिनाशी, खरपतवार नाशी, उपस्कर, मृदा सुधारक

आदि के उपयोग के लिए मुख्यतः किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राशियां खर्च की गयी। इसके अतिरिक्त इन फसलों में उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण अनुकूली परीक्षणों, मिनिकिट परीक्षणों फार्म प्रदर्शनों आदि के लिए भी निधियां व्यय को गयी थीं।

गुवाहाटी में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग का एक मंडल कार्यालय खोलना

5087. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनवरी 1982 में असम सरकार को सूचित किया था कि उसका गुवाहाटी में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग का एक मंडल कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय खोलने की दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) अप्रैल, 1982 में, असम राज्य सरकार के अनुरोध पर, खान विभाग ने दिसपुर में (असम हेतु) भारतीय भू-सर्वेक्षण का एक सर्किल कार्यालय खोलने की इच्छा प्रकट की थी। तदनुसार, असम राज्य सरकार से आधारभूत सुविधायें यथा, कार्यालय काम्पलेक्स और कुछ आवासी मकानों के निर्माण हेतु भूखण्ड सुलभ कराने का अनुरोध किया गया था। कई अनुरोधों के बावजूद, इस प्रयोजन हेतु सरकारी भूमि अभी तक सुलभ नहीं की गई है। तथापि, असम सरकार को दिए गए आश्वासन को देखते हुए, गुवाहाटी में एक छोटी इमारत किराए पर लेकर अक्तूबर, 1986 में भारतीय भू-सर्वेक्षण का सर्किल कार्यालय खोल दिया गया है।

सोवियत संघ में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

5088. श्री पी० एम० सईद : क्या विदेश मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सोवियत संघ में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में निष्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र जिसने 2 मार्च, 1989 से मास्को में कार्य करना आरम्भ कर दिया है, संगीत कला और योग का प्रशिक्षण देकर, हिन्दी सीखाकर और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में संगीत कार्यक्रमों, व्याख्यान, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करके भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।

(ग) इस केन्द्र पर वित्तीय वर्ष 1988-89 में लगभग पांच लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

दुधारू पशुओं का विकास

5089. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने डेयरी विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर वर्ष 1970 से अब तक कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) क्या भैंस और अन्य पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई धनराशि में से काफी धनराशि दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों में लगा दी गई थी;

(ग) क्या उनमें से अधिकांश संयंत्र अनुदान में मिलने वाले दुग्ध चूर्ण का आयात बन्द किए जाने के कारण दूध की कमी होने के कारण अपनी निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं; और

(घ) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भैंस जैसे दुधारू पशुओं के विकास हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत वर्ष 1970 से फरवरी, 1989 तक 739.49 करोड़ रुपए (अस्थाई) राशि आबंटित की गई।

(ख) आपरेशन फ्लड, जो इस समय अपने तृतीय चरण में है, का मूल उद्देश्य किसानों को उन सहकारी समितियों को जो उत्पादक सदस्यों के द्वारा ही बनायी एवं नियंत्रित की जाती है, की स्थापना करके और दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन आदि के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मुहैया करके दुग्ध उत्पादकों को शहरी मंडी से जोड़ना रहा है। इस कार्यक्रम को वित्त फन्डिंग एजेंसियों और भारत सरकार के साथ हुए समझौते और विशिष्ट कार्य मदों के अनुसार दिया जाता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के दौरान, धनराशि का पुन: आबंटन कार्य मदों के भीतर ही धनराशि के उपयोग, उसकी वास्तविक प्रगति आदि की दर के आधार पर कार्य अवधि के दौरान सुधार के रूप मे किया गया। ऐसे सुधार इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए आवश्यक हैं।

(ग) इस परियोजना क्षेत्र में जनवरी, 1989 में दुग्ध संयंत्रों के उपयोग की औसत क्षमता कुल मिलाकर करीब 86 प्रतिशत थी और 34 दुग्धशालाओं में उपयोग क्षमता से अधिक हो गया।

(घ) देश में पशुधन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रस्तावित नीतियां नीचे दी गई हैं :—

(1) विदेशी डेरियों के पशुओं की नस्लों के साथ अज्ञात पशुओं का संकर प्रजनन तथा मूल इलाकों में स्थापित स्वदेशी नस्ल के पशुओं के संकर प्रजनन को टालना;

(2) संकर नस्ल के पशुओं में चुनिन्दा प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ़ करना;

(3) दूध, भारवाही और दोहरे प्रयोजन वाले स्वदेशी नस्ल के पशुओं और भैंसों का विकास;

(4) चुनिन्दा प्रजनन के जरिए भैंसों का सुधार।

कीटों पर जैविकीय नियंत्रण

5090 श्री पी० आर० कुमारमंगलम :
श्री विजय एन० पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अन्य विकसित देशों की तरह भारत भी बिना कीटनाशकों के प्रयोग किए कृषि उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है;

(ख) जैविक नियंत्रण तथा पादप मूल के कीटनाशकों जैसे अन्य उपभोगी वैकल्पिक उपायों का ब्योरा क्या है जिनका विकास और परीक्षण किया जा रहा है;

(ग) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गहन अनुसंधान और विकास के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार का कीटनाशकों पर राजसहायता दिया जाना बन्द करने तथा उस राशि का उपयोग वैकल्पिक उपायों के लिये अनुसंधान और विकास हेतु करने का है; और

(ङ) क्या उपयोगी सिद्ध हुए वैकल्पिक उपायों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कीटनाशकों को खुली लाइसेंस नीति की सूची से हटाये जाने का भी प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार द्वारा समर्थित समेकित कीट प्रबंध का उद्देश्य पौध संरक्षण उपाय के रूप में कीटनाशियों के उपयोग पर निर्भरता कम करना है।

(ख) जैव नियंत्रण विधि में परजीवी और परभक्षियों के संरक्षण तथा संवर्धन के जरिए, तथा फंगस वाइरस तथा गोल कृमियों आदि जैसे अन्य जैव नियंत्रण ऐजेंटों के उपयोग के जरिए कीट नियंत्रण की व्यवस्था है। परजीवियों, रोगजनकों तथा परभक्षियों के जरिए कीटों के जैव नियंत्रण की सफलताओं के कुछ उदाहरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पौध मूल के दो कृमिनाशी अर्थात तम्बाकू के पौधों से निकाला जाने वाला निकोटीन सल्फेट तथा क्राइसैंथियम फूलों से निकाला जाने वाला पाइरेथ्रिन्स भारत में क्रमशः माहू, चीचड़ी व माइट, तथा घरेलू कीटों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए विनिर्माण हेतु पहले ही पंजीकृत हैं।

(ग) चूंकि इन क्षेत्रों में अनुसंधान एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः कोई विशेष समय-सारणी निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

भारत में फसल कीटों तथा खर-पतवारों के जैव नियंत्रण के कुछ सफल उदाहरण

फसल/खर-पतवार	कीट	क्षमताशील परजीवी, परभक्षी तथा पाइथोफेंगस कीट	
1	2	3	4
गन्ना	पाइरीला	एपरीकेनिया टैट्रास्टिकस	
	छेदक	ट्राइकोग्रामा	(4 प्रजातियां)
	स्केल इन्सैक्ट	किलोकोरिस	
		फेरोसाईमनस	
		स्टिकोलोटिस	

1	2	3	4
कपास	वालवोर्म	ट्राइकोग्रामा	(3 प्रजातियां)
		ब्रेकन, केलोनस	
		क्राइसोपा	
चावल	तना छेदक	ट्राइकोग्रामा	(3 प्रजातियां)
	पत्ता पुटक	ट्राइकोग्रामा	(3 प्रजातियां)
	पत्ता टिड्डा और		
	पेड़ टिड्डा	सिरटोरिनस	
मक्का	तना छेदक	ट्राइकोग्रामा	(2 प्रजातियां)
सोरघम	तना छेदक	ट्राइकोग्रामा	(2 प्रजातियां)
अरंडी	कटवार्म	टेलेनस	
चना व अरहर	फली छेदक	यूसेलेटोरिया	
		केलोनस	
		ब्रेकन	
		ट्राइकोग्रामा	(3 प्रजातियां)
		न्यूकलियर पालीडेड्रोसिस वायरस	
टमाटर	फल छेदक	यूसेलेटोरिया	
		केलोनस	
		ब्रेकन	
		ट्राइकोग्रामा	(3 प्रजातियां)
		न्यूकलियर पालीडेड्रोसिन वायरस	
सेब	सेन जीस स्केल	एनकेरसिया	
		एफिटिस	
		किलोकोरिस	
	वूली एफिड	ऐफेलिनस	
	कीडलिंग मोथ	ट्राइकोग्रामा	(2 प्रजातियां)
नारियल	काले सिरे वाली	ब्रेकन	
	सूंडी	इतेसमस	
		ट्राइकोस्पिलस	
		पेरासिरोला	
वाटर हायसिंथ	—	न्यूकेटिना	(2 प्रजातियां)
सालवीनिया	—	सिरटबिगस	
पेराथिनियम	—	आइगोग्रामा	

परियोजना संबंधी सामान के परिवहन में अनियमिततायें

5091. श्री सोमजी भाई डामर :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में परियोजना संबंधी सामान की ढुलाई में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दो परिवहन कम्पनियों को 2.5 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करने के बारे में भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिन्हें आंवला स्थित उर्वरक संयंत्र तक परियोजना संबंधी सामान की ढुलाई का ठेका दिया गया था ।

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) "इफको" के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भुगतान के ब्यौरे निकालने में कुछ विसंगतियां पाई गई थीं। विशेषकर आंवला परियोजना को माल की ढुलाई में लगे हुए दो ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के सम्बन्ध में इन विसंगतियों की जांच और समाधान अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) उपरोक्त जांच और समाधान पूर्ण होने के पश्चात् ही कार्यवाही यदि कोई हो, की जाएगी ।

समन्वित बाल विकास योजना की उपलब्धियां

[हिन्दी]

5092. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई सफलताओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) समेकित बाल विकास सेवाएं (आई० सी० डी० एस०) योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये)
1987-87	89.01
1987-88	146.99
1988-89	171.65

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समेकित बाल विकास सेवा योजना की उपलब्धियां :—

1571 समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं से प्राप्त दिसम्बर 1988 की रिपोर्ट के अनुसार 1,61,765 आंगनवाड़ियां 124.16 लाख बच्चों (0.6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान कर रही हैं जबकि 1,67,788 आंगनवाड़ियां 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के 5..86 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर रही हैं।

2. कुछ स्वतन्त्र मूल्यांकन अध्ययनों से भी गुणवत्ता की दृष्टि से ठोस परिणाम सामने आए हैं। इन अध्ययनों से पता चला है कि :—

(1) अति कुपोषण के मामलों में काफी हद तक कमी आई है।

(2) अत्यधिक महत्वपूर्ण आयु वर्ग अर्थात् 0-3 वर्ष की आयु के लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या किसी भी पूर्ववर्ती बाल कल्याण कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है, 3 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 45% बच्चे पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे हैं।

(3) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०) परियोजना क्षेत्रों में रोग प्रतिरोधन टीके लगवाने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है। कभी-कभी यह संख्या गैर-आई० सी० डी० एस० क्षेत्र के बच्चों की संख्या की तुलना में तीन से चार गुना अधिक होती है।

(4) समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजना क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर तथा जन्मदर में कमी तथा परिवार-नियोजन को अधिक संख्या में लोगों द्वारा अपनाए जाने का पता चला है, जैसा कि संक्षेप में नीचे बताया गया है :—

मद	आई० सी० डी० एस० क्षेत्रों के आंकड़े	राष्ट्रीय (एस० आर० एम०) आंकड़े
शिशु मृत्यु दर (1987)	82.6	95.0
जन्म दर 1981	24.2	33.3
गर्भ धारण करने वाली महिलाओं की दर (1981)	1.8	2.8

(5) अन्य अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं—जैसे जन्म के समय बच्चों के भार में वृद्धि, रोग प्रतिरोधन के कारण विकलांगता की अधिक रोकथाम, विटामिन "ए" की कमी तथा रक्तक्षीणता (एनीमिया) की रोकथाम।

पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए योजनाएं

5093. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पशुओं की नस्ल में सुधार संबंधी योजनाओं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में पशुधन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा आठवीं योजना अवधि के दौरान क्या नीति अपनाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) देश में गोपशुओं और भैंसों की नस्ल में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और इन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान देश में पशुधन की वृद्धि की गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रस्तावित नीतियां नीचे दी गई हैं :—

(1) अज्ञात नस्ल के गोपशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन करवाना और उन स्वदेशी भूखंडों में जहां स्वदेशी नस्लें कारगर हैं, संकर प्रजनन को रोकना।

(2) संतति परीक्षित सांडों का उपयोग करके संकर प्रजनित गोपशुओं में चुनिंदा प्रजनन कार्यक्रम सुदृढ़ करना, ताकि अन्ततः देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त संकर प्रजनित पशुओं की नस्लें विकसित हो सकें।

(3) दूध, भारवाही और दोहरे प्रकार के उद्देश्य के लिए देशी नस्लों के गोपशुओं और भैंसों का विकास करना।

(4) चुनिंदा प्रजनन के द्वारा भैंसों का सुधार करना।

विवरण

योजना का नाम	(लाख रुपये में) धनराशि
1	2
1. आपरेशन फ्लड-2 के बाहर गोपशुओं और भैंसों के विकास के लिए हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार	345.18
2. परीक्षित प्रमाणित सांडों का उत्पादन करने के लिए समन्वित पशु प्रजनन और संतति परीक्षण/कार्यक्रम	67.45
3. देशी नस्ल के गोपशुओं और भैंसों का विकास	59.18

1	2
4. उन्नत गुणवत्ता वाली देशीय/संकर प्रजनित ओसरों का उत्पादन करने के लिए चुनिंदा गोशालाओं की सहायता	66.78
5. केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना का विस्तार	71.39
6. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म	694.62
7. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, बंगलौर	55.91
8. संतति परीक्षण योजना पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना	46.48
9. गोपशुओं के बारे में परियोजना निदेशालय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना	201.42
	1608.41

राजस्थान को सूखा राहत सहायता

5094. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का मौके पर अध्ययन के लिए अक्तूबर, 1987 में राजस्थान का दौरा किया था और रोजगार तथा सूखा राहत कार्यों के लिए 195 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने 7.50 रुपया औसत दैनिक मजदूरी के आधार पर राजस्थान के लिए केवल 137 करोड़ रुपये मंजूर किए जबकि वास्तव में औसत दैनिक मजदूरी 10.50 रुपये है;

(ग) क्या इस संबंध में राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया था;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को 58 करोड़ रुपये की शेष धनराशि के भुगतान में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की इस धनराशि का भुगतान कब तक कर देगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा अक्तूबर, 1987 में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के जवाब में एक केन्द्रीय दल ने 11 से 14 नवम्बर, 1987 तक इस राज्य का दौरा किया। उस दल की रिपोर्ट तथा उस पर उच्च स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर सूखा राहत के अन्तर्गत रोजगार पैदा करने के कार्यों के लिए नवम्बर, 1987 से मार्च, 1988 के लिए 137 करोड़ रुपये तथा अप्रैल से जून, 1988 की अवधि के लिए 77.50 करोड़ रुपये की अधिकतम व्यय सीमा अनुमोदित की गई थी।

(ग) से (ङ) रोजगार पैदा करने के कार्यक्रम के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता के वास्ते राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पूरक ज्ञापन तथा उस पर उच्च स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल से जुलाई, 1988 की अवधि के लिए 40.08 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अधिकतम व्यय सीमा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है, ताकि 1988 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून आने तक रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा सकें।

सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

[अनुवाद]

5095. श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सेंसर बोर्ड का पूर्णतः पुनर्गठन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिलहन और दाल थोक व्यापारियों की समस्या

5096. श्रीमती बसवाराजेश्वरी :
श्री शांति लाल पटेल :
श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन और दालों के थोक व्यापारियों को बाजार में इनकी भरमार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का उनकी समस्या हल करने हेतु उनकी कोई सहायता करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे लोहे के आयात को गैर-सरणीबद्ध करना

5097. श्रीमती बसवाराजेश्वरी :
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे के उपभोक्ताओं ने कच्चे लोहे के आयात के गैर-सरणीबद्ध किए जाने के बारे में सरकार को विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी अन्य एजेन्सी ने भी गैर-सरणीबद्ध किए जाने का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ङ) कच्चे लोहे के कई उपभोक्ता यह महसूस करते हैं कि यदि कच्चे लोहे को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया जाता है, तो कच्चे लोहे के अधिकांश उपभोक्ता जो लघु क्षेत्र में हैं, उन्हें समस्याएं हो जाएंगी क्योंकि उनके पास कच्चे लोहे का सीधा निर्यात करने के लिए अवस्थापना नहीं है। इस समय कच्चे लोहे के निर्यातों को गैर-सरणीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दालों का मूल्य

5098. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी फसल होने की पूरी सम्भावना और बिक्री के लिए रबी की भारी फसल तैयार हो जाने के बावजूद दालों के मूल्य में पर्याप्त गिरावट आने के आसार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार दालों के मूल्य कम करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो दालों के मूल्य कितने कम हो जाने की आशा है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1988-89 के दौरान दालों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण 22 अक्तूबर, 1988 और 11 मार्च, 1989 के बीच दोनों के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट रिकार्ड की गई है।

(ग) और (घ) दालों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार आम खुला लाइसेंस के अन्तर्गत दालों के आयात की नीति भी जारी रख रही है।

हानिकारक कीटनाशी दवाओं का आयात

5099. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कपास की फसल के लिए 50 करोड़ रुपये मूल्य के सी० आई० एफ० की चार कीटनाशी दवाओं मेथोइल, ट्राइजोफॉस, फ्लुवॉलिनेट और फेन प्रो पर्थारिन का आयात किया गया है;

(ख) क्या इन चार कीटनाशी दवाओं में से पहली दो कीटनाशी दवाएं अत्यन्त जहरीली हैं और उन्हें बिना सरकारी पर्यवेक्षण के नहीं छिड़का जाना चाहिए;

(ग) क्या ये सभी आवश्यक कीटनाशी दवाएं भारत में तैयार की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी ब्रांड की इन कीटनाशी दवाओं के आयात पर रोक लगाने का है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों के लिए मेथोमिल, ट्रायजोफास, फ्लूवालिनेट तथा फेन्प्रोपाथिन नामक चार नई कीटनाशी दवाइयों के आयातों का मूल्य लगभग 3.2 करोड़ रुपये है।

(ख) मेथोमिल तथा ट्रायजोफास क्रमश: अति अधिक तथा अधिक विषाक्त कीटनाशी दवाइयां हैं, इसलिए सरकारी पर्यवेक्षण में ही इनके छिड़काव की अनुमति दी गई है।

(ग) इनमें से किसी भी कीटनाशी दवा की तकनीकी ग्रेड की सामग्री का उत्पादन भारत में नहीं होता।

(घ) इन चार कीटनाशी दवाइयों में से फ्लूवालिनेट को अब कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) के अन्तर्गत नियमित आधार पर प्रयोग के लिए पंजीकृत किया गया है, जबकि फेन्प्रोपाथिन तथा ट्रायजोफास धारा 9(3ख) के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर पंजीकृत हैं। इसलिए, इनका आयात भारत सरकार की आयात और निर्यात नीति के उपबन्धों द्वारा शासित है। जहां तक मेथोमिल का संबंध है, 28.2.89 तक इसके केवल एक समय के आयात की अनुमति दी गई थी।

नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

5100. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां स्थापित किए जायेंगे तथा इनका अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन नए एककों द्वारा पूरी क्षमता पर कार्य आरम्भ करने से देश उर्वरकों की मांग की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेगा तथा उर्वरकों के आयात में कितनी कमी आएगी ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) आठवीं योजना (1990-95) के दौरान देश में स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता के निर्धारण के लिए प्रक्रिया चल रही है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और योजना दस्तावेज को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक नए उर्वरकों की संख्या, उनके स्थान तथा क्षमता के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(ग) देश के उर्वरक उत्पादक एकक देश की नाइट्रोजनयुक्त तथा फोस्फेटिक उर्वरकों की अधिकांश अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों की अनुमानित मांग तथा स्वदेशी उपलब्धि के बीच के अन्तर को आयातों से पूरा किया जाता है। तथापि, पोटासिक उर्वरकों की अपेक्षाओं को पूर्णत: आयातों से पूरा किया जाता है क्योंकि देश में इस सामग्री के कोई ज्ञात स्रोत नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के विकास के लिये किया गया कार्य

[हिन्दी]

5101. श्री कुंवर राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बिहार में शिक्षा के विकास के लिए किए जा रहे कार्य का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों की मदद से अपने शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किए जा रहे प्रबन्धों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितम्बर, 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, ताकि विविध साधनों के माध्यम से अध्ययन और ज्ञान को प्रोन्नत तथा प्रसारित किया जा सके जिसमें जनसंख्या के विशाल वर्गों के लिए उच्च शिक्षा के वास्ते अवसर प्रदान करने के लिए किसी संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामान्यतया मुक्त विश्वविद्यालय तथा सुदूर शिक्षा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और ऐसी पद्धतियों में मानकों को निर्धारित करने के लिए समुदाय की शैक्षिक कुशलता को प्रोन्नत करना शामिल है।

समूचा भारत विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्यों के अनुसरण में अनेक शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें बिहार सहित देश के विभिन्न भागों से लगभग 50,000 छात्रों को नामांकित किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अब तक समूचे राष्ट्र में 118 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं जिनका उद्देश्य सलाह मशवरा देना अथवा छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करना है। इनमें बिहार के पटना, जमशेदपुर, धनबाद, मुजफ्फरपुर, रांची तथा भागलपुर में छः अध्ययन केन्द्र शामिल हैं।

(ख) पटना, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना क्रमशः पटना, बिहार तथा भागलपुर के राज्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से की गई है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा विदेशी शिपयार्डों से जलपोत प्राप्त करना

[अनुवाद]

5102. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने रोमानिया और पूर्वी जर्मनी के शिपयार्डों से जलपोत प्राप्त किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ये जलपोत दोषपूर्ण पाये गए थे और निगम को अभी भी अनुबंध के मूल्य का 10 करोड़ रुपये का भुगतान करना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) इन जहाजों में कुछ कमियां पाई गई थीं। शिपयार्ड को ठेके की पूरी कीमत का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और कोई राशि बकाया नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कार्यदल

5103. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित एक नई विधि तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए कार्य दलों का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये कार्य दल किस प्रकार कार्य करेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (घ) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए कार्यदल गठित किए जाते हैं। कार्यदल पिछले कार्य-निष्पादन, वृद्धि दर, प्राप्त की गई उत्पादकता का स्तर तथा सिंचाई सुविधा, उर्वरक बीज आदि सहित आदानों की उपलब्धता जैसे अन्य संगत घटकों को ध्यान में रखकर कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की भी सिफारिश करते हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु 20 कार्यदल गठित किए गए हैं। कार्यदल कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन कार्यक्रम, विभिन्न आदानों, मांग एवं पूर्ति के अनुमानों, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा व विस्तार आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। कार्यदलों को उनके लिए निर्धारित विचारार्थ विषयों तथा समय ढांचे के अनुसार कार्य करना होता है।

कृषि पर आधारित उद्योग

5104. श्री पी० पेंचालैया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन से जुड़े हुए औद्योगिक एककों में रोजगार पैदा करने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

खेसरी दाल के स्थान पर वैकल्पिक फसल उगाना

5105. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेसरी दाल की खेती पर लगाए गए प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार शुष्क भूमि में उगाई जाने वाली वैकल्पिक फसलों के लिए किसानों की सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) असम और उत्तर प्रदेश राज्यों ने खेसरी दाल की खेती करने पर रोक लगा दी है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने अभी इसकी खेती करने पर रोक नहीं लगाई है। मध्य प्रदेश और बिहार ने इसकी खेती को शुष्क भूमि परिस्थितियों के लिए अनुकूल अन्य दलहन और तिलहन फसलों से प्रतिस्थापित करने के लिए कदम उठाये हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण

[हिन्दी]

5106. **श्री गंगाराम :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों में छठी कक्षा में कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और इनमें से प्रत्येक विद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आरक्षण के विहित अनुसार प्रवेश दिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय के लिए अधिकांश नए दाखिलों के लिए प्रवेश प्वाइंट केवल श्रेणी-I से है जहां 15% और 7½% स्थान क्रमशः अ० जा० और अ० ज० जा० के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। कक्षा II और इससे ऊपर की कक्षाओं में सीटें, कुछ सीटों को छोड़कर पदोन्नति द्वारा भरी जाती है, जो संयोग से रिक्त होती है इन स्थानों के लिए प्रवेश दाखिला परीक्षा संचालित करने के बाद विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है। अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्र दाखिल किए जाते हैं, यदि ये दाखिला परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और उनके लिए स्थान उपलब्ध हों।

विवरण

दिल्ली क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में 1988-89 के दौरान कक्षा VI में दाखिल छात्रों की संख्या और इनमें प्रत्येक विद्यालय में अ० जा० और अ० ज० जा० के छात्रों की संख्या

क्र० सं०	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	वर्ष 1988-89 के दौरान कक्षा VI में दाखिल छात्रों की कुल संख्या	वर्ष 1988-89 के दौरान कक्षा VI में दाखिल किए गए अ. जा./अ.ज.जा. के छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	सं० नं० 1 दिल्ली कैंट	शून्य	शून्य
2.	सं० नं० II दिल्ली कैंट	शून्य	शून्य
3.	नं० III दिल्ली कैंट	शून्य	शून्य
4.	सी० आर० पी० एफ० झड़ोदाकलां	शून्य	शून्य
5.	अंडयूजगंज, नई दिल्ली	5	शून्य
6.	लारेंस रोड,	2	शून्य
7.	टैगोर गार्डन, नई दिल्ली	3	शून्य
8.	गोल मार्किट, नई दिल्ली	1	शून्य
9.	न्यू महरौली रोड, जे० एन० यू०	4	शून्य
10.	आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली	5	1
11.	एन० टी० पी० सी०, बदरपुर, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
12.	मस्जिद, मोठ, नई दिल्ली	6	शून्य
13.	एस० पी० मार्ग, नई दिल्ली	1	शून्य
14.	घोघा, बवाना, 67 एस० क्यू० एन० ए०	शून्य	शून्य
	एफ०, 56 ए० पी० ओ०	शून्य	शून्य
15.	ए० जी० सी० आर० कालोनी, दिल्ली	5	शून्य
16.	आर० के० पुरम, सं० 2, नई दिल्ली	3	1
17.	आर० के० पुरम, सं० 4, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
18.	आर० के० पुरम, सं० 8, नई दिल्ली	6	शून्य
19.	शालीमार बाग, दिल्ली	2	शून्य
20.	ए० एफ० एस० तुगलकाबाद, नई दिल्ली	1	शून्य

1	2	3	4
21.	पुष्प बिहार, नई दिल्ली	1	शून्य
22.	ए० एफ० एस० अरजेनगढ़, नई दिल्ली	9	शून्य
23.	प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली	11	शून्य
24.	विज्ञान विहार, दिल्ली	19	1
25.	जनकपुरी, नई दिल्ली	1	शून्य
26.	पीतमपुरा, नई दिल्ली	4	1
27.	सैनिक विहार	6	शून्य
28.	छावला कैंप, नई दिल्ली	5	शून्य
29.	विकासपुरी, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
30.	झज्जर, रोहतक, हरियाणा	शून्य	शून्य
31.	ए० एफ० एस० गुड़गांव, हरियाणा	1	शून्य
32.	ए० एफ० एस० सं० 1, हिंडन, गाजियाबाद	शून्य	शून्य
33.	ए० एफ० एस० सं० 2, हिंडन, गाजियाबाद	10	शून्य
34.	सं० 1 फरीदाबाद, हरियाणा	8	शून्य
35.	सं० 2 फरीदाबाद, हरियाणा	शून्य	शून्य
36.	ओ० एफ० मुरादनगर, गाजियाबाद	7	शून्य
37.	पंजाब लाइन्स, मेरठ कैंट	शून्य	शून्य
38.	डोगरा लाइन्स मेरठ कैन्ट	शून्य	शून्य
39.	सिख लाइन्स मेरठ कैन्ट	शून्य	शून्य
40.	नोएडा, गाजियाबाद (यू० पी०)	5	शून्य
41.	बुलन्दशहर	शून्य	शून्य
42.	पलवल, हरियाणा	शून्य	शून्य
43.	विशेष के० वी०, गाजियाबाद	39	17
44.	ए० एफ० एस० दादरी, गाजियाबाद	3	1
45.	चांदीनगर, 60 एस० क्यू० एन० केयर आफ० 56 ए० पी० ओ०	2	शून्य
46.	नाहरा, सोनीपत, हरियाणा	5	शून्य
47.	बाबूगढ़, जिला हापुड़	26	3
48.	ए० एफ० एस०, राजोकरी, नई दिल्ली	37	2

तिब्बत से शरणार्थियों का भारत में प्रवेश

[अनुवाद]

5187. श्री शरद दिघे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तिब्बत में हाल ही के जन-विद्रोह के बारे में रिपोर्टों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) क्या तिब्बत में मार्शल ला के कारण भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने प्रवेश किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार को ल्हासा में व्यापक प्रदर्शनों और उपद्रवों के खबरों की जानकारी है। ऐसी खबरें हैं कि ल्हासा में लोग मारे गए हैं और वहां मार्शल लॉ की घोषणा की गई है। चूंकि तिब्बत की सीमाएं जो चीन के एक स्वायत्त प्रदेश है, भारत के साथ लगती है और हमारे उसके साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं, अतः हाल ही की घटनाओं पर भारत की चिंता स्वाभाविक है।

(ख) हाल ही के सप्ताहों और महीनों में तिब्बत से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का भारत आने का पता नहीं चला।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना

5108. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञता प्राप्त करने पर अधिक जोर देता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं और इस योजना की शेष अवधि के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) सातवीं योजना काल के दौरान विशेषीकरण की प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए प्रयासों के एक भाग के रूप में, आयोग ने उभरते क्षेत्रों जैसे जैव-प्रौद्योगिकी, वातावरण संबंधी विज्ञान इलक्ट्रानिक्स, समुद्र विज्ञान, सामग्री विज्ञान पर्यावरणिक विज्ञान, संगणक अनुप्रयोग आदि में पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए कदम उठाए हैं। आयोग ने दिल्ली में एक नाभकीय विज्ञान केन्द्र तथा पूणे में विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों को सामान्य सुविधायें देने के लिए ज्योतिष गणित व खगोल भौतिकी में एक अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किया है।

झींगा मछली पकड़ना

5109. श्री टी० बाला गौड़ : क्या कृषि मंत्री आन्ध्र प्रदेश के तट पर झींगा मछली पकड़ने के बारे में 1 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2852 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर झींगा मछली पकड़ने में सफलता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई निगरानी का ब्यौरा क्या है और इस कार्य में किस एजेंसी को लगाया गया है; और

(ग) दक्षिण पश्चिम तट पर झींगा मछली पकड़ने में असफल रहने अथवा अपेक्षित संख्या में मछलियां न पकड़े जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड में कर्मचारियों का अभ्यावेदन

5111. डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बोर्ड में कर्मचारियों को कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड की संरचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की नियमावली में शासी बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

शासी बोर्ड की संरचना

संगठन के निम्न सदस्य शासी बोर्ड में होंगे :—

1. संगठन के अध्यक्ष

2. भारत सरकार द्वारा उपसभापति पद के लिए निर्दिष्ट अधिकारी।

3. शिक्षा और युवक सेवा मन्त्रालय का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि।

4. रक्षा मन्त्रालय का प्रतिनिधि।

5. मुख्य कल्याण अधिकारी, कार्मिक मंत्रालय।

6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निदेशक या उसका प्रतिनिधि।

7. एक जन शिक्षा निदेशक, या राज्य सरकार का शिक्षा निदेशक जिसे संगठन के सदस्य के रूप में भारत सरकार के शिक्षा और युवा सेवा मन्त्रालय में नामित किया है ।

8. राज्य सरकार का एक शिक्षा सचिव जिसे संगठन के सदस्य के रूप में भारत सरकार ने शिक्षा और युवा सेवा मन्त्रालय में नामित किया है ।

9. संगठन के एक या एक से अधिक सदस्य जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए शिक्षा और युवा सेवा मन्त्रालय में नामित किया जा सके ।

10. एक सांसद जो संगठन का भी सदस्य है, इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा शिक्षा और युवा सेवा मन्त्रालय में नामित किया जाएगा ।

11. संगठन के आयुक्त ।

12. उपायुक्त (प्रशासन) और संगठन के पदेन सचिव ।

अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें

5112. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ वेतन आयोग ने देश और विदेश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) चतुर्थ वेतन आयोग ने और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की सिफारिश की है ताकि केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

(ख) सरकार को और अधिक केन्द्रीय विद्यालयों की आवश्यकता की पहले से जानकारी है । वर्ष 1985 तक खोले गए 499 केन्द्रीय विद्यालयों के मुकाबले, पिछले 4 वर्षों के दौरान, 230 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	क्षेत्र		कुल	
	नागरिक रक्षा		उच्च अध्ययन की परियोजना/संस्थाएं	
1985-86	06	26	09	41
1986-87	49	32	14	95
1987-88	30	17	05	52
1988-89	18	13	11	42
	103	88	39	230

तथापि नए विद्यालय प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता पर खोले जाएंगे बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

केरल में मुख्य केन्द्रीय मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

5113. श्री टी० बशीर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम से अंगमल्ली तक के मुख्य केन्द्रीय मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, वित्तीय कठिनाई अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं हुआ है।

केरल में तिलहन अनुसंधान केन्द्र

5114. श्री टी० बशीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में कोई तिलहन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब स्थापित किया गया और इसके लिए कितनी एकड़ भूमि अर्जित की गई;

(ग) क्या उक्त केन्द्र के विस्तार के लिए योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, केवल तिलहनों पर अनुसंधान करने के लिए अलग से किसी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत एक नये अनुसंधान केन्द्र की स्थापना केरल कृषि विश्वविद्यालय के तहत की गई है जो मूंगफली और तिल पर कार्य करेगा। यह केन्द्र वेल्लायनी में 1.8.1987 से स्थापित किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की लम्बित परियोजनाएं

[हिन्दी]

5115. श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल और कुमायूं विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध डिग्री कालेजों की विधिवत स्वीकृत कुछ परियोजनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ये कब से लम्बित पड़ी है और इन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 2 कालेजों अर्थात (i) एम० बी० राजकीय डिग्री कालेज, हलद्वानी नैनीताल, और (ii) राजकीय पी० जी० कालेज रानीखेत, अल्मोड़ा, से सातवीं योजना अवधि में स्नातकोत्तर विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए 20.3.1989 को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ये दोनों कालेज कुमायूं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय केन्द्र

5116. **श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों को हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और लोहाघाट स्थित डिग्री कालेजों में खोलने का प्रस्ताव था;

(ग) यदि हां, तो क्या ये केन्द्र वहां खोल दिये गये है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों को कब तक खोलने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) इं० गां० रा० मु० वि० अधिनियम, 198 में सलाह-परामर्श या छात्रों को आवश्यक सहायता देने के लिए अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें **किसी भी क्षेत्र के अध्ययन केन्द्र के कार्य के निरीक्षण और समन्वय हेतु क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। सामान्यतः क्षेत्रीय केन्द्र/अध्ययन केन्द्र उन कालेजों/शैक्षिक संस्थानों में खोले जाते हैं, जहां पर राज्य सरकारों द्वारा आवास का प्रबंध किया जाता है।**

उत्तर प्रदेश में अभी तक 16 अध्ययन केन्द्र खोले गए हैं जिनमें एक हल्द्वानी में है। अल्मोड़ा में शीघ्र ही एक अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाना है। परन्तु नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और लोहाघाट में अध्ययन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ में स्थापित किया गया है।

आंध्र प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय दर्जा

[अनुवाद]

5117. **श्री सुलैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के पश्चात् इंदिरागांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया पहला मुक्त विश्वविद्यालय है;

(ख) क्या इससे पूर्व आंध्र प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय आरम्भ किया गया था;

(ग) क्या उपरोक्त आंध्र मुक्त विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 अपनाने से पहले इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सितम्बर, 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था ।

(ख) जी, हां । 1982 में ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय राज्य विधायी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था और इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का स्थानान्तरण

5118. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 23 फरवरी, 1989 को जनता से आवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बंगलौर से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बंगलौर ने केवल डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए और 23 फरवरी, 1989 की शाम को लोगों को पासपोर्ट भी जारी किए थे ।

(ख) सरकार को यह खबर मिली है कि 22 फरवरी, 1989 को लगभग 50 लोग क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के कार्यालय में घुस आए और पासपोर्ट अधिकारी को धमकाया तथा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया । अगले दिन भी तनाव बना रहा और कर्मचारियों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की । काउंटर क्लर्क काउंटर पर आवेदन पत्र लेने से डर रहे थे क्योंकि ऐसा करने से पासपोर्टों तथा आवेदन पत्रों को नुकसान पहुंचने/गुम होने का डर था और कर्मचारियों ने 23.2.89 को अपने-अपने केबिनों के अन्दर बैठकर काम किया ।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बंगलौर से हटाकर कहीं और ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कर्नाटक में छोटे स्टेडियमों के निर्माण हेतु दी गई धन-राशि

5119. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक में छोटे स्टेडियमों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) मार्च, 1989 तक कितने स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक को स्टेडियमों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में निम्नलिखित राशि दी गई है :—

	परियोजना	मंजूर की गई राशि	दी गई राशि
1.	विद्यानन्द गुरुकुल शिक्षा ट्रस्ट, रायचुर में स्टेडियम	0·5 लाख रुपये	0·25 लाख रुपये
2.	चिकमंगलूर में इंडोर स्टेडियम	9·90 लाख रुपये	4·95 लाख रुपये
	कुल :	10 40 लाख रुपये	5.20 लाख रुपये

(ख) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की है।

कर्नाटक को उर्वरकों की सप्लाई

5120. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या कर्नाटक में उर्वरक खपत में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1989-90 के दौरान कर्नाटक को पोटेशियम उर्वरकों की सप्लाई किए जाने को सुनिश्चित करेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1989-90 के दौरान कर्नाटक में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य उर्वरक रूपी पोषक तत्व (एन+पी+के) का 7.50 लाख मीटरी टन है।

(ख) कर्नाटक में 1988-89 के दौरान उर्वरकों की अनुमानित खपत 7.39 लाख मी० टन है, जो पिछले वर्ष की खपत की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत अधिक है।

(ग) प्रत्येक राज्य की उर्वरक की मांग का प्रत्येक फसल मौसम के लिए मूल्यांकन किया जाता है और समग्र मांग उपलब्ध कराई जाती है।

आस्ट्रेलिया और तुर्की को छर्रों का निर्यात

5121. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्मित छर्रों के निर्यात के लिए आस्ट्रेलिया और तुर्की के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनका कितनी मात्रा में निर्यात किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड इस समय अन्य किन-किन देशों को छर्रों का निर्यात कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इन दोनों देशों को लगभग 5-7 लाख टन लोह अयस्क पैलेटों का निर्यात किए जाने की सम्भावना है।

(ग) आस्ट्रेलिया और टर्की के अतिरिक्त हंगरी, इंडोनेशिया, पश्चिमी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, उत्तरी कोरिया, कतार, अमरीका, ताइवान, मलेशिया और इराक को भी कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी लि० द्वारा पैलेटों का निर्यात किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की कमी

5122. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की दिल्ली से बाहर कमी होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों के उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों की सप्लाई में सुधार लाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां। वर्ष 1988-89 में शिकायतें थी।

(ख) और (ग) रा० शै० अनु० प्र० परि० की पाठ्यपुस्तकों को वितरण सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, पटना और हैदराबाद स्थित इसके बिक्री केन्द्रों के जरिए किया जाता है। रा० शै० अनु० प्र० परि० ने वर्ष 1987-88 के दौरान प्रायोगिक आधार पर दिल्ली में अपने प्रकाशन के वितरण के लिए थोक-बिक्री एजेन्ट नियुक्त किए। अब पांच और शहरों अर्थात् भोपाल, जम्मू, बंगलौर, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में थोक-बिक्री एजेंट को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। परिषद का अन्य महत्वपूर्ण शहरों में ऐसे थोक-बिक्री एजेंटों के नेटवर्क को विस्तृत करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के० वी० सं०) सहित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के० मा० शि० बो०) से सम्बद्ध स्कूलों को यह सलाह दी गई है कि वे रा० शै० अनु० प्र० परि० के सभी प्रकाशन नई दिल्ली स्थित रा० शै० अनु० प्र० परि० के मुख्यालय से सीधे ही प्राप्त करें। इन उपायों से अब उम्मीद है कि पाठ्य पुस्तकों की कोई कमी नहीं होगी।

पंजाब में प्रौढ़ शिक्षा की उपलब्धियां

5123. **श्री कमल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विशेषकर होशियारपुर जिले में निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के, विशेषकर होशियारपुर जिले में, कितने लोगों को शिक्षित किया गया; और

(ग) होशियारपुर जिले और पंजाब के अन्य जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) पंजाब राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (प्रौ० शि० के०) तथा जन शिक्षण निलायम (ज० शि० नि०) के नेटवर्क द्वारा चलाए जा रहे हैं। जबकि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यात्मक साक्षरता, संख्यावाचक तथा राष्ट्रीय हित के विकासात्मक कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता प्रदान करता है, जन शिक्षण निलायम का उद्देश्य सतत् शिक्षा को प्रोन्नत करना है। इस कार्यक्रम के लिए लक्षित दल में ग्रामीण तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के किशोरों को अग्रता देकर 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल किया गया है। 1988-89 के दौरान राज्य के 4366 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 156240 प्रौढ़ निरक्षरों को नामांकित किया गया। होशियारपुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की तदनुरूपी संख्या और नामांकन क्रमश: 298 और 9445 थी। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा नामांकित शिक्षुओं की कुल संख्या में से 96% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। राज्य तथा होशियारपुर जिले में अनुसूचित जाति के लाभ भोगियों की संख्या क्रमश: 69484 व 6549 थी, जो कुल संख्या का 30 प्रतिशत तथा 69 प्रतिशत है।

गायों का आयात

5124. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी यूरोप से गायों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को आयात की गई गायों की सप्लाई के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारत जर्मन संघीय गणराज्य द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत जर्मन संघीय गणराज्य से 1986-87 के दौरान 800 ओसरें तथा 80 सांडों तथा 1988-89 के दौरान और 200 ओसरों का आयात किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने "बर्ल्ड इन हारमनी" के जरिए भी एच० आर० एच० प्रिंसेस इरेने से 100 ओसरों को जर्मन संघीय गणराज्य से उपहार स्वरूप प्राप्त किया।

(ग) कुछ चुनी गई संस्थाओं के अलावा, ये आयातित ओसरें जर्मन व्यवहार्यता अध्ययन दल की सिफारिशों तथा शीतोष्ण जलवायु, इन क्षेत्रों में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की मौजूदगी तथा किसानों के होल्सटीन-फ्रेजियन पशुओं के साथ संकर प्रजनन में किसानों के अनुभव जैसे मानदण्डों के आधार पर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के तथा कर्नाटक में कोलार एवं बंगलौर जिलों के किसानों को बेची गई थीं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता

5125. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1988-89 के दौरान कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है तथा सातवीं योजना की शेष अवधि में इन उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1989-90 में 1.60 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान किया गया है।

त्रिभाषा सूत्र को बदलना

5126. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार किए गए सूत्र के अन्तर्गत उल्लिखित दूसरी भारतीय भाषा के अन्तर्गत हिन्दी भाषी राज्यों/क्षेत्रों में हाल ही तक संस्कृत का अध्ययन जारी था;

(ख) यदि हां, तो त्रिभाषा सूत्र को बदलने और "दूसरी भारतीय भाषा" वाक्यांश को दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा" के रूप में बदलकर संस्कृत को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत के अध्ययन को शामिल किया जायेगा विशेष रूप से जबकि वर्ष 1968 के शिक्षा नीति संबंधी संकल्प में उल्लेख में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारों को सेकेण्डरी स्तर पर वर्ष 1961 में निरूपित त्रिभाषा सूत्र को अपनाना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) स्वतंत्रता से अब तक स्कूलों में भाषाओं के शिक्षण के मामले पर विभिन्न मंचों पर विचार किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में उल्लिखित त्रिभाषा सूत्र में पहले बनाए गए विभिन्न सूत्रों को संश्लेषित करके यह बताया गया कि माध्यमिक स्तर पर, राज्य सरकारों को ऐसे त्रिभाषा सूत्र को, जिसमें हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक भाषा का अध्ययन और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के साथ हिन्दी का अध्ययन शामिल हों, उसे अपनाना तथा तत्परता से कार्यान्वित

करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के शिक्षण के बारे में इस प्रावधान का समर्थन किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इसके साथ साथ त्रिभाषा सूत्र को विश्वसनीय रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को हमेशा सिफारिश की है। सभी राज्यों ने, सिद्धांत रूप में, त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया है सिवाय तमिलनाडु के, जो दो भाषा सूत्र का कार्यान्वियन कर रहा है। तथापि, कुछ राज्य इस सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत के अध्ययन का प्रस्ताव करते रहे हैं।

(ग) वर्ष 1968 तथा 1986 की शिक्षा नीतियों में वर्ष 1961 में यथा उल्लिखित भाषाओं के अध्ययनों की योजना का कोई हवाला नहीं दिया गया है। सरकार का यह विचार रहा है कि स्कूलों में भाषाओं का शिक्षण राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित त्रिभाषा सूत्र द्वारा विनियमित होना चाहिए।

चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

5127. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के बारे में 1 सितम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4861 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित शिक्षकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर और दिनांक 3 नवम्बर, 1987 को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण तथा संशोधन पर किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त वेतनमानों को लागू कर दिया है अथवा दिनांक 31 मार्च, 1989 से लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ग) सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दोरान शेष राज्यों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा संशोधित इन सिफारिशों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संघशासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में कार्यरत स्कूल शिक्षकों के वेतनमानों को 12.8.87 को संशोधित किया गया है। संघ शासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा संशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए 3.11.87 को आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर दिए गए थे। ये वेतनमान राज्यों में कार्यरत शिक्षकों के लिए लागू नहीं हैं।

राज्यों के शिक्षकों के लिए, सरकार की यह राय है कि वेतनमानों तथा सम्बन्धित सेवा शर्तों में आवधिक संशोधन करने के लिए उनका अपना एक तंत्र है। यह संबधित राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने शिक्षकों के लिए लागू वेतनमानों को उपयुक्त रूप से संशोधित करें। राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कारंवाई करने के लिए रा० श० आ०-1 की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। राज्यों से कोई पुर्नंनिवेश प्राप्त नहीं हुआ है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल सम्बन्धी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करना

5128. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के बारे में 1 सितम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4670 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल संबंधी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सातवीं योजना अवधि में पूरा करने हेतु कुछ अन्य परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं में से अब तक 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ख) जी, हां। 1.9.88 से 6.4.89 तक की अवधि के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टल, उनके स्थान और होस्टलों की क्षमता को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल सम्बन्धी परियोजनाओं का निर्माण कार्य

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना का स्थान	क्षमता: कामकाजी महिलाएं	क्षमता: दिवस देखभाल केन्द्र में बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	ए. पी. वूमैन्स कापरेटिव फाइनांस कारपोरेशन लि० हैदराबाद	अनन्तपुर	51	—
2.	—तदैव	एलरू	57	—
3.	— तदैव	खम्माम	34	—
4.	—तदैव	महबूब नगर	54	—
5.	—तदैव	राजमुंद्री	54	—
6.	—तदैव	विशाखापट्नम	57	—
7.	— तदैव	विजयनगरम्	57	—
8.	वासवया महिला मंडली विजयवाडा	विजयवाडा	25	—
	अरुणाचल प्रदेश			
9.	परियोजना कार्यान्वयन समिति तवंग	तवंग	33	—
	बिहार			
10.	तिलयू महिला मंडल, रोहतास	रोहतास	40	—

1	2	3	4	5
11.	स्वरोजगार महिला समिति, मिथिला	मधुबनी	30	30
12.	बनवासी सेवा केन्द्र, रोहतास	नवाहाटा	48	—
	गुजरात			
13.	महिला मंडल मेहसाना	मेहसाना	36	—
	कर्नाटक			
14.	कर्नाटक ग्रामीण, निर्धन और विकलांग महिला विकास समिति, बंगलौर	बंगलौर	30	—
	केरल			
15.	रोटरी क्लब आफ पालघाट, पालघाट	पालघाट	35	20
16.	जय महिला समाजम, कोट्टायम		54	30
17.	विमला महिला समाजम अरनाकुलम	इदुक्की	:3	30
18.	युवा महिला क्रिश्चियन समिति पथनामथिता	पथनामथिता	38	10
19.	अथुरा सेवा संघम्, कोट्टायम	इदुक्की	131	30
20.	युवा महिला क्रिश्चियन समिति, पथनामथिता	कोनी	26	10
	मध्य प्रदेश			
21.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हारदा	हारदा	48	—
22	भारतीय रेड क्रास सोसायटी, भोपाल	भोपाल	136	20
23.	नगर पालिका परिषद, निवाड़ी जिला टीकमगढ़	निवाड़ी	22	—
24.	नगरपालिका परिषद, बायतुल	बायतुल	63	—
25.	महिला समिति, रीवा	रीवा	30	—
26.	भारतीय रेड क्रास सोसायटी, इन्दौर	इन्दौर	51	—

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
27.	आदर्श आश्रम नासिक	नासिक	80	20
28.	महिला मंडल, वदंक, चिपलन रत्नागिरि	चिपलन रत्नागिरि	50	20
29.	पीपल्स एजूकेशन सोसाइटी, औरंगाबाद	औरंगाबाद	100	—
30.	रचना ट्रस्ट नासिक	नासिक	74	—
31.	शिवाजी शिक्षण प्रसारक, मंडल गढ़चिरोली	गढ़चिरोली	42	—
32.	श्री शारदा देवी महिला, मंडल, अमरावती	शिराला अमरावत	20	10
33.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, लतूर अहमदपुर, लतूर	लतूर	51	10
34.	शिक्षण महेश्वरी डा० पंजाबराव देशमुख प्रतिष्ठान बुलदाना	बुलदाना	50	16
35.	समता दर्शन, औरंगाबाद	औरंगाबाद	36	—
36.	अन्नपूर्णा महिला मंडल, दादर, बम्बई	दादर बम्बई	60	20
37.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	पुणे	144	—
	नागालैण्ड			
38.	नागालैण्ड चिल्ड्रन होम, दीमापुर	दीमापुर	56	—
39.	डेवलेपमेंट एसोशिएशन आफ नागालैण्ड दीमापुर	दीमापुर	70	—
	उड़ीसा			
40.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, पुरी	पुरी	80	—
41.	तलचर अंगुर मेरा मुंडली रीजनल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अंगुल	अंगुल धनकलन	66	20
	पंजाब			
42.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, संगरूर, संगरूर		99	20
	राजस्थान			
43.	श्री आर्य विद्यापीठ सोसाइटी, भूसावर,	भूसावर	30	—

1	2	3	4	5
44.	नगरपालिका परिषद, बलूतरा बारमेर	बलूतरा	50	20
	तमिलनाडू			
45.	अथुरा सेवा संघम, कोट्टायम केरल पश्चिम बंगाल	कोयम्बटूर	174	30
46.	जलपाईगुडी म्यूसपीलिटी, जलपाईगुडी	जलपाईगुडी	40	20
47.	टेगोर सोसाइटी फार ग्रामीण विकास-रथबलिया 24 परगना	24 परगना	50	20
48.	दुर्गापुर नगर निगम, दुर्गापुर	दुर्गापुर	120	26
49.	सत्या भारती कलकत्ता	नाबग्राम हुगली	28	—
50.	ग्राम सेवा संघ, हतुबा, हरबा	24 परगना	32	20
51.	पश्चिम बंगाल-नारी-और शिशु कल्याण संघस्था, कलकत्ता	कलकत्ता	14[illegible]	30
			3058	482

1.9.88 को उत्तर दिए गए लोक सभा प्रश्न संख्या 4670 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण में क्रम सं० 15, 74 और 81 के सामने उल्लिखित कमल कृष्ण एजूकेशन सोसायटी, बंगलौर, रचना ट्रस्ट, नासिक और टोटल रूरल अपलिस्ट एन्डीदर बरसा की परियोजनाएं बाद में रद्द कर दी गई थीं।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष का दौरा

5129. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (ग) क्या फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में भारत का दौरा किया गया था यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या भारत सरकार पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिये प्रयत्नशील है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने यह मांग की है कि इजरायल को लेबनान में स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों पर आक्रमण करना बन्द करना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी हां। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष यासिर अराफात 9 और 10 मार्च, 1989 को भारत

की यात्रा पर आये थे। उन्होंने अधिकृत प्रदेशों की स्थिति के संबंध में बताया और यह भी बताया कि मध्यपूर्व संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन शीघ्र बुलाने के उद्देश्य से व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने की दशा में उन्होंने क्या प्रयत्न किए हैं। उन्होंने भारत सरकार की इस बात के लिए सराहना की कि उसने फिलिस्तीनी लक्ष्य की सिद्धि के लिए निरन्तर समर्थन दिया है और नवगठित फिलस्तीनी राज्य को उसने तत्परतापूर्वक मान्यता प्रदान की। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि फिलीस्तीन के शीघ्र और न्यायोचित समाधान की कोशिशों में भारत निरन्तर दृढ़तापूर्वक समर्थन देता रहेगा।

(ख) हम संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते है जिसमें संबंधित पक्षों की पूरी भागीदारी हो जिनमें फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन भी बराबरी के आधार पर और फिलिस्तीन के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो और जिसमें फिलिस्तीन की समस्या के न्यायोचित और स्थायी समाधान के लिए विचार-विमर्श किया जाए।

(ग) और (घ) लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर इजरायल की तरफ से बार-बार किये जाने वाले हमलों को लेकर भारत सरकार चिन्तित रही है। भारत उन संयुक्त राष्ट्र संकल्पों का समर्थन करता रहा है जिनमें लेबनान से इजरायली सेनाओं की पूर्ण वापसी की मांग की गई है। हाल ही में, सितम्बर, 1988 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक में पारित संकल्प में भी यह मांग दोहरायी गई है और इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से यह भी कहा गया है कि लेबनानी शरणार्थी शिविरों के सभी असैनिकों को इजरायल के आक्रमणों से बचाने का सुनिश्चय करने के लिए भी वह कार्रवाई करे।

सूरजमुखी के संकर बीजों का आयात

5130 श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान सूरजमुखी के संकर बीजों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किस दर से इसका आयात किया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य को किये गये वितरण के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस संकर बीज से आधार बीज तैयार करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ङ) संबधित राज्य सरकारों से मांगी गई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

यमुनापार क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज

[हिन्दी]

5131. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में कालेजों की संख्या उक्त क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुये बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कुछ और कालेज खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का वहां दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्वी परिसर खोलने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) ट्रांस यमुना क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 कालेज हैं। अगले शैक्षिक सत्र के दौरान इस क्षेत्र में एक अन्य कालेज खोला जाएगा दिल्ली के कालेजों में दाखिला केवल उस स्थान/क्षेत्र के निवासियों तक ही सीमित नहीं है, जिनमें कालेज स्थित है।

(ग) दिल्ली में विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का निर्णय लिया है।

त्रिवेन्द्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय की स्थापना

[अनुवाद]

5132. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम में प्रस्तावित विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी और केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता का अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के निकट केन्द्रीय विद्यालय

5133. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला संयंत्र के प्रबन्ध मंडल ने राउरकेला में एक परियोजना स्कूल खोलने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन से अनुरोध किया था जिसे अन्ततः वर्ष 1983 में खोल दिया गया था;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र प्राधिकरण ने अप्रैल, 1987 में कक्षा एक और कक्षा-दो में दाखिला न देने का एक तरफा निर्णय लिया था और स्कूल के लिये वित्तीय व्यवस्था न देने की भी धमकी दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस विद्यालय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) जी, हां। राउरकेला स्टील प्लांट स्थित केन्द्रीय विद्यालय ने शैक्षिक सत्र 1982-83 में काम करना आरम्भ कर दिया।

केन्द्रीय विद्यालय राउरकेला की परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किया गया था और इस विद्यालय का सारा आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय राउरकेला स्टील प्लांट प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है जिसने स्कूल को प्रायोजित किया था। आगे इस खर्च को वहन न करने की उनकी असमर्थता को ध्यान में रखते हुए इस केन्द्रीय विद्यालय को चरणबद्ध रूप में बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

उड़ीसा को सूखा राहत सहायता

5134. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई वैकल्पिक फसलों के लिए उच्च पैदावार वाली बीजों को किस्में सहित नई प्रौद्योगिकी के लिए आदान सरकार अथवा स्वीकृत एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सूखा राहत आकस्मिक योजना को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दल ने उड़ीसा विशेषकर कालाहांडी का दौरा किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र ठहराये गए विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

5135. श्री चंद्र किशोर पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक किन-किन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र ठहराया गया है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र ठहराने के लिये क्या मानदण्ड अपनाये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के विश्वविद्यालयों को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कहां और कब से ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) बिहार के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है :—

(1) भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

(2) बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

(3) एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

(4) के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

(5) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

(6) पटना विश्वविद्यालय, पटना।

(7) रांची विश्वविद्यालय, रांची।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार बिहार में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के अनुसार 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार, वि० अ० आ० अथवा केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की निधियां प्राप्त करने किसी अन्य संगठन द्वारा कोई अनुदान तब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कि आयोग निर्धारित किए गए ऐसे मामलों से स्वयं सन्तुष्ट होकर ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित न कर दे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में नियम तैयार किए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं जिनमें ऐसी शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन्हें नए विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों के लिए उपयुक्त घोषित करने से पहले पूरा करना होगा। उपर्युक्त नियमों के अनुसार, किसी नए विश्वविद्यालय द्वारा वि० अ० आ० द्वारा अनुदानों के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(I) विश्वविद्यालय की स्थापना का औचित्य मौजूदा सुविधाओं की पर्याप्तता, विशेष विशिष्टताओं अथवा पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान अथवा क्षेत्रीय असन्तुलनों को समाप्त करने के लिए नए कार्यक्रमों, कार्यकलापों तथा आवश्यकता के आधारों पर निर्भर करता है।

(II) उस कानून में, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, शिक्षा आयोग (1964-66), वि० अ० आ० द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों के अभिशासन से संबंधित समिति तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान आयोग द्वारा नियुक्त पेनल समिति द्वारा की गई सिफारिशों को उचित महत्व दिया गया है।

(III) विश्वविद्यालय मात्र एक संबंद्धन विश्वविद्यालय ही नहीं है अपितु एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय भी है जिसके आस अनेक विषयों में शिक्षण तथा अनुसंधान की पर्याप्त सुविधाएं हैं।

(IV) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शिक्षण विभाग, केन्द्र, विषय में आवश्यक सहायक स्टाफ सहित एक प्रोफेसर, दो रीडरों तथा पर्याप्त संख्या में लेक्चररों के न्यूनतम स्टाफ की व्यवस्था है;

(V) छात्रों के स्वास्थ्य, आवास तथा कल्याण के लिए पर्याप्त मशीनरी प्रदान की जा चुकी है अथवा प्रदान की जा रही है; और

(VI) विश्वविद्यालय को भवनों, उपस्कर, पुस्तकों, पुस्तकालय, छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टरों (भूमि को छोड़कर) के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपये से कम नहीं है अथवा राज्य सरकार आयोग को यह आश्वासन देने को तैयार है कि विश्वविद्यालय की विकसित भूमि के अतिरिक्त उपर्युक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के दौरान कम-से-कम 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

1985-86 से 1987-88 वर्षों के दौरान बिहार के विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष		
	1985-86	1986-87	1987-88
1. भागलपुर विश्वविद्यालय	21·27	9·55	83·28
2. बिहार विश्वविद्यालय	14·09	19 04	51·59
3. एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय	1·98	1·14	4·88
4. के एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	2·26	5·35	—
5. मगध विश्वविद्यालय	25·50	17·87	4·99
6. पटना विश्वविद्यालय	40·87	39·50	96·54
7. रांची विश्वविद्यालय	16.78	36·66	25·09

बिहार में नवोदय विद्यालय

5136. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कुल कितने नवोदय विद्यालय हैं और जिलेवार उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन विद्यालयों के पास अपना निजी भवन है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन विद्यालयों के पास अपना निजी भवन कब तक हो जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) नवोदय विद्यालयों की स्थानों और जिलों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी नहीं। योजना के अनुसार निःशुल्क 30 एकड़ भूमि और नवोदय विद्यालयों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ अस्थायी खाली भवन इन विद्यालयों को चलाने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही है। तथापि, बिहार में सभी विद्यमान नवोदय विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण का कार्य पहले से ही लोक निर्माण एजेंसियों को सौंपा जा चुका है। इन भवनों के अगले 18 महीनों में तैयार हो जाने की आशा है।

विवरण

बिहार में कार्यरत नवोदय विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	ग्राम	जिला
1	2	3
1.	बिरोली	समस्तीपुर
2.	शेखपुरा	मुंगेर
3.	कुमार बाग बेटिहा	वैस्ट चम्पारन
4.	हंस विहा	दुम्का
5.	आरा	भोजपुर
6.	रांती	मधुबनी
7.	घाघरा	गुमला
8.	बी० आई० टी० मेसरा	रांची
9.	छाएबास परिसर	सिंहभूम
10	रेवाड़	नावडा
11.	शक्ति नगर चंदन डैम	भागलपुर
12.	राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला भवन सुपौल	सहरसा

1	2	3
13.	मिर्जापुर, बन्दुआर*	बेगुसराय
14.	बेरूम	औरंगाबाद
15.	विक्रम	पटना
16.	जथियान	गया
17.	बारोनाविह	मुज्जफरपुर
18.	बहादुरपुर (था० स्थान) और बरभंग (अ० स्थान)	दरभंगा
19.	पूर्णिया	पूर्णिया
20.	छिरि	लोहारदेगा
21.	राजगृह	नालंदा
22.	लालमटिया	गोदृवा
2?.	कोतासी (स्था० स्थान) और कोधा (अ० स्थान)	कठिहार

* बिशनपुर के नाम से भी जाना जाता है ।

विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्ति के लिए केरल की राजमार्ग संबंधी परियोजनाएं

[अनुवाद]

5137. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय/राज्य स्तर के कुछ राजमार्गों में सुधार करने सम्बन्धी कतिपय परियोजनाएं भेजी थी जिनके लिये विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । इन अपेक्षाओं के लिए उचित समय पर बाहरी एजेंसियों से सहायता ली जाएगी ।

विवरण

क्र०सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संख्या	कार्य का नाम	राशि (करोड़ रु०)
I. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना।			
1.	17	कर्नाटक सीमा से माहे तक 18.05 कि०मी० 187.60 कि०मी० तक चौहरी लेन में चौड़ा और सुदृढ़ करना।	204.30
2.	47	327/100 से 347/100 कि० मी० तक तथा 0/00 से 9/800 कि०मी० तक कोचीन बाई पास 4 लेन में चौड़ा करना।	
3.	47	कोचीन बाई पास की 9/8 से 16/4 कि० मी० तक तथा अरूर अलेप्पी खण्ड को 16/4 से 366/780 कि० मी० तक 4 लेन में चौड़ा करना।	73.20
4.	47	क्वीलन से त्रिवेन्द्रम तक 497/750 से 551/900 कि० मी० तक तथा 0/0 से 11/900 कि० मी० तक त्रिवेन्द्रम बाई पास को चौहरी लेन में चौड़ा करना।	59.00
II. राज्य सड़क परियोजना			
5.		राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 17 (पालघाट-कालीकट) को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क का विकास।	76.36

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि

5138. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

श्री सी० सम्बु :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए उक्त योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के कार्यान्वियन के लिए राज्यों को आबंटित और रिलीज किये गये संसाधनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को पुनर्गठित करने की कारंवाई कर रही है। इस वजह से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष .989-90 के लिए राज्यवार आबंटन अभी किये जाने हैं।

विवरण

(रुपए लाख में)

		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	
क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटित संसाधन*	रिलीज किए संसाधन*	आबंटित संसाधन*	रिलीज किए गए संसाधन*
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	6561·90	7009·56	8586·58	7351·69
2.	अरुणाचल प्रदेश	50·50	40 65	96 14	60·63
3.	असम	1374·10	1547·33	1876·14	1876·14
4.	बिहार	9653·80	11394·17	13243·36	11640·95
5.	गुजरात	2261·80	2686·19	2956·66	3589·07
6.	हरियाणा	644·00	724·99	892·44	892·74
7.	हिमाचल प्रदेश	340·80	384·83	554·16	553·58
8.	जम्मू और काश्मीर	414·40	466·97	673·09	1021·69
9.	कर्नाटक	3166·10	3591·41	3975·00	3800·81
10.	केरल	2579·70	2252·08	3470·06	3370·87
11.	मध्य प्रदेश	5699·50	6389·84	7230·22	6009·35
12.	महाराष्ट्र	5482·70	6063·14	6929·88	6640·71
13.	मणिपुर	71·50	51·84	111.48	73·55
14.	मेघालय	95·45	90·51	125·92	112·74
15.	मिजोरम	43·00	28·41	76·66	60·59
16.	नागालैंड	84·00	90·45	88·14	127·25

1	2	3	4	5	6
17.	उड़ीसा	3030·00	3690·16	3813·67	1761 60
18.	पंजाब	678·50	685·20	952·02	867·78
19.	राजस्थान	2697·10	3278·45	3598·56	4609.06
20.	सिक्किम	44·00	44·43	77·78	54·59
21.	तमिलनाडु	5406·65	6161·13	6934·24	6733·44
22.	त्रिपुरा	184·50	174·44	270·83	251·77
23	उत्तर प्रदेश	11975·60	15480·84	16230·68	16230·68
24.	पश्चिम बंगाल	5193·85	3592·00	7052·54	5796·19
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	41·30	28·08	64·82	52·81
26.	चंडीगढ़	0·00	शून्य	21·24	18·29
27.	दादर और नागर हवेली	21·00	22 54	33 78	31·61
28.	दिल्ली	44·75	36·79	42·78	37·93
29.	गोवा	78·90	74·76	97·40	77·48
30.	लक्षद्वीप	20·30	14.08	33·88	31·30
31.	पांडिचेरी	44·25	46·07	57·96	53·80
32.	दमन और दीव	10·93	7·12	21·66	12·50

* रियायती दरों पर खाद्यान्नों के मूल्य सहित

भारतीय नौवहन निगम के जलपोत

5139. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौवहन निगम द्वारा संचालित मालवाही कन्टेनर और अन्य जलपोतों का ब्यौरा क्या है, वे कितने पुराने हैं, उनकी क्षमता क्या है और उन्हें मूलरूप से कहां से प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड को अपने पुराने मालवाही जलपोतों के संचालन से हानि हो रही है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों से पर्याप्त मात्रा में जहाज द्वारा ढुलाई के लिए माल प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियां भारतीय नौवहन निगम की तुलना में जहाज द्वारा ढुलाई का माल अधिक मात्रा में प्राप्त कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय नौवहन निगम के मालवाही जलपोतों के आधुनिकीकरण और बहुप्रयोजनीय जलपोत प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31.12.1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौवहन निगम के जहाजों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(I) जहाजों का प्रकार	जहाजों की संख्या	डी० डब्ल्यू० टी० (लाख)
कार्गो लाइनर	45	6.98
बल्क कैरियर्स	24	11.17
काम्बिनेशन कैरियर्स	4	4.75
बी० एल० सी० सी० एस०	2	5.54
टैंकर्स (क्रूड कैरियर्स)	21	15.89
टैंकर (उत्पाद कैरियर्स)	12	3.54
यात्री-व-कार्गो	6	0.10
टिम्बर कैरियर	1	0.06
आफशोर सप्लाई जहाज	10	0.14

(II) स्रोत	जहाजों की संख्या
भारत	20
यू० एस० एस० आर०	7
जी० डी० आर०	7
जापान	16
यूगोस्लाविया	19
पोलैंड	6
स्वेडन	2
यू० के०	7
स्पेन	3
सिंगापुर	10
कोरिया	27
पश्चिमी जर्मनी	1

(III) 125 जहाजों का आयु-वार कम्पोजीशन :

	जहाजों की संख्या	डी० डब्ल्यू० टी० (लाख)
5 वर्षों तक	43	16.07
6 वर्ष से 10 वर्ष तक	28	8.44
11 वर्ष से 15 वर्ष तक	44	22.84
16 वर्ष से 20 वर्ष तक	7	0.66
20 वर्ष से अधिक	3	0·16
कुल :	125	48.17

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय नौवहन निगम विदेशों से कार्गो का उचित हिस्सा प्राप्त कर सका है।

(घ) और (ङ) निर्यात कार्गों में विदेशी लाइनों का बड़ा हिस्सा है इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशी खरीददार नौवहन लाइन नामित करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं। अनुमान है कि 1987-88 में भारतीय नौवहन लाइनों ने (भारतीय नौवहन निगम सहित) कुल निर्यात कार्गो का लगभग 18.4 % माल ढोया।

(च) भारतीय नौवहन निगम आधुनिक और कम इंधन की खपत वाले जहाजों को खरीद कर अपने बेड़े को आधुनिक बनाता है और उसकी योजना बहु उद्देश्यीय और विशिष्ट जहाजों को खरीदने की है।

के० यू० एस० बी० लॉ कालेज, भञ्जनगर, उड़ीसा को ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना

5140 श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विश्वविद्यालय के अधीन लॉ कालेज की स्थापना के लिये बार काउंसिल आफ इंडिया की स्वीकृति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा कालेज की स्वीकृति दिये जाने के बावजूद के० यू० एस० बी० लॉ कालेज भञ्जनगर उड़ीसा को ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ) जी, हां। बार काउंसिल आफ इंडिया के अनुसार विधि में डिग्रियों की मान्यता और कानूनी शिक्षा के स्तरों से संबंधित काउंसिल के नियमों के अधीन विधि कालेज को विधि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए परिषद की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

बार काउंसिल ने के० यू० एस० बी० लॉ कालेज भजननगर, उड़ीसा को कोई अनुमति प्रदान नहीं की है। वास्तव में परिषद की निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर, जिसने कालेज का निरीक्षण किया था, कालेज को सूचित किया गया था कि जब तक निरीक्षण के समय ध्यान में लाई गयी कमियों को सुधारा नहीं जाता, विश्वविद्यालय द्वारा कालेज की मान्यता को समाप्तकिया जा सकता है।

गोपालपुर में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण

5141. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गोपालपुर में मछली पकड़ने के बन्दरगाह के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) यह परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसलिए इसके निर्माण की प्रगति तथा धन के आबंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की स्थापना

5142. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल स्थापित करने का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर होस्टल स्थापित करने संबंधी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये अब तक स्वीकृति दी गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) यह प्रस्ताव किया गया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लगभग 300 अतिरिक्त कामकाजी महिला होस्टल बनाए जाएं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31-3-89 तक स्वीकृत दिवस देखभाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिला होस्टलों की सूची।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परियोजना का स्थान	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.		अनन्तपुर	1
2.		एलुरु	1
3.		गुडीवाड़ा	1

1	2	3	4
4.		गुंटूर	1
5.		खम्माम	1
6.		कुरनूल	1
7.		महबूबनगर	1
8.		राजामुन्दरी	1
9.		विजयवाड़ा	1
10.		विशाखापत्तनम	1
11.		विजयनगरम	1
	अरुणाचल प्रदेश		
12.		रोइंग	1
13.		तवांग	1
	असम		
14.		लखीमपुर	1
	बिहार		
15.		मधुबनी	1
16.		नवहट्टा	1
17.		रोहतास	1
	गुजरात		
18.		बड़ौदा	1
19.		भावनगर	1
20.		कटक	1
21.		मेहसाना	1
	हरियाणा		
22.		अम्बाला	1
23.		हिसार	1
	हिमाचल प्रदेश		
24.		बिलासपुर	1
	कर्नाटक		
25.		बंगलौर	3
26.		बीदर	1

1	2	3	4
27.		गडाग	1
28.		हासन	1
29.		हुबली	1
30.		हुलकोटी	1
31.		किट्टूर	1
32.		मणिपल	1
	केरल		
33.		एलेप्पी	1
34.		कालीकट	1
35.		कोचीन	1
36.		इडुक्की	3
37.		इरिजंलकुड्डा	1
38.		कन्यानूर	1
39.		कासरगोड	1
40.		कोट्टायम	4
41.		उट्टापलम	1
42.		पालघाट	1
43.		पठनमथिट्टा	5
44		पोनाकुन्नम	1
45.		शेरट्टालम	1
46.		शोरानूर	1
47.		त्रिचूर	2
48.		त्रिवेन्द्रम	3
49.		वायकोम	1
50.		वजूर	1
51.		वेन्नूर	1
52.		वायनाड	1
53.		थोडुपुजा	1
	मध्य प्रदेश		
54.		बैतुल	1
55.		बिजावर	1

1	2	3	4
56.		भोपाल	3
57.		ग्वालियर	1
58.		हारदा	1
59.		इंदौर	2
60.		खुजराहो	1
61.		नेपानगर	1
62.		निवारी	1
63.		रीवां	1
64.		सिहोरी	1
65.		सियोनी	1
	महाराष्ट्र		
66.		अहमदनगर	2
67.		अकोला	1
68.		अमरावती	1
69.		औरंगाबाद	2
70.		बम्बई	5
71.		बुलदाना	1
72.		धुले	2
73.		गडचिरोली	1
74.		कोल्हापुर	1
75.		लेटूर	1
76.		नानदेव	1
77.		नासिक	2
78.		परभानी	1
79.		पुणे	3
80.		रत्नगिरी	1
81.		सांगली	1
82.		थाने	1
	मणिपुर		
83.		इम्फाल	1
84.		ऊखरोल	1

1	2	3	4
	नागालैंड		
85.		दीमापुर	2
	उड़ीसा		
86.		अंगुल	1
87.		बालासोर	1
88.		बेरहामपुर	1
89.		बोलानगिर	1
90.		भुवनेश्वर	1
91.		कटक	1
92.		जेवपुर	1
93.		कालाहांडी	1
94.		पुरी	1
95.		साम्बलपुर	1
	पंजाब		
96.		भंटिडा	1
97.		संगरूर	1
	राजस्थान		
98.		आर्दावाटा	1
99.		बांसवाड़ा	1
100.		बाडमेर	1
101.		बीवाड	1
102.		भूसावर	1
103.		चितौड़गढ़	1
104.		हनुमानगढ़	1
105.		जयपुर	2
106.		खेतरी	1
107.		किशनगढ़	1
108.		निम्बाहेरा	1
109.		पाली	1
110.		प्रतापगढ़	1
111.		सिरोही	1

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
112.		कोयम्बटूर	3
113.		धर्मपुरी	1
114.		डिंडीगुल	1
115.		मद्रास	2
116.		ऊटकुमुंड	1
117.		पेरमबालूर	1
118.		पुडुक्कोट्टय	1
119.		तंजौर	1
120.		त्रिचनापल्ली	4
121.		वेल्लूर	2
	उत्तर प्रदेश		
122.		गाजियाबाद	2
123.		जौनपुर	1
	वेस्ट बंगाल		
124.		बरदवान	1
125.		कलकत्ता	2
126.		दुर्गापुर	1
127.		जलपाईगुड़ी	1
128.		हुगली	1
129.		रिश्रा	1
130.		24 परगना	2
	दिल्ली		
131.		दिल्ली	3
	पांडिचेरी		
132.		पांडिचेरी	

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के रिक्त पद

5143. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आयुक्त और संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन्हें अब भर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विरुद्ध दायर मामले

5144. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विरुद्ध चालू तथा पिछले वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तीन, पांच और दस वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में निपटाये गए मामलों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 1988 और 1989 (मार्च, 1987 तक) में दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 64 और 21 है सामान्य तौर पर ये मामले भर्ती, पदोन्नतियों स्थानान्तरणों दाखिलों, परिलब्धियों, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों, स्थायीकरण और अनुशासनिक मामलों से संबंधित है।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, तीन, पांच और 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े मामलों की संख्या क्रमशः 26, 10 और शून्य हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में इस प्रकार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है क्योंकि ये मामले क्षेत्रीय/विद्यालय स्तर पर भी निपटाये जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापक और मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी

5145. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1988 को केन्द्रीय विद्यालयों के विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों तथा मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : केन्द्रीय विद्यालयों में 30.4.88 की यथा स्थिति के अनुसार नियुक्त शिक्षण स्टाफ के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्र० सं०	पद का नाम	संख्या
1.	स्नातकोत्तर शिक्षक	3311
2.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	6142
3.	मुख्याध्यापक	168
4.	पी० आर० टी०	8409
5.	अन्य शिक्षक	2618

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 30.4.88 की यथास्थिति के अनुसार नियुक्त स्टाफ के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में 30.4.1989 को अद्यतन स्टाफ के ब्यौरे

क्र० सं०	पद का नाम	कार्यरत कार्मिकों की संख्या
1	2	3
1.	आयुक्त	1
2.	संयुक्त आयुक्त	1
3.	उप-आयुक्त	3
4.	सहायक आयुक्त	2
5.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1
6.	शिक्षा अधिकारी	6
7.	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	1
8.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	2
9.	सतर्कता अधिकारी	1
10.	वरिष्ठ विश्लेषक	—
11.	कार्यकारी अभियन्ता	1
12.	लेखा अधिकारी	1
13.	आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	—
14.	कनिष्ठ विश्लेषक	1
15.	अनुभाग अधिकारी	10
16.	सहायक शिक्षा अधिकारी	4
17.	तकनीकी अधिकारी	1

1	2	3
18.	हिन्दी अधिकारी	1
19.	सहायक सम्पादक	1
20.	सम्पादकीय सहायक	1
21.	अनुसंधान सहायक	1
22.	अधीक्षक (प्रशासन)	1
23.	लेखा अधीक्षक	3
24.	वरिष्ठ व्यक्ति सहायक	1
25.	सांख्यिकी सहायक	1
26.	तकनीकी सहायक	1
27.	विधि सहायक	1
28.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
29.	प्रूफ रीडर	1
30.	हिन्दी अनुवादक	3
31.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	1
32.	वरिष्ठ आशुलिपिक	5
33.	सहायक	32
34.	लेखा परीक्षा सहायक	13
35.	अपर श्रेणी लिपिक/लेखा क्लर्क	67
36.	कनिष्ठ आशुलिपिक	12
37.	अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टाईपिस्ट	54
38.	वरिष्ठ गेसटेटनर संचालक	1
39.	स्टाफ कार ड्राईवर	4
40.	गेस टेटनर संचालक	1
41.	दफ्तरी	7
42.	दल "घ" कर्मचारी	19
43.	चौकीदार	2
44.	सफाई कर्मचारी	2
	कुल	278

विवरण-2

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में 30.4.1988 की यथास्थिति के अनुसार कार्यरत स्टाफ के ब्यौरे

क्र० सं०	पद का नाम	कार्यरत कार्मिकों की संख्या
1.	सहायक आयुक्त	13
2.	प्रशासनिक अधिकारी	14
3.	शिक्षा अधिकारी	39
4.	लेखा एवं निरीक्षण अधिकारी	13
5.	लेखा अधीक्षक	15
6.	अधीक्षक (प्रशासन)	11
7.	वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	9
8.	सहायक	15
9.	लेखा परीक्षा सहायक	74
10.	आशुलिपिक ग्रेड-II	40
11.	अवर श्रेणी लिपिक	37
12.	जीप ड्राईवर	14
13.	अवर श्रेणी लिपिक	59
14.	हिन्दी टाईपिस्ट	10
15.	दफ्तरी	11
16.	सफाई कर्मचारी सहित ग्रुप "घ"	84
	कुल	458

कर्नाटक में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना

5146. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ योजनाएं लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में इस संबंध में कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में योजनाएं राज्य सरकार की एजेंसियों स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। जब और जैसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर सहायता की अनुमोदित पद्धति के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और उन पर की गई कारंवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कर्नाटक में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना

क्र० सं०	कार्यक्रम/योजना का नाम	वर्ष	प्रस्ताव/व्यवसाय	कार्यान्वयन एजेंसी	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
		1986-87			
1.	संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु सहायता की योजना		जिल्दसाजी और कटिंग	बापाजी नर्सरी प्राईमरी एंड टेलरिंग इन्स्टीच्यूट, ऊलसूर, बंगलौर	63,270/- रुपये दिए गए
2.	—तदैव—		—तदैव—	इन्दिरा नेहरू सोशल सर्विस सोसाइटी बंगलौर	18,000/- रुपये दिए गए
3.	—तदैव—		—तदैव—	भारती महिला मंडली चिकबल्लापुर	09,000/- रुपये दिए गए
4.	—तदैव—		रेडियो और इलेक्ट्रानिकी	गनाश्री कल्चरल एजूकेशनल सोशल सोसाइटी, बंगलौर	66,870/- रुपये दिए गए
5.	—तदैव—		सिलाई और कढ़ाई	सिस्टर्स आफ चैरिटी एजूकेशनल सोसाइटी आफ मंगलौर, मंगलौर	26,280/- रुपए दिए गए

1	2	3	4	5	6
6.	—तदैव—		चमड़ा कटाई और सिलाई	वीनस महिला समाज, बंगलौर	16,422/- रुपये दिए गए
7.	—तदैव—		सिलाई	विश्व मशीन ट्रस्ट, बंगलौर	41,220/- रुपये दिए गए
8.	—तदैव—		सिलाई और कटाई	जी० के० एम० एजूकेशनल इन्स्टीच्यूट, कनकपुर	70,065/- रुपये दिए गए
9.	—तदैव—		जिल्दसाजी और कटिंग	विशाला एजूकेशनल सोसाइटी, कनकपुर	68,073/- रुपये दिए गए
10.	—तदैव—		रेडियो और इलैक्ट्रानिक	मैसूर प्रदेश ग्रैजुएशन्ज एसोसिएशन बंगलौर	72,540/- रुपये दिए गए
11.	—तदैव—		सिलाई और कटाई	बंगलौर जिला यूथ वैल-फेयर एसोसिएशन कनकपुर	55,522/- रुपये दिए गए
12.	—तदैव—	1987-88	सिलाई और कढ़ाई	महिला मंडल उत्तर कन्नड़	23,823/- रुपये दिए गए
13.	—तदैव—		सिलाई और कटाई	संजय गांधी यूथ वैल-फेयर एसोसिएशन, बंगलौर	48,588/- रुपये दिए गए
14.	—तदैव—		ऊन कातना	रूरल डवलपमेंट सोसायटी मगोडी	41,805/- रुपये दिए गए

1	2	3	4	5	6
15.	—तदैव—		केन और बांस का सामान बनाना	दलिठा रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन, मगोडी	52,920/- रुपये दिए गए
16.	—तदैव—	1988-89	जिल्द साजी	श्रीमान महाविद्यालय एजूकेशन सोसायटी, बंगलोर	53,820/- रुपए दिए गए
17.	—तदैव—		सिलाई और कटाई	कर्नाटक प्रदेश अनएम्पलाईड ग्रेजुएट्स सोसायटी, बंगलोर	76,005/- रुपए दिए गए
18.	—तदैव—		जिल्दसाजी और कटाई	गौरी कल्चरल एसोसिएशन, बंगलोर	67,500/- रुपए दिए गए
19.	—तदैव—		सिलाई और कढ़ाई	सोशल मेडिकल रिलीफ सेन्टर, सोलपुर	26,910/- रुपए दिए गए
20.	—तदैव—		सिलाई	राजीव यूथ फ्रन्ट, बंगलोर	69,840/- रुपए दिए गए
21.	—तदैव—		सिलाई	मिसेज क्राफटन क्लब बैलरी, कर्नाटक	59,353/- रुपए दिए गए
22.	—तदैव—		जिल्दसाजी और कटिंग	संजय मैमोरियल एजूकेशन सोसाइटी—गुलबर्गा	39,130/- रुपए दिए गए
23.	—तदैव—		चमड़े का सामान बनाना	जनसेवा समाज विद्या केन्द्र, बंगलोर	38,655/- रुपए दिए गए

1	2	3	4	5	6
24.	—तदैव—		चमड़े का सामान बनाना	डा० बाबा साहेब अम्बेडकर विद्या वर्धाक संघ, गुलबर्गा	38,115/- रुपए दिए गए
25.	नोराड कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-सह-रोजगार केन्द्र	1987-88	पांच व्यवसायों अर्थात् रोगन कार्य, इनले क्राफ्ट संदल की लकड़ी की दस्तकारी, दरियां बुनना और लकड़ी के खिलौने बनाने जैसे व्यवसायों में 250 महिलाओं को प्रशिक्षित करना	कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम, बंगलौर	14,95,000/- स्वीकृत किए गए
26.	—तदैव—		हथकर्घा, बीड़ी बनाने और चूड़ियां बनाने आदि के व्यवसायों में 150 महिलाओं को प्रशिक्षण	(1) दि रूरल डिवैल्पमेंट सोसाइटी, मुरगोड और (2) सवाली जिला बलगांव	स्वीकृत नहीं किए क्योंकि प्रस्ताव निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

अल्प संसाधन वाले राष्ट्रों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भारत का विकसित देशों को आह्वान

5147. **भद्रेश्वर तांती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विकसित देशों से आह्वान किया है कि वे अल्प संसाधन वाले राष्ट्रों को पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध करायें; और

(ख) यदि हां, तो उससे पर्यावरण दूषित किए बिना इससे उन्हें नई प्रौद्योगिकियां अपनाने में कितनी सहायता मिलेगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) मार्च, 1989 में लन्दन में सम्पन्न सेविंग द ओजोन लेयर से संबद्ध सम्मेलन में पर्यावरण मन्त्री श्री जैड० आर० अन्सारी ने एक ऐसा कोष स्थापित करने की बात कही थी जिससे विकासशील देशों को कुछ अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सकें ताकि ये देश उपयुक्त विकल्पों के लिए प्रौद्योगिकी अर्जित कर सकें और उस अतिरिक्त लागत के बोझ को भी उठा सकें जो इन विकासशील देशों पर डाला जाएगा।

(ख) चूंकि अभी तक ऐसे किसी कोष की स्थापना नहीं की गई है और न ही विकसित देशों ने कोई वित्तीय संसाधनों का वचन दिया है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए सोवियत संघ के साथ संधि

5148. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किसी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संधि में भारत-सोवियत व्यापार निगरानी दल के गठन की व्यवस्था भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत-सोवियत अन्तर-सरकारी आयोग के अन्तर्गत एक व्यापार संबंधी कार्यकारी दल काम करता है जो द्विपक्षीय व्यापार के विकास पर निगरानी रखता है और आमतौर से साल में दो बार इसकी बैठकें होती हैं।

भारत-सोवियत सहयोग के तेजी से बढ़ते हुए आयामों के सन्दर्भ में, जिस पर लगातार और सूक्ष्म निगरानी रखना आवश्यक है, सरकार ने फैसला किया है कि इस सहयोग पर निगरानी रखने के लिए एक "क्रोड दल" की स्थापना की जाए। इस क्रोड दल के अध्यक्ष विदेश सचिव होंगे (जो भारतीय पक्ष की ओर से आयोग के उपाध्यक्ष हैं) और जिसमें वित्त, वाणिज्य, औद्योगिक विकास, विद्युत विभागों के सचिव और विशेष सचिव (प्रधान मन्त्री का कार्यालय) भी होंगे।

विवरण

नई दिल्ली में 7 मार्च से 9 मार्च, 1989 तक सम्पन्न आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से संबद्ध भारत-सोवियत अन्तर सरकारी आयोग के 21वें अधिवेशन में परस्पर लाभप्रद भारत सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की समग्र रूप से समीक्षा की गई और इसे और सुदृढ़ बनाने, उसका विस्तार करने तथा इसे विविधता प्रदान करने के तौर-तरीकों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

1985-88 की अवधि में भारत-सोवियत शिखर बैठकों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधों के और विकास के संबंध में जो समझौते हुए थे, उनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर आयोग ने अपना गहरा सन्तोष व्यक्त किया और इस बात पर गौर किया कि भारत में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में भारत-सोवियत समझौतों के क्रियान्वयन में काफी प्रगति हुई है। आयोग ने इस बात पर गौर किया कि 1986 में दुतरफा व्यापार को 1992 तक बढ़ाकर 2.5 गुणा करने का जो लक्ष्य तय किया था, उसे प्राप्त करने की दिशा में भारत-सोवियत व्यापार में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है।

प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव ने जुलाई, 1987 में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के जिस एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए थे, उसके क्रियान्वयन पर आयोग ने सन्तोष व्यक्त किया।

विद्युत, तेल तथा गैस, कोयला, लौह और अलौह धातुओं, मशीन निर्माण, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिकी, संचार, कृषि तथा कृषि औद्योगिकी क्षेत्र, जल संसाधन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की वर्तमान परियोजनाओं/कार्यक्रमों की गहराई से समीक्षा करते हुए, आयोग ने इस बात के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और निर्देश जारी किए कि संबंधित क्षेत्रों में इस गति को बनाए रखा जाए, सहयोग के नए अवसरों और क्षेत्रों का पता लगाया जाए तथा प्रोतोकोल में यथा सहमत समय-सीमा के भीतर परिणामों को हासिल करने की कोशिश की जाए।

रेलों और नागरिक विमानन के क्षेत्रों में आयोग ने भारत सोवियत सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया और इन क्षेत्रों में नए कार्यदल गठित करने का फैसला किया।

आयोग ने संयुक्त उद्यम, उत्पादन सहयोग, दोनों देशों के उपक्रमों के बीच सीधे संबंध जैसे आर्थिक सहयोग के नए रूपों का विकास करने के लिए नए सिरे से जोर देने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया और इस उद्देश्य के लिए आर्थिक सहयोग के नए रूप के बारे में एक कार्यदल का गठन किया है।

सोवियत संघ ने हमें यह बताया कि सोवियत सुदूर पूर्व आर्थिक क्षेत्र में, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन यूनिटों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाएं हैं जिनमें सिले-सिलाए वस्त्र, जूते और कृषि उत्पादों का परिसंस्करण भी शामिल है। भारत ने बताया कि वह सोवियत सुदूर-पूर्व और साइबेरिया के विकास में सहयोग करने के लिए अत्यन्त इच्छुक है जिसमें इस क्षेत्र की वन संपदाओं को आपसी लाभ के लिए इस्तेमाल करने के निमित्त संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना भी शामिल है।

समरकन्द, बुखारा और ताशकन्द में भारतीय कम्पनियों द्वारा जो तीन होटल निर्माण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी सन्तोषजनक प्रगति पर भी आयोग ने गौर किया और इस बात पर भी सहमति हुई कि अल्मा अता, उरगेंच, खीवा, फ्रुंजे, खाबरोव्स्क, व्लादीवोस्तोक तथा नखोदक में भारतीय कम्पनियों द्वारा सात और होटलों के निर्माण संबंधी संविदाओं को सितम्बर, 1989 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

आयोग ने भारतीय व्यापार क्षेत्रों तथा सोवियत उपक्रमों और संगठनों के बीच सहयोग को सुधारने के लिए दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कदमों पर गौर किया जैसे कि भारत-सोवियत समिति

(सोवियत पक्ष में) और भारतीय स्टियरिंग समिति के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप और सोवियत संघ में भारत के साथ व्यापार सहयोग एसोसिएशन की स्थापना। इस बात पर भी सहमति हुई कि अगले 2 वर्ष में मास्को में एक भारतीय व्यापार केन्द्र की स्थापना भी की जाएगी।

सम्पन्न समझौतों के क्रियान्वयन की बराबर समीक्षा की जाती है। संयुक्त आयोग के अन्तर्गत गठित संबंधित कार्य दलों द्वारा इस बात पर बराबर निगरानी रखी जाती है जिसकी वर्ष में एक या दो नियमित बैठकें होती हैं। समझौतों की समूची परिधि की संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्षों द्वारा अगले वर्ष के अन्त में उनकी अगली कार्यकारी बैठक में और 1990 के ग्रीष्म में मास्को में होने वाले संयुक्त आयोग के 13वें अधिवेशन में समीक्षा की जाएगी।

मत्स्य नौकाओं को किराए पर चलाने के सम्बन्ध में नौका चालकों की कठिनाइयां

5149. श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक छोटे और स्वतन्त्र उद्यमियों को मत्स्य नौकाओं को किराए पर देने के संबंध में आशय पत्र के कार्यान्वियन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो एक बार में केवल छह महीनों के लिए आशय-पत्र मंजूर करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य सभी उद्योगों को आशय पत्र के कार्यान्वियन के लिए तीन वर्षों का समय मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो छह महीने के निर्धारित समय के अन्दर मत्स्य नौकाओं को किराये पर देने में छोटे उद्यमियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (ख) और (ख) विदेशी मत्स्य नौकाएं चार्टर करने के लिए आशय पत्र की वैधता उसे जारी करने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए होती है। तथापि, जब कभी चार्टरकर्ताओं से समयावधि आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, तब उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) औद्योगिक विकास विभाग ने अपने 1988 सीरीज के प्रेस नोट संख्या 15 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि आशय पत्र की आरम्भिक वैधता अवधि तीन वर्षों के लिए होगी। विदेशी मत्स्य नौकाएं चार्टर करने के लिए आशय पत्र भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी नौकाओं द्वारा मत्स्य का विनियमन) अधिनियम, 1981 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाता है। यदि चार्टरकर्ताओं द्वारा किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो उन पर विचार किया जाता है और उपर्युक्त अधिनियम और नियमों की रूपरेखा के अन्दर रहते हुए कार्रवाई की जानी है।

उर्वरक कम्पनियों में भर्ती और प्रशिक्षण

5150. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थागत प्रशिक्षण हेतु भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या का वर्षवार तथा कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इसी अवधि के दौरान इन कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या का वर्षवार तथा कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

कृषि मन्त्रालय के उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (घ) प्रश्न के प्रत्येक भाग की अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	संस्थागत प्रशिक्षण के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या 1986-87 कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	1987-88 कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	1988-89 कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	विदेशी प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या 1986-87 कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	1987-88 कुल	अ.जा.	अ.ज.ज.	1988-89 कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	एम. एफ. एल.	167	15	2	133	20	1	90	7	—	5	—	—	4	—	—	—	—	—
2.	एफ. सी. आई.	—	—	—	30	2	—	52	7	4	6	—	—	2	—	—	3	—	—
3.	पी. पी. एल.	96	6	2	54	3	1	42	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4.	आर. सी. एफ.	300	29	6	189	50	10	80	12	—	10	—	—	11	—	—	15	2	1
5.	एन. एफ. एल.	338	63	2	442	116	22	346	89	23	11	2	—	16	—	—	9	1	—
6.	फैक्ट.	370	33	7	447	43	8	456	46	4	3	—	—	2	—	—	37	1	—
7.	पी. पी. सी. एल.	—	—	—	—	—	—	62	4	—	1	—	—	3	—	—	12	2	—
8.	पी. डी.आई.एल.	61	4	—	—	—	—	41	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	एच. एफ. सी.	24	2	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	4	—	—	5	—	—

1. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम. एफ. एल.)
2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ. सी. आई.)
3. पारादीप फास्फेट्स लि० (पी. पी. एल.)
4. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर. सी. एफ.)
5. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन. एफ. एल.)
6. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट)
7. पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० (पी. पी. सी. एल.)
8. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी. डी. आई. एल.)
9. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एफ० सी०)

ग्रामीण पेयजल योजनाएं

5151. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बारे में 9 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 208 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्याग्रस्त गांवों की परिभाषा में वे गांव भी शामिल हैं जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्यवार कुल कितने गांवों में पेयजल की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जाती है;

(ग) देश के प्रत्येक गांव में पेयजल के पर्याप्त स्रोत कब तक जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दो कार्यक्रमों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके आरम्भ किए जाने के समय से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है और वस्तुतः कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अनुमानित 3347 समस्याग्रस्त गांवों को छोड़कर देश में "बिना जल स्रोत वाले" सभी समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है । आंशिक रूप से कवर किए गए अधिकांश समस्याग्रस्त गांवों को भी सातवीं योजना में पर्याप्त संख्या में जल स्रोत उपलब्ध करा दिए जाएंगे और शेष गांवों को आठवीं योजना के दौरान जल स्रोत उपलब्ध करा दिए जायेंगे ।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई कुल केन्द्रीय सहायता की राशि 1696.54 करोड़ रुपये है जिसमें वर्ष 1989-90 के लिए भी आबंटन शामिल है । इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई कुल केन्द्रीय सहायता की राशि 1696.54 करोड़ रुपये है जिसमें वर्ष 1989-90 के लिए भी आबंटन शामिल है । इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने सातवीं योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2515.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।

(ङ) छठी योजना के आरम्भ से तथा सातवीं योजना में (1988-89 तक) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित तथा वास्तविक रूप में रिलीज की गई कुल धनराशि क्रमशः 1968.42 करोड़ रुपये तथा 2235 52 करोड़ रुपये है ।

हिन्द महासागर आयोग में भारत का योगदान

5152. डा० बी० एल० शैलेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के छोटे-छोटे देशों के बीच परस्पर आर्थिक सहयोग की शुरूआत की दृष्टि से पिछले वर्ष स्थापित पांच-सदस्यीय हिन्द महासागर आयोग ने भारत को भी इस आयोग में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० के० तिवारी) : (क) अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान मारीशस के उप-प्रधान मन्त्री ने सामान्य रूप से यह प्रस्ताव किया था कि हिन्द महासागर आयोग में भारत भी भाग ले सकता है।

(ख) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

राष्ट्रीय उर्वरक निगम द्वारा लैमिनेटेड बोरियों की खरीद

5153. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय उर्वरक निगम द्वारा कितने मूल्य की लेमिनेटेड बोरियों अथवा अन्य प्रकार की बोरियों की खरीद की गई;

(ख) यह खरीद किस प्रकार की गई; और

(ग) यह खरीद किन-किन कम्पनियों से की गई ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०) द्वारा 1988-39 के दौरान खरीदी गई बोरियों का मूल्य लगभग 33 करोड़ रुपये है।

(ख) बोरियां एन० एफ० एल० के सहायक एककों के अतिरिक्त ऐसे पक्षकारों से खरीदी गई हैं जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित खुली निविदाओं के आधार पर ठेके प्रदान किए गए थे।

(ग) निम्नलिखित पक्षकारों से खरीद की गई थी :—

1. मैसर्स एच० आर० एन्टर प्राइसेज, पानीपत (एन० एफ० एल०, पानीपत का सहायक एकक)
2. मैसर्स हिम्पेक्स प्रा० लि० (एन० एफ० एल० नंगल का सहायक एकक)
3. मैसर्स मेहतपुर पैकिंग (एन० एफ० एल० नंगल का सहायक एकक)
4. मैसर्स पंजाब पोलि जूट (एन० एफ० एल० भटिंडा का सहायक एकक)
5. मैसर्स श्रीकृष्ण एण्ड कम्पनी, कलकत्ता।
6. मैसर्स कृष्णा लेमिनेसिंग इं०, कलकत्ता।
7. मैसर्स हिरयाणा जूट एंड लेमिनेटिंग इंड०, कलकत्ता।
8. मैसर्स अशोका इंडस्ट्रीज, कलकत्ता।
9. मैसर्स निर्मल लेमिनेटर्स, कलकत्ता।
10. मैसर्स स्वास्तिक लेमिनेटिस इंडस्ट्रीज, बहादुरगढ़।
11. मैसर्स श्रीराम सिन्थेटिक्स, बहादुरगढ़।
12. मैसर्स पहाड़पुर प्लाटिक्स, साहिबाबाद।

13. मैसर्स धातु मार्किटिंग आर्गनाइजेशन, औरंगाबाद।

14. मैसर्स आर्म पोलिमर्स, अहमदाबाद।

हज यात्रियों के लिए राजसहायता

5154. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मन्त्रालय की गत तीन वार्षिक मांगों में हज यात्रियों के लिए कितनी राजसहायता निर्धारित की गई थी;

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान राजसहायता की कितनी राशि वास्तव में व्यय की गई;

(ग) प्रत्येक वर्ष किन मुख्य मदों पर यह राशि व्यय की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार हज पर मक्का या मदीना आने जाने के लिए विमान भाड़े में और/अथवा आवास में राजसहायता देने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में "हज समिति को आर्थिक सहायता" शीर्ष के अन्तर्गत विदेश मन्त्रालय के बजट प्राक्कलन में निम्नलिखित बजट प्रावधान किए गए हैं :—

बजट प्राक्कलन—1986-87	2.0 करोड़ रुपये
बजट प्राक्कलन—1987-88	2.24 करोड़ रुपये
बजट प्राक्कलन—1988-89	2.24 करोड़ रुपये

(ख) सरकार ने इन वर्षों में हज समिति को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (I) एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि 1988 में हज उड़ानों के परिचालन में उन्हें जो नुकसान हुआ है वह उसकी प्रतिपूर्ति करे। यह मामला संबद्ध प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

(II) मक्का और मदीना में हज यात्रियों के आवास के लिए आर्थिक सहायता देने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों के डीलरों की नियुक्ति

5155. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न उर्वरक निर्माता कम्पनियों द्वारा थोक व्यापारियों और डीलरों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या किसी आरक्षण नीति का भी पालन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो किन श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है; और

(घ) एक जनवरी, 1989 के दिन प्रत्येक कम्पनी के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार, विभिन्न श्रेणियों के थोक व्यापारियों की संख्या क्या थी ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र को सहायता

5156. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता राशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ;

(ग) क्या वर्ष 1989 के लिए महाराष्ट्र के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989 के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करने के पश्चात् वर्ष 1988-89 से विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था और मुख्य फसल के रूप में चावल का चुनाव किया गया था। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-चावल के कार्यान्वियन के लिए राज्य को प्रारम्भ में दी गई केन्द्रीय सहायता 268.76 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए 9.60 लाख रुपये और किसानों को ऋण समर्थन देने के लिए 55.00 लाख रुपये भी दिए गए थे। इसके बाद, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के तहत दालों का उत्पादन करने के लिए 54.00 लाख रुपये की धनराशि भी दी गई थी। छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की योजना के तहत उथले नलकूपों, खोदे जाने वाले कुओं के लिए 391.10 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है, ताकि विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को सहायता पहुंचाई जा सके।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 के लिए 108.00 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उत्पादन के अनुमान अभी देय नहीं हैं। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने वर्ष 1989-90 के लिए 125.00 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) 1989-90 के लिए आबंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष के दौरान यह कार्यक्रम जारी रहेगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

5158. श्री एम० वी० राजुलु : क्या इस्पात और खान मंत्री दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के बारे में 16 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस कार्य को, जिसके लिए ठेका दिया जा चुका है, करने के लिए किन फर्मों ने अपने कोटेशन भेजे थे;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी की फर्म मै० मेनेसमेन देमाग को देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई पूर्व अनुभव है;

(ग) क्या उपरोक्त फर्म के भारतीय सहयोगकर्ता को इस्पात संयंत्र के निर्माण आदि का कोई भी पूर्व अनुभव नहीं है; और

(घ) क्या सोवियत संघ की फर्मों को भी कुछ आर्डर मिले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य क्या हैं और अन्य अनुबंधों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) मेसर्स मेनेसमेन देमाग के नेतृत्व वाले संघ के भारतीय सदस्यों नामतः मेसर्स बिरला टेक्नीकल सर्विसेज, मैसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०, तथा मेसर्स डोडसल को भारत और विदेशों में इस्पात संयंत्रों के निर्माण का पूर्व अनुभव है।

(घ) (i) सिंटर संयंत्र पैकेज तथा (ii) ब्लास्ट फर्नेस पैकेज के टर्न-की के परिचालन के लिए मेसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के नेतृत्व वाले संघ के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संघ द्वारा दी गई सभी चारों सफल बोलियों के लिए मेसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट एम० डी० एच० के नेतृत्व वाले संघ का एक सदस्य था। इन दोनों पैकेजों के संबंध में कार्य का अधिकांश भाग रूसी फर्म द्वारा किया जाना था। अतः उन्हें इन दोनों पैकेजों के संबंध में संघ का नेतृत्व करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त सोवियत रूस के मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट भी मैसर्स मेनसमेन देमाग (एफ० आर० जी०) (i) रा० मेटिरियल्स ट्रेडलिंग पैकेज कम्पलेक्स तथा (ii) बेसिक आक्सीजन फर्नेस पैकेज के संबंध में नेतृत्व वाले संघ का सदस्य है तथा यह इन पैकेजों में भी कार्य करेगा।

विवरण

(i) रॉ मेटिरियल हैंडलिंग प्लांट	(i) मैसर्स मेनसमेन देमाग (एफ० आर० जी०) के नेतृत्व वाला संघ
	(ii) मैसर्स मित्सुबिसी, जापान
(ii) बेसिक आक्सीजन फर्नेस	(i) मैसर्स डेवी मेकफी, ब्रिट्रेन
	(ii) मैसर्स मेनेसमेन देमाग (एफ० आर० जी०) के नेतृत्व वाला संघ।
(iii) सिंटर प्लांट	(i) मैसर्स डेवी मेकफी, ब्रिटेन
	(ii) मित्सुबिसी, जापान
	(iii) मैसर्स मेनेसमेन देमाग (एफ० आर० जी०) के नेतृत्व वाला संघ
(iv) ब्लास्ट फर्नेस पैकेज	(i) मैसर्स डेवी मेकफी, ब्रिटेन
	(ii) मैसर्स मेनेसमेन देमाग (एफ० आर० जी०) के नेतृत्व वाला संघ
	(iii) मैसर्स निप्पॉन कोकन, जापान
(iv) सतत् ढलाई	(i) मैसर्स मेनेसमेन देमाग (एफ० आर० जी०) के नेतृत्व वाला संघ
	(ii) मैसर्स कंकास्ट ए० जी० स्वीटजरलैंड

भारत द्वारा अमरीकी जन सम्पर्क कम्पनी नियुक्त करना

5159. श्री शरद दिघे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संयुक्त राज्य में भारतीय हितों के संवर्धन हेतु एक प्रमुख अमरीकी जन सम्पर्क कम्पनी की सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) विदेश मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में इस उद्देश्य से वाशिंगटन गए थे कि अमरीका में सरकार की नीतियों को अधिक से अधिक उजागर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अधिकारियों की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना है और इस सन्दर्भ में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

पाकिस्तान और भारत के बीच रक्षा समझौता

5160. श्री मदेश्वर तांती : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 मार्च, 1989 के नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित उस रिपोर्ट को देखा है जिसमें बताया है कि पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री ने भारत के साथ संयुक्त रक्षा समझौते से इंकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के विचारों को नोट कर लिया गया है। पाकिस्तान के साथ संयुक्त रक्षा समझौता करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अशोक धर्मादेशों का पता लगाना

5161. श्री वी० कृष्ण राव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्ग के निकट सन्नाथी स्थित देवी के मन्दिर में पत्थर की एक शिला पर अशोक के धर्मादेश सख्या 12 और 14 के वृत्तान्त का हाल ही में पता लगाया गया है;

(ख) क्या ये धर्मादेश तीसरी शताब्दी के हैं;

(ग) क्या शिलाओं पर खोदे गए प्राचीन काल के ये धर्मादेश संख्या 1 और 2 बेल्लेरी, रायचूर, तथा चित्रदुर्ग जैसे अन्य स्थानों पर पाए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(ख) अशोक द्वारा जारी किए गए लघु शिलादेश उत्तरी कर्नाटक में निटूर, तालुक सिरुगुप्पा जिला बल्लेरी में उदे गोलाम, ब्रह्मगिरि सिद्धपुर और जतिंगा रामेश्वर, जिला चित्रदुर्ग, मस्की गवीमठ और पालकीगुदुइन जिला रायचूर, कर्नाटक में पाए गए थे।

कर्नाटक में नारियल की खेती

5162. श्री जी० एस० बासवराजू :
श्री शान्तिलाल पटेल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अतिरिक्त हैक्टेयर भूमि में नारियल की खेती करने की परियोजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है; और

(ग) कर्नाटक में नारियल के कुल कितने पौधे लगाए गए हैं और लगाए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। नारियल की खेती के तहत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :—

(1) नयी पौध लगाने के लिए राजसहायता प्रदान करके नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार करना।

(2) उड़ीसा और कर्नाटक में नहरों के किनारों पर नारियल के पौधे लगाना।

(3) त्रिपुरा में खास भूमि में नारियल के पौधे लगाना।

(ख) इन परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना का परिव्यय 363.39 लाख रुपए है।

(ग) कर्नाटक में अब तक रोपे गए पौधों की कुल संख्या 601330 है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान रोपे जाने के लिए प्रस्तावित पौधों की संख्या लगभग 82170 है।

प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के सम्बन्ध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा रिफ्रैक्टरी उद्योग को सलाह

5163. श्री जी० एस० बासवराजू :
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने "रिफ्रैक्टरी" उद्योग से कहा है कि वह इस्पात क्षेत्र में किए जा रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों पर ध्यान दे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात क्षेत्र में विशेष रिफैक्टरियों के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय परिवर्तन निम्नलिखित हैं :—

(1) 7 मीटर ऊंची कोर ओवन बैटरियां।

(2) ब्लास्ट फर्नेस स्टोवों के लिए ई० एस० टी० एस० (डच) डिजाइन।

(3) ट्विन हर्थ फर्नेसेस।

(4) ओपन हर्थ फर्नेसों के लिए "के० ओ० आर० एफ०" प्रौद्योगिकी।

(5) इस्पात उत्पादन की बेसिक आक्सीजन फर्नेस प्रक्रिया।

(6) बेसिक आक्सीजन फर्नेस/एल० डी० कन्वर्टर में संयुक्त धमन प्रौद्योगिकी।

(7) लगातार ढलाई।

(8) कोक ओवनों के लिए सैरेमिक वेल्डिंग।

(9) मोनोलियक्स (कास्टेबल रिफैक्टरियों) का प्रयोग।

भेड़ पालन

5164. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में भेड़ पालन का काम बहुत अधिक होता है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भेड़ पालन कार्यकलाप राज्य में भेड़ों की संख्या पर आधारित होता है। राज्यवार भेड़ों की विस्तृत संख्या का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यवार भेड़ों की संख्या (1982)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	भेड़ें		
		संकर प्रजनित	देशी	कुल भेड़ें
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	93	7426	7519
2.	असम	2	44	46
3.	बिहार	34	1288	1322
4.	गुजरात	28	2329	2357
5.	हरियाणा	64	694	758
6.	हिमाचल प्रदेश	54	1037	1091

1	2	3	4	5
7.	जम्मू और कश्मीर	485	1424	1909
8.	कर्नाटक	132	4660	4792
9.	केरल	(क)	7	7
10.	मध्य प्रदेश	6	953	959
11.	महाराष्ट्र	33	2638	2671
12.	मणिपुर	—	14	14
13.	मेघालय	उ०न०	उ०न०	26
14.	नागालैंड	(क)	(क)	(क)
15.	उड़ीसा	62	1928	1990
16.	पंजाब	—	—	611
17.	राजस्थान	33	13398	13431
18.	सिक्किम	1	10	11
19.	तमिलनाडु	282	5255	5537
20.	त्रिपुरा	(क)	5	5
21.	उत्तर प्रदेश	178	2129	2307
22.	पश्चिम बंगाल	34	1331	1365
केन्द्र शासित प्रदेश				
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	20
25.	चण्डीगढ़	(क)	1	1
26.	दादर और नगर हवेली	(क)	(क)	1
27.	दिल्ली	1	2	3
28.	गोवा दमन और दीव	—	1	1
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	(क)	1	1
31.	पांडिचेरी	(क)	9	9
अखिल भारतीय		1522	46584	48764

क—500 से कम

उत्तर प्रदेश में लघु इस्पात संयंत्र लगाना

[हिन्दी]

5165. **श्री राजकुमार राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊनाथ-भंजन, बलिया और गाजीपुर जिलों में किसी स्थान पर और पूर्वांचल में किसी स्थान पर लघु इस्पात संयंत्र लगाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और ये संयंत्र कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

माले में मेडिकल कम्पलैक्स का निर्माण

[अनुवाद]

5166. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भवन निर्माण निगम को माले में मेडिकल कम्पलेक्स के निर्माण का ठेका दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मेडिकल कम्पलैक्स की स्थापना देश के एक महान राजनेता की याद में की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का अन्य मित्र देशों में इस राजनेता की स्मृति के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह:) (क) और (ख) जी, हां। माले में भारत की सहायता से 200 पलंग वाला "इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल" 16.967 करोड़ रुपये की लागत पर निर्मित किया जाना है जैसी कि फरवरी, 1986 में प्रधान मन्त्री की मालदीव की यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए परामर्शदाता और कार्यकारी अभिकरण होगा जिसे 36 महीनों में पूरा किया जाना है।

(ग) इस प्रकार के कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के पास अनिर्णीत नहीं पड़े हैं।

गेहूं और चावल के समर्थन मूल्य में वृद्धि

5167. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं और चावल के समर्थन मूल्य में और वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) और (ख) सरकार ने 1988-89 विपणन मौसम के लिए उचित औसत क्वालिटी के धान (सामान्य) के लिए 160 रु० प्रति क्विंटल तथा 1989-90 विपणन मौसम के लिए धान के अधि-प्राप्ति मूल्य के संबंध में निर्णय लेने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

जल व्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी

5168. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 दिसम्बर, 1988 के "दक्कन हेरल्ड" में "नेशनल सेमिनार आन वाटर सिस्टम टुडे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और रूड़की स्थित भारतीय जल-विज्ञान संस्थान से देश में आठ बेसिनों का अध्ययन करने और "वाटर बेलेंस माडल" का विकास करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान, रूड़की से देश के 10 विभिन्न जिलों में हाईड्रोजिकल/वाटर बैलेंस मॉडल के विकास हेतु अध्ययन करने का अनुरोध किया है।

(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान ने तीन जिलों में और राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान ने सात जिलों में अध्ययन कार्य आरम्भ कर दिया है।

नशीली औषधों के सेवन के विरुद्ध अभियान

5169. श्री पी० पेंचालैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय परिसरों में नशीली औषधों के सेवन के विरुद्ध किस तरह का अभियान चलाया जाता है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को नशीली औषधों के सेवन पर नियन्त्रण लगाने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण करने तथा इसके विरुद्ध निवारक उपायों की आवश्यकता एवं नशीली दवा के व्यसन के दुष्परिणामों के बारे में छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कदम उठाने के सम्बन्ध में सभी कुलपतियों को लिखा है। कई विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में अनेक उपाय किए हैं जिनमें नशीली दवाओं के नियन्त्रण पर परामर्श देना तथा मार्गदर्शन करने पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार को नशीली दवाओं के सेवन पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी नहीं की गई हैं।

वीजा नियमों का उदार बनाया जाना

5170. श्री शान्ति लाल पटेल :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं, वीजा सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) वीजा जारी करने की नीति को उदार बनाने के एक अंग के रूप में विदेश स्थित भारतीय मिशन प्रमुख अब ऐसे अनिवासी भारतीयों को दो वर्ष के लिए दीर्घकालिक आधार पर अनेक बार प्रवेश के लिए वीजा जारी कर सकते हैं जो भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते हों। भारतीय मूल के ऐसे सभी विदेशियों के जिन्हें दो वर्ष का वीजा जारी किया गया हो, पति/पत्नी और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी दो वर्ष का अनेक बार प्रवेश के लिए वीजा स्वीकृत किया जा सकता है, चाहे ये पति/पत्नी और परिवार के आश्रित सदस्य भारतीय मूल के न भी हों।

65 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय मूल के ऐसे विदेशी जो स्थायी निवास के उद्देश्य से भारत लौटना चाहते हों, उन्हें और उनके पति/पत्नी को भी संबद्ध मिशन अपनी शक्ति से एक वर्ष के लिए वैध दीर्घकालिक वीजा जारी कर सकते हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो।

————

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय यह एक महत्वपूर्ण बात है। आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं एक अत्यन्त गम्भीर मामला उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मामला क्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कल रात हुआ है और इस से हम सभी लज्जित हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्री खिलानन्द झा नाम के एक व्यक्ति गत एक वर्ष से बोट क्लब पर धरना दिए हुए बैठा था। उन्हें बिहार में सेवानिवृत किया गया था क्योंकि वह ब्राह्मण था और उसने एक हरिजन लड़की से विवाह किया। कल पुलिस ने उनके बच्चों की पिटाई की और उनके छोटे से तम्बू को नष्ट किया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए। जिद्द मत करिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या हम सभ्य समाज में रहते हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात आराम से सुनिए। आप जिद्द कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसके बारे में सभी जानते हैं...

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं देता हूं।

[हिन्दी]

पहले आप मेरी बात सुनिए, तो बात का पता लगे। आपकी बात मैं समझ रहा हूं। मेरी बात तो सुनिए।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप किस आधार पर अनुमति नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन्, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कल आपको ही तकलीफ होगी, अगर स्टेट सबजेक्ट यहां उठाएंगे।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, यह राज्यों का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह यहां नहीं हुआ है। कुछ नहीं हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह पूछना चाहता हूं। यदि पूरी सभा की यही इच्छा है कि मैं राज्यों के सारे काम की देख-भाल भारत सरकार के गृह मंत्री को सौंप दूं...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह राज्य का विषय नहीं है।

* अनुमति नहीं दी गई।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्यों का काम है। यदि कोई मुझे बताये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, आराम से बात करिये। आप मुझ से बात करें और मुझे समझा दें। (व्यवधान)··· जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर प्यार से बात सुन लें, एक इन्सान की तरह से बात करें, एक भले आदमी की तरह से बात करें, तो मैं समझा भी दूंगा।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : दिल्ली पुलिस ने क्यों उसकी पिटाई की? मैं यह पूछता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सुनता नहीं कोई।

अध्यक्ष महोदय : अगर शोर करेंगे, तो कोई नहीं सुनेगा। अब इस का मुझ पर कोई असर नहीं होता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे दुःख होता है इस से।

अध्यक्ष महोदय : दुःख मुझे भी है। आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग गलत काम करते हैं। मैं सुनने के लिए बैठा हूं। मैं बात करने के लिए बैठा हूं। मुझे समझाया जाए न? एक चीज जो होती है बिहार में।

[अनुवाद]

कार्यवाही और अपराध बिहार में होते हैं।

[हिन्दी]

उसका फाल आऊट यहां होगा, तो मैं यही कह दूंगा कि

[अनुवाद]

गृह मंत्री को अपने पास ही सारा कुछ रखना चाहिए?

[हिन्दी]

यह गलत बात होगी।

[अनुवाद]

यह एक गलत मिसाल होगी। यदि मैं इसकी अनुमति देता हूं, तो मुझे अन्य बातों की अनुमति भी देनी होगी; मुझे श्री काबुलीं को भी अनुमति देनी होगी, मुझे उनको भी अनुमति देनी होगी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतना जोर से बोल रहे हैं कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आप पांच आदमी बोल रहे हैं। फायदा क्या है आप को। मैंने आप की बात सुन ली है। अब आप एक मिनट चुप रहिए और मेरी बात सुन लीजिए।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेडम, क्यों शोर कर रही हैं। यह आप को अच्छा नहीं लगता। यह क्या तरीका है।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मुझ पर कोई असर नहीं होता है इस गुस्से का क्योंकि यह गलत बात है। गलत बात का असर नहीं होता है, ठीक बात का असर होता है। मेरे साथ बात करते, तो मैं मिनिस्टर साहब को कह देता कि गलत काम किया है, इसको ठीक करें लेकिन अगर आप कहें कि स्टेट गवर्नमेंट का काम भी इनको सौंप दूं, तो यह गलत है।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां एक भी मामले पर विचार कर सकता नहीं। यह कोई पुलिस स्टेशन नहीं है।

···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आपकी बारी है। इनकी बारी खत्म हो गई, अब आप भी शुरू हो गई।

[अनुवाद]

मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा जो राज्यों का विषय हो।

अब पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

———

12.10 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : श्री भजन लाल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिये संख्या एल० टी० 7688/89]

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा सांस्कृतिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7689/89]

(3) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर, के वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7690/89]

(5) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7691/89]

(6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 29 के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7692/89]

लाला राम स्वरूप क्षय रोग अस्पताल नई दिल्ली का वर्ष 1986 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

खाद्य मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : कुमारी सरोज खापड़े की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

( ) (एक) लाला राम स्वरूप क्षय-रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1986 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम स्वरूप क्षय-रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1986 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7693/89]

महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : मैं श्री श्याम लाल यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7694/89]

(ख) (एक) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7695/89]

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7694/89]

(3) (एक) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7696/89]

(4) (एक) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना सहकारी, परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7697/89]

(5) (एक) अखिल भारतीय सहकारी कताई कारखाना परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय सहकारी कताई कारखाना परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7698/89]

(6) (एक) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7699/89]

(7) (एक) राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7700/89]

(8) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द के 1 अप्रैल 1987 से 11 अक्तूबर, 1987 तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द के 1 अप्रैल, 1987 से 11 अक्तूबर, 1987 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7701/89]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 67(अ) जो 31 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (कल्याण निधि) संशोधन विनियम, 1989 अनुमोदित किये गये हैं।

(दो) सा० का० नि० 123 (अ) जो 24 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतिकोरिन पत्तन न्यास (निवास-स्थानों का आवंटन) दूसरा संशोधन विनियम, 1989 अनुमोदित किये गये हैं।

(तीन) सा० का० नि० 124 (अ) जो 24 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थ तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) पहला संशोधन विनियम, 1989 अनुमोदित किये गये हैं।

(चार) सा० का० नि० 125 (अ) जो 24 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतिकोरिन पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलीकरण) पहला संशोधन विनियम, 1989 अनुमोदित किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7702/89]

(2) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, पानाम्बुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, पानाम्बुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7703/9]

(4) (एक) बम्बई डाक श्रमिक बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई डाक श्रमिक बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7704/89]

(6) (एक) मारमुगाओं डाक श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमुगाओं डाक श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7705/89]

(8) बम्बई डाक श्रमिक बोर्ड बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं का शुद्धि-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7706/89]

12.12 म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.13 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सागर को शेष देश से हवाई मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : सागर, मध्य प्रदेश का सम्भागीय मुख्यालय है। यहां रक्षा विभाग का बहुत बड़ा सेन्टर है। सागर विश्वविद्यालय भी इस प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पुलिस अकादमी भी सागर में है। लेकिन खेद की बात है कि अभी तक इसको हवाई मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, वे सब वहां उपलब्ध हैं।

अतः सागर को अविलम्ब हवाई मार्ग से जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल इस बात से चिन्तित हूं कि हम अपने व्यवहार से इस संस्था को कमजोर कर रहे हैं। हर चीज तय की जा सकती है। मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं। यदि कोई

*दिनांक 6 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो खण्ड-दो में प्रकाशित।

काम किया जाना है तो हम इसे शान्तिपूर्वक, सम्मानपूर्वक और प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। किन्तु इस तरीके से हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं? इससे मुझे दुख होता है क्योंकि इससे आप अपने हित पर ही कुठाराघात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी ओर का भी पक्ष नहीं लेता हूं। मैं अनुमति दे सकता हूं किन्तु इस तरह नहीं। आप मुझे लिख कर दे सकते है, आप मुझसे मिल सकते हैं। यदि कोई भी मामला इस योग्य है तो मैं चर्चा की अनुमति दे सकता हू। मैं हर चीज की अनुमति दे सकता हूं किन्तु इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, मैं इसे नहीं करूंगा। यह असंभव है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : मैं आपको पहले ही लिखित में दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु जो राज्य का विषय है उसे मैं यहां नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। जो कुछ आपने मुझे लिख कर दिया है मैं इसे गृह मंत्री के पास भेज सकता हूं किन्तु मैं यहां इसकी अनुमति नहीं दे सकता। भविष्य में इनकी बाढ़ आ जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं? आपको महसूस करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। यह हम सबके लिए अच्छा नहीं है। यह इस संस्था और भावी पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। मैं आप सबसे अपील करता हूं; आप मुझे दे सकते हैं किन्तु इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिश्र जी, आपको आज्ञा है, आपको अधिकार है, मुझे आ कर के देने का।

[अनुवाद]

आप मुझे दे सकते हैं। मैं इसके लिए आपमें से किसी को इनकार नहीं करता हूं। किन्तु आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है। यह आपका अपना गला काटने वाली बात हुई; यह तो आत्म हत्या है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अब की बात नहीं है, हमेशा की बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप जो कहते है वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा संचार माध्यमों द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस पर विनिर्णय चाहता हूं। (व्यवधान)

कभी-कभी आप राज्यों के विषय के संबंध में जो कुछ रिकार्ड में शामिल करने की अनुमति नहीं देते हैं, वही आकशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ लिखवाना हो तो बता दीजिए। आपका कोई काम होगा तो मैं करा दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं आपके समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव रखूंगा।

[हिन्दी]

जब आप अलाऊ नहीं करते तो वह रिकार्ड में नहीं जा सकता और न मीडिया कवर कर कता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है मैंने कई बार यह सुना है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता का आदर होना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक रेफरी मुकर्रर कर देता हूं, आप बाहर जाकर लड़ सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब आप अलाऊ नहीं करेगें तो वह रिकार्ड में नहीं आयेगा और न मिडिया ही कवर कर सकता है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप खुदकुशी मत करो । यह अमानत आपकी है, संभालकर रखो । आपका व्यवहार ठीक नहीं है । स्टेट्स में और यहां भी यही हाल है ।

नियम 377 के अधीन मामले--[जारी]

(दो) केरल को केन्द्रीय विद्युत ग्रिड से बिजली का पूरा कोटा आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : केरल राज्य पिछले कुछ वर्षों से विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है । उच्च प्रतिबल और अति उच्च प्रतिबल उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत में व्युत्क्रमानुपाती कटौती के कारण स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है। फिलहाल कटौती 40 प्रतिशत है और इसमें आगे और वृद्धि होने की संभावना है । जैसा कि उत्तर पूर्वी मानसून नहीं आई और यदि दक्षिण पश्चिमी मानसून भी देरी से आती है तो जहां तक विद्युत सप्लाई का संबंध है उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी ।

इसके अतिरिक्त, विद्युत की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है । इसलिए, यह अनिवार्य हो गया है कि राज्य को केन्द्रीय ग्रिड से उनकी हकदारी का पूरा कोटा, जो मैं समझता हूं 5.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है, मंजूर किया जाए ।

इसलिए मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री से सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि केरल राज्य को केन्द्रीय ग्रिड से राज्य को आबंटित विद्युत का पूरा कोटा मिल सके ।

(तीन) भयन्दर (ठाणे) के टेलीफोन उपभोक्ताओं को महानगर टेलीफोन निगम, बम्बई के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता

12.17 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं भयन्दर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र के टेलीफोन उपभोक्ताओं की भावनाओं और मांगों की ओर माननीय संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई के बनने से पूर्व भयन्दर बम्बई टेलीफोन के अधीन था और बम्बई के समान ही सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहा था । निगम बनने के समय भयन्दर को तकनीकी कारणों से अलग कर दिया गया । भयन्दर के लोग महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत रहने के बहुत इच्छुक है । यह पता लगा है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को भयन्दर को अपने अन्तर्गत रखने में कोई आपत्ति नहीं है । इसके लिए अधिनियम में संशोधन की भी कोई आवश्यकता नहीं है । केवल एक अधिसूचना जारी करके बम्बई टेलीफोन के अन्तर्गत पूर्व क्षेत्रों को महानगर टेलीफोन नियम लिमिटेड के अन्तर्गत लाया जा सकता है । इससे भयन्दर को महाराष्ट्र सर्किल से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत लाने में सहायता मिलेगी ।

मैं माननीय मन्त्री से भयन्दर के लोगों को बम्बई टेलीफोन के अधीन होने के कारण महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत लाए जाने की उनकी इच्छा पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय विभाग को तदनुसार अनुदेश देगें।

(चार) मध्य प्रदेश में आगर में एक छावनी बनाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : सभापति जी, मध्य प्रदेश के युवकों के लिये मिलिट्री में भरती होने के लिए रक्षा विभाग की तरफ से एक कोटा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, किन्तु हर वर्ष इस कोटे की पूर्ति नहीं हो पाती है। बहुत कम नवयुवक मिलिट्री में भरती होते हैं। भविष्य में भरती अधिक संख्या में हो सके, इसके लिये मेरे लोक सभा क्षेत्र शाजापुर के अन्तर्गत स्थान आगर (म० प्र०) में मिलिट्री की छावनी कायम की जाये। इस संबंध में मेरे द्वारा विगत समय में माननीय रक्षा मंत्री जी को एक निवेदन के रूप में मांग पत्र भी दिया गया था तथा उस पर जांच भी हुई थी। आगर छावनी में भूमि की कोई कमी नहीं है, पूर्व के क्वार्टस भी बने हुए हैं, पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

यहां पर केन्टोनमेंट छावनी 1914 तक रही। उपरान्त स्टेट गवर्नमेंट की फोर्स 1958 तक रही। इस संबंध में अनुरोध है कि आगर में मिलिट्री की छावनी पुनः कायम की जाए, ताकि नवयुवक मिलिट्री में भरती होने के लिए प्रेरित हो सकें। अधिक से अधिक नवयुवक मिलिट्री में भरती होकर मध्य प्रदेश के कोटे की पूर्ति कर सकें।

(पांच) फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : फिलिस्तीन का स्वतन्त्रता संग्राम एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। फिलिस्तीन की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाले हजारों लोगों ने अपने रक्त के दिये जला कर अपने देश का नाम रोशन किया है और शहीद हो गये हैं। आज भी साम्राज्यवादी और इजरायली लोग फिलिस्तीनियों का संहार कर रहे हैं और संसार मूक दर्शक बना इसे देख रहा है। फिलिस्तीन समस्या और फिलिस्तीन की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वालों के स्वदेश लौटने के लिये, केन्द्र सरकार को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना चाहिए और एक विश्व जनमत तैयार करने के लिये कदम उठाने चाहिए।

हम राष्ट्रपति यासिर अराफत और उसके बहादुर सहयोगियों को सलामी देते हैं और यहूदीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में उनके सामना होने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना करते हैं।

(छः) आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा या राजामुंदरी में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीहरि राव (राजा मुन्द्री) : पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिले से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके घरों से परीक्षा केन्द्र काफी दूर है। विशाखापट्टनम और गुन्टूर के बीच की दूरी 586 किलोमीटर है, परन्तु इसके बीच एक भी परीक्षा केन्द्र नहीं है।

[श्री श्रीहरि राव]

काकीनाडा पूर्वी गोदावरी का जिला मुख्यालय है और एक महत्वपूर्ण बन्दगाह का शहर है। हजारों उम्मीदवार इस क्षेत्र से माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। यहां की आबादी करीब 5 लाख है। राजामुन्द्री इस जिले का एक अन्य महत्वपूर्ण शहर है और यह विजयवाडा-हावडा मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है।

क्षेत्रिय भर्ती समूह (भारतीय स्टेट बैंक समूह), रेलवे सेवा आयोग और आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य वर्ग के लिये लिखित परीक्षा का आयोजन काकीनाडा में करते हैं। आरक्षित वर्गों के लिए लिपिकीय स्तर की परीक्षा का आयोजन भी कर्मचारी चयन आयोग करता है।

अतः मैं, केन्द्र सरकार से लिपिकीय वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिये कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिये चाहे काकीनाडा या आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के राजामुन्द्री में नये परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में पर्यवेक्षक संवर्ग में व्याप्त असंतोष को दूर किए जाने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्ध मंडल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसने पर्यवेक्षक संवर्ग की मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया है।

यद्यपि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में समयबद्ध पदोन्नति की नीति अपनायी गयी है फिर भी पुन: पदनामित चार्जमैनों को पदोन्नति नहीं मिल रही है। वर्ष 1961-62 में बी-ग्रेड के कारीगरों के रूप में नियुक्त होने के बावजूद उन्हें सिर्फ दो पदोन्नतियां ही मिली हैं जहां कि दूसरे संवर्गों में न्यूनतम चार पदोन्नतियां मिल चुकी है और कुछ मामलों में तो आठ पदोन्नतियां 26 वर्षों के सेवाकाल में मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त इस संवर्ग को विगत तीन वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं मिल रही है।

अपनी मांगों को प्रबन्ध मंडल तक पहुंचाने और दूरी को समाप्त करने के लिये पर्यवेक्षकों के पास कोई जरिया नहीं है।

पर्यवेक्षक संवर्गों के लिये आगे न तो कोई संवर्ग ही है और न ही कोई पदनाम है।

यह उचित समय है जब कि इस वर्ग में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये भारत सरकार हस्तक्षेप करे।

(आठ) "नेहरू रोजगार योजना" के लिये धनराशि आवंटित करने में पिछड़े और सीमान्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : कृषि मन्त्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में धन के आबटन व जनपदों की उपरोक्त सम्बन्धित योजनाओं की स्वीकृति में सर्वथा दोषपूर्ण नीति का अनुसरण किया गया है।

प्रदेश के समस्त जनपदों से मांगी गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रादेशीय ग्राम विकास विभाग द्वारा पहले तो केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए संस्तुति किया ही नहीं गया। जिन्हें संस्तुत किया भी गया उनमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी त्रुटियां बताकर अस्वीकृत कर दिया गया जबकि इसी प्रान्त के कुछ जनपदों का इस कार्यक्रम के तहत करोड़ों रुपए की योजनायें एक ही वर्ष में स्वीकृत की गई हैं, परन्तु मेरे क्षेत्र के जनपदों को इस योजना के तहत लाखों रुपया भी इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं हो पाया है जबकि यह सर्वविदित है कि इस कार्यक्रम के तहत धन आवंटन हेतु निर्धारित मानकों को यदि आधार माना जाता तो प्रदेश के सबसे अधिक विकसित जनपद को सबसे कम धन प्राप्त होता जबकि स्थिति सर्वथा विपरीत है।

मुझे आशंका है कि इसी प्रकार का भेदभाव नेहरू जी के नाम पर प्रारम्भ की गई रोजगार योजना के लिए जनपदों के चयन में न अपनाया जाये।

अतः मेरा कृषि मन्त्रालय से अनुरोध है कि नेहरू जी के नाम पर चलाई जाने वाली योजना के अन्तर्गत जनपदों के चयन में गरीब, पिछड़े, अविकसित जन जाति बाहुल्य, सीमान्त पर्वतीय, पठारी, रेगिस्तानी भू-भाग वाले जनपदों का चयन किया जाये।

12.25 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

अफगान विद्रोहियों तथा पंजाब में आतंकवादियों के बीच संबंध का समाचार—(जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अधीन श्री भगत द्वारा उठाये गए विषय, अफगान विद्रोहियों और पंजाब के आतंकवादियों के बीच सम्बन्ध से उत्पन्न स्थिति पर आगे की चर्चा होगी। श्री सोमनाथ रथ कृपया अपनी बात कहें।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, हम सब यह जानते हैं कि पंजाब के आतंकवादी प्रशिक्षण, धन राशि शस्त्र और विस्फोटक सामग्रियों आदि के रूप में विदेशी एजेंसियों से मुफ्त में सहायता प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध है भारत की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की समस्या का समाधान अफगानिस्तान के लोगों द्वारा स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के किया जाये। जेनेवा समझौते को लागू किया जाना चाहिए और सभी लोगों द्वारा इसका आदर किया जाना चाहिए और समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। अफगान विद्रोहियों और पंजाब के आतंकवादियों के बीच सम्बन्ध का पता कुछ सूत्रों से चला है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गुलबुद्दीन ने एक संदेश में कहा है कि "हमारे भाईयों में से कुछ पंजाब के आतंकवादियों के साथ सक्रिय है।"

पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने इन विद्रोहियों को रोकने के उपाय किए हैं और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है जो इन गतिविधियों में सक्रिय है। उन्होंने इन लोगों को सावधान रहने को कहा है। लेकिन दूसरा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदेश में जिया-उल-हक द्वारा उन्हें भारी समर्थन प्राप्त होने और पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति को मुसलमानों का मसीहा कहने की बात नोट की गई। हमारे एक मित्र माननीय सदस्य श्री थामस ने कहा है कि जनता पार्टी के शासनकाल

[श्री सोमनाथ रथ]

में भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध थे। लेकिन इस संदेश द्वारा मालूम पड़ता है कि तत्कालिक राष्ट्रपति किस प्रकार भारत के हित के विरुद्ध षड़यंत्र कर रहे थे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या पर गठित ठक्कर आयोग ने भी अपने प्रतिवेतन में विदेशी एजेंसियों का जिक्र किया है जो भारत में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने वाले लोगों की सहायता करने के साथ-साथ आतंकवादियों को प्रशिक्षण, सहायता और बढ़ावा दे रहे हैं। अब भारत में विशेष जांच टीम ने बताया है कि किस प्रकार षड़यंत्रकारियों ने, जो आतंकवादी है, न सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या करना चाहते थे बल्कि इस देश में साम्प्रदायिक दंगे फैलाकर और गड़बड़ी उत्पन्न कर पूरे देश में ही अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की इस्लामाबाद की यात्रा से भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार हुआ है। लेकिन अभी तक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति का विकास कर रहा है, जिसका उपयोग शस्त्र निर्माण के लिए किया जाएगा और वहां की सरकार उतनी मजबूत नहीं है और वहां सेना ही अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा की गई इस्लामाबाद और चीन की यात्रा बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भविष्य में स्थिरता उत्पन्न करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ब्रिटिश विदेश सचिव जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन में क्रियाशील सिख आतंकवादियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जायेंगे। यह ब्रिटिश और भारत सरकार का मिला-जुला प्रयास है। इन परिस्थितियों में—प्रेस में आज यह बात छपी है यदि अमरीका आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को बढ़ाने जा रहा है, तो अमरीका द्वारा सप्लाई किए जा रहे ये हथियार अफगान विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं। पंजाब के आतंकवादियों को भी ये हथियार भेजे जा सकते हैं। आपके माध्यम से, माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि इन परिस्थितियों में भारत को इन मामलों में बहुत सावधान रहना चाहिए। अफगान विद्रोहियों ने पहले ही कह दिया है कि हमारे पायलट वहां वर्तमान सरकार की मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस्लामाबाद द्वारा इस बात से इन्कार किया गया है। अतः पंजाब के आतंकवादियों से, जिन्होंने न केवल कश्मीर बल्कि पूरे देश में समस्या उत्पन्न कर दी है, के साथ अफगान विद्रोहियों के गठबंधन से उत्पन्न स्थिति के कारण हमें बहुत सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए। इन्दिरा गांधी की हत्या से पूर्व देश में चल रहे षड़यंत्र का यह एक हिस्सा है। यह एक षड़यंत्र प्रतीत होता है कि जम्मू और कश्मीर में विघटनकारी शक्तियाँ वही भूमिका अदा करके पुनः उभर कर आ गई है। अतः इस संकट की घड़ी में इन सारी विघटनकारी शक्तियों और उन लोगों जो कि हमारे देश में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और देश में गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं को समाप्त करने के लिए कड़े उपाय करने चाहिएं।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण-मध्य) मैं अपने विषय पर बात करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। सार्क बैठक में हमारे प्रधानमंत्री ने काफी चर्चा की। हमारे प्रधानमन्त्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और अनेक बातें छप रही हैं। जहां तक श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान का सम्बन्ध है, हम इन राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों में ईमानदार हो सकते हैं। किन्तु सभी जगह हमारे देश के लिए समस्यायें उत्पन्न की जाती है। सोवियत संघ के अलावा पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान के श्री नजीबुल्ला का समर्थन कर रहा है। वहां लोकतांत्रिक सरकार है; वहां लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। नैतिक रूप से हम सही हो सकते हैं। किन्तु भारत के अतिरिक्त सभी पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्र अपने-अपने स्वार्थ के लिए वहां की विद्रोही सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यदि ऐसा है, तो हमें एक ओर

किया जा रहा है। विद्रोही नेता मुजाहिद्दीन हमारी सरकार पर अफगानिस्तान को पायलट तथा मिलिटरी सहायता देने का आरोप लगा रहे हैं। यह एक निराशा से उत्पन्न वक्तव्य हो सकता है। किन्तु हमने इससे इन्कार नहीं किया हैं, हम वहां की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जेनेवा समझौते के पश्चात् सोवियत संघ ने अपनी सेनायें अफगानिस्ताम से हटा ली हैं। किन्तु अमरीका मिलिटरी सहायता प्रदान कर रहा है और विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। पाकिस्ताम सरकार का भी वहां एक नियमित सैनिक अड्डा है और वे उन्हें मिलिटरी सहायता दे रहे हैं और समस्यायें खड़ी कर रहे हैं। किन्तु हमारी सरकार की नजीबुल्लाह सरकार को समर्थन देने की नीति अटल है। इन दिनों में, इसी बात से यथासंभव शांति बरकरार रखने में मदद मिल रही है। इसलिए यह स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है कि हम उस स्थिति से कैसे निपटेंगे।

जहां तक श्रीलंका का सवाल है, नैतिक रूप से हम सही हैं कि हम वहां एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना में मदद कर रहे हैं। लेकिन किस कीमत पर ? हम वहां पर अभी तक 800 सैनिक गंवा चुके हैं। जब हमारा चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इतने सैनिक तो हमने तब भी नहीं गंवाए थे। आप हमें आंकड़े नहीं बता रहे किन्तु हमने वह युद्ध लड़ने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। हम पिछले दो माह में लगभग 15 सैनिक गंवा चुके हैं। वहां पर आप किसे मार रहे हैं और किस उद्देश्य से ? श्रीलंका की सरकार खुश है कि हम वहां पर लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीलंका में वे लोग कह रहे हैं कि भारत लोकतंत्र की स्थापना में उनकी सहायता कर रहा है। इसी प्रकार आप अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नैतिक समर्थन दे रहे हैं किन्तु मुझे नहीं मालूम कि आप अपनी विदेश नीति में ऐसे मामलों से कैसे निपटेंगे।

कुछ अन्य बातों से यह स्पष्ट है कि अफगान विद्रोहियों तथा पंजाब के उग्रवादियों के बीच कोई सम्बन्ध है। ऐसा समाचार पत्रों में छपा है। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। वक्तव्य में उनका कहना है कि 'उनके बंधु' पंजाब के उग्रवादियों की मदद कर रहे हैं। वे भारत में अफगान राष्ट्रिकों को निर्देश दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक के जमाने में उन्हें पाकिस्तान से मदद मिलती थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान में अमरीका के सैनिक अड्डे हैं। मेरे विचार में उन पर पाकिस्ताम का भी कोई नियंत्रण नहीं है। वे सदा से ही पाकिस्तान में रहे है, और जहां तक भारत का संबंध है वे न केवल एक राज्य अपितु अन्य राज्यों के लिए भी खतरनाक सिद्ध होंगे। यदि ऐसा समय आया तो वे पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। अतएव उन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर हो रही गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली यह एक गम्भीर स्थिति है।

सरकार को यह समाचार अवश्य मिला होगा कि खालिस्तान समर्थकों ने विदेशों में अपने विभिन्न समर्थकों को अपने देशों में उन्हें राजनैतिक शरण देने के लिए धन्यवाद दिया। समाचार पत्रों में अभी हाल में यह खबर छपी है, मैं ब्यौरा नहीं जानता किन्तु बर्मा में तथा कुछ पड़ोसी देशों के कुछ लोगों को भारत में आकर उत्पात करने के लिए पारपत्र दिए जा रहे हैं। ऐसी सभी खबरें छपती हैं। कश्मीर भी अफगानिस्तान से दूर नहीं है और सम्भव है कि वहां पर भी कुछ समस्या खड़ी हो जाए। कश्मीर में हाल की गतिविधियां, विशेषकर पिछले दो या तीन दिन में जो कुछ भी हुआ है, उससे यही पता चलता है। यह अफगानिस्तान के बहुत नजदीक है और मुझे विश्वास है कि इन सब बातों में कोई संबंध है।

[डा० दत्ता सामन्त]

मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि वे इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे। हमारे श्रीलंका के साथ संबंध बिगड़ गए हैं। नेपाल के साथ भी हमने संबंध खराब कर लिए है। मैं यही कहना चाह रहा हूं। यह केवल उग्रवादियों तथा कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सरकार को इस देश की ऐसी सभी नीतियां तय करनी पड़ती है और मेरे विचार में अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के मामले में हम अपरिपक्व व्यवहार कर रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है।

महोदय, ठक्कर आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है। मैं उद्धृत करता हूं :

"श्रीमती इन्दिरा गांधी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करती थी जो कि बहुत से देशों को पसंद नहीं थी। वह विश्व शक्तियों के सामने झुकती नहीं थी तथा कुछ देश उनको हटाना चाहते थे। जांचकर्ता दल ने ऐसी बहुत-सी सामग्री इकट्ठी की है जिससे यह पता चलता है कि एक विदेशी एजेंसी ने आतंकवादियों को प्रेरणा देकर, बढ़ावा, आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आयोग की यह राय है कि एक विदेशी एजेंसी ने वास्तव में इस प्रकार की भूमिका अदा की है।"

आतंकवादियों से निपटने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री ने अमरीका का दौरा किया और वे राष्ट्रपति रेगन से मिले परन्तु यहां यही बात सामने आई है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या में सहायता की। मेरे विचार से अब वह समय आ गया है कि हमें अपनी नीतियों की पुनरीक्षा करनी चाहिए। आप ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से आसूचना प्राप्त करने और विदेश नीति तय करने में चतुराई से काम न लेने के कारण समस्या हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस नीति को बदलें और जहां तक अफगान विद्रोहियों और आतंकवादियों का संबंध है, उनसे अधिक समझदारी से निपटें। मैं यह आशा करता हूं कि इस चर्चा का उत्तर देते समय मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, जब श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में चुनाव जीता था और पाकिस्तान में लोकतन्त्र प्रतिष्ठित हुआ था तो हिन्दुस्तान की आम जनता को यह आशा हुई थी कि श्रीमती बेनजीर भुट्टो के साथ श्री राजीव गांधी के जैसे अच्छे रिलेशन बन गए हैं उससे अब पाकिस्तान से टैरेरिस्टों को कोई ज्यादा मदद नहीं मिलेगी।

हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और पाकिस्तान में भी ऐसी गवर्नमेंट बन गई है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहती हूं कि इस लोकतंत्र के साथ में एक दूसरी शक्ति भी पल रही है जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। जनरल जिया के समय मुजाहिदीनों को जैसी मदद मिलती थी वैसी ही मदद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बार्डर से पंजाब के टैरोरिस्टों को मिल रही है और बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स और फ्री-आर्मस हिन्दुस्तान में बहुत तेजी से आ रहे हैं।

मैं अब महत्वपूर्ण इशू की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। एक बहुत ही गम्भीर समाचार प्रेस में हमें देखने को मिला है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि हिकमतयार ने जो संदेश प्रेस में दिया है उसमें कहां तक सच्चाई है ? पंजाब के टैरारिस्टों और अफगान रैवल्स में जो सांठ-गांठ हो रही है और इसमें पाकिस्तान की जो गुप्तचर संस्था उनकी मदद कर रही है उसमें कहां तक

सच्चाई है। देश की जो इंटेलिजेंस ब्रांच है क्या उसको इसकी खबर पहले मिल गई थी ? यदि मिल गई थी तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की। इसके साथ ही अगर यह खबर सच है तो इसके ऊपर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इससे केवल हिन्दुस्तान को ही खतरा नहीं होगा बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी खतरा होगा।

जब जिनीवा एग्रीमेंट हुआ था तो गोर्बाचोफ और रेगन इस बात से सहमत हुए थे कि 15 फरवरी 1989 के अन्दर रूसी सैनिक अफगानिस्तान से वापिस चले जायेंगे। रूस ने अपने सैनिक इस बीच में वापिस बुला भी लिये थे। इस एग्रीमेंट में एक प्वाइंट यह भी था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में कोई दखलअंदाजी नहीं करेगा। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान से जो ड्रग्स और फ्री-आर्मस आ रहे हैं इसको रोकने के लिए हमें बड़े कदम उठाने चाहिए। अगर इस पर रोक नहीं लगायेंगे तो हमारे देश को खतरा होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो को चाहिए कि इस पर वह ज्यादा ध्यान दे।

अफसोस और शर्म की एक बात यह है कि हमारे अपर हाऊस का एक मैम्बर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसने काफी दिन पहले 1987 में अमेरिका में जाकर टी० वी० में इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो पैसा खर्च हुआ उसका पेमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। इंटरव्यू के बाद किसी मुस्लिम नेता ने यह कहा कि 1990 में हिन्दुस्तान में खालिस्तान बन जाएगा और प्रधानमंत्री का असेसिनेशन होगा। मेरा एक सुझाव है कि अगर कोई देश का रिस्पांसिबल मैम्बर बाहर जाकर देश के खिलाफ बात करे या कोई कांसिपरेसी करें तो आप उसकी मैम्बरशिप को डिसक्वालिफाई कर दें। इसके लिए अगर कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट भी करना पड़े तो वह किया जाना चाहिए। देश के इंटरस्ट के लिए प्रावीजन किया जाना आवश्यक है। जिस प्रकार से आपने सती प्रॉहिबिशन एक्ट में सती को ग्लोरीफाई करने के लिए रूल्स और प्वाइंट्स रखे हैं वैसे ही आप इसमें भी रखें। जो ** है वह ** नहीं है बल्कि बड़ा ** है। वैसे राज्य सभा वाले उसे** कहते हैं लेकिन मैं उसे ** न कह कर ** कहना चाहती हूं। वह एक बहुत बड़ा सेठ है। वह विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, वे दूसरे सदन के एक सदस्य का नाम ले रही हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : दत्ता जी, यह कोई पालिटिकल सवाल नहीं है। यह तो देश का सवाल है। दत्ता सामंत जी, यह आपकी और हमारी बात नहीं है। हम आपके खिलाफ भी बोलते हैं लेकिन यहां तो देश की बात हो रही है। आज खाली ** नहीं बल्कि कोई और भी रैस्पोंसिबुल मैम्बर यदि देश के बाहर जाए और देश के खिलाफ कोई कांस्प्रेसी करे और वह प्रूव हो जाए तो उसको डिस्क्वालीफाई करना सरकार के लिए जरूरी है। इसके लिए कांस्टीट्यूशन में एमेण्डमैंट करना चाहिए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि वे दूसरे सदन के एक सदस्य का नाम ले रही हैं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देख लूंगा।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं कहती हूं, कोई भी रेस्पोंसिबल मैम्बर। अगर गवर्नमेंट उसको प्रूव कर सकती है तो उसको जरूर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। हमारे देश के कांस्टीट्यूशन में बहुत से एमेण्डमेंट्स हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम हुए हैं तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है जब हमारा देश खतरे में है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की लाइफ खतरे में है, जब हमारी इण्टेग्रिटी खतरे में है तो हमारे देश से आगे और कोई चीज नहीं हो सकती है, इसलिए मैं यह बात कहना चाहती हूं।

कल थम्पन थामस जी ने ** की बात से ऊपर बोला है, धवन के खिलाफ बात बोली है। थम्पन थामस तो यहां नहीं हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि धवन और * एक नहीं हैं। धवन इन्दिरा जी का लायल आदमी है, धवन देश के लिए लायल है और **····देश के खिलाफ बोलने के लिए है, बाहर के लिए लायल है लेकिन देश के लिए लायल नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इन नामों का उल्लेख मत करिए। नाम रिकार्ड में नहीं रखे जायेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि आप कार्यवाही वृतांत देखें तो उनके भाषण भी कार्यवाही वृतांत से निकालने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने ने भी नामों का उल्लेख किया है। इसलिए मैं कह रही हूं।

सभापति महोदय : तब भी आपको नाम नहीं लेने चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे बोलना है। मैंने तो शुरू किया था कि यह इम्पोर्टेंट चीज है इसलिए बोलना जरूरी है लेकिन दत्ता सामन्त जी को ख्याल नहीं है।

मैं कहना चाहती हूं कि अफगान रिबेल्स के साथ आज हमारे देश के पंजाब टैररिस्ट्स का जो सम्बन्ध बना हुआ है, यह हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। इसमें हमारी इन्टेलीजेंस ब्रांच थोड़ा केयरफुली काम करे तो ऐसी चीज नहीं हो सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात करेंगी तो ऐसी चीज खत्म हो सकती है, ए० आई० एस० आई०। बेनजीर भुट्टो ने मदद नहीं दी है लेकिन बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिकल लाइफ भी सैट नहीं है। जैसा हिन्दुस्तान में है, वैसा ही पाकिस्तान में है। इस बात में ज्यादा ध्यान देने के लिए मैं मन्त्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैंने इस चर्चा को बड़े धैर्य से सुना है। मुझे लगता है कि हमारी चर्चा में भाषणबाजी अधिक हुई है और तथ्य कम बताए गए हैं। चर्चा का विषय अफगान मुजाहिदीन तथा पंजाब के आतंकवादियों के बीच सम्भावित सम्बन्ध है। किन्तु वक्ताओं ने अनेक इधर-उधर की बातें की है। हमने अफगानिस्तान में सिविल युद्ध से लेकर कुछ व्यक्तियों के कदाचार तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों सहित सभी विषयों पर चर्चा कर ली है। हमने भारत के अमरीका सोवियत संघ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा सभी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों पर चर्चा कर ली है। हमने पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में स्थिति पर चर्चा कर ली है। हमने 1984 में सिखविरोधी

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दंगों तथा शाहबानो के मामले पर भी चर्चा कर ली है। किन्तु हमने अफगानिस्तान की स्थिति की पृष्ठभूमि पर विचार नहीं किया।

आजकल अमरीका तथा रूस के विश्वव्यापी हितों में समाभिरूपता बढ़ रही है। पाकिस्तान तथा सोवियत संघ में समझौते की भी सम्भावना है। यदि मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेनजीर भुट्टो के आकर्षक व्यक्तित्व तथा राजीवगांधी की शालीनता का भी हाथ है। मैं नहीं जानता कि यह इसके विपरीत भी ऐसा है या नहीं। हमें अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति तथा सम्भवत अपने अंदरूनी मामलों के कुप्रबंध के तरीकों पर भी ध्यान देना होगा।

बहुत से वक्ताओं ने इसमें विदेशी हाथ होने का सन्देह व्यक्त किया है। हमारी राजनैतिक व्यवस्था में लगातार विदेशी हाथ होने का सन्देह व्यक्त किया जाता है। इस बात की सम्भावना से इन्कार किए बिना कि विदेशी शक्तियां हमारी परेशानियों का लाभ उठा रही हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस भावना से ग्रसित है। हम यह भूल जाते हैं कि कई बार हमने ऐसा आचरण किया है कि हमने स्वयं अपनी राजनैतिक व्यवस्था को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। एक राष्ट्र के रूप में हमें यह विश्वास होना चाहिए कि यदि हम राजनैतिक रूप से परिपक्व है, यदि हम आर्थिक रूप मे प्रगति कर रहे है और यदि हम सामाजिक रूप से जुड़े हुए है तो संसार की कोई भी शक्ति हमें अस्थिर नहीं कर सकती।

समकालीन इतिहास में अफगानिस्तान संगे-मील है। यह लगभग एक दशक तक महाशक्ति के सैनिक कब्जे में था और इस महाशक्ति को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इससे वियतनाम में अमरीका की हार तुरन्त ताजा हो जाती है। अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी स्वतन्त्रता की भावना की विजय है। दुर्भाग्य से अफगानिस्तान में अभी भी गृहयुद्ध जारी है और वह उसका मूल्य चुका रहे हैं और उस भूमि पर जब तक शान्ति कायम नहीं हो जाती वह इसका मूल्य चुकाते रहेंगे। दुर्भाग्यवश, राजनयिक असफलताओं के कारण, उस देश में हमारा नाम सोवियत संघ के उद्देश्य के साथ जोड़ दिया गया है। एक ऐसे देश में हमारी स्थिति महत्वहीन हो गई है जहां पर हमारी आवाज का महत्व होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि हम चूक गए हैं। हम शायद घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता खो चुके हैं। किन्तु हमें भावी अफगानिस्तान के साथ रहना है। हमारा स्थायी हित है और हमारा स्थायी हित भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच मित्रता और सहयोग को बनाये रखने में है। मुझे डर है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों देशों के महान लोगों के बीच मैत्री नहीं चाहती शायद वह मैत्री और सहयोग का प्रभात नहीं चाहती। इसलिए, मेरे विचार से अब समय आ गया है कि सरकार अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति की पुनरीक्षा करे और कम से कम उस पक्ष के साथ बातचीत करने का प्रयास करे जो भावी सरकार होने जा रही है।

पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के बीच मतभेद हैं, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार और अफगान मुजाहिद्दीन के बीच टकराव है। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिकमतयार, जिसे जिया-उल-हक के बहुत नजदीक समझा जाता था, बेनजीर भुट्टो के सत्ता में आने के बाद उनसे मिला तक नहीं है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और भारत-पाक सीमा पर भी हथियारों की तस्करी होती है। पानी निचली ओर बहता है। यदि मांग है तो सप्लाई भी होगी। वहां तस्कर है, वाणिज्यिक हित है विदेशी एजेंट है, भारत विरोधी ताकतें हैं जो उनकी मदद करती है। किन्तु इसे रोकने की हम में कितनी क्षमता है। मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हू (व्यवधान)।

डा० दत्ता सामन्त : क्या आप पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई को उचित ठहराते हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं इसे उचित नहीं ठहराता । मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि हम शून्य में नहीं रहते बल्कि इस बुराई से भरे विश्व में रहते हैं । बुराई तो है ही । हम उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ? किसी भी स्रोत से आने वाले हथियारों को रोकने की सरकार की क्षमता कहां है ?

मुझे खुशी है कि हिकमतयार के बारे में मेरी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । हमें यह पता लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि क्या यह सही वक्तव्य है । मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय हमें बताएं कि क्या भारत सरकार ने यह सिद्ध करने के लिए कि यह वक्तव्य सही है या नहीं अपनी जांच एजेन्सियों का उपयोग किया है । इसे पढ़ने से इसके स्रोत का पता नहीं लगता । उदाहरण के लिए इस प्रकार के मामलों में विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार" शब्दों का प्रयोग किया जाता है । पी० टी० आई० केवल यही कहता है ? "सूत्रों के अनुसार" किस स्रोत से ? वह स्रोत क्या है ? मुझे यह बात बड़ी अजीब लगती है कि हिकमतयार अपने भारतीय यूनिट से पंजाब में अपने भाइयों की गतिविधियों के बारे में कहें । यह एक विशेष भारतीय यूनिट हैं जो यह नहीं जानती कि पंजाब में हिकमतयार के भाई क्या कर रहे हैं । मुझे इस बात में सन्देह है कि कोई भारतीय यूनिट है भी या भारतीय यूनिट इसकी प्रमुख गतिविधियों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है । इसलिए, मैं, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पंजाब में आतंकवादियों को अफगान मुजाहिद्दीन द्वारा कितनी प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 'भारतीय यूनिट' हमारे भाईयों का पता लगा पाई है और भारत सरकार ने सप्लाई को यदि कोई है रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा इस 'भारतीय यूनिट' तथा इस "हमारे भाइयों" को सजा देने के लिए क्या कदम उठाए है जो इस देश के कानून का उल्लंघन करते हुए हमारे हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, सरकार ने 29 मार्च, 1989 को छपे उस समाचार की ओर ध्यान दिया है जिससे पंजाब में अफगान विद्रोहियों और आतंकवादियों के बीच संभावित साठ-गांठ के बारे में यह विवाद आरम्भ हुआ है, महोदय, मैं इस सदन में कल और आज माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त चिंता से सहमत हू । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े । रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य है, महत्वपूर्ण शब्द है । महोदय, सर्वप्रथम यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बेनजीर भुट्टो विरोधी है । इसमें आरोप लगाये गए हैं और मैं उद्धृत करता हूं :

> "पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की योजना इन चैनलों को बन्द करने तथा जो लोग सक्रिय है उन्हें संगठित करने की है ।"

अन्तिम पैरा भी इतना ही महत्वपूर्ण है । इसमें कहा गया है ।

> "इस सन्देह में जिया-उल-हक से प्राप्त समर्थन का जिक्र किया गया है और पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति को मुसलमानों का उद्धारक कहा गया है ।"

इस प्रकार यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सब उन ताकतों के पाकिस्तान में आपसी टकराव को दर्शाती है जो जिया-उल-हक की नीतियों के समर्थक हैं तथा जो बेनजीर भुट्टो सरकार के विरोधी हैं । इस समय मैं आपको यह बताता हूं कि यह ताकतें श्रीमती बेनजीर भुट्टो और उनकी सरकार के विरुद्ध क्यों हैं ?

सबसे पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान सरकार में भी, और शायद पाकिस्तान सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच चल रहे आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। महोदय, हमें इस की भी जानकारी है कि पंजाब में कार्य बात कर रहे उग्रवादियों, न कि स्वयं आतंकवादियों बल्कि विदेशों में बैठे उनके सलाहकारों के बीच समझौता है और अफगान मुजाहिद्दीनों की सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1985 में कुछ सिख उग्रवादी ब्रिटेन में अफगान मुजाहिद्दीनों के सम्पर्क में आए। इसी प्रकार कुछ सिख उग्रवादी 1986 में अमरीका में तथाकथित अफगान स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्पर्क में आए। बेशक, इन दोनों ग्रुपों के बीच हथियारों की खरीद के मामले में आपस में समझौता है। वास्तव में, हमारे पास इस प्रकार की रिपोर्ट आई है कि दिसम्बर, 1987 में पंजाब के उग्रवादी ग्रुपों ने अपने स्रोतों से मुजाहिद्दीनों से 'स्टिंगर मिसाईल' खरीदने का प्रयत्न किया। इस प्रकार की कुछ रिपोर्टें है कि बहुत कम संख्या में स्टिंगर मिसाईल खरीदे गए किन्तु इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के मिसाईल भारत में पहुंचे हैं। जबकि सिख उग्रवादियों और अफगान मुजाहिद्दीनों के बीच कुछ समझौता है, मैं यह नहीं समझता कि यह रिपोर्ट सही है कि हिस्बे इस्लामी की कोई भारतीय यूनिट भी है। भारतीय सीमा क्षेत्र में इस प्रकार का कोई यूनिट होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।

1.00 म० प०

कुछ समय पहले, एक समाचार छपा था कि अफगानिस्तान की इस्लामी पार्टी, एक अफगान ग्रुप, जो भारत में सक्रिय है, को एक पत्र लिखा गया था और अली खां के नाम का उल्लेख किया गया था। किन्तु अली खां ने स्वयं इस प्रकार का पत्र प्राप्त होने से इन्कार किया। यह सही है कि भारत में अफगान लोग है जो शरणार्थियों के रूप में भारत आए हैं (व्यवधान) किन्तु हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अफगान शरणार्थी भारत-पाक सीमा पर सक्रिय हैं। मेरे विचार से यह कहना बिलकुल गलत है कि भारत में शरणार्थियों के रूप में आए अफगान लोगों का भारत-पाक सीमा की गतिविधियों या पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों से कुछ लेना-देना है। यहां मैं अफगानिस्तान के मामले में भारतीय नीति को पुनः दोहराना चाहता हूं। मैं विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वह शासकीय दस्तावेज पढ़ रहा हूं जो उन्होंने अखबारों में छपी इन खबरों के खंडन में जारी किया था कि भारतीय सैनिक सलाहकार अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। यह इस प्रकार से है :

> "भारत का अफगानिस्तान के साथ कोई सैनिक सहयोग नहीं हैं और अफगानिस्तान में भारतीय सैनिक सलाहकारों या भारतीय वायुसेना के पायलटों की उपस्थिति संबंधी सभी समाचार शरारतपूर्ण, मिथ्या, प्रचारात्मक और आधारहीन है।"
>
> "....हम अफगानिस्तान में तुरंत खूनखराबा रोकने के पक्ष में है और यह विश्वास करते है कि अफगानिस्तान के लोगों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना विद्यमान वास्तविकताओं और सभी सम्बद्ध जायज हितों को दृष्टि में रखते हुए, स्वयं अपना भविष्य निर्धारित करने की अनुमति होनी चाहिए। भारत हमेशा से ही प्रभुसत्ता सम्पन्न गुटनिरपेक्ष स्वतंत्र अफगानिस्तान का पक्षधर रहा है और हम आशा करते हैं कि वहां पर जितनी जल्द हो सके शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल हो सकेगी।"

सिद्धांतों पर आधारित हमारी स्थिति के बावजूद मुजाहिदीनों की ओर से समय-समय पर ये समाचार प्रकाशित होते रहे हैं कि काबुल की वर्तमान सरकार को भारतीय सेना के सलाहकार सलाह दे रहे हैं। सम्भवतः इसी के जवाब में इसी प्रकार के समाचार छपते रहे हैं कि अफगान

[श्री पी० चिदम्बरम]

मुजाहिदीन भारत में आतंकवादियों के साथ मिल गए हैं तथा वे उनकी मदद कर रहे हैं। पहली बात तो सर्वथा गलत है। दूसरी बात के संबंध में हम इस बात से पूर्णतय: संतुष्ट है कि भारत में ऐसा कोई गुट पंजाब के आतंकवादियों के साथ मिलकर कार्य नहीं कर रहा है।

महोदय, हमें इस सदन में समय-समय पर विशेष रूप से जिया-उल-हक के शासन काल के दौरान पंजाब में आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी एजेंसियों की सांठ-गांठ होने के बारे में कुछ जानकारी मिलती रही है। महोदय, वास्तव में आपको याद होगा कि 2 अगस्त, 1988 को सरकार ने इस सदन के समक्ष एक विवरण रखा था, जिसमें यह कहा गया था—मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं :

"वर्तमान संवीक्षा से पता चलता है कि आतंकवादियों का मार्ग-निर्देशन करने, उन्हें शस्त्र पहुंचाने और शरण देने के मामले में पाकिस्तान की भूमिका में कोई अन्तर नहीं आया है। कई आतंकवादी नेता कई बार पाकिस्तान गए हैं। सामान्य आतंकवादो भी काफी संख्या में किसी न किसी वजह से पाकिस्तान गए हैं। उग्रवादियों को पाकिस्तान से ये निदेश मिले हैं कि यद्यपि भारतीय सुरक्षा बल उन पर दबाव डाल रहे हैं किन्तु उन्हें पंजाब तथा भारत के अन्य भागों में आतंकवादी अपराध, जिसमें हिन्दुओं के मन्दिरों पर बम-विस्फोट तथा हमले, कांग्रेस (आई) पार्टी तथा अन्य पार्टियों से सिखों को निकालना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों पर हमले करके उन्हें हतोत्साहित करना, शामिल है, करते रहने चाहिए।"

महोदय, पाकिस्तान में आई० एस० आई० (अंत: सेवा खुफिया बल) की भूमिका तथा गतिविधियो का जिक्र किया गया है। आई० एस० आई० क कई बलों के साथ सम्पर्क है। स्पष्टत: एक बल अफगान मुजाहिदीनों का है और उसके कई सबूत हैं। आई० एस० आई० कुछ ऐसे बलों का भी समर्थन कर रही है जो पंजाब में शस्त्र लाते हैं। यह भी पाया गया है कि आई० एस० आई० का पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैंप चलाने में भी हाथ है और वे लोग बाद में पंजाब में घुस आते हैं। आई० एस० आई० का संबंध कशमीर में जम्मू-कशमीर लिबरेशन फ्रंट के साथ भी है। अत: जम्मू-कशमीर लिबरेशन फ्रंट और पंजाब में आतकवादियों अथवा मुजाहिदीनों के बीच संबंधों में अधिकाधिक मजबूती प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई है। अपितु वह आई० एस० आई० के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सरकार ने आई० एस० आई० की गतिविधियों को नजदीकी से परखा है। हमारे पास इसके कई प्रमाण है कि आई० एस० आई० जिया-उल-हक के शासनकाल के दौरान किसी भी कीमत पर पंजाब में आतंकवाद बढाने तथा जम्मू और कशमीर में जे० के० एल० एफ० की गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। यह सम्भव है कि इन बलों ने एक-दूसरे के साथ कुछ संबंध बढ़ा लिए हैं। किन्तु जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि इनका सम्पर्क आई० एस० आई० के माध्यम से है। श्रीमती बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हम यह विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने आई० एस० आई० की शक्तियों और गतिविधियों को कम करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। हम जानते हैं कि आई० एस० आई० का राजनीतिक पक्ष समाप्त कर दिया गया है। यह प्रश्न कि क्या कोई विद्रोही अभी भी सक्रिय है, हमें इस संबंध में निरन्तर नजर रखनी होगी। हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आई० एस० आई० की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है और इस रोक के परिणामस्वरूप, सम्भवत: आई० एस० आई० स्वयं ही उन विभिन्न बलों के नाम संदेश भेज रहा है जिसके साथ इसके सम्पर्क हैं।

महोदय, श्री भाटिया और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने 25 मार्च, 1989 को ब्रिटेन में हुई एक बैठक का उल्लेख किया है। यह बैठक जगजीत सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में

ब्रिटेन में बसे अफगानी विद्रोहियों के कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार संकल्प में एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमरीकी कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा पंजाब में मानवीय अधिकारों के तथाकथित उल्लंघन का मामला उठाने के लिए उनका धन्यवाद प्रकट किया गया था। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि संकल्प में किसी देश की किसी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया हो। लंदन में 16 अक्तूबर, 1988 को एक और रैली हुई थी। इस रैली का आयोजन भी आजाद कश्मीर, मुस्लिम कांफ्रेंस, जे० के० एल० एफ० के समर्थकों और जगजीत सिंह चौहान द्वारा किया गया था। यह रिपोर्ट भी मिली है कि इस रैली में 25 सिख उग्रवादी नेताओं तथा अफगान मुजाहिदीनों के 5 सदस्यों ने भी भाग लिया था। अतः इंगलैंड में विशेष रूप से जगजीत सिंह चौहान विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विभिन्न दलों को इकट्ठा कर रहा है और इसलिए सरकार उनकी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखे हुए है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएंगे कि इन गतिविधियों के कारण भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े अथवा इससे आतकवाद को बढ़ावा न मिले।

यद्यपि यह विशेष चर्चा पंजाब तक ही सीमित है, किन्तु जम्मू और कश्मीर और पंजाब में जो कुछ हो रहा है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आतंकवादी देश के दोनों हिस्सों में हैं। हम जानते हैं कि आई० एस० आई० तोड़-फोड़ करने वालों और आतंकवादियों को जे० के० एल० एफ० में शामिल करने में सहायता कर रहा है। कुछ विध्वंसक पंजाब में जम्मू और कश्मीर से में भी आ सकते हैं। इसलिए हम जम्मू और कश्मीर जे०के०एल० एफ० पर तथा पंजाब में आतंकवादियों पर बड़ी सावधानीपूर्वक नजर रखे हुए हैं।

2 अगस्त, 1988 को मैंने एक वक्तव्य देते समय सभा को दस्तावेजों के बारे में काफी जानकारी दी थी। मैं इस अवसर पर एक और दस्तावेज के बारे में बताना चाहता हूं। 15-16 मार्च, 1989 की रात्रि को खेमकरण क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी पर दो घुसपैठिये पाकिस्तान जाते हुए मारे गए। उनसे तथाकथित पंथिक कमेटी के पैड पर गुरुमुखी में लिखा हुआ एक पत्र मिला। यह पत्र वासन सिंह जफ्फरवाल ने श्री गुरुबचन सिंह मनोछहल के नाम लिखा था। मेरे पास इस पत्र का अंग्रेजी अनुवाद है और मैं इस पत्र के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं जिनसे यह पता चलेगा कि इन लोगों को पाकिस्तान के कुछ बलों से किस तरह का समर्थन मिल रहा है। मैं यह पत्र पढ़ रहा हूं :

> "पिछली बार जब श्री राजीवगांधी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो श्रीमती बेनजीर भुट्टो के साथ उनकी लम्बी बातचीत हुई। श्रीमती बेनजीर भुट्टो वे प्रशिक्षण केंद्र बंद करने पर राजी हो गई थीं जो पाकिस्तान में सिखों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए गए थे। रेंजर्स को भी ये निदेश दिए गए हैं कि वे सिखों को पहले दी गई सुविधाएं अब उपलब्ध नहीं करवाएं।"

सीमा सुरक्षा बल के समतुल्य पाकिस्तान रेंजर्स का भी उल्लेख किया गया है।

> "इस तरह हमें सीमा पार शस्त्र भेजने में कठिनाई होगी। इस समझौते के परिणामस्वरूप जिस लक्ष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वह असफल हो जाएगा। जब तक बेनजीर भुट्टो कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाती, सिखों को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। अब हमें राजीव गांधी तथा बेनजीर भुट्टो दोनों ही की हत्या करनी पड़ेगी।"

यह हंसने की बात नहीं है। यह चिंता का विषय है।

हमें इस धमकी का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पत्र का विषय न्यूनाधिक रूप से रिपोर्ट के विषय से मिलता है सिवाय इसके कि 'रेंजर्स के स्थान पर आप

[श्री पी० चिदम्बरम]

अफगान मुजाहिदीन है। अतः मैं इस समाचार के बारे में कहना चाहूंगा जो अफगान मुजाहिदीनों के बारे में नहीं है। यह रिपोर्ट अफगान मुजाहिदीनों के बारे में नहीं अपितु पाकिस्तान में उनके परामर्शदाताओं और मित्रों के बारे में है। यह चुनौती सच हो सकती है। लेकिन चुनौती भारत की इस तथाकथित इकाई को अफगान मुजाहिदीनों ने नहीं दी है। यह चुनौती सम्भवतः पाकिस्तान में अफगान मुजाहिदीनों के परामर्शदाताओं ने उन्हें दी हैं, जिन्हें वे पंजाब में सहायता दे रहे हैं।

हमने आई० एस० आई० की गतिविधियों, विशेष कर इसकी अतीत की गतिविधियों पर ध्यान दिया हैं। हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि प्रधानमंत्री भुट्टो क्या करने का प्रयास कर रही हैं। उनकी बहुत कठिनाइयां हैं। किन्तु हमें आशा है कि वह पाकिस्तान में सक्रिय विभिन्न एजेंसियों पर पूरा नियंत्रण कर पाएगी। महोदय, सरकार श्री बी० आर० भगत को इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद देती है। हम इस बारे में बहुत चिंतित है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है हमारे पास जरूरी जानकारी है। हमारी जांच तथा खुफिया एजेंसियां बहुत जागरूक/चौकन्नी हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और यथासम्भव कार्य करेंगे कि विदेशी एजेंसियां या विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर बनाने के लिए प्रत्यक्ष का परोक्ष कोई भूमिका न निभाएं।

1.16 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90

ऊर्जा मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय : अब हम अगला विषय लेते हैं : ऊर्जा मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा तथा उस पर मतदान।

श्री अनिल बसु बोलेंगे।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, केंद्रीय सरकार के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों में से एक है जिसके सम्बन्ध में हम अब चर्चा कर रहे हैं।

ऊर्जा मंत्रालय के तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं अर्थात् विद्युत, कोयला और गैर-परम्परागत ऊर्जा। किन्तु इस विषय पर चर्चा के लिए आवंटित समय बहुत कम है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप मुझे इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दीजिए और मुझे भी इसके लिए अपेक्षित समय दिया जाए।

महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए ऊर्जा ही एक मूल आवश्यकता है। हमारी जनता के रहन-सहन और ऊर्जा की खपत में सीधा सम्बन्ध है। हमारे देश में ऊर्जा की प्रतिव्यक्ति खपत से व्यक्त होता है कि हमारे देश को विकासशील देश कहने के बावजूद हम ऊर्जा की खपत के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। आज देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यह देखा जाएगा कि हमारी 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जी रही है। 40 प्रतिशत सामान तथा सेवाएं 10 प्रतिशत जनता को उपलब्ध हैं जबकि हमारी 40 प्रतिशत जनता को केवल 15 प्रतिशत वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध हैं। चार करोड़ से अधिक शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराए हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। यदि हम ग्रामीण

क्षेत्र को भी इसमें शामिल करें तो देश में बेरोजगार लोगों की जनसंख्या आज लगभग 12 करोड़ है। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आकाश को छूने लगी हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था और मुद्रा स्फीति इस देश के आभूषण बन गए हैं। भुगतान संतुलन की स्थिति हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बनी हुई है। अंधाधुंध आयात से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष भुगतान किए गए और भुगतान न किए गए मध्यावधि तथा दीर्घावधि बकाया विदेशी ऋणों में भारत का हिस्सा लगभग 55,000 करोड़ रुपये था। इस ऋण के लिए जो भुगतान हमें करना पड़ता है वह चालू वर्ष के दौरान वर्तमान प्राप्तियों के अनुमानतः 25 प्रतिशत के बराबर बैठता है। अतः यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो कुछ तृतीय विश्व देशों की भांति हम साम्राज्यवादी देशों के ऋण के जाल में फंसने वाले हैं। मैं उद्योगों को बन्द करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस समय ऐसे 1,80,000 उद्योग हैं। लाखों कर्मकारों की छटनी कर दी गई है। उन्हें रोजगार से निकाल दिया गया है। अतः यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि इस सरकार की आर्थिक नीति प्रति उत्पादक बन गई है। यदि हमारे पास युक्तियुक्त आर्थिक नीति नहीं है तो हम युक्तियुक्त ऊर्जा नीति भी नहीं बना सकते हैं। इन दोनों मामलों में हम असफल हो रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है।

कोयले के सम्बन्ध में हमारे देश के अनुमानित कोयला भण्डार 170 अरब टन है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : वे नहीं सुन रहे हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : हम सभी सुन रहे हैं।

श्री अनिल बसु : हमारे देश के अनुमानित कोयला भण्डार 170 अरब टन हैं और भूरा कोयला के 6 अरब टन है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व उत्पादन 700 लाख टन था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जब वर्ष 1976-77 में अधिक पूंजी लगाई गई, तो यह बढ़कर 1000 लाख टन हो गया। छठी योजना अवधि के दौरान 2,573 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई और छठी योजना के अंत में उत्पादन 1474.1 लाख टन था। सातवीं योजना के दौरान 6,700.58 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई और कोल इंडिया लिमिटेड के लिए पूंजी निवेश 6,000 करोड़ रुपये और सिंग्रेनी कोयला खानों के लिए 580 करोड़ रुपये और अनुसंधान और विकास के लिए 120 करोड़ रुपये लगाए गए। वर्ष 1977-78 में कोयले का उत्पादन 1799 लाख टन निर्धारित किया गया था और इसमें लक्ष्य में दो प्रतिशत कमी थी। वर्ष 1988-89 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य 1962.6 लाख टन था और अप्रैल-सितम्बर, 1988 के दौरान वास्तविक उत्पादन 1328 लाख टन था। अतः जनवरी से मार्च 1989 के दौरान 631.8 लाख टन की कमी पूरी करनी रहती है। अब यह बात स्पष्ट है कि वर्ष 1988-89 के दौरान उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ अतः वर्ष 1989-90 में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 2100 लाख टन पुनः निर्धारित किया गया है फिर भी मांग 2220 लाख टन होगी। मांग और उत्पादन में जो 120 लाख टन का अन्तर है उसको आयात किए गए भण्डारों के मुहानों से ही पूरा किया जाएगा। आयात करने का प्रश्न क्यों आता है? 31 दिसम्बर 1988 को मुहानों के भण्डार की स्थिति 284 लाख टन थी। 120 लाख टन की कमी मुहानों के भण्डार से पूरी की जा सकती है जिसमें 284 लाख टन कोयला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आयात करना आवश्यक होगा?

इस क्षेत्र में एक और महत्त्वपूर्ण बात धातुकर्मीय ग्रेड कोकिंग कोयला है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 1986-87 में 236 लाख टन का उत्पादन किया जो 1987-88 के दौरान घट कर

[श्री अनिल बसु]

221 लाख टन हो गया। यह 1988-89 में और घट कर 190 लाख टन के बराबर हो गया। धातुकर्मीय ग्रेड कोंकिंग कोयले के उत्पादन में इतनी कमी क्यों हो गई ? मांगों को पूरा करने के लिए आयात की जरूरत पड़ेगी। यदि हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति इतनी गम्भीर है तो क्या हम लगभग 90 लाख टन धातुकर्मीय ग्रेड कोकिंग कोयले के लिए प्रति टन लगभग 1200 रुपये प्रति टन दे सकते हैं ? इस उत्पादन को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? देश के बड़े विदेशी मुद्रा भण्डारों को खाली करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

कोल इंडिया लिमिटेड प्रमुख उत्पादक है। सबसे अधिक दुख की बात कोल इंडिया लिमिटेड का बढ़ता हुआ घाटा है जो राष्ट्रीयकरण के बाद लगभग 2500 करोड़ रुपये बैठता है। वास्तव में कोल इंडिया लिमिटेड में 1975 में इसकी स्थापना से आश्चर्यजनक कारणों से 1981-82 को छोड़कर निरन्तर घाटा हो रहा है।

हमारे गृह मंत्री के सहित कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने यह स्पष्ट करना चाहा कि यह घाटा अधिक कार्य बल और मजदूरी बढ़ने तथा कम उत्पादकता के कारण है। यदि कोयला खानों में काम करने वालों की मजदूरी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नि चय ही एक अवधि से दूसरी अवधि में वृद्धि हुई है और यदि इसी अवधि के दौरा जीवन निर्वाह में हुई वृद्धि को हिसाब में ले तो वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है। क्या वास्तविक आय में इस वृद्धि के कारण कोल इंडिया लिमिटेड में घाटा हुआ है ? राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्रत्येक कर्मकार पर कम्पनी के खर्चे अर्थात् मजदूरी, सुख-सुविधाएं आदि में 27 रुपये प्रति दिन से 107 रु० प्रतिदिन की अर्थात् 4 गुणा वृद्धि हुई; किंतु इसी अवधि के दौरान कोयले के मूल्य में 32 रुपये से 249 रुपये प्रति टन अर्थात् उसमें आठ गुणा वृद्धि हुई है।

श्री कल्पनाथ राय : उत्पादन की क्या स्थिति है ?

श्री अनिल बसु : मैंने पहले बताया है। इसका यह अर्थ है कि आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्हें कोयले में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें तो केवल ऊर्जा में रुचि है।

श्री अनिल बसु : मैं मानता हूं कि कोयले की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा हिस्सा मजदूरों पर खर्च होता है। किन्तु यन्त्रीकरण से मजदूरों की आय में कमी हो रही है। सबसे पहले तो यह लगभग 63 प्रतिशत थी किन्तु यह यह अब घट कर 43 प्रतिशत हो गई है। अत: यदि मजदूरी में कमी करने से लागत और घाटे में कमी होती है तो अब तक दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

इसके विपरीत घाटा 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 में 400 करोड़ तक हो गया है। ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है कि आपने अंधाधुंध मशीनरी खरीद ली है। आपने 2000 करोड़ रुपये की मशीनरी खरीद ली जिसमें से 1000 करोड़ रुपये की मशीनरी पहले ही कबाड़ बन गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड में एक बहुत ही ओछा कार्यक्रम यन्त्रीकरण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का अंतर्राष्ट्रीयकरण अभियान है। इससे देशी उपकरणों की उत्पादन इकाइयों में एक समस्या उत्पन्न हुई है। एक ओर तो यह दावा किया गया है 1986-87 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 407i02 करोड़ रुपये की कुल राशि में ही 277.70 करोड़ रुपये के देशी संसाधनों से मशीनरी तथा उपकरण खरीदे गए अर्थात् यह 68.23 प्रतिशत बैठता है। वर्ष 1987-88 में यह खरीददारी 250 करोड़ रुपये में से 220 करोड़ की थी अर्थात् यह 85 प्रतिशत हुई।

आप एक विचित्र बात देखेंगे। बताया जाता है कि देश की 17 इकाइयां खनन उद्योग के लिए मशीनें खरीद रही हैं जिनकी स्थापित क्षमता 115 करोड़ रुपए है और यह सभी 45 प्रतिशत क्षमता उपयोग के साथ घाटे पर चल रही हैं। जब सभी इकाईयों की स्थापित क्षमता 115 करोड़ रुपये है, क्षमता की उपयोगिता 45 प्रतिशत है तो यह कैसे हुआ। सी० आई० एल० 277070 करोड़ रुपये मूल्य की मशीनरी खरीद रही है जबकि सभी खनन मशीन निर्माण उद्योगों की क्षमता केवल 115 करोड़ रुपये हैं। फिर यह देशीय मशीनीकरण क्या है जो कोयला क्षेत्र में मशीन निर्माण उद्योग के लिए काम उपलब्ध नहीं करा सकता और इसकी बजाय खनन उद्योग में लगी मानव शक्ति को खतरा पैदा करता है।

इसके अतिरिक्त विलक्षण बात यह है कि मशीनों की उपयोगिता खानों में कार्यरत मानव शक्ति से भी कम है। बी० सी० सी० एल० के हाल के अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि डम्पर की क्षमता का केवल 32 प्रतिशत; शॉवल (बेलचे) की क्षमता का 37 प्रतिशत और ड्रिल की क्षमता का 32 प्रतिशत ही उपयोग किया जाता है। चारी समिति और मंत्रालय के महत्वपूर्ण अधिकारी (कार्मिक) तथा वार्षिक रिपोर्ट सभी खुले खनन का समर्थन कर रहे हैं और कोई भी भूमिगत खनन की ओर नहीं जाना चाहता है। किन्तु क्या यह हानियों की समस्या का सबसे उत्तम हल है? वर्ष 1985-86 की रिपोर्ट के अनुसार खुली खनन की लागत भूमिगत खनन की लागत का 50 प्रतिशत थी। ई० सी० एल० में यह लागत 43 प्रतिशत है। डब्लू० सी० एल० में 47 प्रतिशत तथा सी० सी० एल० में 32 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 1975-76 में खुले खनन से केवल 25 प्रतिशत कोयले का उत्पादन हुआ और वर्ष 1987-88 में यह अनुपात 65 प्रतिशत तक चला गया। वर्ष 1986-87 में खुले खानों में 88.09 एम० टी० उत्पादन हुआ जबकि भूमिगत खानों में 73.27 एम० टी० कोयले का उत्पादन हुआ। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए हानियां कम क्यों नहीं हुई? सी० सी० एल० और डब्लू० सी० एल० से उत्पादन प्राथमिक रूप से खुले खनन पर आधारित था जबकि ई० सी० एल० में यह भूमिगत खनन पर आधारित था। वर्ष 1985-86 में सी० सी० एल० और डब्ल्यू० सी० एल० में क्रमशः 83.24 करोड़ रुपये और 9905 करोड़ रुपये की हानि हुई जबकि ई०सी० एल० में हानि 69.97 करोड़ रुपये थी। यदि खुला खनन ही इसका हल है तो इन हानियों का स्पष्टीकरण क्या है? मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि नीति खुले खनन की ही है तो आप सही दिशा में उचित कदम उठाएं अन्यथा भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण आपकी बहुत सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी रह जाएगी। इसलिए यदि खुला खनन ही नीति है तो आप सही दिशा में उचित व्यवस्था करें। मशीनरी और मानव शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। भावी योजना होनी चाहिए और भूमि देने वालों को रोजगार दिया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा किया नहीं जा रहा है।

दूसरे, खुला खनन परियोजनाओं के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि कोयले के नाम पर शॉवल और पत्थर सप्लाई किया जाता है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके परिणाम अनर्थकारी हैं। अब राज्य विद्युत बोर्डों के पास स्वीकृति के लिए सी० आई० एल० के 1200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के बिल लम्बित पड़े हैं। दूसरी ओर, राज्य विद्युत बोर्डों ने घटिया किस्म के कोयले की पूर्ति किए जाने के लिए मुआवजे के रूप में 500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रति-दावे कर दिए हैं। मैं कोयला क्षेत्र के संबंध में अपने राज्य की समस्याएं रखना चाहता हूं। मंत्रालय ने डंकुने कोल कम्पलेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया था किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि वे इस कम्पलेक्स का निर्माण करने में कितने वर्ष लगाएंगे? आप देख सकते हैं कि कोयला बजट में इसके लिए कोई पृथक शीर्ष नहीं है। इसे सी० आई० एल० और डंकुने कोल कम्पलेक्स की

[श्री अनिल बसु]

आवश्यकताएं 20 करोड रुपये से घटाकर 15 करोड़ रुपये कर दी गई हैं। इस स्थिति में आप इस परियोजना को कैसे पूरा करेंगे ?

आसनसोल और अलीगंज कोयला क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक सहायता की है। कोयला बाहर निकालने के बाद मानव जीवन की कोई परवाह नहीं करता है और नीतियों तथा अवैज्ञानिक योजना के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र नष्ट हो रहा है। समुचित बिल प्रणाली भी नहीं है। इसमें ठेकेदार लगाए हुए हैं। उन्हें करोड़ों रुपये दिए जा रहे हैं और बोगस बिल तथा वाऊचर प्रस्तुत किए जाते हैं। ठेकेदारों को करोड़ों रुपयों का भुगतान किया जा चुका है और इस विशिष्ट क्षेत्र में सी० आई० एल० के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण सारा क्षेत्र नष्ट हो रहा है।

अब अगला मुद्दा प्रबंधकों और कामगारों के संबंधों के बारे में है। 1.1.89 को सी० आई० एल० की कुल जन शक्ति 6,71,111, है। और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5000 की कमी की गई है। यह तो सीधी सी बात है कि यदि उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन करने वालों को मजदूरी, पदोन्नति, आवास आदि के रूप में तरजीह दी जानी चाहिए। किन्तु कोयला क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कामगारों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि कोयला क्षेत्र में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। वहां नियुक्त अध्यापकों को संयुक्त समिति द्वारा 150 रु० या 200 रुपए दिए जाते हैं। इतने वेतन से आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि अध्यापक कामगारों के लड़कों और लड़कियों को पढ़ाएंगे ? इन बातों की ओर देखने की कोई परवाह नहीं करता है और ये अधिकतर कामगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हरिजन समुदायों के हैं। उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है क्योंकि कोयला क्षेत्र में कोई उचित विद्यालय व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि स्वतंत्रता के 42 वर्ष बाद भी कोयला क्षेत्र में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। कोयला क्षेत्र में पीने के पानी की उचित व्यवस्था का विकास नहीं किया गया है।

मार्च, 1988 में कामगारों ने हड़ताल कर दी थी क्योंकि सरकार ने उन्हें हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया था और उत्पादन बन्द हो गया था। किन्तु अगस्त की हड़ताल के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई जो कामगारों ने स्वयं की। कुर्सी पर बैठने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर कोई प्रभावी प्रतिबंध नहीं है। अस्थायी कामगारों को स्थायी रूप से नौकरी नहीं दी जाती। उन्हें स्थायी कामगार नहीं माना जाता है। भूमि देने वालों को रोजगार नहीं दिया जाता किन्तु कुर्सी पर बैठने वालों की भर्ती में वृद्धि हुई है। महिला कामगारों को भी काम नहीं दिया जाता और इस प्रकार उनकी छंटनी कर दी गई है। परिणाम यह हुआ है कि बी० सी० सी० एल० की जन शक्ति आज 1,42,00 से 1,70,000 हो गई है जबकि राष्ट्रीयकरण के समय खान में काम करने वालो की संख्या 55000 से घट कर आज 35000 हो गई है जिनमें से केवल 25,000 ही काम पर आते हैं। खनिकों की संख्या में कमी हो रही है जबकि अन्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

मैं यह भी कह दूं कि हर व्यक्ति कम उत्पादकता की बात करता है, मंत्री से लेकर सी० आई० एल० प्रबंधकों तक सभी कम उत्पादकता की बात करते हैं और मंत्री जी हमें अक्सर इसके बारे में बताते हैं। किन्तु उन्होंने कार्यालय प्रबंध सेवा के परिणाम भी नहीं लिए। क्या इसका अर्थ यह है कि सी० आई० एल० को कार्यालय प्रबंध सेवा के 'ब्रेकइवन' पवाइंट का पता नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता।

हालांकि भूमिगत खानों की, वास्तव में, उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है और यह लगभग 0.54 टन तक ही स्थिर रही है किन्तु खुली खानों में समग्रत: उत्पादकता में वर्ष 1974 75 में

0.58 टन से वर्ष 1987-88 में 1.06 टन तक वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष 1987-88 में हानियों में कमी नहीं आई। सी० आई० एल० ने उत्पादन और उत्पादकता में 11 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि की है किन्तु साथ ही हानियां भी 400 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस प्रकार सी० आई० एल० की हानियों का कारण कामगारों की संख्या या उनकी मजदूरी नहीं है बल्कि इसमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हानियों के लिए जिम्मेवार कारक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपव्यय है जो इस संगठन को खोखला कर रहे हैं।

महोदया, कोयला माफिया को केन्द्र में शासित पार्टी से समर्थन मिलता है और प्रबंधकों तथा राजनीतिक आकाओं के बीच गठबन्धन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री पी० राजगोपालन द्वारा एक दशक पूर्व मंत्रालय को दी गई जांच रिपोर्ट पर मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है? रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई और न ही इसके सुझाव और सिफारिशें ही लागू की गई हैं क्योंकि इसमें सी०आई०एल० अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके राजनीतिक आकाओं के बीच सांठगांठ का खुलासा किया गया था।

इस तथ्य का क्या स्पष्टीकरण है कि सी० आई० एल० ने वर्ष 1987-88 में 17.5 करोड़ रुपये की हानि उठायी और ठेकेदारों को एक वर्ष में 3.35 करोड़ से बढ़ाकर 16.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया तथा अन्य खर्च 30.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 33.20 करोड़ रुपए हो गए जबकि उत्पादन उतना ही है। यही तथ्य ई० सी० एल० और बी० सी० सी० एल० में भी दिखाई देते हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चुनावी वर्ष होने के कारण प्रबन्धकगण और अन्य लोगों को शायद चुनावी उद्देश्यों के लिए धन एकत्र करने के लिए बाध्य किया जाएगा···(व्यवधान)। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। किन्तु यह सत्य है।

अब मैं कोयला खानों में सुरक्षा की बात करना चाहता हूं। वर्ष 1986-87 में मृतकों की संख्या 147 थी। वर्ष 1987-88 में यह संख्या 140 थी और वर्ष 1988 में यह बढ़कर 156 हो गई। जहां तक सुरक्षा पक्ष का संबंध है सभी प्रकार की सावधानियां बरती जानी चाहिए और सभी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए।

अब मैं विद्युत क्षेत्र की बात करता हूं। विद्युत के बिना हम अपने उद्योगों और कृषि का विकास नहीं कर सकते। यही कारण है हमारा देश पिछड़ा हुआ है। निःसंदेह हम विद्युत क्षेत्र को कुछ महत्व दे रहे हैं। किन्तु तृतीय विश्व के कुछ देशों, जैसे ब्राजील, की तुलना में हमारे प्रयास बहुत कम है। उदाहरण के लिए ब्राजील में वर्ष 1984 में विद्युत के लिए स्थापित क्षमता 41,662 मेगावाट थी और वास्तविक उत्पादन 1,75,710 मेगावाट था। वर्ष 1984 में भारत में स्थापित क्षमता 43,754 मेगावाट थी और वास्तविक उत्पादन 1,50,644 मेगावाट था।

हमारे देश में योजना लक्ष्य की तुलना में लक्ष्य की वास्तविक उपलब्धि की प्रतिशतता 44 से 75 प्रतिशत है। प्रथम योजना के दौरान हमारी वास्तविक उपलब्धि 1117 मेगावाट थी जो कि 85.9 प्रतिशत है। दूसरी योजना के दौरान यह 2236 मेगावाट थी जोकि 63.8 प्रतिशत है। चौथी योजना के दौरान यह घटकर 44.9 प्रतिशत हो गई। छठी योजना के दौरान इसने 14,500 मेगावाट का उत्पादन किया और यह 63.7 प्रतिशत था।

सातवीं योजना के दौरान 22,245 मेगावाट के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 31.3.1988 तक 11,829 मेगावाट का उत्पादन हो चुका था। 1988-89 के दौरान 4496.5 मेगावाट का लक्ष्य था और अप्रैल—दिसम्बर 1988 तक 2942 मेगावाट का लक्ष्य था। लेकिन उपलब्धि केवल 48.7 प्रतिशत थी जो लगभग केवल 1432 मेगावाट होती है।

[श्री अमिल बसु]

अब मैं पन बिजली पर आता हूं। महोदय, इस क्षेत्र में हम बुरी तरह असफल हुए हैं। सातवीं योजना के दौरान हमने पन बिजली क्षेत्र में 5000 मेगावाट से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन हमने अभी तक लक्ष्य का 30 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं किया है।

लक्ष्य प्राप्ति में इन सब असफलताओं के फलस्वरूप पूरे वर्ष बिजली कटौती के कारण श्रमिकों और जनता को अनगिनत कठिनाइयों सामना करना पड़ा। इसके साथ-साथ ट्रांसमीशन लाइनों में बिजली की छीजन की समस्या है दोनों 220 और 440 किलो वाट लाइनों की ट्रांसमीशन लाइनों के मामले में अनुमानतः लगभग 50 प्रतिशत छीजन होती है।

यह कहना सगंत ही है कि सातवीं योजना बनाते समय 33,000 मेगावाट की अतिरिक्त अनुमानित आवश्यकता को देखते हुए इसे कम करके 22 000 मेगावाट कर दिया गया था और इस प्रकार 67,000 करोड़ रुपये की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में इसे कम करके 34,273 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

मध्यावधि मूल्यांकन से पता चलता है कि सातवीं योजना के अन्त तक 10,000 मेगावाट की कमी रह जायेगी। इसलिए योजना लक्ष्यों में कमी करना अनुचित है क्योंकि इससे देश में बिजली समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा।

हमारी योजना के क्रियान्वयन की अन्य दुखद विशेषता यह है कि देश के कुछ भागों में हम आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं जबकि देश के बाकी हिस्सों को बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है। अगर हम राज्यवार बिजली की कमी के आकड़ों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि हरियाणा में 41 प्रतिशत बिजली की कमी है, राजस्थान में 11 प्रतिशत, कर्नाटक में 30 प्रतिशत, केरल में 16 प्रतिशत और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में लगभग 18 प्रतिशत कमी है। इस संदर्भ में मैं अपने राज्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं मंत्री जी इस समस्या को भली प्रकार जानते हैं। मैं बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र का उल्लेख कर रहा हूं। महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया है कि आठवीं योजना के अन्त तक पश्चिम बंगाल में लगभग 800 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी और पश्चिम बंगाल की सरकार के अनुसार बिजली की यह कमी 1100 मेगावाट होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग से सलाह करके राज्य सरकार ने बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना प्रस्तुत की थी और इसे राज्य क्षेत्र में स्वीकृति मिल गई थी। केन्द्रीय सरकार ने यह बताया था कि अगर विदेशी सहायता या विदेशी ऋण उपलब्ध होता है तो उसे बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना के लिए राज्य सरकार को दे दिया जायेगा इस सदर्भ में, केन्द्र सरकार ने दो प्रस्ताव एक सोवियत संघ का और दूसरा जापान से, राज्य सरकार को भेजे थे। राज्य सरकार ने सोवियत संघ के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिये। केन्द्रीय सरकार ने सोवियत संघ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भारत सोवियत समझौते के बाद जब सोवियत संघ ने भारत में 840 मेगावाट की क्षमता वाली विद्युत परियोजना का धन देने की पेशकश की, तो केन्द्र सरकार ने तत्काल कहा कि बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र को एन० टी० पी० सी० द्वारा सोवियत सहायता से चालू किया जाना चाहिए, न कि राज्य सरकार द्वारा बहुत बार हमारे मुख्य मंत्री दिल्ली आये और माननीय विद्युत मंत्री से बातचीत की। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मिले थे और मुझे बताया गया है। कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बकरेश्वर संयंत्र पश्चिम बंगाल को दिया जायेगा और सोवियत सहायता भी पश्चिम बंगाल को दी जायेगी अतः अब आप इससे कैसे इन्कार कर सकते हो?

अगर शब्दकोष में ईमानदारी शब्द है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि मंत्रालय या केन्द्र सरकार में यह कहां तक लागू होता है। आप पश्चिम बंगाल को बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना देने के इन्कार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी अपना खून बेच रहे हैं और इस प्रकार उसके लिए धन एकत्र कर रहे हैं। जब राज्य के लोग बकरेश्वर के लिए धन एकत्र कर रहे हैं तो मंत्रालय में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कहता है कि खून में 'एड्स' के विषाणु हैं। मेरे विचार से उनकी विचारधारा कितनी गलत है। यह बात मुझे अंग्रेजी शासन के दिनों की याद दिलाती है। जब खुदीराम, प्रफुल्ल आचार्य और विमय बादल और दिनेश ने अपने जीवन का बलिदान दिया था उस समय अंग्रेजों के पिट्ठूओं ने कहा था कि वे स्वतन्त्रता सेनानी नहीं थे; वे देशभक्त नहीं थे और उन्होंने आत्महत्या की थी। इसी प्रकार आज हम भी वही कर रहे हैं···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैंने आपको आधे घंटे से अधिक समय दिया है।

श्री अनिल बसु : दो मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : मैंने आपके साथ काफी उदारता बरती है।

श्री अनिल बसु : अतः महोदय, पनबिजली में हमारे हिस्से में कमी हो रही है। कुल संभावित क्षमता 75000 मेगावाट है और हम इस क्षमता का 20 प्रतिशत भी पैदा करने में समर्थ नहीं हुए हैं। हम छोटी पन बिजली परियोजनाएं नहीं बना रहे हैं। अगर हम आसाम के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छोटी पनबिजली परियोजना बनाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हो जाएगी। इसके अन्य फायदे हैं जैसे यह बहुत सस्ती है, प्रदूषणरहित है और हमारे देश में इसकी प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। मुझे नहीं पता कि सरकार आसाम के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छोटी पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण क्यों नहीं कर रही है। अगर आप आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पनबिजली परियोजना का निर्माण करते हैं तो इससे सारे देश को बिजली मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा सकता है, भू-क्षरण रोका जा सकता है। मैं नहीं जानता सरकार इतनी कंजूस क्यों है। जब वहां इतनी अधिक पनबिजली की संभावनाएं हैं तो वे उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते ?

सभापति महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री अनिल बसु : महोदय, यह अन्तिम मुद्दा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं। आप अध्यक्ष पीठ की पूरी तरह उपेक्षा कर रहे हैं। जी हां, श्री पनिका।

श्री अनिल बसु : अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उपलब्धि की समीक्षा की गई है।

सभापति महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैंने अपने मित्र बसु जी को 45 मिनट तक सुना। वैसे तो काफी बातें ठीक रहीं लेकिन जो घाटे की बात इन्होंने की है उससे मैं

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम प्यारे पनिका]

सहमत नहीं हूं क्योंकि सी० आई० एल० के खर्चे की बात को उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। देश में सन् 80 के बाद की—सैक्टर के उद्योगों में बहुत वृद्धि हुई है और कोयला उनमें सबसे बुनियादी आइटम है और आप देखें कि पिछले आठ-दस सालों में कोयले का उत्तरोत्तर विकास होता गया है। पिछले सालों में अंतरिम सहायता देने से मजदूरों की तन्ख्वाहों में वृद्धि हुई है उसमें दो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ। अभी इनकी पार्टी के लोगों ने सिगनेचर किए हुए हैं जो समझौता हुआ है उसमें भी लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये का इजाफा होने जा रहा है। अगर सब कुछ कैलकुलेट किया जाए तो मैं ऐसा कह सकता था कि पहली बार कोल इंडिया लाभ पर पहुंचा। लेकिन जिस पर कोल इंडिया का कंट्रोल नहीं है, जब वह खर्चे बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर से हमें बुनियादी बातों को देखना पड़ेगा। जहां तक इसके उत्पादन का प्रश्न है वह पिछले तीन सालों में .92 से 1.11 परसेंट हुआ है। जब इसकी उत्पादकता की बात होती है तो इसकी पर-मैन शिफ्ट भी बढ़ी है। आवश्यकतानुसार उत्पादन बढ़ा है, यह सारी बात इन्होंने की। लेकिन कोल इंडिया पर जो खर्चे बढ़े हैं उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। जब हम यहां समीक्षा करने आए हैं तो निश्चित तौर से निष्पक्ष होकर के हमें बात कहनी चाहिए। सन् 87-88 में 169.75 मिलियन टन कोयला बढ़ा जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.4 परसेंट अधिक रहा और अब फिर 194 मिलियन टन होने जा रहा है। क्या यह सफलता नहीं है। जब समस्या की बात आती है तो लैंड एक्वीजिशन की कठिनाई सबसे पहले है। स्टेट में और भी कठिनाई होती है। हमारे यहां सिंगरौली में कठिनाई नहीं हुई।···(व्यवधान) पश्चिम बंगाल की सरकार कोल इंडिया को जरा भी सहयोग नहीं करती है। जमीन एक्वायर करके कोल इंडिया के लिए जमीन जुटानी चाहिए। सरकारी पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है जबकि उत्पादन कास्ट बढ़ने जा रहा है। यही नहीं राष्ट्र हित में बहुत-सी कोल-माइन्स ऐसी चलानी पड़ रही हैं जो घाटे में हैं जैसे एन० सी० एल० खड़िया की है। अमलोरी का जो घाटा उठाकर सुपर थर्मल पावर स्टेशन को चलाना पड़ रहा है क्या इसको राष्ट्र के सामने नहीं लाना चाहिए। क्या इन सब बातों को भुलाना पड़ेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बातों को भी ध्यान रखें, मैं यह बसु जी को बताना चाहता था। जहां तक उपभोक्ताओं के संतोष या कन्ज्यूमर्स सैटिस्फैक्शन का

2.00 म० प० सवाल है. आप देखें कि 75 परसेंट हमारा कोयला रेलवे के जरिये सप्लाई किया जाता है और अधिकतर सरकारी संस्थानों में जाता है। पहले हमने कुछ स्टाकयार्ड खोले थे और वे बहुत पौपुलर भी हुए थे, परन्तु जो और स्टाकयार्ड समय से खोले जाने थे, वे नहीं खोले जा सके, मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। स्टाकयार्डस को और ज्यादा पौपूलर बनाया जाना चाहिए ताकि कन्ज्यूमर्स को समय पर कोयला मिल सके।

जहां तक रिहैबिलिटेशन का सवाल है, यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे कि सबको रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा लेकिन दोनों चीजें नहीं हो सकती कि एक तरफ आप चाहें कि कोल इंडस्ट्री में उतने ही आदमी लगें जितने लोगों की वहां जरूरत है, आपको कहीं न कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सब को नौकरी नहीं दे सकते तो जो बाकी लोग रह जाते हैं उन्हें कोयले से सम्बद्ध कोई दूसरा धंधा दे दीजिए, उनके लिए कुछ कोटा फिक्स कर दीजिए, जिसे वे कन्ज्यूमर्स को बेचकर अपना काम चला सकते हैं। आप उन्हें छोटे ठेकेदार के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, उनके लिए दुकानें खोली जा सकती हैं, कोयले से सम्बन्धित एन्सीलियरी इंडस्ट्रीज लगाकर उन्हें काम पर लगाया जा सकता है, यदि बैंकों से उन्हें थोड़ी बहुत सहायता की जरूरत पड़े तो उसकी भी व्यवस्था कराई जा सकती है क्योंकि यह सरकारी नीति है कि उन्हें कोयला इंडस्ट्री में ही लगायें, वहीं कोई

काम दें। हम डी० वी० सी० में भी गए थे, वह आपका ही है, उसमें जो सोशल औब्लीगेशन के काम हैं, वे बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोयला इंडस्ट्री में भी उसको बड़े पैमाने पर फैलाने की जरूरत है। दूसरे, वैलफेयर के लिए जो पैसा है, खास कर आस-पास के गांवों को डैवलप करने के लिए मिनिस्ट्री को चाहिए कि उस पैसे को थोड़ा बढ़ाये क्योंकि वह पैसा बहुत कम है। वैल्फेयर का पैसा मजदूरों के कल्याण के लिए होता है। हर इंडस्ट्री का दायित्व है कि वह अपने वर्कर्स के बच्चों की एजूकेशन, उनके परिवारों के लिए पीने के पानी और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करे। वैल्फेयर का फण्ड लोकल लोगों के कल्याण के लिए होता है और उसी प्रयोजनार्थ खर्च किया जाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि इस पैसे को बढ़ाए जाने की जरूरत है। यह बात सही है कि वाशरीज का जो कोयले का उत्पादन है, उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। कभी समय से बिजली न मिलना, प्लांट के लिए जो लोहा है, उन्हें समय से जो कोयला उठाना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं उठाया, आदि कई कारण ऐसे हैं जिनसे उत्पादन मे कमी आ जाती है। हमें यह भी देखना चाहिए कि बाहर के देशों में प्रयुक्त की जाने वाली टैक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करें, उसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे यहां उनकी नो-हाऊ है या नहीं, स्पेयर पार्टस है या नहीं। आज स्थिति यह हो गई है कि कोयला इंडस्ट्री में करोड़ों रुपये की ऐसी मशीनरी आ गई है जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैकेनाइजेशन के जरिए हमने जिस लाभ की कल्पना की थी, कोयले का उत्पादन बढ़ाने की, वह कुछ नहीं हुआ। हमें उस निर्णय पर फिर से विचार करना होगा। जब हमारे देश में मैनपावर ज्यादा है तो उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए और ऐसी नई टैक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके, लाभकारी बन सके और जनता को समय से कोयला मिल सके। मेरी मान्यता है कि अपने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले सालों में हमारा कोयले का उत्पादन बराबर बढ़ा है, जितनी देश की आवश्यकता है, उतना कोयले का उत्पादन हम करते हैं। आपको याद है कि जनता गवर्नमेंट के समय में क्या हालत हो गई थी, कोयले के अभाव में अनेक ट्रेनें बंद हो गई थी, पावर हाउस के पास कोयला नहीं था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि कोयले की कमी के कारण एक भी पावर हाउस बंद नहीं हुआ है, दूसरी दिक्कतें हो सकती है, जैसे किसी ने पैसे का भुगतान न किया हो। आप इस इंडस्ट्री से अच्छी तरह परिचित हैं, क्या यह सच नहीं है कि देश के कई इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों की तरफ कोयले का करोड़ों रुपया बकाया है, वे बैंकों से सूद लेकर अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं बंगाल बिजली बोर्ड पर भी करोड़ों में रुपया बाकी है, दूसरे पावर हाउसेज की तरफ बाकी है और सब सूद पर पैसा लेकर अपना काम चला रहे हैं। भले ही आज कोल इण्डिया के सामने अनेक दिक्कतें हैं, और वे व्यावहारिक दिक्कतें है लेकिन जब भी बात आती है, हमारे मंत्री जी कहते हैं कि बिजली का उत्पादन करना है, इसलिए कोयला दे दो। एन० सी० एल० का कई सौ करोड़ रुपया इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस पर बकाया है। कई गवर्नमेंट डिपार्टमैंट्स की तरफ भी पैसा बकाया है। इसलिए हमारे सामने जो कान्सट्रेंट है, अवरोध है, कोल इण्डिया काम में, इसे आपको एप्रिशियेट करना पड़ेगा। वैसे आप चाहे वह लिग्नाइट कार्पोरेशन का चाहे हमारे एन० सी० एल० का उत्पादन देखें। एन० सी० एल० ने 85 करोड़ रुपये का लाभ दिया है। इस साल हम 100 करोड़ जा रहे है, लेकिन आपने वेस्ट बंगाल में तमाशा खड़ा किया है। लेबर अनरेस्ट कर देते है, माफिया गिरोह खड़े कर देते है, जहां ऐसा है, वहां तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। हम सब को इस देश की 'की' स्तर की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इस मंत्रालय ने 225 मिलियन टन की जो योजना बनाई है, वह बहुत अच्छी है। कोयला होगा, तो बिजली होगी और बिजली होगी, तो कृषि का उत्पादन अधिक बढ़ेगा और यदि कृषि का उत्पादन अधिक बढ़ेगा, तो देश तरक्की करेगा। हमने 170 मिलियन कोल पैदा

[श्री राम प्यारे पनिका]

किया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 16 परसेंट कुछ ही महीनों में कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है हमारे देश के मुकाबले में। हमारे देश में राजीव गांधी के शासनकाल में जिस तरह से भारतवर्ष की इकनौमी को बढ़ाया है, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। इस शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा होने के बावजूद हमने यूनिक सफलता प्राप्त की है। दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात को कहते हैं। दुनिया इस बात को कहती है कि हमने अपने 'की' सैक्टर के उत्पादन को बढ़ाया है। जहां तक बिजली का प्रश्न है, यह सदन इस बात को याद करे, दो-तीन साल पहले यह होता था कि लोड फैक्टर बहुत कम होता जा रहा है, लाइन लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ सैक्टर में, एन० टी० पी० सी० में उत्तर प्रदेश की चर्चा बहुत होती थी, लेकिन हमारे राज्य मंत्री, मंत्री जी के प्रयास से आज 60-65 परसेंट लोड फैक्टर हो गया है। कुछ जगह तो 90 परसेंट तक है। आज हम राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़े हैं। आज तो स्थिति यह है कि इनको सिस्टम को लोअर-डाउन करना पड़ा है। यह किसकी देन है। यह सब इस मंत्रालय की देन है। हमारे साठे साहब की देन है। इनके नेतृत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आज तो स्थिति यह है कि जो हमने लक्ष्य रखा है, हम उससे आगे बढ़े हैं। कोल में भी और बिजली उत्पादन में भी हम लक्ष्य से आगे बढ़े हैं। हम बिजली में और भी आगे बढ़ रहे हैं। हम 42 करोड़ रुपये 7वीं पंचवर्षीय योजना में खर्च कर रहे हैं, यह उपलब्धि नहीं है, तो और क्या है। हमारे डायरेक्टर सी० ए० ने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बहुत ही प्रशंसा का काम किया है। देश में डिजाइन करने का काम, प्लानिंग करने का काम बखूबी निभाया है। हमारे डायरेक्टर यहां से आपके यहां जाते हैं। नतीजा आज यह है कि सबसे कम उत्पादन हिन्दुस्तान में आचार्य जी आपके यहां हो रहा है और आप कहते हैं कि बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। आप बहुत अच्छी सरकार चलाते हैं। आप तो सपना देखते है आगे बढ़ने का। आप इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपकी सरकार काम करना नहीं जानती। हमारी सरकार काम करना जानती है। काम करके रिजल्ट दिखाती है।

साठे साहब, मुझे बहुत कठिनाई होती है, जब मैं यह देखता हूं कि बिजली के उत्पादन का सारा दायित्व राज्य सरकारों का है। वे लोग साधन इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन वे कर नहीं पाते हैं। समय से कोयला नहीं खरीद पाते, स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीद पाते और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की राह देखते रहते हैं। साठे साहब आपने बहुत-से पॉवर प्रोजैक्ट जिनके रेनोवेशन की जरूरत है, उनके लिए 500 करोड़ रुपये दिए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, राज्य सरकारों ने समय से उसका उपयोग नहीं किया। उसका उपयोग न होने के कारण ही देश का आज लोड फैक्टर बढ़ा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को केन्द्र को सहयोग देना पड़ेगा। हमारे राज्य मंत्री जी ने, मंत्री जी ने सारे एम० पीज० को चिट्ठी लिखी, जवाब आए, सारे देश के मंत्रियों की बैठक की और उन सारी बातों को, जिनको देश के लोग महसूस करते हैं, एक पुस्तक के माध्यम छापकर, उन सारी बातों से हमें अवगत कराया।

आज रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की बात है। आर० ई० सी० ने जिस प्रशंसा का काम किया है वह अपनी जगह है। उन्होंने पैसा दिया, प्लान स्वीकृत किया लेकिन दुखद बात यह है कि राज्य सरकारें समय से उसका उपयोग नहीं करतीं, उसका पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट कर देती हैं। इसके लिए आप सैंट्रल गवर्नमेंट को दोष मत दीजिए।

यही नहीं, हमने और बहुत सारे प्लान दिए, गोबर गैस का दिया, ऊर्जा ग्राम की बात कही।

मैं आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि जब यहां पर वह सैंटर और स्टेट की बात करते हैं तो कहते हैं कि सारी पावर्स राज्य को होनी चाहिए लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कहते हैं कि साठे जी उसके लिए बैठे हैं। यह कोई बात हैं ? सैंट्रल गवर्नमेंट जो कर सकती है, उसने किया है।

खासकर कोयला और पावर के सैक्टर में मैं यह कह सकता हूं कि जो उपलब्धियां 4 वर्षों में हुई हैं, हमारी इन्डस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में उसका सारा श्रेय इस मंत्रालय को जाता है। यही नहीं, आप एन० टी० पी० सी० को देख लीजिए, डी० वी० सी० कितना खराब चल रहा था उसको भी सुधारने की कोशिश की है। इसके अन्तर्गत एन० एच० पी० सी० और एन० पी० सी० सी०, सब जगह उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। जहां नहीं है, एन० पी० सी० सी० में, मैं कहूंगा कि वहां थोड़ा कड़ाई से देखिए।

हम इकोनामी देना चाहते हैं, लेकिन आपकी संस्थाएं कभी-कभी पावर का दुरुपयोग करती हैं। आपको ध्यान देना होगा एन० टी० पी० सी०, एन० एच० पी० सी० और एन० पी० सी० सी० में मजदूरों का शोषण न हो। बहुत से अधिकारी मैनेजमैंट के हैं, मैं सब को दोष नहीं देता लेकिन बहुत से यूनियन क्रीएट करते हैं और वह इसलिए करते हैं कि अगर यूनियन मजबूत होगी तो जो वह चाहेगी, मनवाएगी। जो आप चाहते हैं कि मैनेजमैंट में भागीदारी हो, कम यूनियन हों, लेकिन मुझे निश्चित जानकारी है कि कुछ जगहों पर अधिकारी यूनियन पैदा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोल सैक्टर में एन० सी० एल० के लोगों ने बन्द का आह्वान किया, आप इसकी जांच करवाइए। एन० टी० पी० सी० ने 400 आदमियों को छुट्टी दे दी उनके हड़ताल में भाग लेने के लिए। यह क्या बात है ? आप रिकार्ड पर देखिए, अगर यह बात सही नहीं हो तो जो सजा आप देना चाहें दें। एन० टी० पी० सी० ने सिंगरौली में, शक्तिनगर में 400 लोगों को हड़ताल में भाग लेने के लिए निकाल दिया क्योंकि वह कोल इंडस्ट्री का काम था।

अब एक मिनिस्ट्री में साठे जी मंत्री हैं और उसमें कोल को डाउन करें और कोल वाले पावर को डाउन करें, यह ठीक नहीं है। आप इसकी जांच कीजिए। मैं निश्चित आरोप लगाना चाहता हूं कि अगर 400 को एक रोज में छुट्टी दी है तो जिस अधिकारी ने छुट्टी दी है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए और पार्लियामेंट में बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया है यह पिछले वर्ष की बात है।

थोड़ा-सा आपको रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की पालिसी में चेंज करना पड़ेगा। यह बहुत दिनों से चर्चा है कि ट्रांसमिशन लाइन में नेशनल ग्रिड बनेगा। जब तक यह नहीं बनेगा तो आज स्थिति यह है कि इसके अभाव में बहुत जगह आपको पावर सिस्टम का लोड-सो करना पड़ रहा है। शक्तिनगर एन० टी० पी० सी० के आंकड़े मुझे मालूम हैं, जब लाइन को दूसरी जगह ले जाने का रास्ता नहीं मिला तो उत्पादन कम करना पड़ रहा है। इसका खर्च भारत सरकार उठा सकती है, राज्य सरकारें नहीं उठा सकती हैं।

लाइन-लास की बात हम सब करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लाइन-लास नहीं है, वह थैफ्ट है, चोरी है। इसमें अधिकारी और कन्ज्यूमर दोनों मिलते हैं। हमारे क्षेत्र में एक जगह है आगरा, वहां पर 50 प्रतिशत लाइन-लास है। हमने एक्ट भी पास कर दिया कि जो पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो रहा है।

सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने जो एक कार्यक्रम चलाया है कि जो लाइन-लास कम करेगा, उसका पुरस्कार देंगे, व्यक्ति को भी, संगठन को भी और जो वैज्ञानिक इस बारे में सुझाव देगा,

[श्री राम प्यारे पनिका]

उसको भी तो मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल 9,10 प्रतिशत होना चाहिए, आज 21 प्रतिशत है। आप इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को कहिए जो राज्य सरकार का कार्य है, कभी-कभी हमारी भारत सरकार, हमारे साठे जी सारा उत्तरदायित्व मान लेते हैं। हमें यह सब क्लीयर करना पड़ेगा और यह देखना होगा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया और सैंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया ? मैं ऐसा मानता हूं कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज हम सिर ऊंचा करके देश में चल सकते हैं। अगर आने वाले समय में इसी प्रकार का नेतृत्व हमें मिलता रहा तो हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जायेंगे।

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : सभापति महोदय, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो दो बातें इसके बीच में आती है वह है कोयला और बिजली। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए इस मंत्रालय और मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि समय पूर्व उन्होंने अपना टारगेट एचीव किया। 6 माह पूर्व मेरे क्षेत्र कोरबा में 2100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। यह देश की प्रगति में एक रीढ़ का पत्थर साबित होगा।

हमारे सी० पी० आई० के बन्धु जब बोलते हैं तो वह भूल जाते हैं कि कलकत्ता में जो भैट्रों रेल चल रही है वह ऊर्जा विभाग की ही देन है जिस पर कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। वह आलोचना करने के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप आलोचना न करके समालोचना करिए। अब मैं कुछ बातों को आपके सामने उठाना चाहूंगा।

जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें मुख्य मुद्दे सप्लाई आफ मिनिमम कॉस्ट, सफिशेंट एनर्जी एचीवमेंट, प्रोटेक्शन आफ दी इनवायरमेंट आदि आते हैं। अगर सर्वोत्तम ईंधन की व्यवस्था हम ऊर्जा में करेंगे तो इनवायरमेंट की जो प्राबलम है और ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों को काट कर जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है उससे इनवायनमेंट का प्रोटैक्शन कर सकते हैं – चाहे वह सौर ऊर्जा हो, बायोगैस हो, सोलर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो। कहने का मतलब यह है कि गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा दोहन किया जाना चाहिए। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि माइक्रो हाइडल के जो प्लांट हैं उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऊर्जा मंत्रालय अपने कार्यों का सम्पादन वह चाहे कोल का हो और चाहे बिजली का हो, बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। इससे देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग खास कर लाभान्वित होते हैं। इसके लिए मैं ऊर्जा मंत्रालय को और खास कर साठे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साठे जी की विशेष रुचि और कृपा उस पर हमेशा ही बनी रहती है।

जो ऊर्जा व्यर्थ में चली जाती है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो इसकी तरफ हमारे मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए 42 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मेरा कहना यह है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा के बाकी स्रोतों का उपयोग किया जा सके।

बिजली की जब बात आती है तो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की बात भी आती है। आज एन० टी० पी० सी० के जितने प्लांट चल रहे हैं और उनकी बिजली पैदा करने की जितनी क्षमता है उसका उपयोग स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। यहां तक एन० टी० पी० सी० को कहा जाता है कि आप बिजली ज्यादा पैदा मत करो क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और वह किसानों के खेतों और घरों

तक पहुंच पा रही है। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन में केन्द्र का पैसा जाता है। इस कारण आवश्यक है कि उस पर निगरानी रखी जाए और उस पर मॉनिटरिंग हो। मैं यह बात निःसंकोच कहना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिफिकेशन को टोटली सेंट्रल सबजैक्ट बनाया जाना चाहिए क्योंकि हर वक्त स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसा कि अभी हमारे बंगाल के मित्र बता रहे थे कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पैसा नहीं दिया।

अभी हमारे पिछले विपक्ष के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे कि जहां कांग्रेस रूलिंग सरकारें हैं, वहां की स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड पैसा नहीं देती इसलिए सेण्ट्रल गवर्नमेंट उन पर दबाव नहीं डालती आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हरियाणा एक भी पैसा देने को तैयार नहीं है...(व्यवधान)... आप बंगाल की स्थिति को स्वयं जानते हैं। यह जो बकाया धनराशि है जिसकी वजह से हमारे मित्र गण कोल इण्डिया में घाटे की बात करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : 'डेसू' के पास सबसे अधिक बकाया है।

श्री प्रभात कुमार मिश्र : दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्य नहीं है! आप भी दिल्ली में बैठे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतिकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि भारत का किसान भले पढ़ा न हो लेकिन वह इस बात को जानता है कि अगर उसके खेत में पम्प लग जाय तो बिजली के पम्प से निकले हुए पानी से जब उसके खेत की सिंचाई होती है तो उसको कितना हर्ष होता है और वह अपने आपको कितना गौरवान्वित महसूस करता है इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान गांव मे बिजली पहुंचाने पर देना चाहिए। होता यह है, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं आंकड़ों में इसलिए नहीं जाना चाहता कि आंकड़े तो बनाये और मिटाये जाते है, कि गांव में बिजली पहुंचाने के आंकड़े तो आप दे देते हैं कि हमने इतने गांवों में इलैक्ट्रिफिकेशन किया, आप एक खम्भा लगा देते हैं और उस गांव की गिनती कर ली जाती है, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जब एक व्यक्ति को कनैक्शन देने की बात आती है तो एक दो घरों में बिजली दे दी जाती है और पूरे के पूरे गांव को उन आंकड़ों में शामिल कर लिया जाता है कि इतने गांवों को हमने एनर्जाइज कर दिया, इलैक्ट्रिफिकेशन कर दिया।

मैं कोल के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। कोयले के क्षेत्र में हम चाहें तो बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। अभी भी बहुत गुंजाइश है, हम सरकार को बधाई देते है कि कोयले के उत्पादन में हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके बावजूद कोयले का जो उपयोग होता है हमारी जो एक निधि है, जो हजारों वर्षों से जमीन के अन्दर छिपी हुई है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, कोयले का बिना नियम के खनन किया जा रहा है, जहां कोयले का ढेर है वहां आग लगी हुई है, उसमें मिलावट हो रही है, उसकी क्वालिटी डीजनरेट हो रही है और उसके उपयोग से हमको जितनी इनर्जी मिलनी चाहिए डीग्रेडशन की वजह से हमें नहीं मिल पाती है। हमें कोयले के एक-एक दाने की, एक-एक टुकड़े की कीमत समझनी चाहिए। यह नहीं कि कोयला चोरी हो, आग लग जाय, कोयले के भण्डार कई सालों तक पड़े रहें।

[श्री प्रभात कुमार मिश्र]

इसके साथ-साथ कोल क्षेत्र में जमीनें ली जाती है, आज आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोयले की खदानों के लिए जमीनों को उपलब्ध कराना मुश्किल है, जब भी आप जमीन अधिगृहीत करना चाहते हैं उस समय यह अड़चन आती है कि गांव के लोग जमीनें नहीं देना चाहते। सवाल इस बात का नहीं है, गांव के लोगों की आज जमीनें हैं, जितनी भी हैं कोयले का कोई क्षेत्र आज तक शहर में नहीं खुला है, सब जमीनें इस देश के गांव के लोगों ने ही दी हैं लेकिन गांव के लोगों के प्रति चाहे बसावट की बात हो, चाहे कम्पेंसेशन की बात हो, चाहे वैलफेयर की बात हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मैनेजमैन्ट को जितना ध्यान देना चाहिए या अधिकारियों को जितना ध्यान देना चाहिए, सैण्ट्रल गवर्नमेंट और मंत्रालय तो पैसा देते हैं लेकिन उस पैसे का उपयोग उन आदमियों के लिए, उन कार्यों के लिए नहीं हो पाता जिनके लिए वह धन आवंटित किया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे यहां ए० सी० सी० एल० बिलासपुर में आज एक साल से कोई सी० एम० डी० नहीं है जबकि सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कम्पनी ए० सी० सी० एल० है जो शान्तिपूर्ण है लेकिन वहां आज टैम्पोरेरी चार्ज का आदमी चल रहा हैं। वहां आज कोई जिम्मेदार आदमी नहीं हैं। अगर कोई बात हो जाती है, आज वहां ब्यूरो की हड़ताल चल रही है लेकिन वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। वहां सी० एम० डी० को पूछिये तो कहते हैं कि साहब मीटिंग के लिए दिल्ली गये हैं, जितनी बार आप पूछिएगा तो दिल्ली की दौड़ लगी रहती है। हजारों रुपया हवाई जहाज में आने जाने में खर्च होता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी कम्पनी है, इतनी आय देने वाली कम्पनी है, जब वहां सी० एम० डी० पोस्ट क्रिएट की गई है तो क्यों नहीं सी० एम० डी० को एपाइण्ट किया जाता। आज वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, इस गैर जिम्मेदारी के कारण और मिसमैनेजमेंट के कारण भी कोयले के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मैं कोयला क्षेत्र की इस बात की तरफ भी, आपके माध्यम से, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपये की मशीनें हम लेते हैं लेकिन उन मशीनों का सही उपयोग, प्रोपर यूटीलाइजेशन नहीं हो पाता, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। यहां तक कि मशीनों और बड़े-बड़े डम्परों को खराब कर दिया है और किरायेदार या ठेकेदारों की मशीनों को किराये पर लेकर कोयला क्षेत्र में काम में लाया जाता है और इस तरह से उनको लाभान्वित किया जाता है। इस भ्रष्टाचार के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा।

मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोग जमीनों का अधिग्रहण करते हैं, तो निश्चित ही उस क्षेत्र के लोगों की अपेक्षायें होती है कि हमारा भविष्य अच्छा रहेगा और हमको फायदा मिलेगा। लेकिन जब भी एम्पलायमेंट की बात आती है, तो कहा जाता है कि सिर्फ लोकल आदमी मिट्टी खाने या खदान खोदने का काम कर सकता है और स्कील्ड और अनस्कील्ड का डिमार्केशन कर दिया जाता है। इस बारे में साठे जी ने कोरबा में एक आमसभा में घोषणा की थी कि वहां आदमियों को ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग देकर वहां के लोगों को स्कील बनाया जाए। स्कील आते कहां से हैं, कोई पैदा तो होते नहीं हैं, उनको ट्रेन्ड किया जाता जाता है तो क्यों न उस क्षेत्र के लोगों को स्कील बनाया और उन्हें एम्पलायमेंट दिया जाए, ताकि कोयला खदान में जो आपको अड़चन जमीन के अधिग्रहण में करनी पड़ती है, उसको दूर किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ उस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, उन क्षेत्रों में सड़कों की बात है। वह पैसा जो उस क्षेत्र के विकास के लिए लगाया जाना चाहिए, उस पैसे का उपयोग वहां पर सही

ढंग से किया जाना चाहिए, लेकिन किया नहीं जाता है। विशेषकर कोयला क्षेत्र ग्रामीण अंचल में, जंगलों में और पहाड़ों के बीच रहता है, वहां पर अपारम्परिक स्रोत ज्यादा फायदेमंद होंगे। हमने ऊर्जा ग्राम की परिकल्पना की है और ऊर्जा ग्रामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऊर्जा ग्रामों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण की बात हो, लैंड एक्विजीशन की बात हो या रोजगार की बात हो ये सारी की सारी बातें ऊर्जा ग्राम के माध्यम से बिजली या इनर्जी देते हैं, तो ये सब बातें हमेशा खड़ी रहती हैं। इसी संदर्भ में आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अस्पतालों की भी समस्या है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए है, चूंकि यह एक मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस लिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में एन० टी० पी० सी० और कोल दोनों ही हैं, बहुत सी दुर्घटनायें हो जाती हैं, चाहे खदान की दुर्घटना हो या संयंत्र की दुर्घटना हो, ये दोनों मिलकर वहां अस्पताल खोलें ताकि इमरजेंसी के केस को बिलासपुर में ही देख सकें और उसका निदान कर सकें। उनको उसकी चिकित्सा के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। यह बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं। सारी उपलब्धियां निश्चित ही हमारे विकास के मील का पत्थर हैं। हम ऊर्जा मन्त्रालय को बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने सीमित साधनों से काम किया है। रेल गाड़ी चलानी हो तो ऊर्जा चाहिए, इंडस्ट्री चलानी हो तो ऊर्जा चाहिए, मैट्रो रेल चलानी हो तो ऊर्जा चाहिए, आपको घर में रहना है तो ऊर्जा चाहिए, पढ़ाई करनी है तो ऊर्जा चाहिए, इसलिए मूल आधार हमारा ऊर्जा, जिस पर देश का विकास आश्रित है। ऊर्जा का जो 42 हजार करोड़ का बजट है, उसको और बढ़ाया जाए और ऊर्जा को ग्रामों तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही बिलासपुर में जो ए० सी० सी० एल० का मुख्यालय है वहां पर सी० एम० डी० का एप्वाइंटमेंट किया जाए।

एक विशेष बात मैं अतिव्यय के बारे में कहना चाहता हूं। कोल सैक्टर में विशेषकर मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगा। सी० आई० एल० के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनका जो भी रहन-सहन का ढंग है, वह इतना खर्चीला है कि आम आदमी भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। मैंने इस बात को पिछले बजट पर भी कहा था कि उनके आफिस के पर्दे यदि आप देखेंगे, तो आम आदमी या मध्यम वर्ग के आदमियों के सूट के कपड़े से भी मंहगे पर्दे होते हैं। मैं यह आपको कोल-इंडिया के आफिस की बात बता रहा हूं। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, आप मेरे साथ चलिये, बिलासपुर का सी० एम० डी० के आफिस प्राइम मिनिस्टर के आफिस से भी ज्यादा सुसज्जित है। इस तरह से वाहियात किस्म का खर्चा किया जाता है, जिसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। निश्चित ही कोल इंडिया के खर्चों पर नियन्त्रण करना आवश्यक है, अन्यथा कोयले की कीमतें बढ़ेगी। भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा, मिलावट को रोकना पड़ेगा, चोरी को रोकना पड़ेगा, तभी जाकर हम कोयले की वाजिब कीमत उपभोक्ताओं को दे सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुख्य चर्चा पर आने से पहले, मैं माननीय मन्त्री श्री साठे का ध्यान विशेष मुद्दे की ओर लाना चाहती हूं। वे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं और इसलिए मुझे माननीय मन्त्री श्री राय को निवेदन करना होगा। यह एन० पी० सी० सी० के श्रमिकों के बारे में है, जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं, उनके 1050 लोग लम्बे समय से धरना दे रहे

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

हैं। वास्तव में साठे साहब के हस्तक्षेप करने से स्थिति थोड़ी सुधरी थी। इन श्रमिकों में से बहुत से नैमित्तिक हैं। फिर उन्हें नियमित किया गया था। फिर यह कहा गया था कि उन्हें खपा लिया जायेगा और उन्हें निरन्तर ठेके पर रखने की व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इन सब समझौतों का प्रबंधकों द्वारा खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि वे करार का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में मुझे नियम 377 के अधीन श्री नारायण चौबे द्वारा पिछले वर्ष दिसम्बर में दिए गए नोटिस के उत्तर का ध्यान आ रहा है जिसमें यह कहा गया था कि जिन श्रमिकों की छटनी की गई थी, उनमें कोई भी उच्च कार्य कुशल श्रमिक नहीं हैं। यह सरासर झूठ है। मुझे इतना समय नहीं है क्योंकि मैंने मुख्य विषय पर बोलना है लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मुझे कुछ उदाहरण देने हैं श्री पी० एल० शर्मा, विशेष फोरमेन (प्रशासन)—क्या वह एक कुशल पद है? क्या वह एक कुशल कार्य निष्पादन है? इसके अतिरिक्त, श्री अलाउद्दीन अन्सारी, विशेष फोरमेन (मैकेनिकल)—क्या यह कुशल पद है? फिर, श्री डी० एम० भट्टाचार्य, विशेष ग्रेड I (विद्युत)— क्या यह कुशल पद है? ये उच्च कुशलता प्राप्त व्यक्ति हैं, जिन्हें हटाया गया था। मैं आपसे हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूं कि एन० पी० सी० सी० में इस तरह सिलसिला नहीं चलना चाहिए जहां ठेकेदारों के द्वारा हर समय भ्रष्टाचार किया जाता है। मेरे पास विस्तार में जाने के लिए समय नहीं है। मुझे आशा है कि आप इसके लिए कुछ करेंगे।

इसके बाद, मुझे मुख्य मुद्दे पर बोलना है। मेरे मित्र, श्री अनिल बसु ने बहुत से मुद्दों पर बोला है जिनसे मैं सहमत हूं। यद्यपि मुझे उनका भाषण सुनने का अवसर नहीं मिला लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है, मैंने उनसे उस बारे में जानकारी ली है। मैं सब बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। लेकिन जो कुछ उन्होंने बकरेश्वर के बारे में कहा है, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूं। मुझे अभी भी याद है कि साठे साहब वहां खड़े थे और मैंने उनसे पूछा था, "साठे साहब, बकेश्वर का क्या हुआ? क्या आप हमें बकरेश्वर परियोजना देंगे जिसे विदेशी सहयोग से किया जा रहा है और जिसे पश्चिम बंगाल सरकार लेने के प्रयास कर रही है। साठे साहब ने कहा था 'जी हां, जी हां, यह दे दी जाएगी।' तब मैंने पूछा था, "किसका सहयोग प्राप्त किया जाएगा? फिर साठे साहब ने मुझे बताया था" तो आप यह जानने में रुचि नहीं रखती हैं कि पश्चिम बंगाल को यह परियोजना मिलेगी या नहीं। आप यह जानना चाहती हैं कि हम किसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं—सोवियत संघ का या जापान का।' उन्होंने मुझे स्पष्ट उत्तर दिया था कि बकरेश्वर राज्य क्षेत्र में आएगी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुझे इस बारे में बेचैन नहीं होना चाहिए। यह आश्वासन कितनी ही बार दिया गया था।

अब मुझे यह सन्देह है कि उन सहयोगों के बारे में श्री साठे इसलिए चिन्तित थे क्योंकि उस समय तक उन्होंने यह समझ लिया था कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को ऋण देने के लिए सोवियत संघ की कोई शर्त नहीं है और सम्भवतः यही बात उनके मन में थी। इसीलिए वे इतने चिन्तित थे और यह पूछ रहे थे कि "आप यह क्यों पूछ रहे हैं कि सहयोग के लिए कौन सा देश है।"

आखिरकार यह एक अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बकरेश्वर विद्युत परियोजना में ऐसा घटित हुआ है। यद्यपि वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। श्री अनिल बसु ने जो कुछ कहा है मुझे उसे बार-बार नहीं दोहराना चाहिए परन्तु मैं उनकी बात का पूर्णतया समर्थन करती हूं और इस विषय पर

स्पष्ट रूप से यह प्रश्न करती हूं कि किस कारण से हमें न केवल धोखा दिया गया और इससे वंचित किया गया अपितु हमें इस भारी दायित्व को उठाने के लिए मजबूर किया गया और इसके लिए हम सामान्य सहयोग ऋण करार भी नहीं कर सके जबकि हम सोवियत संघ से यह प्राप्त कर सकते थे।

पश्चिमी बंगाल में विद्युत क्षेत्र के बारे में, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगी। बी० एच० ई० एल० द्वारा विभिन्न कम्पनियों को कुछ बायलर दिए गए थे। इस सन्दर्भ में मुझे इस बात को स्पष्ट करना है कि बी० एच० ई० एल० का कार्य निष्पादन अपने आप में खराब नहीं है। ऐसी एक अथवा दो घटनाएं हो सकती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इस विशेष किस्म के बायलर के बारे में, कुछ कठिनाइयां थीं और बी० एच० ई० एल० ने इस प्रकार के बायलर कुछ परियोजनाओं को दिए थे जिनमें पश्चिमी बंगाल की एक परियोजना भी सम्मिलित है। बाद में वह बायलर अच्छे सिद्ध नहीं हुए और उन्हें बदलना पड़ा। दुर्गापुर पावर लिमिटेड डी० पी० एल० जोकि एक राज्य सरकार का उपक्रम है ने भी बी० एच० ई० एल० से एक बायलर लिया था और वह बायलर भी इसी प्रकार विफल रहा था। यह समझौता किया गया था कि बी० एच० ई० एल० किसी नए बायलर से उसे बदल देगा और कोई मरम्मत लागत भी वसूल नहीं करेगा। दुर्भाग्य से बाद में सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों पर अपने तरीके से भारी दबाव डालने के कारण बी० एच० ई० एल० ने 90 लाख रुपये वसूल किए जिसे बाद में घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। परन्तु क्या मैं यह जान सकती हूं कि डी० पी० एल० ने ऐसा क्या अपराध किया है जो उसे बी० एच० ई० एल० की गलती के लिए 15 लाख रुपये की अदायगी करनी पड़ी। वास्तव में इस बोझ को हमारे कन्धों पर रखने के बजाय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए था। पश्चिमी बंगाल के बारे में इन दो बातों और एन० पी० सी० सी० के बारे में एक बात का उल्लेख करने के साथ ही अब मैं सम्पूर्ण स्थिति के बारे में कुछ टिप्पणियां करती हूं।

कोयला क्षेत्र में उपलब्धियों के बारे में एक सूची बनाई गई है कि कोयले की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। यह एक अच्छी बात है कि आपने यह स्वीकार किया है कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मैं यह कहूंगी कि सामान्यतः हर बार प्रबन्ध की विफलताओं के लिए श्रमिकों को दोष दिया जाता है। यद्यपि अधिकारियों ने एक बार हड़ताल की थी परन्तु उससे श्रमिकों द्वारा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उस समय उत्पादन में बिलकुल कमी नहीं आई थी परन्तु जब श्रमिक अनुपस्थित थे तो उत्पादन में गिरावट आई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिन श्रमिकों को आप 'फालतू' कह रहे हैं उन्होने उत्पादन में वृद्धि की है। आपकी उपलब्धि यह है कि आपने सी० आई० एल० के 5500 श्रमिकों को इस वर्ष बाहर निकाल दिया है और यह आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे आपने उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि और हानि कम होने के साथ प्रस्तुत किया है। मैं सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों को कम करने के विचार को चुनौती देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश में रोजगार का प्रश्न सर्वोपरि होना चाहिये। जब आप श्रमिकों की छंटनी करते हैं तो आपके द्वारा एक वर्ष में छंटनी किए गए उन 5500 व्यक्तियों और उनके परिवारों के बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए और आप दावा करते हैं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री अनिल बसु : नेहरू शताब्दी समारोह वर्ष में सरकारी क्षेत्र की उपलब्धि।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां, यह एक बड़ा योगदान है। प्रभावित श्रमिकों में महिलायें इस उद्योग का पहला शिकार थीं। यद्यपि बहुत थोड़े से मामलों में नामांकन के बारे में भी विचार किया गया, महिलाओं के मामलों में, वे नामांकित महिलाओं को स्वीकार नहीं कर रहे थे अपितु केवल नामांकित पुरुषों को ही स्वीकार कर रहे थे। क्या वे महिलायें उत्पादन में सहायक थीं अथवा नहीं? मुझे एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को उद्धृत करना चाहिये।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

अब जिस प्रश्न पर चर्चा की जा रही है वह राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एन० टी० पी० सी० को देय धनराशि के बारे में है। यह सच है कि राज्य बिजली बोर्ड को उस धनराशि की अदायगी करनी चाहिए जिसकी इसे अदायगी करनी है। कभी-कभी मुझे यह लगता है कि केन्द्रीय सरकार इस बात का राजनैतिक लाभ उठाती है कि हमारे पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इतनी अधिक धनराशि देय है। आप बहुत सारे कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में चुप रहते हैं। यह भी अच्छी बात नहीं है। इससे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि हमें अदायगी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

यदि यह सही है कि इन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सी० आई० एल० को बहुत सी राशि देय है तो यह बात भी सच है कि सी० आई० एल० भी इन कम्पनियों को भारी धनराशि की देनदार है। वास्तव में गत वर्ष सी० आई० एल० द्वारा राज्य बिजली बोर्ड को देय बकाया ऋण 1,200 करोड़ रुपये था और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा खराब कोयले की सप्लाई के लिए मुआवजे के रूप में 500 करोड़ रुपए का दावा किया गया था। यह सच है कि कोयले की किस्म नियन्त्रण की स्थिति बड़ी खराब है और खराब कोयले की सप्लाई के कारण बिजली को बहुत नुकसान होता है। पहले किस्म नियन्त्रण का कार्य महिला श्रमिकों द्वारा किया जाता था। वे सीपियों को बाहर निकाल दिया करती थीं। अब आपने सभी महिलाओं को बाहर निकाल दिया है। अतः इन राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई किए जाने वाले आपके कोयले में भारी मात्रा में पत्थर शिलाखंड आदि पाए जाते हैं। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे मुआवजे की मांग करते हैं। वे आपको कैसे अदायगी करेंगे? यदि महिला श्रमिकों की छंटनी नहीं की जाती तो किस्म-नियंत्रण बहुत बेहतर होता। मैं अनुभव करती हूं कि 5,500 लोगों को बाहर निकालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। महिलाओं के बारे में मैं पुनः यह कहती हूं कि इन क्षेत्रों में महिलाओं को अवश्य नियुक्त कीजिए।

दुर्घटनाओं के बारे में मैं यह चाहूंगी कि आप भूमिगत खानों की दुर्घटनाओं की संख्या अलग से दीजिए क्योंकि अन्यथा दुर्घटनाओं की दर को समझना अत्यन्त कठिन है। खुले गर्त की खानों में बहुत कम दुर्घटनाएं होती हैं। मैं वर्ष 1989-90 की आपकी रिपोर्ट में यह देखती हूं कि आपने कोयला उत्पादन के अपने लक्ष्य को दोबारा निर्धारित किया है क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कोयले की मांग कम होगी। आपने अपने लक्ष्य को 2100 लाख टन पर पुनः निर्धारित किया है क्योंकि मांग में कमी आई है। फिर उस रिपोर्ट में आप यह उल्लेख करते हैं कि मांग और उत्पादन में अन्तर को यदि आवश्यकता पड़ी तो आयात और खान से लेकर पूरा किया जाएगा। आयात क्यों किया जाएगा। इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे पास अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध है। कौन जानता है कि अगले वर्ष क्या स्थिति होगी? अतः भुगतान संतुलन की इस स्थिति में उत्पादन लक्ष्य को कम करना बिलकुल गलत है।

श्रमिकों के हित के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मजदूरी के बारे में कल लम्बी चर्चा की गई थी। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि आप सभी प्रकार की हानियों के लिए श्रमिकों को दोष देते हैं। परन्तु इसके मुख्य कारण कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार और अपव्यय तथा चोरी हैं। आप इन कारणों के बारे में क्या कर रहे हैं? 15 वर्षों में आपने 12 चेयरमैन बदले हैं। मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है? श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के दुगुने से भी अधिक मूल्य वृद्धि हुई है। अतः आपका सिद्धांत प्रभावहीन बन जाता है।

अब विद्युत के बारे में मैं समझती हूं कि 1994-95 के लिए निर्धारित लक्ष्य बहुत कम है। इससे वास्तविक मांगें पूरी नहीं होंगी। अतः पन-बिजली, ताप-बिजली और गैस पर आधारित विद्युत

और विशेष रूप से गैर-परम्परागत स्रोतों से बिजली उत्पादन के बारे में कुछ अधिक कार्य किया जाना चाहिए। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी गम्भीरतापूर्वक कुछ कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि अब सौर ऊर्जा 2 मेगावाट प्रति यूनिट तक विकसित की जा सकती है। परन्तु हमारे देश में उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अभी नहीं किया गया है। अतः यह अति आवश्यक है कि इस क्षेत्र में ये कार्य किए जाने चाहिएं।

श्री साठे साहिब यहां उपस्थित नहीं हैं। वे दो बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रभारी हैं। मैं समझती हूं कि उन्होंने जो भी उपलब्धियां दर्शाई हैं उनसे यह जाहिर होता है कि साठे साहब द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के बावजूद श्रमिकों ने इन उपलब्धियों में अपना योगदान दिया है। आपको खाली आंकड़े प्रस्तुत करने के बजाय अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे यह आशा और विश्वास है कि कम से कम इस बार आप भारी मात्रा में विदेशी सहयोग के विचार को बदल देंगे जिसका विस्तृत ब्यौरा आपने यहां नहीं दिया है। हमें यह जानकारी नहीं है कि क्या विचारणीय विषय दिए गए हैं। आपको वास्तव में सरकारी क्षेत्र को आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहिए और जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों के बारे में विकृत नीति अपनाने की अपेक्षा यही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की इस महत्वपूर्ण मांग का समर्थन करते हुए और मन्त्रालय को अपनी हार्दिक बधाई देते हुए 1947 से कांग्रेस सरकार की नीतियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ कमियों के बावजूद ऊर्जा-मन्त्रालय की नीतियों और उसके कार्यान्वयन से देश में सम्पूर्ण विकास हुआ है। साथ ही उद्योग, कृषि और दूसरे क्षेत्रों में तथा विद्युत उत्पादन नीति और ऊर्जा नीति की सफलता भी देश के विकास में सहयोगी रही है। इसके तीन पहलू हैं पहला है दूरदर्शिता व योजना, क्योंकि परियोजना लम्बे सर्वेक्षण के बाद मंजूर की जाती है, सामान्यतः सर्वेक्षण में काफी वक्त लगता है और जितनी ज्यादा प्रभावी योजना होती है सर्वेक्षण में उतना ही ज्यादा समय और कठिनाइयां होती हैं। किसी भी परियोजना का निर्माण, एक कुशल अभियंता और आयोजन की तीस या चालीस साल पहले की गई कल्पना का परिणाम होता है। हमारे आयोजक और अभियंता की दूरदर्शिता के कारण ही हमें आज उसका फल प्राप्त हो रहा है। इसका दूसरा पहलू रखरखाव का है। परियोजना को कैसे चलाया जाए और इसको शीघ्र और ठीक तरीके से कार्यान्वित कैसे की जाये।

2.50 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तीसरा पहलू गैर-परम्परागत साधन के उपयोग के संबंध में है। यह नीति स्वदेशी परम्परागत संसाधनों जैसे जल, तेल और परमाणु ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग पर बल देती है।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से आया हूं जहां पन बिजली पैदा करने की क्षमता बहुत अधिक है। मेरे एक विपक्ष के दोस्त जिन्होंने मेरे पहले इस बात को कहा था कि अगर हम उत्तर-पूर्व क्षेत्र की पन बिजली पैदा करने की क्षमता को उपयोग में लाएं तो इससे हम सम्पूर्ण देश को बिजली दे सकते हैं। ऐसी है - उत्तर-पूर्व क्षेत्र की पन बिजली सम्पदा। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि इस दिशा में सर्वेक्षण और अध्ययन किया जाए ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े और छोटे राज्यों में उपलब्ध इस एक बहुमूल्य क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके, जो उनके जीवन की मुख्यधारा बन सकती है तथा देश के अन्य भागों की भी इस क्षमता से सहायता की जा सकती है।

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

इस संबंध में मैं विशेष रूप से लोकता पन बिजली परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, जो कुछ साल पहले ही चालू हुई है। यह एक अनुपम परियोजना है और देश भर में अपनी किस्म की एक ही परियोजना है। इसमें विशेष मशीनरी और विशेषज्ञता उपयोग में लाई गई है जिससे इतिहास बन गया है। यह राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है और इसका पूर्ण श्रेय इस निगम को जाता है।

इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि यह बहुत समय तक कार्य नहीं कर पायेगी। लोकता झील से इस परियोजना को जल भेजा जा रहा है। आशंका इस बात की है कि लोकता झील में गाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मन्त्रालय जल स्तर गहरा करने और जल की मात्रा निरन्तर बनाये रखने के लिये कोई कदम उठा रहा है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि पानी के स्तर को बनाये रखने के लिये इसके आसपास के सारे क्षेत्र में पानी भर गया है। पहले यह झील कुछ हद तक मौसमी झील थी। इसमें पानी के दो विभिन्न स्तर थे— एक तो बरसात के मौसम में और दूसरा सूखे के दौरान। अब इसमें सदा पानी भरा रहता है। जिससे इसके आसपास के क्षेत्र में पानी भर गया है। जिसके फलस्वरूप किसानों को हानि हो रही है और वे खेती के लिए अपनी भूमि उपयोग में नहीं ला पाते हैं।

इस सत्र के दौरान पिछली बार मैंने मन्त्री महोदय से इस संबंध में प्रश्न किया था और उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लोकता झील क कारण वहां भूमि पानी में डूब गई है। सच्चाई तो यह है कि मैं उस क्षेत्र का निवासी हू और लोकता झील मेरे चुनाव क्षेत्र में आती है। मैं इस झील के किनारे पर ही रहता हूं। इसलिये मेरी बात सच मानी जाए। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब गया है और इससे प्रभावित लोगों को अन्यत्र बसाया जाना है और उन्हें मुआवजा भी दिया जाना है।

वहां जम रही गाद को ड्रैजरों या अन्य प्रकार से निकाला जाना चाहिए। मैं न तो कोई विशेषज्ञ हूं और न ही कोई अभियंता जिससे इस दिशा में कोई पक्का विचार दे सकूं। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिये कि इतनी अधिक लागत से बनाई गई परियोजना काफी लम्बे समय तक स्थाई बनी रहे आपको तुरन्त कुछ उठाने चाहिए। इसके अलावा न तो मेरे राज्य में और न ही पड़ोसी राज्यों मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में कोई दूसरा प्रभावी जल स्रोत है। इसलिये बिजली क्षमता के बारे में अध्ययन किया जाना है और इसका सर्वेक्षण करना अत्यावश्यक है तथा इस के आधार पर भविष्य के लिये योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये।

दूसरे पहलू पर आते हुए मैं यह कहूंगा कि कोयला हमारे क्षेत्र में नहीं के बराबर है क्योंकि न तो इस क्षेत्र में रेलवे पहुंच पाती हैं और न ही इस क्षेत्र में कोई कोयला खान है। लेकिन आज कोयले की बहुत ही जरूरत है क्योंकि जंगल कट गए हैं और हमारे पास न तो ईंधन की लकड़ी है और न ही ऊर्जा के कोई दूसरे परम्परागत साधन हैं। इसलिये कोयला हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से घरेलू खपत के लिये भेजा जाना चाहिए। इस तरह भारत सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। इस संबंध में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। गोमांस को लकड़ी के ईंधन पर पकाया जाता है लकड़ी का ईंधन वनों के कट जाने के कारण उपलब्ध नहीं है। इसलिये कोयला ही दूसरा साधन है जो ईंट जैसी अन्य वस्तुएं बनाने के लिए काम में लाया जाता है। ईंट सोने के भाव है। एक ईंट की लागत

2 रुपये पड़ती है इसलिए हम उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिन्हें ईंधन की लकड़ी और अन्य चीजों की कमी के कारण भवन-निर्माण सामग्री पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए मैं यह कहूंगा कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार कुछ ग्रामों का 0 प्रतिशत तक विद्युतीकरण हो गया। दूर-दराज के गांव और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र को बिजली की ज्यादा आवश्यताएं हैं क्योंकि वहां मिट्टी का तेल, गैस इत्यादि चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। हमें उन्हें सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करनी होगी। लोकता पन बिजली परियोजना के चालू होने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। हमें इस परियोजना का फल अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बांटना चाहिए। लेकिन हमें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों में कष्ट उठा रहे लोगों को वरीयता के आधार पर यह लाभ देना है। दिन में तो वे सूर्य की रोशनी से काम चलाते हैं पर बाकी समय उन्हें अन्धकार में ही बिताना पड़ता है। ग्रामीण विद्युतीकरण से इस क्षेत्र को वरीयता मिलनी चाहिये। इस तरह का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय के लिये भी किया जाना चाहिये।

वन-संरक्षण अधिनियम के पारित होने से सी० आई० एल० के लिये भूमि अर्जन की समस्या हो गयी है। इससे कोल इंडिया लिमिटेड की अनेक परियोजनाओं को नुकसान हुआ है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हमें कोल इंडिया लिमिटेड को वरीयता देनी चाहिए या फिर वन-संरक्षण का पक्ष लेना चाहिये क्योंकि दोनों का महत्व बराबर है। अगर आवश्यक हो तो सरकार कानून में कुछ संशोधन कर कोयला परियोजनाओं के लिये भूमि अर्जन कर सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड की 63 परियोजनाएं भूमि अर्जन में देरी के कारण लम्बित पड़ी हैं। दोनों हितों को देखते हुए अगर सरकार यह समझती है कि वर्तमान भूमि अर्जन कानून और वन-संरक्षण कानून में कुछ संशोधन की जरूरत है तो उसे करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस कठिनाई को दूर किया जाए।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

3.00 म० प०

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : महोदय, मैं मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। ऊर्जा क्षेत्र उद्योग और कृषि के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है मुझे इस बात की खुशी है कि यह मन्त्रालय एक सक्षम और व्यवहार कुशल मन्त्री के नेतृत्व में है उन्होंने ऊर्जा क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

इस बार ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट प्रावधानों में काफी वृद्धि की गई है। वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र के लिये कुल बजट प्रावधान 9100 करोड़ रुपये का था। इस साल इसे बढ़ाकर 11227 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दिया गया यह अधिक महत्व का द्योतक है अगर हम पिछले एक साल में इस मन्त्रालय का कार्य देखें तो हम पाते हैं कि इसने बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति की है।। अप्रैल 1988 और फरवरी 1989 में ऊर्जा उत्पादन और प्लांट लोड फैक्टर उत्पादन में क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 54.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों में भी काफी तरक्की हुई है। विद्युत बोर्ड का कार्य अनुशासनात्मक और सुचारू ढंग से चलाने में इस मन्त्रालय का बहुत ही ज्यादा श्रेय है। इसके फलस्वरूप अनेक विद्युत बोर्ड अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को भी सुधारने में सफल हुए हैं। इसी तरह, क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के विकास और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों की निरन्तर प्रगति बहुत बड़ी उपलब्धी है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के स्थापित होने के बाद विद्युत उत्पादन तथा वितरण में क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त हो जाएगा।

[श्री पी० ए० एन्टनी]

इसके बाद मैं इस क्षेत्र के कुछ समस्याग्रस्त क्षेत्रों का उल्लेख करता हूं। हम अभी भी प्रभावी विद्युत मांग के प्रबंध तथा ऊर्जा के संरक्षण के उपायों में बहुत पीछे हैं। जब इस शताब्दी की शेष अवधि के लिए ऊर्जा उत्पादन की योजना बनाई जाए तो हमें गम्भीरता पूर्वक संरक्षण संबंधी उपायों और मांग के प्रबन्ध के बारे में सोचना चाहिए। यह अनुमान है कि आठवीं योजना में प्रस्तावित अतिरिक्त 98000 मेगावाट नई विद्युत क्षमता आने के बाद भी इस योजना की अवधि के अन्त में लगभग दस प्रतिशत की कमी रहेगी क्योंकि मांग में काफी वृद्धि हो रही है। इसलिए कारगार मांग प्रबन्ध बहुत आवश्यक है। मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि ऊर्जा के संरक्षण हेतु अनेक उपाय किए जा रहे हैं। मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं।

दूसरा समस्याग्रस्त क्षेत्र परेषण है। सम्भवतः भारत में परेषण में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि वर्ष 1986-87 के लिए परेषण और वितरण में 21·50 प्रतिशत का नुकसान हुआ। वास्तव में विद्युत की कमी के लिए मुख्य रूप से क्षमता का कम उपयोग तथा परेषण में नुकसान को माना जा सकता है। संयंत्र भार क्षमता में सुधार अर्थात् क्षमता के उपयोग में सुधार लाने से हमारे पास और अधिक विद्युत होगी। एक अनुमान के मुताबिक संयंत्र भार क्षमता में हर एक प्रतिशत सुधार लाने पर ·500 मेगावाट विद्युत का अधिक उत्पादन होगा। इतनी ही विद्युत उत्पादन के लिए नई क्षमता स्थापित करने में 500 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। इससे धनराशि के संदर्भ में संयंत्र में संयंत्र भार क्षमता में सुधार के महत्व का पता लगता है। दुर्भाग्य से पिछले वर्षों के दौरान परेषण में हुए नुकसान में वृद्धि हुई है। भारत में यह नुकसान 21 प्रतिशत होता है जबकि विकसित देशों में यह 8 से 12 प्रतिशत के बीच होता है। एक अनुमान के अनुसार इस नुकसान में एक प्रतिशत की कमी लाने से लगभग 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्रतिवर्ष आ सकता है, इससे विद्युत सप्लाई को बढ़ाने के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि परेषण तथा वितरण में होने वाले नुकसान को घटाने तथा संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जायें।

अब मैं अपने राज्य केरल की कुछ समस्याओं का जिक्र करता हूं। एक समय था जब केरल विद्युत के मामले में एक समस्यारहित राज्य माना जाता था। लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान यह गलत साबित हुआ है। राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी है जिससे औद्योगिक विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल पूर्णतया जल विद्युत पर निर्भर है। जब मानसून विफल रहा तो जलाशय सूख गए और केरल लोग अंधकार में डूब गए। यह स्थिति इसलिए आई कि राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की कोई उचित योजना नहीं थी। कोई भी राज्य सिर्फ जल विद्युत पर ही निर्भर नहीं रह सकता है। योजनाकारों ने इस स्थिति की परिकल्पना नहीं की थी। केन्द्र ने केरल की ऊर्जा समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आम भावना यह थी कि केरल कोयला-खानों से बहुत दूर है इसलिए ताप विद्युत संयंत्र अव्यावहारिक रहेंगे। केरल के विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश लगभग शून्य है। फिर भी मैं केरल में एक ताप विद्युत संयंत्र लगाने के निर्णय के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। वास्तव में माननीय मंत्री श्री वसंत साठे ने एक दिन सभा में कहा कि केरल में ताप विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा और एक आणविक विद्युत संयंत्र लगाने के मुद्दे पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि ये संयंत्र अति शीघ्र लगाए जायेंगे। लेकिन इन संयंत्रों के लिए इस वर्ष की बजट मांगों में कोई आबंटन नहीं है। मुझे आशा है कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

यह आम बात है कि केरल में जल विद्युत की क्षमता का भी पूर्णतया उपयोग नहीं हुआ है। काफी क्षमता का अभी उपयोग नहीं हुआ है। देश के वातावरण तथा पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से शांत घाटी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। हम इसे सहर्ष स्वीकारते हैं। लेकिन जब शांत घाटी परियोजना को अस्वीकृत किया गया था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह वायदा किया था कि केरल में इसके विकल्प में एक और जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार के पास लम्बित पड़े अन्य जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दें।

मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि सरकार ने माइक्रो तथा लघु-जलविद्युत इकाइयों पर कुछ अनुसंधान किया है जिससे और अधिक सस्ती दर पर विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक संभावनायें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस संबंध में और खासकर दक्षिण क्षेत्र में पर्याप्त कार्य नहीं हो रहा है। मैंने प्रतिवेदन में देखा कि उत्तरी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 91.625 मैगावाट है जबकि दक्षिणी क्षत्र में सिर्फ 12.010 मैगावाट है। केरल में नदियों पर लघु तथा माइक्रो योजनाएं चलाने की काफी संभावनाएं विद्यमान हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में और अधिक पहल की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए डी० एम० के० की तरफ से मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत उत्पादन संयंत्र भार क्षमता पर निर्भर करता है। इस दिशा में बहुत कम सुधार हुआ है। इस वर्ष हम 54.4 प्रतिशत ही प्राप्त कर सके हैं। हमें इसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है तो जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, विकासशील देशों ने 66 प्रतिशत तक उपलब्धि की है जबकि हमारी उपलब्धि सिर्फ 54.4 प्रतिशत ही है।

महोदय, हम विद्युत के परेषण और वितरण में अत्यधिक नुकसान उठा रहे हैं जो कि 22 प्रतिशत है। यदि इसमें एक प्रतिशत भी कम हो जाए तो हम 350 मैगावाट विद्युत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए, परेषण तथा वितरण के नुकसान को कम करने के लिए कारगर उपाय करने होंगे।

1990-2000 के दशक के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक दीर्घ-कालीन योजना तैयार की है जिसमें 1.10 लाख मैगावाट विद्युत के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1988-89 के दौरान विद्युत उत्पादन सम्बन्धी रिपोर्ट का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 4496.5 मैगावाट अतिरिक्त बिजली तैयार की गई जिसमें से लगभग 3224.5 मैगावाट ताप विद्युत थी, 937.0 मैगावाट जल विद्युत और लगभग 23.50 मैगावाट परमाणु विद्युत। जहां तक तमिलनाडू का सम्बन्ध है, वहां आवश्यकता अधिक है जबकि हमारी उत्पादन क्षमता इस प्रकार है : ताप विद्युत—2730 मैगावाट परमाणु विद्युत—470 मैगावाट और जल विद्युत—1799 मैगावाट।

यदि वार्षिक रिपोर्ट को देखा जाए तो परियोजनाओं की सूची पढ़ने से दुख होगा। यह इस प्रकार है :

उत्तरी क्षेत्र : ताप विद्युत—फोटो, उन्छार, रोपड़, राजघाट, आन्टा, ओरैया।

जल विद्युत—मुकेरियां, थुही, माही बजाज।

[डा० ए० कलानिधि]

पश्चिमी क्षेत्र : ताप विद्युत—विंध्याचल, साबरमती, कोरबा ।
जल विद्युत—बरगी ।

दक्षिणी क्षेत्र : ताप विद्युत—रामगुन्डम ।
जल विद्युत कदम्परी ।

और जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, केवल लोउर मेट्टूर में एक परियोजना चल रही है । अनेक योजनाएं सरकार की मंजूरी के लिए पड़ी हैं । उदाहरण के तौर पर लगभग 10.9 करोड़ रु० लागत वाली तंजोर जिले में कोविल कल्लापल परियोजना जिससे 5 मैगावाट बिजली पैदा होगी । यह परियोजना केन्द्रीय सरकार क पास मंजूरी के लिए पड़ी है । कोडन कुलम परमाणु बिजली परियोजना भी है । चेरनोबिल दुर्घटना के बाद, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं और अनेक बातें उठाई गई है । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डा० करुणानिधि ने इसके हानि-लाभ का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का अनुरोध किया है ।

उत्तर मद्रास में 630 मैगावाट क्षमता का एक ताप बिजली घर लगाने का प्रस्ताव है बाद में जिसकी क्षमता बढ़ा कर 2000 मैगावाट कर दी जाएगी । मेरे विचार में सरकार को तमिलनाडु की सभी लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र ही मंजूरी दे देनी चाहिए ।

जहां तक नवीकरण और आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है, इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है । आपके विवरण के अनुसार, लगभग 5000 करोड़ रु० मंजूर किए गए हैं और इसमें से केवल 240 करोड़ रु० इस्तेमाल किए गए हैं । बड़े दुख की बात है कि केवल इतनी कम राशि खर्च की गई और शेष राशि खर्च नहीं की गई । ताप विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध निधियों के सही उपयोग के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिएं ।

बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अन्तर है । इसे कम किया जाना चाहिए और सभी लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए । उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सभी तटवर्ती राज्यों में जल और ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की बहुत गुंजाइश है ।

यदि हम वार्षिक रिपोर्ट को देखें तो ज्ञात होगा कि देश में अधिष्ठापित जल एवं तापीय विद्युत प्रणाली के राज्यवार ब्यौरे के अनुसार, गुजरात का स्थान सर्वोच्च है । गुजरात में इनकी संख्या 618 है, उत्तर प्रदेश में 293, राजस्थान में 173, मध्यप्रदेश में 137, पंजाब में 125 जबकि तमिलनाडु में यह संख्या केवल 113 है । अत: प्रत्येक क्षेत्र में तमिलनाडु की उपेक्षा की जा रही है । इसीलिए दक्षिण के निवासियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि उत्तर भारत समृद्ध हो रहा है और दक्षिण में अवनति हो रही है । मेरे विचार में आपको दक्षिणी राज्यों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, आगामी 5 वर्षों में हमें 201 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी । मेरे विचार में आपने कोयले के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । पिछले वर्ष हमने आस्ट्रेलिया से 3 लाख टन कोयले का आयात किया था । इस वर्ष आपने यह मात्रा कम कर दी । मेरे विचार में आप मांग को पूरा नहीं कर पायेंगे । कोयले के आयात में कोई बुराई नहीं है । आवश्यकता होने पर हमें कोयले का आयात करना चाहिए । जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, हम पूर्णतया ताप विद्युत परियोजनाओं पर आश्रित हैं जिनके लिए कोयले की आवश्यकता होती है । कोयले के बिना बिजली तैयार नहीं हो सकती और बिजली के बिना कोई उद्योग नहीं चल सकता ।

औद्योगिक विकास की दृष्टि से तमिलनाडु अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। अतः अब आपको न केवल ट्रेडिंग कम्पनियों के लिए कोयले की सप्लाई के बारे में सोचना चाहिए बल्कि विद्युत क्षेत्र के विषय में भी सोचना चाहिए ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जा सके और ताप बिजली घर बेहतर ढंग से कार्य कर सकें।

इलैक्ट्रानिक क्षेत्र मेंवी० सी० आर० और वी० सी० पी० उद्योगों को अधिक बिजली की आवश्यकता नहीं होती। मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में ऐसे कारखाने लगाने जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे कुछ कारखाने तमिलनाडु में भी लगाएं। इस विषय का आपके मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है परन्तु फिर भी मैं अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि वी. सी. आर. और वी. सी. पी. बनाने वाले कारखानों में बिजली की खपत कम है और इसीलिए तमिलनाडु के साथ इस क्षेत्र में न्याय होना चाहिए।

महोदय, मुझे पता लगा है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में बिजली का उत्पादन आधा हो गया है। मेरे विचार में आपको इस स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।

23-24 जनवरी, 1989 को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए एक सम्मेलन में, विद्युत उत्पादन, पर्यावरण प्रभावी ग्रिड व्यवस्था, टेरिफ को युक्तिसंगत बनाने, ऊर्जा संरक्षण और आठवीं योजना में लगभग 30,000 मेगा यूनिट अतिरिक्त क्षमता सुनिश्चित करने के उपायों जैसे मुद्दों पर विचार किया गया था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हे। गैस पर आधारित ऐसी परियोजनाओं के विस्तार के बारे में सरकार के पास क्या प्रस्ताव है जिनकी स्थापना और उत्पादन के बीच की अवधि कम हों? क्या सरकार पर्यावरण और वनों की दृष्टि से आठवीं योजना से सम्बन्धित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की कठोर धाराओं से छूट प्रदान करेगी?

मैं नेवेली के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वह तीसरी खान में खनन कार्य आरम्भ करे क्योंकि चालू परियोजनाओं में 840 मैगावाट क्षमता के दूसरा ताप बिजली घर—चरण दो पर कार्य होना है और दूसरी खान से 4·7 मिलियन टन से 10.5 मिलियन टन कोयला मिलना है। इसलिए, हम भारत सरकार से अनुरोध करते है कि वे हमें तीसरी खान में खनन कार्य की अनुमति दे ताकि हमें अधिक बिजली मिल सके।

मुझे ज्ञात हुआ है कि ऊर्जा नाभिकीय संरक्षण संगठन (एनर्जी नोडल कन्जरवेशन आर्गेनाइजेशन) ने सरकार को विस्तृत सिफारिशें भेजी हैं। मैंने इस बात का जिक्र पिछली बार भी किया था। पता नहीं सरकार ने कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की है। क्या आप वास्तव में इस मामले में गम्भीर हैं या नहीं?

मुझे ज्ञात हुआ है कि देश में किसी स्थान पर ऊर्जा संरक्षण और प्रबंध केन्द्र स्थापित किया जाएगा। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह केन्द्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाए ताकि तमिलनाडु में ऊर्जा का "आडिटिंग" हो सके और अध्ययन, प्रौद्योगिकी और उपकरण विकास की उन्नत सुविधाएं मिल सकें जिससे कि पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली बिजली की क्षति को रोका जा सके और ऊर्जा संरक्षण पर अनुसंधान आदि हो सकें।

मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब डा० करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तब 15811 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी। राज्य में लगभग 90 प्रतिशत विद्युतिकरण डा०

[डा० ए० कलानिधि]

करुणानिधि के शासनकाल में हुआ था। केवल 20 गांवों में बिजली पहुंचाई जानी शेष है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री श्री वसंत साठे से अनुरोध करता हूं कि वे हमें अधिक बिजली प्रदान करें। वह एक प्रगतिशील व्यक्ति है और पिछली बार भी जब मैंने वाद-विवाद में भाग लिया था, तब उन्हें ऐसा ही कहा था। उनका हृदय बहुत उदार है। उन्होंने कई बार तमिलनाडु राज्य का दौरा किया है और स्वयं वहां की बिजली की समस्या देखी है। वह जानते हैं कि हम औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। आज हमारा 13वां स्थान है। 1976 में जब डा० करुणानिधि मुख्यमंत्री थे तब हमारा तीसरा स्थान था। दुर्भाग्यवश, लगभग दस वर्ष से अधिक के अन्तराल में, जबकि वह मुख्यमंत्री नहीं थे, हम बहुत पिछड़ गए हैं और हम पानी की कमी, बिजली की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह सभी लम्बित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दें ताकि हमें अधिक बिजली मिल सके। जब हमें अधिक बिजली मिलेगी तो हमारे पास अधिक ऊर्जा होगी। जब हमारे पास अधिक ऊर्जा होगी तो अधिक कारखाने खोले जा सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप हम अपनी स्थिति पूर्ववत् बना सकते हैं। हम पूरे देश में प्रथम स्थान भी ले सकते हैं।

जहां तक मद्रास शहर का सम्बन्ध है, यहां पानी की कमी है। पीने के पानी की भी भारी कमी है जिसके लिए हमें भूमिगत पानी निकालना पड़ता है। भूमिगत पानी निकालने के लिए हमें अधिक अश्व शक्ति के पम्पों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। सभी दृष्टिकोण से बिजली की कमी ही हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इन मुद्दों पर विचार करके हमें अधिक बिजली देने का प्रयास करें ताकि हम भारत के अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि अन्य राज्यों को अधिक बिजली मिलें। न ही मैं किसी राज्यों पर टीका-टिप्पणी करना चाहता हूं कि 'अमुक राज्य को अधिक बिजली क्यों दी गई है और हमें कम क्यों दी है?' हम सभी भाई-भाई है और भारत का अभिन्न अंग हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि किसी राज्य को अधिक बिजली क्यों मिलती है। परन्तु साथ-साथ कृपया हमें हमारा उचित हिस्सा देने की कोशिश करें। हम सदैव आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और हम अपनी आवाज भी उठाते हैं तथा अपने अधिकारों की मांग भी करते है। हम अपनी नीतियां पर अडिग हैं और हम सदैव अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह सभी लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी दे दें जिनमें से एक तजावुर का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। यह परियोजना मेरे नेता के जिले अर्थात् कोविलकल्लपले में है—5 मैगावाट यूनिट के लिए और नार्थ मद्रास जिले में, जहां से मेरे मित्र श्री सोमू प्रतिनिधि है वहां 630 मैगावाट क्षमता के ताप बिजली घर का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाना है। सोवियत संघ में हुई त्रासदी को ध्यान में रखते हुए कुडनकुलम परियोजना के बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिए या किसी विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए। आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। मैं सम्बन्धित मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु की जनता के अनुरोध को स्वीकार करने की कृपा करें। फैसला हमारे हक में हो ही चुका है। इसलिए यह समझने का प्रयास करें और हमें अधिक बिजली देने का प्रयास करें ताकि हम आपके साथ बेहतर और सोहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रख सकें। तमिलनाडु की जनता श्री साठे को सदैव दिल से याद रखेगी।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चल रही चर्चा में इस मौके पर हस्तक्षेप करने की अनुमति दिए जाने पर आपको धन्यवाद देता हूं। प्रारम्भ में, मैं राज्य मन्त्री की हैसियत से उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस जोरदार वाद-विवाद में भाग लिया और जो मेरे भाषण के उपरान्त इसमें भाग लेंगे। ऊर्जा आर्थिक प्रगति का पर्याय है तथा भारत जैसे विकासशील देश में, बिजली इस ऊर्जा का एक मुख्य भाग है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि विद्युत विभाग के कार्यकलाप इस देश के सभी नागरिकों और विशेष तौर पर आर्थिक विकास से सम्बद्ध लोगों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यदि मैं कहूं कि विद्युत शक्ति विकास की बुनियादी आवश्यकता है तो यह सर्वविदित बात है क्योंकि यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है। इस बात को महसूस करते हुए, भारत के महान निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की सूझबूझ और दूरदृष्टिता से, नए भारत के शुरू में ही, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं में निवेश पर बल दिया था जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई और बिजली उत्पादन भी बढ़ा जिसकी बहुत आवश्यकता थी। पिछली प्रधानमन्त्री, और यदि मैं कहूं कि मेरी सलाहकार, तो कोई गलती नहीं होगी, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी इस कार्य पर बल देना जारी रखा, जैसा कि सदस्योगण जानते ही हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि श्री राजीव गांधी के प्रगतिशील नेतृत्व में वर्तमान सरकार भी इस कार्य पर बल दे रही है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए विभाग को अमूल्य सहायता दे रही हैं।

जैसा कि सदस्यगण जानते ही हैं और स्पष्टतः मुझे इस समय यह बात कहने की भी आवश्यकता नहीं है, परन्तु फिर भी बात को जारी रखते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि इस बल के कारण बिजली उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता जो 1947 में 1362 मैगावाट थी, वह सातवीं योजना के शुरू में बढ़कर 42,585 मैगावाट हो गई और आज यह क्षमता 58,000 मैगावाट से भी अधिक है। यदि हम समूचे ऊर्जा क्षेत्र को लें तो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की वचनबद्धता इस बात से देखी जा सकती है कि लगभग 30 प्रतिशत योजनागत निधियां इस क्षेत्र के लिए आवंटित की गई हैं और इसमें से 70 प्रतिशत धनराशि विद्युत के लिए आवंटित की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना असंगत नहीं होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत विकास दर विद्युत क्षेत्र पर भी लागू होती है जिसके परिणामस्वरूप आगामी दशक में लगभग 1‹0,000 मैगावाट अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। हमारे सामने यह लक्ष्य है। यह लक्ष्य विशाल और कठिन तो है परन्तु इसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। मैं राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने की दिशा में इस विभाग के प्रयासों के लिए सभी सदस्यों से सहयोग का नम्र निवेदन करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं और यह सोचता रहा हूं कि इस देश के नागरिकों को बिजली प्रदान करने सम्बन्धी बुनियादी मुद्दे क्या हैं; वे कहां चाहते हैं; कब चाहते है; किस क्वालिटी की चाहते हैं। सदस्यों द्वारा दिए गए कई सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है और महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि विद्युत विभाग इन पर ईमानदारी से कार्य करेगा। परन्तु ऊर्जा के क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों और हमारे पास उपलब्ध विकल्पों पर आने से पूर्व, में कुछ मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की कुछ उपलब्धियों को उजागर करते हुए, जैसा कि सब माननीय सदस्य जानते हैं, मैं यह कहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में देश में 42,585 मैगावाट की

[श्री कल्पनाथ राय]

अधिष्ठापित क्षमता थी जिसमें 14,460 मैगावाट जल विद्युत, 27,030 मैगावाट ताप विद्युत और लगभग 1,095 मैगावाट परमाणु विद्युत थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए आवधिक विद्युत शक्ति सर्वेक्षण और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 22·245 मैगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस महान सदन को सूचित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम न केवल इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे बल्कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य को भी पार कर जायेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि लगातार दूसरे वर्ष भी क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम जो कि वर्ष 1988-89 के लिए 4496 (चार हजार चार सौ छियानवे) मैगावाट था, वह बढ़ गया है और 4810 (चार हजार आठ सौ दस) मैगावाट क्षमता जोड़ी गई है। केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो कि इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में से एक है, वह अपनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले पूरा कर रहा है। अंटा और औरेया में गैस पर आधारित नए विद्युत संयंत्र अपने निर्धारित समय से लगभग 6-7 महीने पहले पूरे हो गए हैं। इसी प्रकार रामगुंडम और कोरबा में स्थित 500 (पांच सौ) मैगावाट की यूनिटें भी निर्धारित समय से काफी पहले पूरी हो गई है। मुझे इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के समक्रमिक प्रबंध से समय, से पूर्व प्राप्त हुई अतिरिक्त विद्युत की मात्रा से गिरते हुए आर्थिक स्तर में लगभग 10 गुणा सुधार होगा।

इस महान सदन की याद अभी ताजा होगी कि वर्ष 1987-88 के गम्भीर सूखे के दौरान इस विभाग के कार्यनिष्पादन से इस देश के कृषि उत्पादन को बनाए रखने में किस प्रकार सहायता की थी और सम्पूर्ण देश में व्याप्त गम्भीर सूखे की स्थिति पर सफलतापूर्वक काबू पाने में शायद महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था। हमने उस प्रवृत्ति को बनाए रखा है। पन-बिजली के क्षेत्र में कुल उत्पादन में असाधारण 21 प्रतिशत (इक्कीस प्रतिशत) की वृद्धि हुई है और कुल मिलाकर उत्पादन लगभग 9.5 प्रतिशत (साढे नौ प्रतिशत) रहा है जो कि गत वर्ष से अधिक है। दूसरे शब्दों में, वर्ष 1988-89 में कुल उत्पादन 221 (दो सौ इक्कीस) बिलियन यूनिट रहा है जबकि यह वर्ष 1987-88 में 201.8 (दो सौ एक प्वाइंट आठ) बिलियन यूनिट था। मेरा उद्देश्य सदस्यों को इस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों की भरमार देना नहीं है लेकिन मैं इस संकटग्रस्त क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को उजागर करने में उत्सुक हूं क्योंकि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के उपान्तिम वर्ष में हैं जिससे जहां तक विद्युत क्षेत्र का सम्बन्ध है आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध विषयों और विकल्पों के बारे में इस महान सदन के सदस्यों से प्राप्त परामर्श से सरकार फायदा उठा सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार करने से पहले, जो भी हो विचाराधीन वर्ष के दौरान देश में विद्युत सम्बन्धी रूपरेखा के अन्य पहलुओं और कुछ आंकड़ों पर संक्षिप्त में रोशनी डालना इस समय अनुचित नहीं होगा।

सदस्यों को देश में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों, दोनों में ताप विद्युत घरों के प्लांट लोड फैक्टर में वृद्धि करने में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि पुराने यूनिटों के नवीकरण और उन्हें आधुनिक बनाये जाने के हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ संयत्रों के संयंत्र भार क्षमता में पर्याप्त सुधार दिखाई दिया है। देश के कुछ सबसे पुराने यूनिटों में संयंत्र भार क्षमता में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि एक नवीकरण और आधुनिकीकरण योजना लगभग 500 करोड़ रुपए

(पांच सौ करोड़ रुपए) की कुल केन्द्रीय सहायता से चल रही है। लगभग 14 (चौदह) स्थानों पर लगभग 43 (तैंतालीस) यूनिटों का आंशिक रूप से नवीकरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ यूनिटों में संयंत्र भार क्षमता 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) से अधिक चला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी विगत की उपलब्धियों पर और अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। यदि मैं एक प्रसिद्ध अंश की नकल कर सकता जो कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित नेहरू को प्रिय थे, "इससे पहले कि विद्युत विभाग चैन से बैठे उसे अभी बहुत कार्य करना है।" मुझे अब भविष्य के बारे में बोलने दीजिए।

जैसा कि सदस्य जानते हैं, और जैसा कि मैंने पहले हस्तक्षेप करते समय उल्लेख किया था, योजना आयोग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत की विकास दर निश्चित की है, और यदि इसे प्राप्त करना है, तो विद्युत क्षेत्र को अपनी उच्चतम कार्य क्षमता से कार्य करना होगा, जिनका अर्थ होगा कि आगामी एक दशक के दौरान देश के लिए लगभग 1,50,000 मेगावाट क्षमता और बढ़ानी होगी। योजना आयोग को इस रूप-रेखा पर पहुंचने से पहले बहुत से ऊर्जा माडलों पर परीक्षण करना पड़ा और उन सुझावों में से एक यह है कि यदि वर्तमान व्यवस्थाओं का उपयोग करके 25 प्रतिशत क्षमता की बचत हो जाती है तो सकल घरेलू उत्पादन में 6 प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखने में आगामी एक दशक में लगभग 1,00,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए। जैसा कि सदस्यों को अच्छी तरह से जानकारी है, इसके साथ केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा किए गए 13वें विद्युत सर्वेक्षण में भी यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान विद्युत की कमी को पूरा करने की दृष्टि से आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 48,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की और नवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 62,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। जैसा कि सर्वविदित है, देश को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 6 प्रतिशत ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ेगा। यदि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 48,000 मेगावाट क्षमता की और वृद्धि की जाती है तो इस ऊर्जा की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। जैसा कि इस महान सदन के सदस्य जानते हैं, इसके लिए व्यवहारिक ससाधनों का ही केवल दबाव नहीं है, शायद वित्तीय दबाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लगभग 1,00,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ऐसे अतिविशाल महत्व के कार्य के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और व्यवहारिक संसाधनों के महत्व को देखते हुए, ऐसा महसूस किया जाता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 38,000 मेगावाट क्षमता से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमें विद्युत क्षेत्र में क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के अलावा भी देखना होगा। मैं इस महान सदन के माननीय सदस्यों के सामने इस बात पर बल देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि मैंने देश में विद्युत क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, संसद राज्यों, विधान मंडल के सदस्यों, ऊर्जा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले संबंधित लोगों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था, और आठवीं पंचवर्षीय योजना के विरुद्ध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में उनकी सलाह और सुझाव देने के बारे में उनके समक्ष प्रस्ताव रखा था। उसके बाद जो सुझाव प्राप्त हुए थे उन पर 23 और 24 जनवरी, 1989 को दिल्ली में हुए राज्य विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा हुई थी। यह बताने की आवश्यकता नहीं, कि राज्य के विद्युत मंत्रियों के साथ यह मेरा पहला सम्मेलन था और यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकाश डालने वाला और शिक्षाप्रद सम्मेलन था। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन

[श्री कल्पनाथ राय]

से जो एक निर्णायक मामला सामने आया जो इस सत्य से सम्बन्धित है कि जबकि क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है, तो भी कार्य कुशलता बढ़ाकर विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों और नीतियों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। वास्तव में, देश को जिन व्यवहारिक और वित्तीय संसाधनों के दबावों का सामना करना पड़ रहा है उसे देखते हुए, यदि हम क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों को देश में उपलब्ध कठिन विकल्पों के रूप में लेते हैं, तथा प्रणालियों की कार्यकुशलता बढ़ाने से संबंधित अन्य क्षेत्रों को आसान विकल्प के रूप में लेते हैं, चूंकि यह बहुत कम व्यय करके भी किया जा सकता है, तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विद्युत विभाग वास्तव में इन आसान विकल्पों को सामने ला सकेगा। क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण हैं विशेषकर ऐसे समय में जबकि विद्युत कार्यक्रम की रूपरेखा में इसका स्तर घट रहा है, मैं इस महान संस्था के सदस्यों के ध्यानार्थ कुछ मिनट के लिए और निवेदन करना चाहता हू।

इससे पहले कि मैं इन आसान विकल्पों पर चर्चा करूं, मुझे सदस्यों को यह यकीन दिलाना है कि सरकार ने यह विश्लेषण किया है कि विद्युत विभाग 38,000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम को किस प्रकार प्राप्त करेगा।

जैसी कि सदस्यों को जानकारी है कि विद्युत परियोजनाओं को तैयार होने में काफी समय लगता और यह आवश्यक है कि नई परियोजनाओं के बारे में निर्णय अब लिए जाएं ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आवश्यक उपलब्धता का स्तर सुनिश्चित किया जा सके। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार अपनी तरफ से इस बात का भरसक प्रयत्न कर रही है कि वास्तविक तथा वित्तीय रुकावटों के कारण विद्युत क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की गति धीमी न हो। इसके लिए, गैस पर आधारित कई परियोजनाओं का कार्यान्वियन विद्युत विभाग के विचाराधीन है, इन परियोजनाओं को तैयार होने में कम समय लगता है और यदि यह परियोजनाएं 8वीं योजना के दौरान आरम्भ हो जाती हैं तो हम इनका लाभ भी आठवीं योजना में दे पाएंगे। सरकार द्वारा नियुक्त एक अन्तर मंत्रालयी ग्रुप ने इस बारे में विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थलों की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन है। मुझे विश्वास है और सदस्यगण भी मुझसे सहमत होंगे कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्युत विभाग के पिछले कार्य निष्पादन को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 38,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता को प्राप्त करना विद्युत विभाग के लिए कठिन कार्य नहीं होगा। राजस्थान के एक माननीय सदस्य ने राजस्थान में लिग्नाईट संसाधनों के इस्तेमाल की सलाह दी है। सरकार की इच्छा सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करने की है। राजस्थान की पालाना लिग्नाईट परियोजना सरकार के विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों को इस बात की भी जानकारी है कि सरकार ने सोवियत संघ के साथ अगले दशक के दौरान 6000 मेगावाट क्षमता बढ़ाने का एक दीर्घावधिक सहयोग करार किया है। भारत सोवियत संघ सहयोग करार कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 3270 मेगावाट बिजली और मिल जाने की सम्भावना है।

जबकि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे लिए 38,000 मेगावाट प्राप्त करना सम्भव होगा, किन्तु, जैसा कि मैंने कुछ क्षण पहले कहा, कि वास्तविक आग्रह आसान विकल्पों पर होगा। वास्तव में यह सब कठिन उपाय है। इनमें कई कार्यक्रम शामिल हैं जिससे सम्पूर्ण देश का विद्युत के मामले में सुधार होगा। अब मैं इस पर ब्यौरेवार बातचीत करूंगा।

जैसी कि सदस्यों को जानकारी है यदि हम अखिल भारतीय औसत लें तो देश में पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि लगभग 22 प्रतिशत है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रणाली में सुधार करके पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि को कम करें। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि देश के विशेषकर उत्तरी और पूर्वी विद्युत क्षेत्रों में कम वाल्टेज की लम्बी लाइनें हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारेषण के दौरान अधिक बिजली नष्ट होती है। विद्युत विभाग ने रिएक्टिव प्रतिपूर्ति जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि को कम करने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए हैं और मुझे खुशी है कि बहुत से राज्यों में पारेषण और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान का प्रतिशत घटकर 17 रह गया है। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में टी० एंड डी० हानि का औसत 14 प्रतिशत है। बहस के दौरान बहुत से सदस्यों ने सप्लाई की जाने वाली बिजली की क्वालिटी का जिक्र किया। जबकि राज्य बिजली बोर्डों और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों का प्रयत्न आमतौर पर बिजली की क्वालिटी सुधारने का है, माननीय सदस्यगण यह अनुभव करेंगे कि कैपिसेटर कम्पेन्सेशन परियोजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली बिजली की क्वालिटी में सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली के तमाम वितरण और बिक्री का प्रबन्ध बिजली बोर्डों/विभागों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास है। राज्य बिजली बोर्ड वर्ष दर वर्ष भारी घाटा उठा रहे हैं और 1988-89 के दौरान 2100 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। मैं श्री माधव रेड्डी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह स्थिति एक ओर तो उनके आपरेशन वाणिज्यिक लाइनों पर चला कर सुधारी जा सकती है तथा दूसरी ओर क्षमता में ईष्टतम उपभोग, पारेषण और वितरण में होने वाली हानि में कमी और परिचालन लागत को कम करने जैसे उपायों द्वारा सुधारी जा सकती है। बिजली सप्लाई अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, बिजली बोर्डों को अपने खर्च पूरे करने के पश्चात् अपने विकास कार्यकलापों के आंशिक वित्त पोषण के लिए लाभ कमाना होता है और इसके लिए सम्मिलित प्रयत्न करने होते हैं। मैं राज्य सरकारों/बिजली बोर्डों से इस बारे में आग्रह करता रहा हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण विद्युत की खरीद के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशि 480 करोड़ रुपये हो गई है। यदि बिजली बोर्ड अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं करते और वाणिज्यिक आधार पर काम नहीं करते तो विद्युत क्षेत्र के विकास में बाधा आएगी।

मुझे सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है कि विद्युत सप्लाई आवश्यक अथवा बताए गए स्तर की होनी चाहिए और मैं इस बारे में राज्य बिजली बोर्डों को प्रायः लिखता रहा हूं। हमने इस मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भी अनुरोध किया है कि वह 'क्षेत्र विकास दृष्टिकोण' अपनाएं और ऐसी परियोजनाएं आरम्भ करें जिससे राज्य बिजली बोर्डों और उपभोक्ता सेवा के लिए कैपिसेटर करेक्शन परियोजनाओं और सही प्रौद्योगिकी के उपयोग से विद्युत प्रणाली को सुधारने में मदद मिलेगी।

इससे मुझे 'लोड मैनेजमेंट' का एक और पहलू ध्यान आता है। जैसा सदस्यगण जानते हैं कि देश पांच बिजली क्षेत्रों में बंटा हुआ है और इस समय इसकी आयोजना बिजली क्षेत्रों के आधार पर होती है। तो भी देश के भौगोलिक मानचित्र से पता चलेगा कि भारत में पन बिजली क्षमता उत्तर और पूर्वोत्तर अंचल में है। वास्तव में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में लगभग 30,000 से

[श्री कल्पनाथ राय]

35,000 मेगावाट विद्युत क्षमता का दोहन किया जाना है, किन्तु इन क्षेत्रों में तथा इसके आस-पास कोई लोड केन्द्र नहीं है। इस क्षेत्र में लोड के विकास में निश्चित रूप से अभी समय लगेगा और हम इस ओर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। किन्तु यदि यह विद्युत, जिससे न केवल हमें विद्युत की कमी को दूर करने में मदद मिल रही है बल्कि उस क्षेत्र जिससे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है के बाढ़ प्रबन्ध के लिए भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए हमें इस विद्युत को लोड केन्द्रों में लाने के उपाय सोचने होंगे जो कि इन परियोजना क्षेत्रों के दक्षिण में स्थित हैं। वास्तव में, हमारा लक्ष्य देश के उत्तरी क्षेत्र से फालतू विद्युत देश के दक्षिणी क्षेत्रों में भेजने की क्षमता होनी चाहिए। यदि इसे सम्भव करना है तो पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण पर पर्याप्त ध्यान देना होगा जिनमें उत्पादित विद्युत को ले जाने की क्षमता हो तथा जो पर्याप्त लोड बर्दाश्त कर सकती हों। इस तरह हम राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने का प्रयास करते रहे हैं ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली पहुंचायी जा सके। अन्त-र्राज्यीय अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पारेषण प्रणाली के साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र में 400 किलोवाट पारेषण प्रणाली के तकनीकी विकास से क्षेत्रीय ग्रिडों के समेकन की सम्भावना है। क्षेत्रीय ग्रिडों के माध्यम से केन्द्रीय पारेषण प्रणाली के त्वरित विकास द्वारा अंततः राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का गठन सम्भव हो सकेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि भारतीय पारेषण निगम के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे, जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले अभी कहा है, न केवल बिजली घरों से बिजली की सामयिक आपूर्ति करने अपितु एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली आपूर्ति करने में भी सहायता मिलेगी। इससे अधिक बिजली भी मिल सकेगी।

मैं यह मानता हूं कि विभिन्न ऊर्जा उत्पादक और ऊर्जा का प्रयोग करने वाले संगठनों/संस्थानों के कार्यकरण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि सभी संबंधित पक्ष कम खर्च में ऊर्जा का अधिक उत्पादन करने, विद्युत पारेषण के समय बिजली नष्ट न होने देने, तथा इसकी अधिकतम बचत के लिए एकजुट होकर निरन्तर प्रयास करना होगा। विद्युत विभाग विभिन्न क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करता है। फिर भी देश के भौगोलिक नक्शे से पता चलता है कि भारत में पन-बिजली की सम्भावनायें मुख्यत उत्तरी और उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। वस्तुतः अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में 30,000 से 35,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की सम्भावनायें है किन्तु इसके आस-पास के क्षेत्रों में कोई विद्युत केन्द्र नहीं है। इस क्षेत्र में बिजली घर बनाने में निश्चय ही समय लगेगा यद्यपि वह भी जरूरी है और हमारा ध्यान इस ओर जाना ही चाहिए। किन्तु इस बिजली को, जो न केवल बिजली की अत्यधिक कमी को दूर करने में हमारी सहायता कर रही है अपितु उस क्षेत्र में, जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, बाढ़ को रोकने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है, इन परियोजना क्षेत्रों के दक्षिण में स्थित विद्युत केन्द्रों तक ले जाने के तरीके ढूंढ़ना भी हमारे लिए आवश्यक है। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम देश के सुदूर उत्तरी क्षेत्र से सुदूर दक्षिणी क्षेत्र तक ऐसी फालतू बिजली को अन्तरित करने की क्षमता पैदा करें। यदि इसे व्यवहार्य बनाना है तो हमें ट्रांस-मीशन तथा विद्युत सप्लाई लाइनें बिछाने पर पर्याप्त ध्यान देना होगा तथा साथ ही ये लाइनें उत्पादित बिजली के पारेषण के लिए उपयुक्त हों और हमें इस सम्बन्ध में किए गए सभी प्रयत्नों के समन्वयन और निगरानी करनी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न संगठन एकीकृत प्रयत्नों के लिए नीतियां तैयार की जा रही हैं जिनमें ऊर्जा मूल्य निर्धारण, तत्संबंधी सूचना देना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तकनीकी विकास, आदर्श परियोजनायें शुरू करना, ऊर्जा बस/लेखा परीक्षा कार्य-क्रम शुरू करना, ऊर्जा को प्रभावी रूप से विनियमित करने संबंधी अध्ययन करना तथा प्रोत्साहन एवं जुर्माने आदि की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया इसे सभा पटल पर रखिए।

श्री कल्पनाथ राय : यदि आप सरकार की नीति के बारे में यह जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं तो कृपया मेरी बात सुनिए। जिस तरह आप बोल रहे हैं, मैं भी बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। मन्त्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कल्पनाथ राय : मुझे इस सम्मानित सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विद्युत विभाग यूरोपियन इकोनामिक कम्युनिटी के सहयोग से नागपुर में एक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र (एनर्जी मैनेजमेंट सेन्टर) की स्थापना कर रहा है। इस केन्द्र का उद्घाटन 12 अप्रैल, 1989 को किया जाना है। यह केन्द्र ऊर्जा प्रबंधन क्षेत्र, 'सॉफ्टवेयर पैकेजिस' के विकास, ऊर्जा प्रबंधकों के प्रशिक्षण, ऊर्जा नीति तथा ऊर्जा प्रबंधन आयोजना—तकनीकों पर किए गए अनुसंधानों के आदान-प्रदान आंकड़ा केन्द्र की स्थापना, ऊर्जा लेखा-परीक्षा कार्यक्रम, आदर्श परियोजनायें आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विद्युत विभाग के साथ ठोस सहयोग करेगा। मैं सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि ऊर्जा के संचयन पर लगातार बल दिया गया है। ऊर्जा की अधिक खपत वाले उद्योगों के लिए ऊर्जा की खपत के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके परिणामों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। उद्योगों को ऊर्जा का लेखा-जोखा रखना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। घरेलू तथा वाणिज्यिक केन्द्रों में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले बिजली के उपकरणों तथा सामान के मानकीकरण, कम खपत वाली विद्युत प्रणाली तथा लोगों में इस बारे में जागरुकता पैदा करने का अभियान चलाने संबंधी प्रयास किए गए थे। विद्युत विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए सीमित प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं। कृषि के क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया गया है। इन क्षेत्रों में कम खपत वाली पम्पिंग प्रणाली शुरू करने के लिए इन्हें तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी गई है।

हमने 1987-88 में ऊर्जा की खपत की तुलना में 1989-90 में इसकी खपत 5% तक कम करने, 1994-95 के अन्त तक 15% तथा वर्ष 1999-2000 तक 35 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी बार-बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बंगलौर स्थित पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी (पी० ई० टी० एस०) और सैन्ट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सी० पी० आर० आई०) इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। सैन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट के अन्तर्गत हैदराबाद में 2500 मेगावाट का उच्च विद्युत जांच केन्द्र, वी० एच० वी० तथा ए० सी० रिले लेबोरेटरी और पावर सिस्टम साइमुल्लेशन सिस्टम एंड स्टडी सैंटर जैसी मुख्य परियोजनाएं हैं, जो शुरू होने के विभिन्न चरणों में हैं।

देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय स्तर के मुख्य निगमों और संगठनों के संबंध में अपने विचार व्यक्त न करने का अर्थ होगा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) द्वारा देश में ताप विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 1988-89 के दौरान एन० टी० पी० सी० ने 1,420 मेगावाट के लक्ष्य

[श्री कल्पनाथ राय]

की तुलना में 2,208 मेगावाट उत्पादन किया। इस समय एन० टी० पी० सी० देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केन्द्र है, जो 7,718 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता का उत्पादन कर रहा है। यह निगम अपने उत्पादन केन्द्रों से विद्युत पारेषण के लिए ट्रांसमीशन लाइनें बिछाने का काम भी करता है। यह निगम सभी तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों को चला रहा है तथा ये केन्द्र ईष्टतम संयंत्र भार घटक को बनाए हुए हैं। 1900 मेगावाट की औसत उत्पादन क्षमता की 8 उत्पादन इकाइयां संयंत्र भार घटक को 70 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक बनाए हुए हैं। इस निगम से 5 कर्मचारियों को वर्ष 1988 के लिए उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए प्रधान मन्त्री के श्रम विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह, नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन० एच० पी० सी०) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम, दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड तथा ब्यास निर्माण बोर्ड प्रगति और समृद्धि के युग के लिए अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

माननीय सदस्य पहले ही से अवगत हैं कि टेहरी-पन-बिजली परियोजना को उत्तर प्रदेश में टेहरी-पन बिजली पावर काम्प्लैक्स शुरू करने के लिए जुलाई, 1988 में सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया है। यह निगम उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से अन्य पन-बिजली परियोजनाएं भी शुरू करेगा। नए टेहरी-नगर का विकास और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य शुरू हो गया है।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाखरी विद्युत परियोजना (6 × 250 मेगावाट) को चालू करने के लिए नाथपा जाखरी विद्युत निगम को मई, 1988 में निगमित किया गया था। यह निगम हिमाचल प्रदेश सरकार की सलाह से इस क्षेत्र में अन्य पन-बिजली परियोजनायें भी चालू करेगा। इस समय परियोजना पर आधार-भूत ढांचा खड़े करने का काम जारी है।

इस सम्मानित सदन के सदस्य विद्युत क्षेत्र की पूंजीगत-मांगा से अवगत हैं। विद्युत वित्त निगम विद्युत परियोजनाओं को शर्त सहित वित्त उपलब्ध कराने के मुख्य लक्ष्य से स्थापित की गई है। विद्युत वित्त निगम ने पहले ही 913 करोड़ रुपये के 100 से अधिक प्रस्तावों के लिए ऋणों की स्वीकृति दी है जिसमें उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के सभी क्षेत्र आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, भाषण समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी देश की विद्युत स्थिति में 4 दशकों से अधिक की इस अवधि में एक अत्यन्त व्यापक परिवर्तन हुआ है। विद्युत क्षेत्र ने सूखे आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सफलतापूर्वक सामना किया है। कभी-कभी असफलतायें भी हुई हैं और विद्युत क्षेत्र ने इन असफलताओं से सीखा है। हम पहले ही सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में पहुंच चुके हैं और विद्युत क्षेत्र ने अगले दो दशकों के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसी योजनायें तैयार की हैं जिससे न केवल शताब्दी के आरम्भ तक इसका अधिक मात्रा में उत्पादन होगा अपितु विगत के मात्रिक विकास का गुणात्मक मूल्यों में समेकन भी होगा। महोदय, मैं आशा करता हूं कि गतिशील मंत्री श्री वसंत साठे और हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में समग्र उत्पादकता के द्वारा विद्युत क्षेत्र समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को घरेलू, कृषि, औद्योगिक तथा व्यापारी वर्गों को उचित मूल्य पर पर्याप्त तथा उचित बिजली दे सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तम्पन थामस।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, जब मैं बोली थी तो श्री साठे सदन में नहीं थे, मैंने कुछ मुद्दों की ओर उनको ध्यान दिलाया था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तम्पन थामस, आप बोलिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अन्य लोगों को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यह सच है कि बिजली उत्पादन की स्थिति में सुधार हुआ है। यह भी सही है कि उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस संबंध में आत्मनिर्भरता है और पश्चिमी क्षेत्र में 7% की कमी है। किन्तु दक्षिणी क्षेत्र में यह कमी 20% है। महोदय, मैंने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया है। मैंने देखा है कि 1990-95 के योजना कार्यक्रम में भी, दक्षिणी क्षेत्र को 20% तक बिजली की कमी रहेगी। यह उन बड़ी समस्याओं में से एक है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं और श्री साठे मूलतः एक ही राजनीतिक दल के थे। मैं उनका व्यवहार जानता हूं और वह मानते हैं कि विद्युत की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पहलू की ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि भविष्य में दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त किया जाए।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की इस 20% कमी में से केवल केरल को ही लगभग 40% विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष अच्छी वर्षा के कारण पन बिजली के उत्पादन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र में इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की वजह से जल उपलब्ध होने के कारण मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए पनबिजली परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। यद्यपि केरल में इस वर्ष बहुत अच्छी वर्षा हुई है, फिर भी राज्य में लगभग 40% विद्युत की कमी होगी। महोदय, एक ऐसा अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : क्या फिर भी केरल में बिजली की कमी रहेगी ?

श्री तम्पन थामस : आप इडुक्की निर्वाचन क्षेत्र से हैं और वहां पनबिजली का उत्पादन हो रहा है। अतः महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भी कुछ समस्याएं हैं जिनका आने वाले वर्षों में आपको सामना करना होगा। अतः मैं आपको सुझाव देता हूं कि विद्युत उत्पादन में लम्बी अवधि की योजना बनाई जानी चाहिए। जहां तक दक्षिणी क्षेत्र विशेषकर केरल जैसे राज्य का संबंध है, वहां बिजली की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने की जरूरत है; न्यूनतम आवश्यकता को नेवेली ताप विद्युत परियोजना से पूरा किया जा सकता है। नेवेली सबसे पुराना है। रामगुण्डम और कलपक्कम से हमें बिजली मिल रही है। मुझे ठीक से यह जानकारी नहीं है कि कलपक्कम से हमें कितनी मिल रही है, किन्तु नेवेली में हमारा हिस्सा था और वह हमें नहीं मिल रहा है। महोदय, इसके अतिरिक्त, मुझे याद है कि इस विषय पर पिछले वर्ष के वाद-विवाद के समय आपने हमें अर्थात् केरल के सभी संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल से कहा था कि केरल में कुछ किया जाएगा। किन्तु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के चेयरमैन ने कल समाचारपत्र सम्मेलन में कहा कि कायमकुलम भी तो हैं और आज प्रश्न के उत्तर में कायमकुलम क्षेत्र को रक्षित बन्दरगाह कहा गया

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री तम्पन थामस]

है । उसका कुछ उत्तर भी दिया गया था । यह जो भी हो, मेरा सुझाव यह है कि जब तक स्थाई प्रबन्ध नहीं किए जाते हैं तब तक गैस से तैयार करने की अवधि सबसे कम है और यदि गैस से बिजली बनाई जा सके और कमी वाले क्षेत्रों में इस को अधिक प्राथमिकता दी जाए तो आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं । महोदय, यदि हम गुजरात से उत्तर तथा उस क्षेत्र के लिए बिजली की सप्लाई हेतु लाइन बिछा सकते हैं तो हम तेल उत्पादन करने वाले क्षेत्र से उन प्रमुख तापीय विद्युत केन्द्रों को सीधे ही पाइप लाइन क्यों नहीं डलवा सकते जिसकी हम उस क्षेत्र में योजना बना रहे हैं, अर्थात् हम गुजरात से एक सीधी पाइपलाइन क्यों नहीं भेज सकते ताकि तेल वहां पहुंच सके और बिजजी का उत्पादन शीघ्र ही किया जा सके ? यहां हमें बिजली की बहुत जरूरत है और बिजली के बिना हम अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकते हैं और इससे दक्षिण तथा उत्तर और अन्य क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन और भी अधिक हो जाएगा । अतः मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इन आगामी योजनाओं के संबंध में इसी दृष्टिकोण से सोचा जाए और इसी बात को प्राथमिकता दी जाये ।

महोदय, मैं विस्तारपूर्वक नहीं कह रहा हूं । इस वादविवाद में भाग लेते समय और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा । टैरिफ भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग टैरिफ है । हम सभी भारतीय हैं और एक राष्ट्र के रूप में और भारत में रहने और अपने ऊपर गर्व करने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में विद्युत प्रभारों में अन्तर क्यों है ? निःसंदेह, मैं जानता हूं कि इस मामले में केन्द्र के लिए समस्याएं हैं । (व्यवधान) इसी बात की मैं मांग कर रहा हूं । निःसन्देह यह राज्य तथा केन्द्र दोनों के लिए एक समवर्ती विषय है और वितरण का काम आपने राज्य को सौंपा है, किन्तु यदि दरों में अत्यधिक अन्तर है तो इसमें समन्वयन करना आवश्यक है । कुछ प्रणाली बनानी होगी और मेरा निवेदन है कि पूरे देश के लिए टैरिफ आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक दरों में अधिक विभिन्नता के बिना विद्युत प्राप्त कर सके । यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि मैं जानता हूं कि हाल ही में जब केरल सरकार ने ने अपनी आय बढ़ाने का प्रयास किया और थोड़ी वृद्धि की गई थी । यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और जब यह कोई राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो यह राज्य के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है और महोदय, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए—यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है—इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, मेरा निवेदन यह है कि बिजली की दरों को निर्धारित करने के लिए और इन बातों के समन्वय के लिए एक टैरिफ आयोग होना चाहिए । वास्तव में केरल अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत सस्ती दर पर विद्युत सप्लाई कर रहा है । परन्तु जब केरल सरकार इसके मूल्य में कुछ वृद्धि करना चाहती थी, तो यह एक राजनैनितक मुद्दा बन गया । जब यह एक राजनैतिक मुद्दा बन जाता है (व्यवधान)·· यदि माननीय मंत्री द्वारा कुछ प्रयास किया जाता है, कुछ सामन्जस्य स्थापित किया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी ।

दूसरा पहलू यह है । आप इस समस्या पर ध्यान दीजिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बारे में कुछ उपलब्धि प्राप्त की गई है । परन्तु इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए और इस बात पर ध्यान दीजिए कि इसका उपभोग कितना है । आप यह जानते हैं कि आजकल भारत में बिजली का उपभोग एक नागरिक के अन्तर्राष्ट्रीय औसत उपभोग का दसवां भाग है ।

श्री कल्पनाथ राय : हमारी जनसंख्या 80 करोड़ है ।

श्री तम्पन थामस : ऐसा केवल जनसंख्या के कारण ही नहीं है। लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ही इस ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। हम ऐसा करने में सफल नहीं हो सके, हमें ऐसा करना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस विद्युत उत्पादन में कहां समस्या का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से ऊर्जा उत्पादन की चिन्ता में, माननीय मंत्री और भारत सरकार और राज्य सरकारों, जिनमें मेरी राज्य सरकार भी सम्मिलित है, ने विदेशों से ऋण प्राप्त करने की मांग की है। आपने विश्व बैंक से संपर्क किया और आपने वहां से ऋण प्राप्त किया है और सोवियत संघ ने भी आपकी सहायता करने की पेशकश की है। मैं जानता हूं कि कनाडा इदुक्की परियोजना में सहायता कर रहा है।

4.00 म० प०

परन्तु महोदय अब आप समस्या पर पुन: ध्यान दीजिए। जब आपने ऋण लिया था तो रूबल का विनिमय मूल्य 10 रुपये अथवा 15 रुपये प्रति रूबल था। अब यह 24 रुपये है। जब आप भुगतान करेंगे तो यह और भी अधिक हो जायेगा और यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हमने विदेशी ऋण लिया है, तो चाहे हमने उसे किसी भी ब्याज पर, रियायती ब्याज दरों पर लिया हो, उसकी वापस अदायगी करनी पड़ती है और अन्तत: जब रूबल — रुपये अथवा डालर — रुपये के अनुपात में परिवर्तन होता है तो हमें अत्यधिक अदायगी करनी पड़ती है। इसके कारण अन्तत: हमारी उत्पादन लागत बढ़ जाती है और लोगों के लिए यह स्थिति असह्य बन जाती है। हमने जल्दबाजी में विदेशों से ये अग्रिम राशियां ले ली हैं। आपको इस समस्या पर पुन: ध्यान देना चाहिए। आप टैरिफ आयोग रिपोर्ट के आधार पर आगे कह रहे हैं और सम्पूर्ण देश के लिए सन्तुलन बनाये रखने के लिए यूनिट लागत में वृद्धि कर रहे हैं। हमें पता लगता है कि अर्थशास्त्रियों ने यह परिणाम निकाला है कि विनियम मूल्य अन्तर और ऋण तथा ब्याज जिसकी आप अदायगी कर रहे हैं, के कारण दर में 40 प्रतिशत वृद्धि की जा रही हैं। इसके कारण अब आप वास्तविक लागत से 40 प्रतिशत अधिक लागत पर विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों से कुछ प्रतिशत ऋण लेते हैं जैसे आप प्रति यूनिट 3 पैसे बढ़ा देते हैं तो संभवत: इसे निष्प्रभावित किया जा सकता है। यदि आप 82 करोड़ लोगों से 3 पैसे प्रति व्यक्ति लेते हैं तो ऐसा करना रूस से कुछ रूबल अथवा अमरीका से कुछ डालर लेने से अधिक लाभदायक होगा और अन्तत: आप इस बात पर ध्यान देंगे कि इससे लागत भी कम आयेगी। यदि आप विदेशों से ऋण लेने की बजाय लोगों से पैसा इकट्ठा करके उन्हें बिजली सप्लाई करते हैं तो यह बहुत कम खर्चीला होगा। मैं केवल सरकार को यह चेतावनी दे रहा हूं और एक ऐसा उदाहरण दे रहा हू जिसमें उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। अत: महोदय, हमें कम उत्पादन लागत पर विद्युत उत्पादित करके उसकी सप्लाई करने में सक्षम होना चाहिए।

अन्तत: मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र अर्थात कयामकुलम में आपने कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना को आरम्भ करने का वायदा किया है। लोग उत्सुकता से इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि इसे कब आरम्भ किया जायेगा और कब उसे चालू किया जायेगा। पहले प्रत्येक व्यक्ति यह पूछ रहा था कि इसे कब चालू किया जायेगा। परन्तु अभी तक इसका पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने इसे एक राज्य परियोजना के रूप में भेजा था परन्तु केन्द्र सरकार ने यह कहा कि हमें आपकी सहायता करनी चाहिए और एन० टी० पी० सी० ने इसे

[श्री तम्पन थामस]

अपने हाथ में ले लिया है। परन्तु मेरी सूचना के अनुसार सामान्यतः एन० टी० पी० सी० कार्यक्रमों को 6 सप्ताह के समय में मंजूरी दे दी जाती है। परन्तु 3 महीने से अधिक समय गुजर जाने पर भी इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। अतः आपको इस बारे में शीघ्र ही हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस बारे में कुछ कार्यवाही की जाए।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री ने इस बारे में पहल की है—मुख्य मंत्री और विद्युत विभाग के मंत्री को बुलाकर उनसे बातचीत की है और उन्हें एन० टी० पी० सी० द्वारा इसका उत्तरदायित्व लेने के बारे में सहमत किया है। परन्तु अब भी इसमें और आगे विलम्ब किया जा रहा है। अतः इसे कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दूसरी बात केरल में कोचीन तेल शोध कारखाने के बारे में है। तेल का उपयोग किया जा सकता है और छोटी धारक विद्युत परियोजना अथवा छोटी परियोजना वहां विकेन्द्रित तरीके से स्थापित की जा सकती है। मैं आपको गैर-परम्परागत ऊर्जा के मुद्दे का भी उल्लेख करना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जल्दी कीजिए। प्रो० पी० जे० कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री तम्पन थामस ने विद्युत उत्पादन की लागत के बारे में भाषण दिया है। वे एक श्रमिक नेता हैं और उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि श्रमिक हड़ताल के कारण भी विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। मेरा चुनाव क्षेत्र इदुक्की है और जब इदुक्की परियोजना को चालू किया गया था तो इस में हड़ताल के कारण 5 वर्ष का विलम्ब हुआ था और उन 5 वर्षों में प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ गई थी। अतः मैं यह कहूंगा कि उत्पादन लागत में वृद्धि श्रमिक हड़ताल के कारण भी हुई है। मैं उन सभी श्रमिक नेताओं जो कि संसद-सदस्य भी हैं, और यहां बैठे हुए हैं, से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसी अनावश्यक हड़तालों का सहारा न लिया जाए ताकि उत्पादन लागत कम हो सके।

विद्युत उत्पादन और विद्युत संचारण में प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के लिए मुझे मंत्री महोदय को बधाई देनी चाहिए। विद्युत उत्पादन की स्थिति बिलकुल ठीक है। पारेषण क्षेत्र मे होने वाली हानि को भी वह कम कर सकते थे। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके लिए सफलता की कामना करता हूं।

अपने राज्य पर आते हुए मैं यह कहूंगा कि मेरे राज्य में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। जैसा कि मेरे मित्र द्वारा पहले ही कहा जा चुका है वहां बिजली 40 प्रतिशत कमी है। वहां व्यवहारिक रूप से कोई भारी उद्योग नहीं है इसके बावजूद भी, वहां बिलजी की भारी कमी है और वहां प्रतिदिन 4 से 8 घन्टे तक बिजली नहीं आती है। वहां 5 वर्षों तक ऐसी कोई भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जायेगी जिसे चालू किया जा सके। अगले 5 वर्षों तक केरल राज्य में बिजली का संकट और भी अधिक होगा। पिछले 5 वर्षों में केरल को कितनी अतिरिक्त विद्युत क्षमता दी गई ? 1400 मेगावाट से 1475 मेगावाट अर्थात् केवल 75 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता प्रदान की गई है जबकि अन्य राज्यों में—मैं इस बात की शिकायत नहीं कर रहा हूं—संस्थापित क्षमता को दुगना अथवा तिगुना कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने

कयामकुलम ताप-संयंत्र को स्वीकृति दी थी। उसके लिए मैं सदस्य महोदय का धन्यवाद करता हूं। मैं उसकी स्वीकृति देने के लिए प्रधान मंत्री और मन्त्रालय का भी धन्यवाद करता हूं। यह केवल 400 मेगावाट की विद्युत परियोजना है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : यह परियोजना 2000 मेगावाट की है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री महोदय इस बात पर सहमत हो गये हैं कि यह एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र होगा। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित रूप से अपने कुप्रबन्धन के कारण राज्य सरकार के पास इस परियोजना में निवेश करने के लिए एक पैसा भी नहीं है उसके पास इसके लिए कोई संसाधन नहीं है।

श्री तम्पन थामस : राजकोष आप लोगों ने ही खाली किया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वर्तमान केरल सरकार के कुप्रबन्धन के कारण उनके संसाधन समाप्त हो चुके हैं और उनके पास निवेश करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। अतः मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह उनके और राज्य के बचाव के लिए आगे आये ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण परियोजना को वित्त पोषित किया जाये और एन० टी० पी० सी० द्वारा इसका उत्तर-दायित्व लिया जाये। एन० टी० पी० सी० एक अत्यन्त सफल संगठन सिद्ध हुआ है और इसमें आपका लाभ का मार्जिन भी बहुत अच्छा है। कयामकुलम परियोजना का उत्तरदायित्व एन० टी० पी० सी० द्वारा लिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने एक ताप संयंत्र की स्थापना के लिए एक अन्य उपयुक्त स्थान त्रिकारीपुर का पता लगाया है। केरल के लिए ताप विद्युत सयंत्र पर्याप्त नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि त्रिकारीपुर अथवा किसी अन्य स्थान पर एक और परियोजना की स्वीकृति दे दी जाए।

राज्य की अस्थाई और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोचीन में गैस-आधारित एक 5000 मेगावाट क्षमता का जनरेटर स्थापित किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए कोचीन तेल शोध शाला अथवा किसी अन्य राज्य की गैस परिष्करणशाला के उणोत्पादों का भी उपयोग किया जा सकता है।

केरल में सम्पूर्ण पन विद्युत क्षमता का भी उपयोग नहीं किया गया है और पर्यावरण संरक्षण पर अत्यधिक बल देने के कारण हम इसे काम में लाने में सफल नहीं हुए है। जब भी विकास के कारण पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु दुर्भाग्य से उस देश में विकास के कारण पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होने के बजाय, पर्यावरण संरक्षण ही विकास को रोकने का प्रयास कर रहा है।

मैं भी यही अनुभव कर रहा हूं। मेरे एक मित्र ने हाल ही में मुझे बताया कि इनमें से कुछ स्वघोषित पर्यावरण वैज्ञानिक हमारे देश के विकास के इच्छुक नहीं थे। मूल बात यह है कि आपको पर्यावरण संरक्षण के नाम पर केरल में सभी जल परियोजनाएं बंद नहीं करनी चाहिए। आपको प्रत्येक मामले की जांच करनी चाहिए और पर्यावरण संबंधी पर्याप्त सावधानियां बरतने के बाद कुछ जल परियोजनाओं को मंजूरी भी देनी चाहिए। पूयनकुट्टी योजना भी यहां लंबित पड़ी है।

एक वाक्य अपारम्परिक ऊर्जा के बारे में भी। जिस परियोजना की मैं बात कर रहा हूं यह बहुत ही नवीन परियोजना है। नई दिल्ली में एक महाशय श्री अशोक राय ने यह खोज की है कि

[श्री पी० जे० कुरियन]
चरखे से बिजली पैदा की जा सकती है। मैं अखबार से केवल दो वाक्य पढ़ूंगा। यह बहुत ही रोचक है। 'चरखा' विद्युत का प्रयोग घर में दो बल्ब जलाने और घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मैं केवल दो वाक्य ही पढ़ूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

"नई दिल्ली के श्री अशोक राय ने चरखे का प्रयोग करके सीमित घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन करने के एक उपकरण (यंत्र) की खोज की है। उसने चरखे को गियर से एक कम कीमत वाले जेनरेटर से जोड़ा है। चरखा चलाने से जनरेटर एक घण्टे में 12 वाल्ट की बैटरी चार्ज कर सकता है। इससे एक बल्ब जलाने की बिजली पैदा की जाती है। श्री राय ने कहा है कि इस उपस्कर में इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, और सुधार किया जाएगा।

इस देश में काफी जन-शक्ति का अपव्यय होता है। मैं आपसे केवल यह अनुरोध करूंगा कि इस सज्जन को बुलाएं और इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता की जांच करें तथा इसके लिए कुछ करें। उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ में दोनों मन्त्रियों श्री साठे जी और श्री राय जी को बधाई देता हूं क्योंकि इनके समय उत्पादन में, ट्रांसमीशन में, संरक्षण में बड़ी उपलब्धता हासिल हुई है।

मान्यवर, अभी हमारे दो माननीय सदस्यों ने विद्युत के उत्पादन के बारे में अपनी मांगें रखीं लेकिन मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा साठे जी से कि उत्तर प्रदेश इस देश का एक इतना बड़ा प्रदेश है जिसकी आबादी 13 करोड़ रही है, अब तो यह 16 करोड़ हो गयी होगी। यह प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहां बिजली की मांग की 25 प्रतिशत पूर्ति भी नहीं होती है जबकि महाराष्ट्र में हंड्रेड परसेंट हो रही है। इसी प्रकार केरल में, तमिलनाडु में और हरियाणा में भी हो रही है। अगर इतनी बड़ी उपेक्षा इतने बड़े प्रदेश के साथ की जाएगी तो उसके साथ बहुत अन्याय होगा।

मान्यवर, हमारे मन्त्रिगण आश्वस्त करें कि जो सर्वाधिक पिछड़े प्रदेश हैं, जिनका कि बिजली के अभाव में विकास नहीं हो पा रहा है, योजनाएं नहीं चल रही हैं उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि हमारे मन्त्रिगण इस बारे में कोई उचित कदम उठायेंगे।

अभी हमारे राय साहब ने बीच में बोलते हुए उन सभी पहलुओं पर जिनसे हम परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, प्रकाश डाला। लेकिन हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ऊर्जा मन्त्रालय की पालिसी रही है कि ऊर्जा का जो उत्पादन हो। पालिसी यह रही है कि उत्पादन कम कास्ट पर करें। दूसरा हम जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हों और तीसरा जो हमारे उत्पादन के स्रोत हैं वे वातावरण को पोल्यूट न करें जिससे वातावरण की इकोलोजी बैलेन्स्ड बनी रहे। इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली है। लेकिन 47 से 88-89 तक के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि 1947 में जो विद्युत का उत्पादन था, उस समय न्युक्लियर सिस्टम इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उस समय थर्मल और हाइडल दो ही थे। मेजर कंट्रीब्यूशन हाइडल का और माइनर थर्मल का था।

4.16 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जैसे-जैसे हमने ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि की है, थर्मल पर ज्यादा पैसा खर्च किया है। वास्तविकता यह है कि हिन्दुस्तान में आज भी अपार मात्रा में जल बह रहा है, हारनेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा वातावरण है, जो हमारे रिसोर्स हैं, जो हमारी डिमाण्ड्स और कंडीशन्स हैं, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाइडल जनरेशन सिस्टम बढ़ें क्योंकि इसमें इनपुट कास्ट या फिनीश्ड कास्ट थर्मल की तुलना में कम आती है। हमारा पानी जो वेस्ट के रूप में बहता है उसका समुचित उपयोग हो सकता है। पानी से जो बाढ़ की तबाही आती है या प्राकृतिक विपदा आती है, वह समाप्त हो सकती है। जिस तरीके से अब तक सर्वाधिक ध्यान थर्मल पावर जनरेशन की ओर दिया गया था, उससे मुड़कर अब हमें वाटर रिसोर्स का बैस्ट मैनजमेंट करना चाहिए। इसके लिए मन्त्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि इन्होंने माइक्रो और मिनी हाइडल प्लांट की ओर इन्सेन्टिव देने शुरू किए हैं। मुझे विश्वास है, अगर इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया तो बहते हुए बेकार पानी का सदुपयोग होगा और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी काफी सफलता मिलेगी। अभी यह पता लगा है कि कुछ स्थानों पर साल में छह महीने बैस्ट एफर्ट करने के बाद जनरेशन बढ़ा लेकिन समस्या लोड फैक्टर की आई। दिक्कत यह है कि जो बिजली जनरेट हो रही है, वह लोड नहीं संभल पा रहा है। इसके लिए कंसन्ट्रेटेड एफर्ट होना चाहिए ताकि जिस सोर्स से बिजली जनरेट की जाए, लोड की प्राबलम सामने न आए। हिन्दुस्तान गांवों का देश है। हम माननीय मन्त्री जी को बधाई देते हैं जिन्होंने रूरल इलीइलैक्ट्रीफिकेशन स्कीम के तहत राज्यों को गाइड-लाइन्स दी हैं उनको जरूरी इमदाद भी दी है। इस स्कीम के तहत रिपोर्ट को देखने से ऐसा लगता है कि 64.2 परसेंट से ज्यादा गांव एनरजाइस हो चुके हैं और 47.5 परसेंट टोटल पोटेंशियल जो पम्पसेट के एनरजाइजेशन का है वह पूरा किया जा चुका है। अभी जैसा कि सम्मानित साथी ने कहा था कि वास्तविकता यह है कि किसी गांव में खंभे लगाकर, किसी गांव में पोल गाड़कर, किसी गांव में तार खींचकर उसको एनरजाइस मान लिया जाए और किसी गांव में कुछ न करें और आंकड़ें दे दिए जाएं कि यह पैसा गांव के विद्युतिकरण की ओर जा रहा है जिसका मकसद यह है कि हिन्दुस्तान के सभी गांव इसका लाभ उठा सकें। इसके मानिटरींग के लिए कमेटी होनी चाहिए जो यह देखे कि रुपए पैसे का सदुपयोग हो रहा है। जो राज्य रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के बाद फर्जी आंकड़ें प्रस्तुत करके केन्द्र सरकार को या देश को धोखा दे रहे हैं, उनको पैनेलाइज किया जाए और यह कोशिश होनी चाहिए कि जो पैसे विद्युतिकरण के गांवों मे जा रहे हैं, उसका दरअसल लाभ गांव के लोगों को मिले। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्युशन आफ लासेज की हैं। हम बधाई देते हैं ऊर्जा मन्त्री जी को, जो इस ओर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस लॉस को कम किया जाए। हमारे ऊर्जा राज्य मन्त्री जी ने इस लाभ को 22 परसेंट से 17 परसेंट पर लाने की बात कही है। इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया के कुछ विकसित देशों में हाई वोल्टेज सिस्टम पर बिजली सप्लाई करने की टैकनीक विकसित की गई है। उस प्रणाली को लागू करने के बाद जो ब्रेक-डाउन्स होते हैं, फ्लक्चुएशन्स होती हैं, बिजली को सप्लाई में अनेकानेक गड़बड़ियां होती हैं, वे कम हो सकती हैं और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। व्यवहार में हमने देखा है कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत पोल गाढ़ कर तार लगाकर हम गांवों और शहरों तक विद्युत पहुंचाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सिस्टम में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। जैसे आंधी आने पर, तूफान आने पर कहीं पोल गिर जाते हैं,

[श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

तार टूट जाते हैं और हफ्तों तार वैसे ही टूटे पड़े रहते हैं, खम्बे गिरे पड़े रहते हैं, अनअटैन्डेट रहते हैं, उसमें कैजुअल्टी हो जाती हैं और विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है। मेरा निवेदन है कि आपने पीछे एक सम्मेलन बुलाया था, हम संसद सदस्यों की राय भी मांगी थी कि कैसे हम बिजली की प्रणाली में सुधार करें, जिसमें आपके सामने तमाम प्रकार के सजैस्शन्स आये थे, इसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही कोई महंगा सिस्टम आपको अख्त्यार करना पड़े, कोई आप ऐसा सिस्टम इवौल्व कीजिये, इंट्रोडयूस कीजिये जो डयूरेबल हो, जिसमें सीक्योरिटी हो और जिसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी सम्भव हो। यदि अण्डरग्राउण्ड केबल डाल कर आप विद्युत आपूर्ति करने का सिस्टम अपनाते हैं तो मैं समझता हूं कि खम्बे भी नहीं टूटेंगे, तार भी नहीं गिरेंगे और विद्युत आपूर्ति भी बाधित नहीं हो पायेगी और न इलैक्ट्रिक करेंट लगने से कोई कैजुअल्टी होगी, कोई आदमी मरेगा। आजकल कभी-कभी ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि किसी चलती बस में ऊपर से बिजली का तार टूट कर गिर गया और बस में बैठे 50 आदमी मारे गये, 60 आदमी मारे गये। ऐसा इस देश में रोज हो रहा है। इस ओर ध्यान देकर आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें इस तरह की कैजुअल्टीज न होने पायें और बिजली की सप्लाई में बाधा न पड़े, उस पर काबू पाया जा सके।

आपने बिजली की कन्जम्पशन कम करने के लिये अनेक तरीके निकाले हैं और मैं समझता हूं कि समय की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे तरीके निकाले जाने चाहियें। मैं इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस देश में बिजली की जिस तरह फालतू बरबादी होती है, सजावट पर, ताम-झाम पर, जहां दो लाख में काम चल सकता है, वहां बीस लाख लगा दिये जाते है, एअर-कण्डीशनर्स बिजली की सबसे अधिक कन्जम्पशन करते हैं और हिन्दुस्तान में बिजली इतनी बेकार खर्च की जाती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। यदि हम उस फाल्तू बिजली को कन्जर्व कर सकें, बचायें तो मुझे यकीन है कि हमारे कारखानों का उत्पादन काफी हद तक बढ़ जाये, जो आज बिजली के अभाव में अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। जहां तीन शिफ्टें चलनी चाहियें, किसी में दो शिफ्ट मुश्किल से चल पाती हैं तो किसी में एक शिफ्ट ही चल पाती है क्योंकि उनकी विद्युत आपूर्ति काट दी जाती है। इस पर यदि कन्ट्रोल कर लिया जाये तो मुझे यकीन है कि हमारा कृषि क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सभी जगह उत्पादन बढ़ेगा। आज बिजली की कटौती से उत्पादन बहुत प्रभावित हो रहा है।

अब मैं अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह आता हूं जो सबसे गरीब, पिछड़ा और उपेक्षित क्षेत्र है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने अपने वक्त में काफी कोशिश की है, हमारे यहां 1 लाख 32 हजार यूनिट क्षमता स्टेशन की आधारशिला रखी गयी है परन्तु मन्त्री जी, आप स्वतः परिचित होंगे कि हमारा बस्ती जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा और निर्धन जिला है। आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद में बुनकरों की तादाद लाखों में हैं, जिनकी रोजी-रोटी वीविंग से ही चलती है, कपड़ा बुनकर बेचकर ही वे अपनी आजीविका चलाते हैं लेकिन हमारे यहां बिजली की आपूर्ति न मिलने के कारण पावरलूम अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप मेंहदावल, धर्मसिंहवा और राजेसिंहा में एक लाख बत्तीस हजार यूनिट क्षमता के स्टेशन की आधारशिला रखकर इतनी बिजली का उत्पादन करें ताकि उस क्षेत्र में किसी को यह शिकायत करने का मौका न मिले कि बिजली के अभाव में उनका कारखाना बन्द है या रोजी-रोटी नहीं चल पा रही है।

आपने कैश-रिवार्ड की जो प्रथा शुरू की है, वह बहुत प्रशंसनीय है और तमाम इलैक्ट्रिसिटी जैनेरेटिंग सैन्टर्स ने उसका लाभ भी उठा लिया है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी कम हुए हैं,

लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन्सेंन्टिव्ज को और बढ़ा दें ताकि आज हमारे देश में जिस तरह से बिजली या एनर्जी का लॉस हो रहा है उस पर काबू पाया जा सके।

साठे साहब ने हमें एक स्कीम जहां हम अभी बिजली मुहैय्या नहीं कर पाते वहां के लिए "ऊर्जा-ग्राम" की दी थी। उसकी कुछ कंडीशन्स थीं। लेकिन वह स्कीम अच्छी तरह से नहीं चल पाई है। बिजली सम्बन्धी सारी सुविधाएं अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी हैं। फार-फ्लंग एरियाज में सुदूरवर्ती इलाकों में बिजली मुहैय्या कर पाना इस योजना के वश की बात नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप नॉन-कन्वेंशनल इनर्जी के जो तरीके हैं उनको विकसित करें और हर संसद सदस्य की कांस्टीट्यूएंसी में कम से कम 5 ऊर्जा ग्राम विकसित करें। इनमें सोलर इनर्जी, विंड इनर्जी और बॉयोटेक और फोटोवोल्टेक सिस्टम आदि जितने भी ऊर्जा प्रदान करने के साधन हैं, उनको अपनाया जाए।

अब, माननीय राय साहब अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश में तालाबों में उगने वाली वेस्ट-ग्रास जिसको हम अपनी भाषा में जल-कुम्भी भी बोलते हैं, परिचित हैं। एक अखबार की खबर के अनुसार यह पावर जनरेट कर सकती है। यह जल कुम्भी हमारे उत्तर प्रदेश में तालाबों में टनों की तादाद में उगती है और इक्ट्ठी है। मैं चाहूंगा इस दिशा में अगर कोई कदम उठाएं, रिसर्च करें, तो जो ह्यूज वेस्ट, मिलियन्स की मात्रा में है, उसका उपयोग हो सकता है और उससे हमारे ग्रामों को बिजली मिल सकती है।

सभापति महोदय, अब चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं, । इसलिए मैं बंद करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : चेयरमैन महोदय, मैं बहुत ध्यान से श्री कल्पनाथ राय जी के भाषण को सुन रहा था। श्री कल्पनाथ राय जी और श्री साठे जी के लिए, मैं बहुत धन्यवाद के साथ कहता हूं कि जब भी हम पंजाब के एम० पीज० पंजाब का बिजली का मामला लेकर जाते हैं, वे पूरी सहानुभूति से हमारी बात सुनते हैं। इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन···

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अब "लेकिन" काहे को लगा रहे हैं ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : "लेकिन" इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें इनका दोष नहीं है, बल्कि किसी और का दोष है।

जहां तक फायनेंस का सम्बन्ध है, उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। पंजाब में बिजली की पोजीशन यह है कि अगर 200 मैगावाट बिजली हर साल पंजाब में हम और जमा नहीं करेंगे, तो पंजाब में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। मैं इसलिए आपका ध्यान खींचने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब में, केन्द्र सरकार को पंजाब बिजली बोर्ड और पंजाब स्टेट, इन को ज्यादा हमदर्दी से देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि पंजाब कोल हैड से बहुत दूर है। चूंकि कोल हैड बहुत दूर है और वहां से कैरी करना पड़ता है, इसलिए बहुत खर्च आता है। दूसरी बात यह है कि पंजाब डिस्टर्ब एरिया है। उसके बावजूद पंजाब में बिजली के उत्पादन को कायम रखा जा रहा है। इसलिए आप इन दोनों को हमदर्दी की निगाह से देखें। एक तो वहां बिजली का खर्च ज्यादा आता है दूसरे डिस्टर्ब सिचुएशन के बावजूद बिजली पैदा करना, ज्यादा बढ़ाते जाना। इसलिए पंजाब को बिजली के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

हमारा रोपड़, थर्मल पावर प्लांट है। उसकी थर्ड स्टेज के लिए आपको बार-बार रिक्वेस्ट की गई है। कोल क्लियर हो चुका है, कन्फर्म हो गया है। जो प्रोजेक्ट का पाल्यूशन का पाइंट आफ व्यू है, वह स्टेट और सेंटर की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। अब इसको आखिरी क्लियरेंस साठे साहब आपकी तरफ से दी जानी है। मैंने पिछली दफा भी यही रिक्वेस्ट की थी, अच्छा नहीं लगता आप जैसे भले आदमी को बार-बार कहा जाए। पिछले साल भी कहा और इस साल भी कह रहे हैं। इसलिए मैं जोर देकर कहूंगा कि रोपड़ थर्मल प्लांट की थर्ड स्टेज की एप्लीकेशन जो आपके पास है, उसको आप क्लीयर कीजिए। राय साहब 13 तारीख को एम० पीज० की मीटिंग में तशरीफ ले गए थे, उन्होंने सब की बात सुनी है।

दूसरी बात गुरु नानक देव थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, भटिन्डा में, उसके बारे में आपने कहा था कि उसकी लोकेशन को थोड़ा चेंज करो तो हम साइट को 9 किलोमीटर दूर ले गए हैं। एक-एक बात जो आपने कही, ओबजेक्शन लगाए, वह सब क्लीयर हो चुके हैं, इसलिए निवेदन है कि गुरु नानक देव थर्मल प्लांट के थर्ड स्टेज के प्रोजेक्ट को क्लीयर किया जाए।

एक रिक्वेस्ट यह है कि गैस-बेस्ड थर्मल प्लांट पंजाब के लिए दिया जाए। हमने एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखी थी, उन्होंने 22 अगस्त को उस चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा—

[अनुवाद]

"हाल की गैस की उपलब्धता की मात्रा और गैस की सप्लाई के लिए पहले दिए जा चुके वचनों को ध्यान में रखते हुए पंजाब तक पाइपलाइन का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

हम यह चाहेंगें कि अगर यह नहीं कर सकते तो

[अनुवाद]

गैस थर्मल पॉवर संयंत्र के लिए गैस का लिंक लुधियाना के निकट तक स्थापित कर दें।

[हिन्दी]

इसके लिए यह प्रावधान तो कर दीजिए। इससे हमें 216 मेगावाट बिजली पंजाब में और मिल सकेगी। अगर आप रोपड़ और भटिन्डा दोनों के थर्ड स्टेज क्लीयर कर दें तो उससे 220, 220 मेगावाट बिजली पंजाब में और मिल सकेगी।

पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स के इलैक्ट्रिसिटी बोर्डज ने बहुत बार आपके माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि कोल बहुत दूर से आता है और इस पर बहुत खर्चा बढ़ जाता है। 50 लाख टन कोल हर साल पंजाब में आता है इससे आल-मोस्ट 50 परसेंट बिजली बोर्ड का खर्चा कोल के किराये में खर्च हो जाता है। इस बारे में हमने चिट्ठी भी लिखी है, उसके लफ्ज मैं दोहराता हूं—

[अनुवाद]

इसलिए इसका उपाय केवल यह है कि इस्पात, सीमेंट और पैट्रोलियम उत्पादों की भांति कोयले की कीमत को रेल पर्यन्त नि शुल्क आधार पर सारे देश में इसको युक्तिसंगत बना दिया जाए। सारे देश में रेल पर्यन्त निशुल्क आधार पर कीमतों की एकरूपता अपनाने से सभी राज्यों में विद्युत का विकास होगा और इससे भेदभाव के तत्व समाप्त हो जाएगें जोकि इस वर्तमान ढांचे में विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

हमारी तो दो तीन बातें ही बहुत जरूरी थीं। इसलिए आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में जब रणजीत सागर डैम और शाहपुर प्रोजेक्ट मुकम्मिल हो जाएंगे तो बिल्कुल हाइडल सोर्स नहीं रहेगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि हमने जो गैस बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट की मांग की है, उसमें हमारी मदद की जाए।

पंजाब के बिजली बोर्ड की जो फाइनेन्शियल पोजीशन है, अभी आपने पंजाब बिजली बोर्ड के चेयरमैन श्री एन० एस० बसन्त को आउट-स्टैंडिंग काम करने के लिए सम्मानित किया है। हम कांग्रेस वाले और अकाली दल वाले और किसी बात पर तो सहमत नहीं होंगे लेकिन पंजाब बिजली बोर्ड के काम और उसके चेयरमैन श्री एन० एस० बसन्त के काम पर हम दोनों पक्ष पूरी तरह सहमत हैं।

मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ-साथ थीन डैम का जो स्लो स्पीड से काम चलता है, उसको तेजी से बढ़ाने के लिए पंजाब की मदद करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : सभापति महोदय, मैं साठे साहब को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सूखा और बाढ़ कई जगहों में आने के बावजूद भी बहुत अच्छे ढंग से काम किया और बिजली की पैदावार को कम नहीं होने दिया। हमारे मन्त्री जी अपने टारगेट को एचीव करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं।

अब मैं कुछ बातों की तरफ मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स को बनाने में जिस हिसाब से प्राइस एसक्लेशन होता है उतना और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे आने वाले वर्षों में यह राशि और अधिक बढ़ जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने जो एक लाख 80 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है अगर इसमें कंट्रोल नहीं किया तो अगले 10 सालों में खाली ऊर्जा के लिए ही इतनी राशि का प्रावीजन करना पड़ेगा।

1984 के अन्दर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था। 1985 में उसने अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को पेश कर दी थी। उस एडवाइजरी बोर्ड ने सप्लाई और डिमांड में प्रोजेक्शन के बारे में बताया और यह कहा कि यह तीन-चार गुना अगले कुछ सालों में हो जायेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जहां आपने देहातों में किसानों की मदद की और उद्योगों को मदद दी वहां आपको किसानों को और ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिये। कृषि के क्षेत्र में ग्रीन-रैवोल्यूशन आई लेकिन अभी भी यह देखने में आ रहा है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको तरीके खोजने पड़ेंगे। इंटरनेशनल मार्किट में चीजों का मुकाबला करने के लिए

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

हमें उस लायक किसानों को बनाना पड़ेगा। यह तभी हो सकेगा जब हमारी लॉ कास्ट इकॉनमी होगी। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने भी इस बात को कहा है। जब हमारी प्रोडैक्ट्स लॉ-कास्ट में होंगी तभी इंटरनेशनल मार्किट में हमारी साख बन सकती है और हम अपने साधनों को बढ़ा सकते हैं।

हाइड्रो इलेक्ट्रिक या थर्मल पावर का जो जैस्टेशन पीरियड होता है उसके बारे में मैं दर-ख्वास्त करना चाहूंगा। फंड्स का एलोकेशन प्लानिंग कमीशन से होता है। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जैस्टेशन पीरियड दस साल का है या फिर उसकी जितनी टोटल कास्ट आनी है उस सब को 10 साल में बराबर बांट लिया जाना चाहिये। फिर तीन साल में उस पैसे में से 10 परसेंट पैसा खर्च कर सकते हैं और बाकी 90 परसेंट जो पैसा बचेगा उसको किसी डिपाजिट में डाला जा सकता है ताकि उस पर 12-15 परसेंट इंटरेस्ट मिल सके। इससे जो प्राइस एसक्लेशन होगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। इससे लॉ-कास्ट इकॉनमी का जो नारा है उसको भी कामयाब करने में सफलता मिलेगी और भारत सरकार के ऐक्सचेंकर पर ज्यादा दबाव पड़ने से बचा जा सकेगा। हम अपने रिसोर्सिस से ही पैसा जैनरेट कर सकेंगे।

आने वाले सालों में आप थर्मल पावर पर बहुत जोर डाल रहे हैं। 1950 के दशक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल का रेश्यो 51 और 49 प्रतिशत था जो अब घटकर हाइड्रो का 32 प्रतिशत और थर्मल का 68 प्रतिशत पहुंच गया है। आने वाले समय में आपको हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट्स पर ही मुनहसर करना पड़ेगा, उन पर ही निर्भर करना पड़ेगा और उनके लिए आपको आज के दिन जरूरत है कि आप कोई प्रोजैक्ट कन्सीव करते हैं तो उसका फैसला आज ही होना चाहिए कि क्या स्टेट उसको एग्जीक्यूट करेगा या हाइड्रो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन एग्जीक्यूट करेगा। मैं नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट की मिसाल देना चाहता हूं। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट, जो हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी देन होगा, हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी देन होगा, वह प्रोजैक्ट 15-16 साल पहले कन्सीव हुआ और उस समय उस पर 500 करोड़ रुपया खर्च होना था जबकि आज की प्राइस के मुताबिक उस पर 1600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अगर उसी समय यह फैसला किया जाता कि इस प्रोजैक्ट को हम वर्ल्ड बैंक की मदद से एग्जीक्यूट करेंगे तो यह 1600 करोड़ रुपये की जगह पांच सौ करोड़, 600 करोड़ या 700 करोड़ रुपये में पूरा हो सकता था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन लासेज की बात है, ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन लासेज अपने देश के अन्दर एवरेज 21 परसेंट हैं। बहुत से इलैक्ट्रि-सिटी बोर्ड्स में यह लासेज 26 परसेंट और 28 परसेंट तक हैं जबकि दुनिया के दूसरे विकसित देशों के अन्दर यह लासेज बहुत कम हैं। जापान के अन्दर 53 प्रतिशत, अमेरिका के अन्दर 66 प्रतिशत और जर्मनी के अन्दर यह लासेज 47 प्रतिशत हैं। यह जो 21.5 प्रतिशत लासेज आज इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को या आपको उठाने पड़ रहे हैं, वह किसी टैक्नोलोजी का कसूर नहीं है, वह सिर्फ बिजली की चोरी की वजह से है, जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बड़े-बड़े अधिकारी करवाते हैं, जिसके अन्दर स्टेट गवर्नमेंट के बड़े-बड़े राजनेता भी लिप्त होते हैं। अब हरियाणा की ही बात लीजिए, हरियाणा में इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लासेज 23 परसेंट है। वहां सरकार ने यह तो देखा नहीं कि इनको कैसे कम किया जाय, सौ करोड़ रुपया इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी और टैरिफ पर बढ़ा दिया, जो सीधे कंज्यूमर और किसान पर जाकर पड़ा। इससे सरकार का क्या बिगड़ा? सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो किसान का हुआ, गरीब आदमी का हुआ, अकेले हरियाणा में 5 लाख ट्यूबवैल्स हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके थर्मल पावर प्लांट से या सैंट्रल बेस हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट से ट्रांसमीशन करते हैं तो ज्यों ही स्टेट गवर्नमेंट को आप देते हैं तो यह विधान होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि सब स्टेशन पर जितनी इलैक्ट्रिसिटी आई है, उसके बाद जो कंज्यूमर को गई उसकी जिम्मेदारी सब स्टेशन पर बैठे स्टाफ और उसके अन्दर काम करने वाले लोगों पर होनी चाहिए। आपने इसेंटिव दिया है, बड़ी अच्छी बात है लेकिन इसेंटिव से बात नहीं बनेगी क्योंकि जिस आदमी को 10 हजार रुपये महीने की कमाई होगी, वह आपके प्रमाण-पत्र और एक हजार रुपए साल में लेकर खुश नहीं होने वाला। वह 10 हजार रुपए महीने कमाता है। आपको चोरी के लिए ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा, सर्विस रूल्स में, कि उन आदमियों को सीधे सजा हो, उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाय और उन एम्पलाइज के खिलाफ क्रिमीनल प्रोसीडिंग्स चलाई जायें, जो बिजली की चोरी करवाते हैं। बिजली की चोरी किसान नहीं करता या कोई साधारण कंज्यूमर नहीं करता, बिजली की चोरी बड़ा उद्योगपति करता है, बिजली की चोरी बड़ी फर्म का मालिक करता है। ऐसे लोगों पर जिनका रॉमेटीरियल ही बिजली है, उस आदमी का बिजली की सप्लाई का बिल देखें तो बड़ा साधारण सा आता है जबकि उसकी फैक्टरी का रॉ मेंटीरियल ही बिजली है। इसके साथ मैं एक नॉन-कन्वेंशनल बात कहना चाहता हूं। आपने नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयत्न किए हैं, जो कि सराहनीय हैं। लेकिन नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बायोगैस के बारे में लिखा है कि हमने दस लाख अस्सी हजार बायोगैस प्लांट्स डिस्ट्रिब्यूट किए इंडिविज्युअल्स को और उसमें से 85 परसेंट चालू हालत में हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आपने इंडिविज्युअल्स को बायोगैस प्लांट्स दिए है, अगर आप उनको आन-दि-स्पॉट जाकर देखें तो उनमें से 25 परसेंट भी आपको चालू हालत में नहीं मिलेगी। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको आप अगर सही ढंग से पढ़ें तो सोलर एनर्जी बायोगैस एनर्जी को काम्यूनिटी-वाइज शुरू करें, विलेज को अगर आप यूनिट लें और उसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेफीड करें, जैसे चारा काटने की मशीन के लिए या दूसरी लाइट जलाने के लिए करें तो उसमें आप कामयाब होंगे।

इसके साथ-साथ मैं रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने 23 लाख पम्प सैट लगाने का निर्णय लिया है। एक पम्प सैट को लगाने के लिए 20 हजार रुपए का एव्रेज उन्होंने निकाला। बीस हजार पर यदि एक साल का ब्याज लगाया जाए तो वह 2800 रुपए के करीब बनता है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो किसानों को सब्सिडाइज करते हैं, उनसे 940 रुपए लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक बड़ा भारी बोझ है। यह चीज आपको देखनी चाहिए कि आपके कारपोरेशन मुनाफा कमाने के लिए न हो। वे बल्कि उनकी तह में जायें देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, जिनके द्वारा हम किसानों की मदद कर सकते हैं। पिछली बार जब ड्राउट हुआ था तो किसानों के ट्यूबवैल का पानी 30-30 फीट नीचे चला गया था। ऐसी हालत में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन को किसानों की मदद करनी चाहिए, इन्टरैस्ट फ्री लोन दिया है, तो उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि वह अपनी मोटर और एनर्जाइज करके अपना काम चलाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी आप स्कीम बनायें तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां 23 लाख का टारगैट रखते हैं, वहां किसानों की क्या-क्या मुसीबतें हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, उनको कैसे दूर किया जाए।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने यमुना नगर का जो थर्मल पावर प्लान्ट है, उसके लिए पिछले कई सालों से बातचीत चल रही है, स्टेट एग्जीक्यूट करेगी या कोई एजेंसी एग्जी-

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

क्यूट करेगी लेकिन अन्त में एन० टी० पी० सी० ने लिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करायें। क्योंकि हमारे पास ऊर्जा का कोई और साधन नहीं है, हमारे पास न कोयला है, न हमारे पास हाईडल के लिए नेशनल रिसोर्स है। इसके साथ-साथ मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने नार्दन सैक्टर में, नार्दन जोन में एक न्यूक्लियर पावर प्लान्ट देने की बात सातवीं पंचवर्षीय योजना में कही है। आपने हरियाणा में दो स्थानों का निरीक्षण भी करवाया है। आज के दिन पंजाब इलैक्ट्रिसिटी की पोजीशन सैटिसफैक्ट्री है, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में हाईडल पोटैंशियल इतना है कि उनको जरूरत नहीं है। चौथा राजस्थान है, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लान्ट है ही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि डिफैंस स्ट्रैटेजी के तहत हम जोन के नजदीक न्यूक्लियर पावर प्लान्ट नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब इसमें जोर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वह नागपुर तक वार कर सकता है। इसलिए इस को ध्यान में न रख कर हरियाणा का औचित्य बनता है, हरियाणा का जस्टिफिकेशन बनता है, उस न्यूक्लियर पावर प्लान्ट को हरियाणा में लगाने का कष्ट करें, ताकि दूसरे साधनों के न होते हुए हम अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकें।

[अनुवाद]

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरु) : सभापति महोदय, ऊर्जा नीति के सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। हम इस देश में ताप बिजली पर अधिक निर्भर रहते हैं जो कोयले, तेल और गैस पर आधारित है। इसके साथ ही हमारे पास जल विद्युत उत्पादन और परमाणु विद्युत स्टेशन भी हैं। मेरा सुझाव है कि हमें सौर ऊर्जा, वायु वेग और समुद्री लहर ऊर्जा जैसी अन्य ऊर्जाओं का अधिक विकास करना चाहिए। हमें इन सभी ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए किन्तु हमें ये ऊर्जा तत्काल नहीं मिल सकती। सौर-ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम इसका प्रयोग करने में समर्थ होंगे। किन्तु इन बातों के अलावा किसी देश के स्तर का अनुमान प्रति व्यक्ति विद्युत खपत से लगाया जाता है। आज, हमारी प्रति व्यक्ति खपत लगभग 200 यूनिट है। इसमें अत्यधिक सुधार करना होगा। आठवीं योजना में हमने प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना बनाई है; आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में या 2000 ईस्वी तक हम इस देश में एक लाख साठ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादित करने की उम्मीद करते हैं, यद्यपि यह हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होगी। क्योंकि हम 35 प्रतिशत जल विद्युत, 65 प्रतिशत ताप विद्युत तथा 2 प्रतिशत परमाणु विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। किन्तु, मेरी राय में, हमें जल विद्युत में अधिक वृद्धि करनी चाहिए हालांकि यह अधिक खर्चीली है। किन्तु इसके अनेक फायदे हैं; विद्युत उत्पादन का उपयोग करने के बहुत लाभ हैं और सिंचाई प्रयोजनों के लिए भी इसके बहुत लाभ हैं। साथ ही हम बाढ़ के कारण विद्युत की हानियां कम करेंगे। हर वर्ष बाढ़ के कारण देश में हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है जब तक हमारे पास संसाधनों की बहुतायत और जल विद्युत योजनायें काफी संख्या में न हों, तब तक इसका उपयोग करना हमारे लिए अधिक लाभदायक नहीं होगा। परमाणु विद्युत अत्यधिक खर्चीली है, उत्पादन में काफी समय लगता है और अपेक्षित सुरक्षा कारक अत्यधिक मंहगे हैं; उपलब्ध परमाणु ऊर्जा में से अधिकांश मात्रा विद्युत उत्पादन में ही उपयोग की जाती है क्योंकि गुरु जल काफी विद्युत का उपभोग करता है; और इस विद्युत के उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य चीजों की लागत भी अधिक है; तथा परमाणु विद्युत स्टेशन स्थापित करने के बाद भी हमें बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है; यह बहुत

ही कठिन कार्य है। आज, हमारी 40 प्रतिशत ऊर्जा गैर-व्यापारिक स्रोत से मिलती है, यदि हम गोबर, जलाने की लकड़ी, कृषि कूड़ा-करकट, यहां तक कि श्रम बल, मवेशी और अन्य, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। जबकि अन्य प्रयोजनों के लिए, ताप विद्युत के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोयला गैस और तेल, हम उस ऊर्जा को बचाने की भी योजना बना रहे हैं जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं। पारेषण हानियों को काफी हद तक कम करना होगा; यही एक ऐसी मद है जहां हम अधिक धन न खर्च करके संभवतः कुछ बचा सकते हैं; हम स्थापित क्षमता में से उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। अभी हम स्थापित क्षमता का 52 प्रतिशत ही उपयोग करते हैं; इसमें भी वृद्धि करके हम अधिक धन बर्बाद न करते हुए उत्पादन काफी बढ़ा सकते हैं।

हमारा विजयवाड़ा ताप केन्द्र सबसे उत्तम केन्द्र है। इसे पुरस्कार भी मिल चुका है। किन्तु इन पुरस्कारों को आयकर से छूट नहीं दी गई है। मेरा विचार है कि हमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि इन पुरस्कारों को आय-कर से मुक्त किया जाए।

नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन भिन्न-भिन्न स्थानों पर बहुत से केन्द्र लगा रही है किन्तु बिजली की दरें भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न हैं; भिन्न भिन्न स्थानों पर उनके द्वारा ली जाने वाली दरें समान होनी चाहिए जैसा कि आपने टेलीफोन या कुछ अन्य स्टील उद्योगों के मामले में किया है। यहां भी आपको लागत को ध्यान में न रखते हुए समान दरें चार्ज करनी चाहिए। अखिल भारतीय आधार पर, भारत सरकार के धन का उपयोग किया जाता है अतः चाहे एक स्थान पर उत्पादन लागत कम हो या दूसरे स्थान पर अधिक हो, किन्तु विद्युत वितरण की दरें पूरे देश में समान होनी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रिड में सुधार किया जाना है। वस्तुतः, मन्त्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विद्युत का उचित प्रयोग नहीं किया जाता। यदि हमारे पास विद्युत पारेषण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड होता तो सम्भवतः यह समस्या नहीं उत्पन्न हुई होती और हम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते थे तथा इससे अधिक संसाधन पैदा कर सकते थे।

दूसरों से ऋण लेना कोई समस्या नहीं है क्योंकि अनेक देशों ने ऐसा किया है। धन का उपयोग और संसाधनों का उत्पादन करना अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हम सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं और इसे अप्रयुक्त रहने देते हैं तो इससे तो उधार की समस्या ही पैदा होगी। जर्मनी और जापान ने भी मार्शल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार लिया था और उन्होंने अपने संसाधनों का विकास किया तथा ऋण का भुगतान कर दिया। हमें इसका सही उपयोग करना होगा और हम अधिक संसाधन जुटा सकते हैं तथा इसका भुगतान कर सकते हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें अपने क्षमता कारकों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और विद्युत उत्पादन, उपयोगिता तथा पारेषण में सुधार लाना होगा। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने भी अभी कहा, पारेषण हानियां 22 प्रतिशत हैं जो कि बहुत ही अधिक हैं। अब यह 17 प्रतिशत हो गई है। अभी इसे अन्य देशों की तुलना में काफी कम किया जाना है। इसे अभी और कम किया जाना है। किन्तु जो भी हो सरकार को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और अधिक आकर्षक शर्तें बनानी चाहिएं ताकि वे इन चीजों में सुधार कर सकें।

इसी तरह कोयला क्षेत्र में सम्पर्क की उपलब्धता अन्य महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक ने यह सिफारिश की है कि 'पिट-हैड' लागत भी अधिक महत्वपूर्ण है।

[श्री बी० बी० रमैया]

कोयले की ढुलाई बहुत मंहगी है और फिर उसकी राख को संभालना और पानी की सप्लाई की भी समस्या है। ये समस्यायें हैं। अगर आप आन्ध्र कोयला खानों को लें जो गोदावरी नदी के किनारे है; वहां पानी उपलब्ध है और राख को खानों में ले जाया जा सकता है और कोयले को लम्बी दूरी तक नहीं ढोना पड़ता है। यह कोयले को अन्य स्थानों से ढोने से अधिक सस्ता है।

मैं केवल यह सुझाव देता हूं कि हमें मुहानों के पास ताप बिजली घरों का अधिक इस्तेमाल करने में समर्थ होना चाहिए ताकि इससे खर्च में कमी हो सके और इससे देश के विभिन्न भागों को भी सहायता दी जा सकती है।

जैसा कि मैंने पहले सुझाव दिया था, राष्ट्रीय पन बिजली उत्पादन में सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि इससे बहुउद्देश्यी परियोजनाओं को सहायता मिले और बाढ़ से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके और इससे विद्युत उत्पादन और सिंचाई में भी सहायता मिलती है। गोदावरी के मामले में आप पोलावरम परियोजना को देख सकते हो जहां अधिक पन-बिजली और सिंचाई भी मिलती है। अगर आप जल का 80 प्रतिशत जो समुद्र में जा रहा है, का उपयोग कर सकते हो तो यह अधिक लाभदायक होगा। मैं मंत्री जी से इन मुद्दों पर विचार करने और राष्ट्रीय पन-बिजली योजना को लेने का अनुरोध करता हूं।

4.58 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। शुरू में, मैं ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत क्षेत्र और कोयला क्षेत्र के अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

जैसा कि आप जानते हो हमारा देश एक विकासशील देश है और इसके ऊर्जा—बल्कि विद्युत—क्षेत्र ऐसा है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए ऊर्जा पर अधिक बल देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें उसे उच्च प्राथमिकता देनी है। हम प्राथमिकता दे रहे हैं, बल्कि हमें ऊर्जा को उच्च प्राथमिकता देनी है। और यह उचित ही है कि हम ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर पहले चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह विकास की दृष्टि से जरूरी भी है।

हमारे शक्तिशाली विद्युत मन्त्री विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री श्री राय के हस्तक्षेप के बाद मुझे इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है हमने विद्युत के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति कैसे की है। हम इस क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्वतन्त्रता के समय, न केवल स्वतन्त्रता के समय बल्कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से हमने 2000 मेगावाट से शुरुआत की थी और अब हम लगभग 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य के करीब हैं।

5.00 म० प०

लेकिन मैं विद्युत मन्त्री को सजग करना चाहता हूं कि इसमें सन्तोष की कोई बात नहीं है मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि इस योजना के अन्त तक हमें देश में छः प्रतिशत बिजली की कमी का सामना करना होगा। हमारा एक विकासशील देश है। हमें विश्व की बाकी के देशों से

मुकाबला करना होगा जो हम कर रहे हैं। अगर हम अपने देश की तुलना विकसित देशों से करें, तो हमारी प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बहुत कम है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मन्त्री जी ने स्वयं कहा है उस स्तर पर पहुंचने के लिए हमें आठवीं योजना में 48000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। महोदय, 48,000 मेगावाट न्यूनतम आवश्यकता है मेरे विचार से इतने मेगावाट बिजली से भी हमें बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। 48,000 मेगावाट बिजली का अर्थ लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने से है। एक लाख करोड़ रुपये की राशि कहां से आएगी पहले एक मेगावाट से अभिप्राय एक करोड़ रुपये से था। अब एक मेगावाट से अभिप्राय 1.25 करोड़ रुपये से है। यह आगे बढ़कर एक मेगावाट 1.50 करोड़ रुपये होगा। फिर उसके बाद पारेषण लाइनें और अन्य सामान भी चाहिए अतः यह एक लाख करोड़ रुपये आयेगा इस बात को केवल मंत्रालय को ही नहीं बल्कि सरकार को भी इस बारे में सोचना है। यह हमारे लिए एक चुनौती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें विद्युत को प्रथम प्राथमिकता देनी है हम जानते हैं कि सोवियत संघ की पचास या साठ वर्ष पहले क्या स्थिति थी। लेकिन अब आज विश्व में यह एक बहुत बड़ा देश है। विलक्षण विकास जो इसने प्राप्त किया था उस प्रश्न का उत्तर देते हुए सोवियत नेता ने कहा, "यह विद्युत और सोवियत लोगों की शक्ति का समन्वय है। हमें विद्युत ऊर्जा के साथ साथ लोगों की शक्ति पर जोर देना होगा। यह सन्तोषजनक है कि हम अब पंचायत प्रणाली का पुनः संगठन कर रहे हैं हम प्रणाली को पुनः सक्रिय बना रहे हैं। हम, एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ा लोकतन्त्र अर्थात् भारत में कारगर और सार्थक पंचायत राज होना चाहिए। लोगों को योजना, विकास और प्रशासन की सभी प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना चाहिए।

मैं मन्त्रालय को समूचे कार्य निष्पादन के लिए बधाई देता हूं।

एन० टी० पी० सी० अपनी प्रतिभाशाली कार्य निष्पादन के लिए विशेष प्रशंसा का पात्र है लेकिन संयंत्र भार क्षमता केवल 54 प्रतिशत के करीब हैं जो आपके लक्ष्य से कम है। तत्पश्चात् आप कहते हैं कि विद्युत उत्पादन पांच बिलियन यूनिट कम है उसके लिए आपने स्पष्टीकरण दिया है कि यह कम मांग प्रणाली के कारण हुआ है। पन-बिजली क्षेत्र में अच्छी बरसात के कारण इसमें सुधार हुआ है हमने पिछले वर्ष के आंकड़ों के अतिरिक्त 22 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया था। पूर्वी राज्यों जैसे उड़ीसा में बिजली की कमी है। अब भी कम उत्पादन का कारण कम मांग बताया जाता है। मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि वहां कोई राष्ट्रीय ग्रिड नहीं है, वे इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। इस लिए राष्ट्रीय ग्रिड को प्राथमिकता के आधार में बनाया जाना चाहिए। अन्यथा, कुछ क्षेत्रों में अधिक विद्युत होगी और कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी हो जाएगी पन-बिजली क्षेत्र ताप क्षेत्र, नवीकरण ऊर्जा, गैर-परम्परागत, आणविक तथा अन्य क्षेत्रों में विवेकपूर्ण समन्वय होना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है।

हमारी वर्तमान प्रणाली में असंतुलन है तापीय क्षेत्र में 67 प्रतिशत और बाकी में 33 प्रतिशत यह संतुलित प्रणाली नहीं है। यह बहुत आदर्श प्रणाली नहीं है। प्रत्येक प्रणाली के अपने गुण तथा दोष होते हैं। इसलिए अगर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए तो उत्पादन के क्षेत्र में इन क्षेत्रों में समन्वय किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में भी विद्युत उत्पादन की अनुमति देने में कोई नुकसान नहीं है। मैं ऐसा कहते हुए कुछ खतरों के प्रति आगाह हो जाता हूं लेकिन यदि वितरण, परेषण आदि में उचित प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए—यदि सरकार परेषण कार्य करेगी तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस कार्य में अप्रवासी भारतीयों को शामिल किया जा सकता है। अन्यथा, बड़े

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

पैमाने पर बिजली उत्पादन जो इस देश के समूचे विकास के लिए आवश्यक है अकेले सरकार द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता। बड़े उद्योगों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी कि वे अपने उपयोग के लिए कैप्टिव विद्युत संयंत्र लगा सकें ताकि वे जिस विद्युत का उपयोग कर रहे हैं उसे कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों के उपयोग में लाया जा सके। इस पांच वर्ष की अवधि में उन्होंने 22,500 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की स्थापना की है। इस वर्ष उन्होंने 5000 मेगावाट विद्युत की और वृद्धि की है, जो अकेले इस वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन है। लेकिन ज्यादातर राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। परेषण हानियां और बिजली की चोरी में वृद्धि हो रही है। हमने सख्त कानून लागू किए है। विद्युत की चोरी को संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। इसके बावजूद इसे कम करने में अधिक फर्क नहीं पड़ा है।

यदि आप किसी गांव में जायें तो देखेंगे कि मुख्य ग्राम में तो बिजली है, लेकिन कुछ झोपणियां जो हरिजन बस्तियों में हैं उनको बिजली नहीं दी गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसी गांव को तब तक विद्युतीकृत नहीं समझा जाना चाहिए जब तक कि उसकी हरिजन बस्ती और आदिवासी बस्ती की झोपड़ियों सहित सारे गांव में बिजली न पहुंचा दी जाए। अब स्थिति यह है कि यदि आप ऐसे एक गांव में जाएं जहां बिजली नहीं है, वहां लोग बिजली के लिए दुहाई दे रहे हैं। वे तत्काल बिजली उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यदि आंतरिक गांव में बिजली दे दी जाए तो भी इससे वास्तव में लोगों का हित नहीं होता है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी गड़बड़ी के कारण लोगों को महीने में 25-25 दिन तक बिजली नहीं मिल पाती है। मेरा यह सविनय अनुरोध है कि यदि महीने में दो-तिहाई अवधि अर्थात् 20 दिन तथा दिन में 16 घंटे लोगों को बिजली नहीं मिल पाती है तो राज्य विद्युत बोर्डों को उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अन्यथा राज्य विद्युत बोर्ड अपने कार्य में सुधार नहीं लाएंगे।

अब मैं समन्वय तथा पुनर्गठन और प्रबन्ध कार्यक्रम पर आता हूं। इस पर भी और अधिक बल दिया जाए। बी० एच० ई० एल० को बेहतर समन्वय के लिए ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण में लाया जाए। हम जानते हैं कि ऊपरी कोलाब में क्या हो रहा है। बी० एच० ई० एल० ने कुछ उपकरण सप्लाई किए थे और जब उन्हें उपयोग में लगाया गया तो वे तुरन्त खराब हो गए।

अब मैं कोयला क्षेत्र पर आता हूं। सबसे पहले तो मैं देश के कोयला श्रमिकों को बधाई देता हूं उन्होंने जातिवाद और रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे लोगों के लिए प्रधान मन्त्री के दक्षिण अफ्रीका कोष में 1 करोड़ रुपये का योगदान किया है। कोयला क्षेत्र में कुल मिलाकर अच्छा कार्य हुआ है। हाल ही में उनके वेतनमानों तथा मजदूरी में संशोधन किया गया है। अब वहां स्थिति अच्छी है। लेकिन कोयले के उत्पादन में क्या समस्या है? राष्ट्रीयकरण के समय कोयले का उत्पादन लगभग 70 मिलियन टन था। अब यह 194 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। अभी भी हम लक्ष्य से थोड़ा पीछे हैं। लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि कोयले की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि कैसे की जाए? नि सन्देह हम इस क्षेत्र में काफी सुधार कर रहे हैं लेकिन चीन, तथा कुछ अन्य देशों की तुलना में अभी काफी कुछ किया जाना है। हमें कार्य करने की एक नई परम्परा लानी है। हमें कोयला प्रबन्धकों के साथ मजदूरों की भागीदारी को वास्तव में सार्थक बनाना है। इस क्षेत्र में अत्यधिक फिजूलखर्ची को भी रोकना है। कुछ अधिकारी हैं जिनके व्यवहार पर निगरानी रखनी पड़ेगी उनकी गतिविधियों पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। मैं इस बारे में अधिक

नहीं बोलना चाहता लेकिन अगर मजदूरों को उचित मार्गदर्शन मिले उचित माहौल उत्पन्न किया जाए, मजदूरों और अधिकारियों के बीच वास्तविक भागीदारी हो तो कोयला क्षेत्र में काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ जमीन के ऊपर खनन की बजाय जमीन के अन्दर खनन तथा जमीन के ऊपर खनन, दोनों में तालमेल बिठाना होगा। अधिकारीगण जमीन के ऊपर खनन को अधिक वरीयता दे रहे हैं लेकिन इसमें काफी विदेशी दौरे और अधिक यंत्रीकरण निहित हैं। भारत की स्थिति को देखते हुए हमें यह कार्य जनशक्ति तथा मशीनों दोनों से करना है।

अब मैं अपने राज्य की दो या तीन मांगों का उल्लेख करूंगा · (व्यवधान)।

सभापति महोदय : इन मुद्दों का सिर्फ उल्लेख ही कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं इन मुद्दों का सिर्फ उल्लेख करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। महोदय जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा का सारा कोयला क्षेत्र सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। उड़ीसा में बहुत अधिक तथा अच्छी किस्म का कोयला है लेकिन अभी तक इसकी उपेक्षा ही हुई है। हमारे यहां उड़ीसा में तत्काल एक सहायक कोयला कम्पनी खोली जाए।

निजी कृषि भूमि का काफी मात्रा में अधिग्रहण हो रहा है। हमें एक उदार नीति अपनानी चाहिए और जिनकी भूमि अधिग्रहीत हुई है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में मुआवजा और नौकरियां दी जाएं।

ब्रजराजनगर में 1984 में लोगों के साक्षात्कार लिए गए थे लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं दी गई हैं। लगभग 100 व्यक्ति अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अठारह व्यक्तियों को नौकरियां दी गईं लेकिन उनके द्वारा रिपोर्ट करने के दो दिन बाद ही उन्हें हटा दिया गया। इस प्रकार स्थानीय समस्यायें अनेक हैं।

तालचेर क्षेत्र में भी स्थानीय रोजगार अपर्याप्त मुआवजा आदि की समस्यायें हैं।

महोदय आप जानते हैं कि कोयला क्षेत्र वातावरण को दूषित करते हैं। वे जल को भी प्रदूषित करते हैं। इसलिए कोयला क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए और कोयला क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाए।

भारत सरकार ने उड़ीसा में एक कोयला निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है? उड़ीसा में कोयले के तकनीकी निदेशक का कार्यालय और देरी किए बगैर यथाशीघ्र स्थापित किया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री श्री साठे का उड़ीसा का दौरा काफी समय से प्रतीक्षित है और दुर्भाग्य से वह अभी यहां उपस्थित नहीं हैं। वह हमारे राज्य का दौरा करके हमारी कठिनाइयों को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। बिलासपुर और कलकत्ता में मुख्यालय हैं लेकिन वे हमारी कठिनाइयां नहीं समझते हैं। लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। सड़कों, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के संबंध में स्थानीय असंतोष पर गौर करने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि बावजूद कठिन परिस्थितितों के उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया । उन्होंने एक तो प्लांट लोड फेक्टर को गिरने नहीं दिया, उसको बढ़ाने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए बहुत काम किया और दूसरा बावजूद वित्तीय कठिनाइयों के जो ऑन-गोइंग पोजेक्ट्स थे उनके लिए संसाधन जुटाने में सफलता पायी ।

आज हम सबसे बड़ी दिक्कत ऊर्जा के क्षेत्र में संसाधनों की कमी को देखते हैं । छठी पंचवर्षीय योजना में श्रीमती गांधी ने काफी जोर इस बात में दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा विद्युत उत्पादन करें । दुर्भाग्य से जो टैम्पो छठी पंचवर्षीय योजना में बना था उसको हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में उस जोर-शोर से नहीं चला पाए जिस शोर-शोर से चलाने की अपेक्षा की थी । प्लानिंग कमीशन को जितना धन मुहैय्या करवाना चाहिए था उतना धन ऊर्जा मंत्रालय को उन्होने उपलब्ध नहीं करवाया । मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा पैसा और विशेष तौर पर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए । ऊर्जा मन्त्री जी से आग्रह है कि एक बेलेंस जो विभिन्न प्रकार की विद्युत के बीच में होना चाहिए उस बैलेंस को मेंटेन करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है । हम उस ऊर्जा की तरफ ज्यादा जोर देते हैं जो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए । हम कोयले को खोद कर थर्मल पावर प्लांट लगा देते हैं । हम समझते हैं कि इससे तीन साल में विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा । हाइडल पोटेंशन को जिस तरह से एक्सप्लायट करना चाहिए उतना उस रूप में हम नहीं कर रहे हैं । जो बैलेंस लौंग टर्म में हो सकता था उसको इग्नोर करके शार्ट टर्म इंटरस्ट को तरजीह दे रहे हैं । यह अपने आप में अच्छी बात नहीं है । इससे दो नुकसान होंगे । जो नैचुरल रिसोर्सिज हमारे हैं उनका ओवर एक्सप्लायटेशन होगा और अगर इसको एक्सप्लायट नहीं करेंगे तो वह वेस्ट चले जायेंगे । दूसरा नुकसान यह होगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो बैलेंस होना चाहिए वह नहीं हो सकेगा । इसके साथ ही थर्मल ऊर्जा में और हाइडल ऊर्जा में वह बैलेंस मेंटेन नहीं कर पायेंगे । 33 परसेंट बैलेंस टोटल ऊर्जा का हाइडल प्रोडक्शन जो होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हो उसके लिए हमें अभी से लक्ष्य तय करने चाहिए ।

देश के उन भागों में जहां हाइडल जल विद्युत पैदा हो सकता है उस तरफ सरकार का ध्यान कम जा रहा है । हमने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में थोड़ा काम किया है लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां अपार जल विद्युत की क्षमता है वह बेकार जा रही है । शारदा बैली का प्रोजेक्ट अगर सही उपयोग किया जाए तो वह पूरे नार्दन ग्रिड को बिजली दे सकता है । हमने 1/100वां भाग उसका उपयोग नहीं किया है । केवल टनकपुर में एक हाइडल प्रोजैक्ट शुरू किया है । हम पंचेश्वर पर ज्यादा निर्भर हैं । पता नहीं उसके पूरा होने में कितने वर्ष लग जायें । टिहरी डैम कब तक बन तैयार हो जाएगा हमें पता नहीं । धौली गंगा परियोजना का अन्वेषण हुए पांच साल बीत चुके हैं लेकिन वह अभी तक क्लीयर नहीं हुआ है । टेक्निकल क्लीयरेंस तो उसे मिल गई है लेकिन आपका मंत्रालय वहां कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करवा रहा है । जो धनराशि इसके लिए निर्धारित की जानी चाहिए थी वह अभी तक निर्धारित नहीं की हैं । मैं ऊर्जा मंत्रालय के ऊपर यह आक्षेप लगाना चाहूंगा कि वह उत्तर प्रदेश के मामले में बहुत अनदेखी कर रहा है और उसमें प्लैनिंग कमीशन भी उनकी पूरी मदद कर रहा है । जिन बड़ी योजनाओं की बात आती है उसमें प्लैनिंग कमीशन टाल-मटोल करके उन योजनाओं को बट्ट-खाते में डालने की कोशिश करता है । यदि बिहार और उत्तर प्रदेश पिछड़े रह जायेंगे तो हिन्दुस्तान का कभी विकास नहीं हो सकता है ।

ऊर्जा के क्षेत्र में जितना पैसा उत्तर प्रदेश में इनवैस्ट किया गया है वह केवल दो परसेंट ही किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से 18 प्रतिशत हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से 12 परसेंट है। आप केवल दो परसेंट ही इनवैंस्टमेंट करते हैं और हाइडल के क्षेत्र में बिल्कुल भी इनवैंस्टमेंट नहीं करते हैं।

आपने पावर फाइनेंशल कारपोरेशन बनाया है। उसके पास कई योजनायें लम्बित पड़ी हैं। आप उनको स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। माइक्रो हाइडल की 110 परियोजनायें हैं जिन पर इनवैंस्टीगेशन पूरा करके रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमको पैसा चाहिए लेकिन आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन से निवेदन किया इस बात के लिए कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने के लिए पैसा दे लेकिन वह पैसा बैंक मंजूर नहीं कर रही है।

अब मैं आर० ई० सी० के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपके पास ऐसी कई योजनाएं पड़ी हैं लेकिन उनको स्वीकृति नहीं दी जा रही है। कई जगहों में आज माइक्रो आर० ई० सी० स्कीमें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश औसत के हिसाब से आर० ई० सी० में बहुत पीछे हैं यानि कि शत-प्रतिशत पीछे है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चमोली, पियौरागढ़, पौढ़ी, उत्तर काशी और टिहरी आदि आते हैं। यह जिले आज भी राष्ट्रीय औसत से 25 प्रतिशत नीचे हैं। आप उन जिलों के बारे में सोचें। वहां कई योजनायें लम्बित पड़ी हैं। जिन शर्तों पर आप दूसरे राज्यों को इसके लिए पैसा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को उन शर्तों पर नहीं दे रहे हैं। अ प वह शर्तें कठोर करते जा रहे हैं।

एक आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। थर्मल पावर प्लांट के लिए प्लांट लोड फैक्टर जितना किया जा सकता था उतना उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। लेकिन जो एक्सपेंशन और आधुनिकीकरण की स्कीमें थीं और इसके लिए जो ऋण उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने मांग की वह वित्त मन्त्रालय के पास पड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन्हें क्लीयर करवा दें। पावर फाइनेंशल कारपोरेशन ने उनकी पूरी मदद नहीं की।

आप उनसे कहें कि वह उत्तर प्रदेश की समुचित मदद करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्युत मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलना का मौका दिया।

अभी जितनी भी बातें हुई, चाहे जिस तबके के लोग यहां बोले, उन्होंने ऊर्जा मन्त्रालय की जो उपलब्धि है, उसकी प्रशंसा की है और यह प्रशंसनीय काम जो देश में हो सका है, इसके लिए दो कर्मठ मन्त्रीगण को हृदय से बधाई देता हूं। अगर हम यह मानकर बैठ जायें कि इतना कुछ हो गया और आगे कुछ नहीं करना है इससे हमें संतोष हो जाए तो हम समझते है कि यह उचित बात नहीं होगी।

हमने जो कुछ भी कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा, देश के सामने वह सिर्फ लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ बल्कि उस लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ। सिर्फ इस साल ही ऐसा नहीं हुआ बल्कि पिछले 4 साल से लक्ष्य से अधिक उत्पादन होता रहा। जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय साढ़े सात लाख कर्मचारी काम करते थे, उस समय 74 मिलियन टंस कोयले का उत्पादन

[श्री दामोदर पांडे]

था, आज मिला जुलाकर 194 मिलियन टंस से ऊपर कोयले का उत्पादन चला गया और आज हिन्दुस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। यह सब के मिले-जुले प्रयास से हो सका है और इसमें मजदूरों का प्रयास कम है, मैं यह नहीं मानता लेकिन उनके बारे में जितनी चिन्ता होनी चाहिए थी, पूरे समाज को, पूरे देश को, लगता है कि उस आधार पर नहीं हुई। हम यह नहीं कहते कि हमारी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी नहीं हुई, हमारी जीवन रेखा में सुधार नहीं हुआ लेकिन पिछले दो-तीन साल से कुछ ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया मजदूरों के लिए किया जा रहा है जिसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी यहां रखना चाहता हूं। कोयला खदानों के बारे में इस मन्त्रालय की रिपोर्ट यहां दी गई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी सुविधा के लिए जो वैलफेयर एक्टीविटीज हैं, उसमें काफी काम हुआ है और उसमें कुछ चार्ट लिए गए हैं। कोयला खदानों में 7 लाख मजदूर हैं और सभी कामों के लिए हमको बताया जाता है कि ब्यूरो पब्लिक अन्डरटेकिंग का एक नोर्म है, उसके मुताबिक हम सब काम करते है लेकिन पता नहीं बी० पी० का नोर्म कहता है कि हम लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए या नहीं रहने के लिए मकान मिलना चाहिए या नहीं और मकान मिलना चाहिए तो कितने प्रतिशत लोगों को मिलना चाहिए, किस तरह का मकान मिलना चाहिए, इस बारे में आज तक कोई चिन्तन नहीं हुआ। चार्ट के हिसाब से तीन साल में आप देखेंगे कि अब तक सिर्फ तीन हजार मकान बनें हैं। साढ़े तीन लाख मजदूरों के लिए जो बचे हुए हैं, झुग्गी-झोंपड़ी मिलाकर कुल तीन लाख मकान हैं और साढ़े तीन या 4 लाख मकान देने हैं। अगर इस रफ्तार से मकान बनाने का मामला होगा तो हम कहां पहुंचेंगे, किस रफ्तार से जायेंगे। हम समझते हैं कि और सब बात तो ठीक है, शाबासी सब लोग देते हैं कि कोयले का उत्पादन हुआ, मजदूरों ने बड़ा अच्छा काम किया, किसी ने यहां नहीं कहा, चाहे विरोधी लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने यह नहीं कहा कि कोयले के उत्पादन में कमी हुई या उत्पादकता में कमी हुई लेकिन इतना होने के बावजूद भी मजदूरों के प्रति जितनी चिन्ता और जितना ध्यान होना चाहिए वह नहीं हुआ। हर साल हम आखिरी समय पर बजट में कटौती करते हैं और हम कटौती कहां करते हैं, सभी वैलफेयर स्कीम्स में कटौती करते हैं, मकान नहीं बनेगा, उनके घर के लिए सड़क नहीं बनेगी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी, यह सारी बातें कैसे चलेंगी, यह बड़ा विचारणीय विषय था, यह मैं आपके सामने रखना चाहता था।

दूसरा यह था कि अगले वर्ष के लिए और उससे अगले वर्ष के लिए हमने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको अगले वर्ष 222 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना है लेकिन इस साल हम जो उत्पादन करेंगे तो हमारा स्टॉक पिछले साल से भी बढ़कर ज्यादा हो जाएगा। दो महीने का एवरेज प्रोडक्शन हम करीब-करीब स्टॉक में डाल देंगे। अब स्टॉक का क्या होता है कि रीहैण्डलिंग कास्ट बढ़ती है, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती है और हमको उस कोयले को कम दाम में बेचना पड़ता है और उस स्टॉक पर जितनी लागत आती है, उतनी कास्ट, उतनी लागत कोल इण्डिया और दूसरी कम्पनियों को वहन करनी पड़ती है। फिर आप कहेंगे कि आपका लॉस हो गया, एक तरफ तो आप उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर देंगे कि इतना उत्पादन करो और उतनी खपत है नहीं तो स्टॉक में एड करते जायेंगे तो उसकी कार्मशियल वायबिलिटी क्या होगी, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरे अजीब-सी व्यवस्था है कि जितनी बड़ी-बड़ी कोल कंज्यूमिंग कम्पनीज हैं, सब प्रोफिट शो करती हैं और उतना ही प्रोफिट शो करती हैं, जितना कोयले का उधार रहता है, कोयले का पैसा उधार रखकर सब प्रोफिट में बताती हैं कि हमने बड़ा अच्छा नाम कमाया। अब बताइये सब कोयले का उधार रखकर जो आज एक हजार करोड़

रुपये से ऊपर है। हमारा साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये घाटा होता है तो कहते हैं कि तुम तो बड़े नालायक हो, घाटा करते हो, यह बहुत खराब बात है, आपको बैठकर इस पर कुछ तो चिन्तन करना चाहिए, देश के स्तर पर कि आखिर क्या होगा। आज कोयले का सबसे कम सवाल पार्लियामेंट में उठाया जाता है आज डिबेट हो रही है तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग पावर के बारे में बोलते हैं, कहां कमी है, कहां और बात होनी चाहिए। हम एक तरह से बड़े कंज्यूमर लोगों की बाइस रखते हैं, जो अपनी आवाज बुलन्द कर सकते हैं, उनकी मांग को तो पूरा कर दिया लेकिन उन गरीबों के घर में, उन गरीबों की झोंपड़ी में किस तरह से कोयला पहुंचे उसकी व्यवस्था नहीं की, वह फ्री फ्रेट से कोयला ढोते हैं। बड़े-बड़े कंज्यूमर्स की जितनी भी डिमांड थी उनको आपने सैटिसफाई कर दिया। अब हालत यह है कि कुछ कोयला इम्पोर्ट करने की बात हो रही है और हर साल हो रहा है। नतीजा यह है कि एक तरफ तो हम आस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं और बाशरी में जो कोकिंग कोल का प्रोडक्शन होता है, उस बाशरी से कोयला नहीं उठाते। उसका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और खपत घटती जा रही है। अब कोकिंग कोल की भी खपत घटेगी, जो स्केयर कमोडिटी है, जिसके लिए हम विदेश जाते हैं, झोली फैलाते हैं, प्रीसियस फौरन एक्सचेंज खर्च करते हैं और हम अपने कोयले की कास्ट से दोगुने से ज्यादा दाम पर कोयला खरीदते हैं। कौन-सा काम है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। इस पर समझते हैं कि देश को विचार करना चाहिए कि इसमें कैसे काम हो।

यह हर तरफ मांग है कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन चाहिए। बिहार पूरे देश का एक-तिहाई कोयला पैदा करता है। हम जब कुछ सैस बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों ने सैस बढ़ा दिया और पूरे देश पर खर्चा बढ़ गया। कुछ इस पर भी विचार हुआ कि नेशनलाइजेशन के बाद कोयले के फ्रेट में क्या बढ़ती हुई, रेलवे ने कितना दाम बढ़ाया। आज अगर कोयले का दाम बिहार में पिटहैड पर 300 रुपये टन पड़ता है, वही कोयला रेलवे की कृपा की वजह से बम्बई में जाकर 1200 रुपये टन पड़ता है, पंजाब में 1500 रुपये टन पड़ता है। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है कि रोपड़ में अगर कोयला न पहुंचे, तो अखबारों में यह छपता है कि कोयले के बिना रोपड़ बंद हो रहा है। कोयला नहीं पहुंचा तो पावर हाउस बंद हो रहा है। उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है और लोग यह समझते हैं कि 1500 रु० हमको देना पड़ रहा है। यह नहीं जानते कि कोयला खदान में काम करने वाले लोग और जो कम्पनी है उसको कितना हिस्सा मिलता है। मजदूरों को हम जो कुछ भी देते थे पर टन, जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो सौ रुपये में से 60 रुपये मजदूरों के खर्च के लिए जाता था, लेकिन वह आज घट कर 40 रु० से भी कम हो गया है। बहुत लोगों को चिन्ता है कि मजदूरों को आपने तनख्वाह दे दी है। बहुत लोगों को चिन्ता है कि तीन साल से एग्रीमेंट क्यों नहीं किया और इधर हम लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ती हैं, वह हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लेबर कॉस्ट है, वह कम हुई है। यह आपकी रिपोर्ट में है, मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। आपने इस बात को कबूल किया है सब लोगों ने इसको कबूल किया है। उसके बावजूद भी अपने देश में सस्ता कोयला है। कोयला पहुंचाने को जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो दूसरी चीजें हैं, जितना टैक्स देना पड़ता है, जितनी रायल्टी देनी पड़ती है, सब मिलाकर जो कंज्यूमर को कॉस्ट देनी पड़ती है, यह जरूर महसूस करते हैं कि कोयले का दाम बढ़ गया है। इसलिए इस पर विवेचन होना चाहिए और मेरा विचार है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए।

अब मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। यह तो मैंने आपसे पूरे देश की बात कही है। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां एक-तिहाई कोयले का उत्पादन होता है। रेलवे में इतनी कैपेसिटी

[श्री दामोदर पांडे]

नहीं है कि उतना कोयला ढो सके। पावर हाउसेस भी चाहिए और पावर की अनसैटिसफाइड डिमांड है। कोयला ढोया नहीं जा सकता है, जितना हम उत्पादन करते हैं। अब इसका क्या निदान है ? निदान सोचा गया और यह महसूस किया गया कि पिटहेड पर पावर स्टेशन जरूरी है। आपको सुनकर आज भी आश्चर्य होगा कि सब जगह सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात चल रही है, सब जगह कोयला लिकेज की बात चल रही है, कोयला ढोह कर ले जायेंगे, लेकिन पिट हैड पर पावर स्टेशन बनेगा इसकी कल्पना नहीं है। बिहार में भी आपने सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात की है, तो कहलगांव में बनाया, लेकिन झरिया में बनेगा इसकी चिन्ता नहीं है, हजारीबाग में बनेगा इसकी चिन्ता नहीं है। इसी प्रकार नार्थ करनपुरा में थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रधानमन्त्री जी ने खुद घोषणा की है। रांची गए, तो सब तथ्य उसके सामने थे और उन्होंने घोषणा की कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन वहां बनेगा। ऊर्जा मन्त्री जी ने बार-बार संसद में, कन्सलटेटिव कमेटी में घोषणा की कि उससे सस्ती ऊर्जा कहीं नहीं बन सकती है, जितना कोयला वहां नजदीक है, हम जितना उत्पादन कर सकते हैं, देश की सबसे सस्ती ऊर्जा हम वहां पैदा कर सकते हैं और हाइडल छोड़ कर। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज भी इस रिपोर्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, नार्थ-करनपुरा में क्या हुआ। उसमें वहां एक ईंट रखने की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हुई है। टोकन अमाउन्ट भी नहीं रखा गया है कि कैसे बनायेंगे। एक तरफ फैसला लेते हैं कि पिट हैड पर पावर हाउस बनायेंगे और दूसरी तरफ कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जो इस तरह की गलती करता है जो हम कर रहे हैं। हम एक तरफ फ्रेट चार्ज देते हैं, कोयला हजारों किलोमीटर दूर ले जाने की बात हैं, उसके बाद जहां इसकी पोटेंशियलिटी है, उसको आईडेंटिफाई भी करते हैं, लेकिन उस तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं।

लेकिन उस तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि इस पर ऊर्जा मन्त्री जी गम्भीरतापूर्वक विचार करें और एक सुपर-पावर स्टेशन नार्थ कर्णपुरा में जल्दी से जल्दी कायम किया जाए। इसके बारे में अगर रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, तो कम से कम अपने भाषण में जरूर बताएं कि क्या करने जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि बिहार में ऊर्जा की कितनी कमी है और उड़ीसा में कितनी कमी है, सब लोगों ने इसका जिक्र किया और उसके स्टेटिस्टिक्स रवेलरविल हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता और उन सारी बातों को नहीं कहना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि कहलगांव में जितनी देरी हो रही है और सुपर पावर स्टेशन बनाने की जो व्यवस्था आप करना चाहते हैं, उसमें अगर देरी हो रही है, तो क्यों देरी हो रही है। अगर स्टेट की कोई दिक्कत हो, तो उसके बारे में आप बताएं।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह नान-कन्वेंशनल सोर्स आफ इनर्जी के बारे में है। यह होनी चाहिए और इसके बारे में किसी को कोई एतराज नहीं है। कोई नहीं कहता कि यह नहीं होनी चाहिए। सब लोग महसूस करते हैं कि यह होनी चाहिए लेकिन इसके लिए बहुत कम राशि उपलब्ध कराई गई है। इतनी कम राशि में अगर आप नान-कन्वेंशनल सोर्स आफ इनर्जी हासिल करना चाहते हैं, तो यह कैसे होगा। हवा, पानी, सूरज और गोबर गैस जो हैं, वे सिर्फ समुद्र के किनारे ही मिलेगी और वहां पर आप नान-कन्वेंशनल सोर्स आफ इनर्जी पैदा करेंगें, तो यह ठीक बात नहीं है। जो और जगह हैं, जहां हम पावर दूसरे ढंग से नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पर इसको

कीजिए। आप कन्सलटेटिव कमेटी के हर मेम्बर के एक गांव में इसको कर देंगे और नान-कन्वेंशनल सोर्स आफ इनर्जी वहां पर देंगे, तो हम बहुत ज्यादा आगे इसको नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इसमें थोड़ा और पैसा डाला जाए और सिर्फ कन्सलटेटिव कमेटी के हर मेम्बर के एक गांव में ही नहीं, बल्कि सभी पार्लियामेंटरी कांस्टीटुयेन्सी के सदस्य के कम से कम पांच गांवों में एक माडल के तौर पर नहीं बल्कि यथार्थ रूप में, नान-कन्वेंशनल सोर्स आफ इनर्जी दें और इसके लिए जितने धन की आवश्यकता हो, उसकी व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और दो तीन बातें ही कहना चाहता हूं।

इनर्जी के बारे में जब तक इन्टेगरेटेड इनर्जी पालिसी नहीं होगी, तब तक हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको हाइडिल, थर्मल और नान-कन्वेंशनल सोर्स आफ इनर्जी, इन तीनों को साथ-साथ लेकर चलना होगा और एक बैलेंस्ड एप्रोच रखनी होगी। साथ ही साथ न्यूकिलयर इनर्जी भी हो लेकिन आपकी मिनिस्ट्री के अन्तर्गत न्यूकिलयर इनर्जी नहीं आती है। इन सारी एस्पेक्ट्स को आपको साथ लेकर चलना होगा। "दि इकानामिस्ट्स" को मैं पढ़ रहा था। उसमें एक बात कही गई है कि भारत में 21वीं सदी में अनाज की कमी नहीं रहेगी, खाने की कमी नहीं रहेगी लेकिन इनर्जी की कमी रहेगी, जिसमें खाना पकेगा, वही कम होगी। यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट बात है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 21वीं सदी में खाने की कमी नहीं रहेगी लेकिन इनर्जी की कमी रहेगी, जिस पर खाना पकेगा। इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं दो, तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं श्री कल्पनाथ राय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके पास से चिट्ठी आती है और चार-चार रिमाइन्डर आते हैं कि आपको क्या कहना है हमारे मन्त्रालय के इम्प्रूवमेंट के बारे में। किसी और मन्त्री ने ऐसा नहीं कहा। मुझसे यह भी पूछा कि आपकी कांस्टीटुयेन्सी में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है आज एक मौका है और मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कोयला पूरे देश को बिहार से जाता है और सबसे ज्यादा अन्धकार बिहार में है। मैं यह बहुत दुखी होकर कह रहा हूं। आप नार्थ बिहार में चले जाइए, दक्षिण बिहार में चले जाइए, शाम को 6-7 बजे के बाद न तो वहां बिजली जलती है, न लालटेन जलती है। जैसा कि कहा गया है कि इण्डिया इज एरिया आफ डार्कनेस, यह बात मैं हिन्दुस्तान के बारे में तो नहीं कह सकता हूं लेकिन सचमुच में बिहार के बारे में लगता है कि बिहार एन एरिया आफ डार्कनेस। वहां बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, आप निकल भी नहीं सकते हैं।

जब मैं सारे लोगों के भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि लोग सच्चाई से वाकिफ भी हैं या नहीं हैं। बिहार में किसी भी गांव में एक दिन बिजली नहीं आती है। कहीं-कहीं सात दिन में दो घंटे के लिए आती है। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। आप जरूर कहेंगे कि यह राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार जाने। लेकिन श्रीमन् राज्य को भी आप ही समझा सकते हैं कि कुछ तो उपाय किया जाए जिससे कि वहां की हालत सुधरे। वहां कोयला इतना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आपके नए मुख्य मंत्री आ गए हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा। महोदय वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : आप वहां किसे समझा सकते हैं जब वहां इतनी जल्दी-जल्दी मुख्य मंत्री बदलते हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : तुलसी कहर न जाइए कंचन बरसे मेघ
आवत ही हरषन नहीं नयन नहीं समेत

मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोयला बिहार में बहुत अधिक है। लेकिन वहां लोगों को कोयला जलाने के लिए नहीं है। वे जंगल काट रहे हैं। बिजली तो वहां पैदा होती ही नहीं। जो होती भी है, पता नहीं वह कहां चली जाती है? जो नेशनल ग्रिड की बात कही गई, मैं इसका समर्थन करता हूं कि नेशनल ग्रिड होना चाहिए। लेकिन श्रीमन् जहां पर बिजली पैदा होती है, जिस राज्य ने कोयला दिया, मजदूर दिए, जमीन दी, उसी राज्य को सबसे पहले 80 प्रतिशत बिजली देनी होगी। नहीं तो वहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस बात को मान लीजिए। मैंने यह लोगों की भावना आपको बता दी है। यह बात मैं यू० पी० और दूसरे राज्यों के बारे में भी कहता हूं। आप नेशनल ग्रिड दीजिए लेकिन सबसे पहले उस राज्य को सबसे ज्यादा बिजली दीजिए जिसने कि सेक्रीफाईस किया है। यह कोई बात नहीं हुई कि तुम तो शूली पर चढ़ जाओ, भगवान तेरा भला करेंगे। तुम तो कोयला दो, मजदूर दो, जमीन दो, पानी दो लेकिन बिजली मत लो क्योंकि बेकवर्ड बिजली नहीं लेते। तुम तो जाकर के पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करो। बिजली तुम्हारे लिए नहीं है। बिजली कहीं और दी जायेगी।

श्रीमन्, यह बात बताने वाली है। इस बात को बहुत ध्यान से सुना जाए। बिहार में कहलगांव में सुपर थरमल पावर स्टेशन लग रहा है। हमारे मित्र कह रहे थे कि आप लोगों के प्रयास से तीन-चार साल में, या जल्दी ही उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि कहलगांव की 80 प्रतिशत बिजली बिहार को दी जाए। आजकल नयी टेक्नोलोजी बनी है कि गंगा में पिल्लर लगा करके वह बिजली बिहार को दी जा सकती है। श्रीमन् अगर यह कर दिया गया तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। श्रीमन् मन्त्री जी ने यह कहा है कि इसको करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सारे बिहार के लोगों को बताऊंगा कि मंत्री जी ने ऐसा कहा है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि गैस प्लांट के बारे में भी उसके चेयरमेन ने कहा है। यह भी बहुत ही अच्छा कहा है। इससे भी कायाकल्प हो जाएगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा जिसको कि गलत न समझा जाए। कोयले पर सेस जरूर बढ़ाया जाए क्योंकि उससे बिहार राज्य की आमदनी में वृद्धि होगी।

ट्रांसमीशन लोस के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि ट्रांसमीशन लोस कुछ नहीं है, यह सीधी-सादी चोरी है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए आप सब में यही पायेंगे। अभी रबी की फसल कटी है। मैंने बिहार में देखा, यू० पी० में देखा, हरियाणा में देखा, जबर्दस्ती लोग लाईन खींच लेते हैं, उससे मशीन चलाते हैं और दूसरे काम करते हैं। हम अपनी बातों को छिपाने के लिए कह देते हैं कि ट्रांसमीशन लोस है। यह ट्रांसमीशन लोस नहीं है, यह बिजली की चोरी है। जबकि एक साल पहले हमने कानून भी बनाया था लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा।

एक बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कोयले का प्रोडक्शन बढ़ गया है। आपके मन्त्रालय ने कोयले के माफिए को खत्म कर दिया, यह बिहार के लिए छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाइडल प्रोजेक्ट्स का बहुत स्कोप बिहार में है, खासतौर से दक्षिणी बिहार में। मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो वहां इतनी बिजली पैदा की जा सकती है जिससे नेपाल और हिन्दुस्तान का कायाकल्प हो जाएगा। उससे बिहार और यू० पी० में बाढ़ नहीं आएगी। इतनी ज्यादा बिजली होगी कि नेपाल और हिन्दुस्तान का कायाकल्प हो जायेगा। अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं। बहुत शोर मचाया जाता है कि नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी को अपनाइए। मैंने बीसियों चिट्ठी लिखी। साढ़े चार साल में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। कोई ऊर्जा ग्राम नहीं बना है। छह महीने के बाद हम इलेक्शन के लिए जाने वाले हैं। हम बार-बार लोगों को यह भरोसा दिलाते रहे हैं कि इससे आपके गांवों में बिजली आ जाएगी। नॉन कन्वेन्शनल वाले कह रहे हैं कि हम इतनी बिजली पैदा करेंगे कि सारे हिन्दुस्तान को बिजलीमय कर देंगे। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम हर जिले में एक-एक गांव में ऊर्जा ग्राम अभी भी बनाइए और करके दिखाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, श्री कल्पनाथ राय यहां हैं लेकिन मैं चाहता था कि श्री साठे भी यहां होते क्योंकि बाद में उन्हें मेरे मुद्दों का जवाब देना होगा। ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय है और मुझे दुख है कि ज्यादातर लोग यहां मौजूद नहीं हैं।

अनेक लोगों ने राष्ट्रीय ग्रिड का उल्लेख किया है। इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। क्षेत्रीय ग्रिड भी ऐसे नहीं हैं जो स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मैं नहीं समझता कि उत्तरी ग्रिड अत्यधिक उपयोगी है और हम हर समय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तरी ग्रिड पर निर्भर रह सकते हैं। फिर भी, मैं समझता हूं कि जैसा कि हमें कुछ परिपत्र प्राप्त हुए हैं, दोनों ही माननीय मंत्री इसमें अत्यधिक रुचि रखते हैं।

आप तो राष्ट्रीय स्थिति से तो अवगत हैं, मैं जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति का उल्लेख करता हूं। मैं कहता हूं कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य की स्थिति इस समय बहुत खराब है और ऊर्जा मन्त्रालय ने डा० फारुख अब्दुल्ला की कठिनाइयों में और वृद्धि की है। लोग उनसे अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं। लेकिन उन्हें सहयोग की जरूरत है। उनकी आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों की अनेक समस्याएं हैं लेकिन मैं ऊर्जा को सबसे ऊपर रखता हूं। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में जल विद्युत की अत्यधिक क्षमता है जिसका आप राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां जल संसाधन हैं। हम अपने जल संसाधनों से 1:000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते है लेकिन हमारा पानी व्यर्थ ही बहकर पाकिस्तान जा रहा है।

यह सचमुच दुःख की बात है कि जो राज्य 15,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकता था, वह अभी तक मात्र 208 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर सका है। अब, सलाल ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसके बारे में कश्मीर की जनता अभी तक अनभिज्ञ थी। इस शरद ऋतु में और अब भी, कश्मीर एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है—वहां एक सप्ताह में चार दिन बिजली की सप्लाई बन्द रही जिससे लोगों को अत्यधिक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं बात को सम्मानित सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं। यह एक दुधारी तलवार है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के बीच समझौते से खुश नहीं हैं। ये धर्मनिरपेक्षवादी दल हैं जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से जुड़े हैं जबकि वहीं एक ऐसा समूह है जो शुरू से ही

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

अलगाववादी विचारधाराओं के हैं और जो खुश नहीं हैं। लेकिन अब, क्योंकि मुख्य मन्त्री के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां हैं इसलिए उन्हें केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं तथा अलगाववादी ताकतों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। बिजली नहीं होने के कारण श्री फारुख अब्दुल्ला और उनकी सरकार को अपमानजनक बातें सुननी पड़ती हैं, इसलिए हमने इस समस्या को ऊर्जा मन्त्री के समक्ष उठाया पर वे असहाय रूप से स्थिति को देखते रहे। इसलिए, ऊर्जा मंत्रालय को जम्मू और कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर एक सीमावर्ती राज्य होने के अलावा एक महत्वपूर्ण राज्य भी है। यह एक सामरिक महत्व का राज्य है। मैं यह नहीं चाहता कि आप जम्मू और कश्मीर के लोगों को खैरात दें और साथ ही हम अपनी विशेष स्थिति से भी असंगत लाभ नहीं उठाना चाहते हैं लेकिन मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए सम्मानजनक व्यवहार चाहता हूं। हमारा जल बेकार जा रहा है। आप एक ओर तो उस ऊर्जा को उपयोग में नहीं लाते तथा दूसरी ओर आप जम्मू और कश्मीर घाटी के लोगों को ट्रांसमीशन लाइन दिए बिना ही सलाल परियोजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं। इसे एक विशेष मामले के रूप में समझना चाहिए। मैं श्री कल्पनाथ राय से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने विचारों को श्री साठे को बतलाएं जिससे वे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपके अधिकारी वर्गों को भी समझना चाहिए कि कश्मीर घाटी का मामला बहुत विशेष है। वे ऊर्जा की समस्या को गद्देदार कमरों में बैठकर नहीं सुलझा सकते। सम्पूर्ण दल को जम्मू और कश्मीर का दौरा कर उन्हें वहां की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखना चाहिए क्योंकि सप्ताह में चार दिन बिजली बन्द रहती है। आप हमारी समस्याओं को क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हमें चुनाव वर्ष में यह बात कहने को मजबूर क्यों करते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा? हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण कश्मीर घाटी को विशेष अधिकार प्राप्त है। बनीहालकाथ सड़क विश्वास योग्य नहीं है। यहां तक कि जवाहर सुरंग का मार्ग भी अवरुद्ध है। यह कभी भी टूट सकता है इसलिए हम दूसरा वैकल्पिक रास्ता चाहते हैं। कभी-कभी हमारे सारे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कभी-कभी तो वहां पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल भी नहीं होता है। श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के एक समूह को बल देकर कहा है कि हम भारत में अपनी इच्छा से सम्मिलित हुए हैं और हमारा यह निर्णय अटल है। हम उन अलगाववादी तत्वों को, जो हमें कमजोर बनाना चाहते हैं, यह याद दिलाना चाहते हैं कि वे अपने शरारतपूर्ण विचारों में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। मैं यह सवाल इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि हम तकलीफ में हैं। कभी-कभी तो हमारे सारे सड़क मार्ग चारों तरफ से बन्द हो जाते हैं। आपको यह याद होगा कि पिछली बार आपने हवाई जहाज से पेट्रोल भेजा था। ऐसी स्थिति में हमारी समस्याओं पर केन्द्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां 15,000 मेगावाट क्षमता की तुलना में मात्र 208 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। आपने सलाल परियोजना पर जिसे आपने चालू किया था, ध्यान नहीं दिया। प्रथम प्राथमिकता कश्मीर समस्या को मिलनी चाहिए। जब बिजली का उत्पादन हो जाता है तो वे कहते हैं कि उनके पास ट्रांसमीशन लाइनें नहीं हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? आप उसका संचालन कर रहे हैं जिसकी गति अत्यधिक धीमी और सुस्त है। इसके परिणामस्वरूप बिजली की स्थिति जम्मू में तो थोड़ी ठीक हुई है पर कश्मीर में अभी भी अंधेरा रहता है।

धुल्हास परियोजना पर पिछले आठ-दस सालों से काम चल रहा है पर अब यह एक मजाक लगने लगा है। लोगों की अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं; वे अपने आने वाले कल के बारे में

ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन वे अपने आज को निर्जीव नहीं बनाना चाहते हैं। उन्हें कब तक इन्तजार करना पड़ेगा। इसकी प्रगति बहुत धीमी है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आप अन्त समय में यह नहीं कह सकते कि हमारे पास धन नहीं है। हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

डा० राजहंस बिहार की कठिनाइयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं उनके विचार से सहमत हूं लेकिन कश्मीर में भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। यह परियोजना आठ साल के बाद भी पूरी क्यों नहीं की गई? अब कोई आशा नहीं है। आप किसी अभियंता को वहां भेजेंगे जो कि एक रिपोर्ट तैयार करेगा। परन्तु इससे क्या लाभ है? लोग इससे बहुत ही अशांत हो चुके हैं। वे आपकी फाइलों के बारे में कोई ध्यान नहीं देते और न ही उन्हें यह मतलब है कि सचिवालय के गद्देदार कमरों में बैठने वाले अधिकारी क्या करते हैं।

लोगों में इससे तनाव उत्पन्न होता है और यह तनाव ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है जो अब कश्मीर में है। निःसन्देह स्थिति अभी पूर्ण नियंत्रण में है पर ऊर्जा मन्त्रालय की ऐसी उदासीनता हमारी कठिनाई को और बढ़ाने में सहायक हुई है।

अब, उड़ी परियोजना के बारे में क्या स्थिति है? पिछले वर्ष मैंने साठे जी से आग्रह किया था कि वे उड़ी परियोजना का दौरा करें और इस परियोजना को जल्द पूरा करने की कोशिश करें। मेरा कहना यह है कि अभी तक 20 करोड़ रुपये भी इस परियोजना पर खर्च नहीं किए गए हैं।

पर्शियन में एक कहावत है :

[हिन्दी]

"उमरे बामद कमार आमद बकनार"

यदि मैं इसका दूसरा तरजुमा करूं तो यह शेर है :

कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यदि आपने अभी तक 20 करोड़ रुपया खर्चा है तो 20 से इसे तकसीम करके देख लीजिए, 450 करोड़ रुपये का उड़ी प्रोजेक्ट आगे कितने सालों में कम्पलीट होगा।

"عمر بآمد کہ بار آمد بہ کنار"

اگر میں اسکا دوسرا ترجمہ کروں تو یہ شعر ہے : "کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک" ساڑھے چار سو کروڑ کا پروجیکٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک بیس کروڑ روپیہ خرچا ہے تو بیس سے اسے تقسیم کر کے دیکھ لیجئے - ساڑھے چار سو کروڑ کا اڑی پروجیکٹ آگے کتنے سالوں میں کمپلیٹ ہو گا -

[अनुवाद]

हम बहुत कठिनाई में हैं और परियोजना को जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है।

दूसरी चीज को लें। आप श्रीनगर को बिजली देना चाहते थे और उसके लिए गैस टरबाइनों की जरूरत थी। पिछले आठ महीनों से हम गैस टरबाइनों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

जहां तक लद्दाख का संबंध है, तो वहां स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोगों के अनुसार सबाकना परियोजना पूरी हो गई है। लेकिन इसमें अभी भी 1.5 करोड़ रुपये की और आवश्यकता

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

है और उसमें कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हो गई हैं। नहर में गाद जमा हो गया है। इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए। आप जैसे भेजते हो, पर आपको इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि नहर में गाद कैसे भर गई है, जिसके कारण उस परियोजना को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

एक और चीज, जिसके बारे में मैं श्री कल्पनाथ राय से विशेष ध्यान देने को कहूंगा। मुझे बताया गया है कि उड़ी परियोजना में मजदूर भी बाहर से बुलाए गए हैं। यह ठीक नहीं है। केवल वरिष्ठ अभियंता ही बाहर से बुलाए जा सकते हैं, लेकिन मजदूर से लेकर अधिशासी अभियंता तक हमारे पुरुष तथा महिलाएं होनी चाहियें। आपको इस संबंध में जांच करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि क्या इसके लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं।

6.00 म० प०

मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि न केवल उड़ी तहसील से ही बल्कि बारामूला जिले से भी जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर श्रमिकों से लेकर अधिशासी अभियन्ता तक के स्तर के लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए और बाहर से लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। हमारे पास अनेक ऐसे अभियंता हैं जो बेकार पड़े हैं। इसलिए, हमें ऐसी बात सहन नहीं होगी। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से विशेष आग्रह है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या कोई आदमी बाहर से बुलाया गया है।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम इसे कल जारी रखेंगे।

सभापति महोदय : नहीं, अभी कुछ वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, इसका उत्तर मन्त्री महोदय कल देंगे।

सभापति महोदय : हां, हम इस वाद-विवाद को जारी रखेंगे।

हां, श्री लाल विजय प्रताप सिंह।

[हिन्दी]

श्री लाल बिजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। जहां तक इनर्जी विभाग के मंत्री साठे जी का सवाल है, वे निश्चित तौर पर न केवल कर्मठ एवं जागरूक मंत्री हैं, बल्कि उनका स्वयं का जो चिन्तन है, स्वयं की मान्यताएं हैं, तथा ये मान्यताएं आज के परिवेश में पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। आप तो जानते हैं पब्लिक सैक्टर की बात हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की अकाउंटेबिलिटी की बात हो, इस पर माननीय साठे जी के विचार चाहे वे न्यूज पेपरस के माध्यम से हो, या कंसलटेटिव कमेटीज के माध्यम से या पार्लियामेंट के माध्यम से हो, बहुत ही सराहनीय हैं। वह बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम इसे प्रेक्टीकल तौर पर देखते हैं, तो हमें इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए। लगता है कहीं कुछ कमी है।

माननीय सभापति महोदय, सुखद संयोग है कि अपने देश में कोयले का एक विपुल भण्डार है। हो सकता है कुछ बड़े देश, यू० एस० एस० आर०, यू० एस० ए०, कनाडा, चीन, ब्राजील इत्यादि देशों से कुछ कम हों लेकिन एक विपुल भण्डार अपने देश में हैं जिनका दोहन हम ठीक प्रकार

से यहां कर रहे हैं। यह हमारे संतोष का विषय है कि हमने इस वर्ष एक नया कीर्तिमान कोयले के उत्पादन में प्राप्त किया है और इसे मैं एक अच्छी उपलब्धि मानता हूं। आज हम 194 मीटरिक टन का लक्ष्य लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय मैं एक बात विनम्रता पूर्वक इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय और फायनेंस कमीशन तक पहुंचाना चाहता हूं, आप तो जानते हैं कि सेवेंथ प्लान पीरियड में, हमें केवल 6.68 हजार करोड़ रुपया कोयला विभाग के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम तो दिखती है, लेकिन वास्तव में इस डिपार्टमेंट के हिसाब से बहुत ही नगण्य राशि है। इसे समुचित रूप से बढ़ाने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से पॉवर सैक्टर में भी बिजली विभाग में भी हमें बड़ी राशि की आवश्यकता है। बिना उसके हमारे सारे के सारे काम अधूरे रहते हैं। आप तो जानते हैं कि साउथ इस्टर्न कोल एरिया में मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और यह जानकर शायद आपको प्रसन्नता हो कि उस क्षेत्र में ऐसी बढ़िया-बढ़िया खदानें हैं जो देश में अग्रणी रहती हैं और एक बड़ा उत्पादन इस क्षेत्र से होता है।

एक बात और मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन कर के हम राष्ट्रीय एक्सचैंकर में तो अपना योगदान करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका हमें क्या प्रतिफल मिलता है तो उससे बड़ी निराशा होती है। यह बात अपनी जगह पर है कि कोल कम्पनीज, चाहे वह सैस के रूप में चाहे रायल्टीज और सेल्स टैक्स के रूप में बड़ा भाग अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती हैं, लेकिन उसका परिणाम यह होता है कि वह पूरी राशि स्टेट चैकर में समाहित हो जाती है। उस क्षेत्र विशेष के लिए जहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोई अतिरिक्त धन के रूप में व्यवस्था नहीं होती, इससे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

माननीय मंत्री बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, इस चीज को समझेंगे तथा भविष्य में पालिसी के रूप में जिस क्षेत्र का आप दोहन करते हैं, जिस क्षेत्र से उत्खनन करते हैं, उस क्षेत्र के लिए समुचित व्यवस्था करने की बात होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।

इतने बड़े पैमाने पर हम कोयले का उत्पादन करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लोग जब कोयले की मांग करते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है क्योंकि हमारी पालिसी रही है कि हम रेक्स में बड़ी-बड़ी कम्पनियों को कोयला सप्लाई करते हैं। अब पेपर्स के माध्यम से हमको पता चला है कि हम कुछ लिब्रेलाइज कर के छोटे पैमाने पर भी लोगों को सहायता देने की बात सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में उन छोटे-छोटे लोगों को जो भट्टे का काम करते हैं, या खाने बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, आज तक कोयला उपलब्ध नहीं होता है। इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन कोलरीज में जाती है या किसी प्रयोजन के लिए कोल इंडिया उसे उसके हक से ले लेना है तो एक तो उनके लिए समुचित कम्पैसेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरी तरफ केवल कम्पैंशन ही नहीं, उन्हें पूरी तरह स्थापित करने और नौकरी में शामिल करने की व्यवस्था हमारी तरफ से होनी चाहिए इस पर भी अच्छे तरीके से ध्यान देने की बात है।

[श्री लाल विजय प्रताप सिंह]

पावर सैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जितना भी कहा जाए, कम है। हमारे पूरे देश में 5 लाख 75 हजार गांव हैं, जिनमें आपके कागज के अनुसार 4.40 लाख गांवों को आपने बिजली देकर एनर्जाइज कर दिया है और 74 हजार पम्पसैट्स को आपने बिजली देने की बात कही है। यह बात बहुत ही उत्साहवर्द्धक है। कई क्षेत्रों में बिजली का बहुत अच्छा कार्य है और यह स्वाभाविक भी है कि कई जगह बिजली रहती है, लेकिन अपना देश इतना व्यापक है कि कई स्थानों पर बिजली की बहुत कमी है। मेरी यह मान्यता है कि बिजली को एक व्यापक स्थान दिया जाए, इसका नेशनल ग्रिड बनाया जाए।

बिजली का सस्ता उत्पादन पिट हेड्ज पर, थर्मल पावर के माध्यम से हो, या दूसरे छोटे माध्यम से बनाकर करना ज्यादा उपयोगी होगा क्योंकि कोयले का ट्रांसपोर्ट इतना सस्ता नहीं होता जितना आप बिजली को अन्यत्र ले जाने की बात सोचें। यह बात अलग है कि लोग ट्रांसमिशन लास की बात कहते हैं, यह बहुत ही गंभीर समस्या है। वैसे यह बात अपने आप में सही कि ट्रांसमिशन लास होता है लेकिन हाइ टैंशन वायर में चोरी होना संभव नहीं है। कई लोगों ने ऐसा एप्रीहैंशन किया कि लोग बीच में बिजली चुरा लेते हैं, लेकिन मेरी निश्चित मान्यता है कि, बिजली का जहां तक सवाल है, नॉन कन्वेशनल एनर्जी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरे देश में बिजली की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, इसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी जिसके ऊपर अपना ध्यान समुचित रूप से अभी नहीं गया है, उस दिशा में हमें सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोती लाल सिंह (सीधी) : माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

जहां तक उर्जा विभाग का सम्बन्ध है, अपने समूचे देश में उर्जा की विशेष आवश्यकता है लेकिन कुछ ऐसी जगह और क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक तो नीति और उद्देश्य थे, उसके मुताबिक लोगों को उर्जा प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उस क्षेत्र के अन्दर सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वहां के लोगों को बिजली की सुविधा नहीं मिल पाती है। मैं मध्य प्रदेश की बात कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश बहुत विस्तृत प्रदेश है, क्षेत्रफल में काफी लम्बा चौड़ा है लेकिन वहां पर बिजली का उत्पादन नहीं है। वहां थर्मल पावर प्लांट भी है और कोयले का भण्डार भी है लेकिन हमारी नीति के मुताबिक जिस मात्रा में योजना के तहत मध्य प्रदेश के गांवों के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए थी वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमारी नीति के अनुसार ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को हर व्यक्ति को एक कनैक्शन देने का प्रावधान था, उसके तहत अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचलों में अभी तक लोगों को कनैक्शन सबको नहीं मिल पाया है। एक गांव में केवल एक खम्भा गाड़कर पूर्ण विद्युतीकरण का नाम दिया जाता है। मध्य प्रदेश में एक बांध और थर्मल पावर प्लाण्ट के लिए 1982 में एक योजना तैयार की गई थी कि वहां पर थर्मल पावर प्लाण्ट तैयार किया जायेगा जिससे मध्य प्रदेश और गुजरात को बिजली दी जायेगी लेकिन वह स्कीम अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है और यह तय नहीं हो पाया है कि बांध व थर्मल पावर प्लाण्ट को कोयला कहां से मिलेगा, किस खदान से मिलेगा। यद्यपि मध्य प्रदेश में कोयले की कमी नहीं है, यह बांध व थर्मल पावर प्लाण्ट मेरी कांस्टीट्वेंसी के अन्तर्गत हैं, जिसकी योजना बनाई गई थी, मध्य प्रदेश और गुजरात

शासन को इस थर्मल प्लाण्ट को बनाना था लेकिन अभी सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश शासन और गुजरात शासन ने इसे बनाने से इंकार करके केन्द्रीय शासन को भेज दिया है कि केन्द्रीय शासन उस थर्मल पावर प्लाण्ट को बनवाये। मेरा यह कहना है कि मध्य शासन ने अगर वह योजना केन्द्रीय शासन को भेज दी है तो केन्द्रीय शासन यह देखे कि वह योजना कब तक तैयार होगी और उसको बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। आज बिजली की विशेष आवश्यकता है। एक बांध और थर्मल पावर प्लाण्ट जो रायगढ़ में है, उसकी योजना भी तैयार की गई थी, उसका प्रपोजल भेजा गया था, वहां कोयला है और आपको दूसरी जगह से कोयला नहीं ले जाना पड़ेगा, ऐसी जगह पर इस थर्मल पावर प्लाण्ट की स्वीकृति न दी जाय तो यह ठीक बात नहीं है। मेरे अंदाज से वहां पर्यावरण की भी कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से जिस जगह पर थर्मल पावर प्लाण्ट बनना है वहां जमीन के बदले में दूसरी जगह राजस्व की जमीन भी मिल सकती है, उस जमीन के बदले में वह जमीन दी जा सकती है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे थर्मल पावर प्लाण्ट को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि अपने देश में बिजली की कमी को दूर किया जा सके और गांव में रहने वाले लोगों के लिए हमारी जो पालिसी है, उसके अनुसार उन लोगों को भरपूर बिजली दी जा सके। गरीब लोगों के खेतों की सिंचाई के लिए इस योजना को क्रियान्वित करना आवश्यक है, किसानों को देखना सबसे आवश्यक है क्योंकि वर्षा बहुत कम हो रही है, इसके चलते किसानों की खेती सूख जाती है और किसान बिजली न मिलने के कारण अपने खेतों में पानी नहीं दे पाते हैं जिससे उनकी जो भरपूर फसल होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। इस बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा क्षेत्र कोयला अंचल में आता है, सिंगरोली कोयला खदान है, उधर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड भी मेरे क्षेत्र में आता है। मैं निवेदन करूं कि कोयला अंचल में जो लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों को वह सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं जो राष्ट्रीयकरण के पहले सुविधाएं थीं, वह आज भी कायम हैं उनको सुविधाएं मुहैया नहीं की जा रही हैं।

जो मजदूर खदानों में काम करते हैं, उन मजदूरों के लिए विशेष पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा होनी चाहिए, आवागमन के लिए साधन होना चाहिए। इन बातों की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मजदूर की कालोनियों में जो पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, वह खदान से निकला हुआ पानी होता है। अधिकारी को पानी छानकर के, बॉयल कर के दिया जाता है। इस प्रकार मानव मानव में यह फर्क नहीं होना चाहिए। मजदूरों के परिश्रम से ही सारे देश में कोयला पहुंचता है। सब बड़े-बड़े उद्योगपति कोयले से प्राप्त बिजली से अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं। इसलिए उन मजदूरों की ओर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनकी सुख-सुविधाओं की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। उनकी तनख्वाहों में तो बढ़ोतरी कर दी लेकिन जो साधन उनको मिलने चाहिए, वह मुहैया करने चाहिए। जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको वह साधन उपलब्ध होने चाहिए। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में कोयला पैदा होता है, कम से कम उस क्षेत्र के लोगों को जलाने के लिए कोयला अवश्य मिलना चाहिए। मैं संगरौली की बात कह रहा हूं, वहां पर लोगों को कम से कम जलाने के लिए कोयला मिलना चाहिए। आपने विन्ध्याचल सुपर पावर स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण की। वहां एक तरफ एन० सी० एल० है और दूसरी तरफ एन० टी० पी० सी० है और इन दोनों के बीच दो-तीन गांव

[श्री मोती लाल सिंह]

पड़े हुए हैं। वहां की जमीन को डिनोटिफाई कर दिया गया। पहले नोटिफाई किया गया कि ली जाए, फिर जमीन को छोड़ दिया गया। वह ऐसी जमीन है कि लोग रह भी नहीं सकते हैं और उनके निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा, जिस जमीन को डिनोटिफाई किया गया है, उनसे जमीन लेकर उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। लोगों की खदानों के लिए ले ली जाती है, जमीनें थर्मल पावर के लिए ले ली जाती है, लेकिन उनके परिवार के एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं दी जाती है और यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। आपके उत्तर प्रदेश के बार्डर पर एन० सी० एल० के द्वारा जो जमीन ली गई और बगल में जो मध्य प्रदेश लगा हुआ है, वहां जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहण कर ली गई हैं, उन लोगों के परिवार में एक नौकरी कम से कम देनी चाहिए। उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतनी सारी चीज कहां तक बर्दाश्त की जायेंगी। इसलिए मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी जांच करवा लें और जो नियम यू० पी० के साइड में है, वही मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : चेयरमैन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बिजली की डिमांड पर बोलने की इजाजत दी। इसके साथ मैं स्टेट मिनिस्टर, श्री कल्पनाथ राय जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वे फख्तन-फव्वख्तन हम लोगों से पूछते रहते हैं लिखित में कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार में ये पहले मन्त्री हैं जिन्होंने बिजली का चार्ज सम्भालने के बाद यह चीज शुरू की है कि हम लोगों से भी पूछा है। हालांकि मैं खुद भी कलप्रित हूं कि उनका जवाब नहीं दे पाया और इसके लिए मैं उनसे माफी चाहता हूं।

हमारे देश को आजाद हुए 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जितनी तरक्की इस महकमें को करनी चाहिए थी, उतनी तरक्की इसने नहीं की है। यहां की जनता बिजली के ऊपर बिलकुल निर्भर है। कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक कि उसको पावर अच्छी तरीके से न मिले। न कोई उद्योग चल सकता है और न कोई बेचारा काश्तकार काश्तकारी कर सकता है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर बहुत से भाइयों ने काफी कम्प्रैहिंसिव करके डिटेल में अपनी बातें कही हैं। मैं देहाती क्षेत्र से आता हूं और वहां की जो समस्यायें हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मन्त्री जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में एटा एक पिछड़ा हुआ जिला है। हम हर तरीके से पिछड़े हुए हैं। वहां को इन्डस्ट्री नहीं है, वहां पर कोई अच्छा कालेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हालांकि वहां की जमीन बहुत ही उम्दा है।

काश्तकार परेशान रहता है पानी के लिए और जब वह कनेक्शन लेने के लिए जाता है, तो इंजीनियर उससे दो हजार रुपये जब तक नहीं ले लेता, तब तक कनेक्शन सैंक्शन नहीं करता है। बोलिए, इसका आपके पास क्या इलाज है। किस तरीके से वह अपनी पैदावार को बढ़ाए। जब कनेक्शन ले लेता है, तो सुबह आसमान की तरफ देखता है कि बिजली नहीं आ रही है, बारिश ही हो जाए। यह कंडीशन आज हमारे यहां है। मिसाल के तौर पर हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एटा के अन्दर दो 132 के० वी० के स्टेशन मंजूर किए थे, एक अलीगंज के लिए और दूसरा जलेसर के लिए। मैं एटा से जीत कर आया हूं और अपोजीशन पार्टी का मेम्बर हूं। मैं यह बताना चाहता

हूं कि अलीगंज के लिए वहां पर स्टेशन बनाने के लिए सामान आ चुका था लेकिन उसको जलेसर भेज दिया गया क्योंकि श्री कैलाश यादव जलेसर से एम० पी० हैं कांग्रेस (आई) के। अलीगंज में वह पहले कायम होना चाहिए था लेकिन यह सौतीला व्यवहार हमारे साथ हुआ है। अलीगंज बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और क्रिमिनल्स का सेन्टर है। वहां पर बिजली की जरूरत है और अंधेरे की नहीं। अगर वहां पर बिजली होगी, तोक्रिमिनालाजी खत्म हो जाएगी क्योंकि क्रिमिनल्स अंधेरे में काम करते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से यह गुजारिश करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को यह लिखें कि कम से कम अब तो वहां पर काम होना चाहिए क्योंकि जलेसर का 132 के० वी० का स्टेशन पूरा हो चुका है। अलीगंज का भी आप पूरा कर दीजिए जिससे उस क्षेत्र की कुछ तरक्की हो सके।

सबसे बड़ी परेशानी जो आपके सामने भी आती है वह यह है कि जो कर्मचारी हैं, उनकी यूनियन बनी हुई है और वह लोगों को परेशान करती है। कहीं पर अगर बिजली चली जाती है और वह लोग काम नहीं करते हैं और हम टेलीफोन करते है, तो वहां पर जो लोग हैं वे कतई परवाह नहीं करते हैं और कभी उन लोगों पर सख्ती की जाती है तो लोग स्ट्राइक कर देते हैं। यह बहुत बड़ी परेशानी है, जो कि आपके सामने भी जरूर होगी। साथ ही बिजली की चोरी भी होती है। आप ज्यादा बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा हरीश रावत जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि पूरे मुल्क को बिजली वह दे सकता है। आप यह भी सोचिए कि जो बिजली की चोरी होती है, यह कौन कराता है। चोरी लोग क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि कनेक्शन आप देते नहीं हैं। उसके लिए अफसरान रिश्वत मांगते हैं और जब लोग रिश्वत नहीं दे पाते, तो वे इल्लीगल तरीके से बिजली ले लेते हैं और नाजायज तौर पर बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस तरफ भी आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से इस चोरी को खत्म किया जाए। देहातों में अभी तक आप ने यह नारा लगाया है कि एक हजार की आबादी वाले गांव में बिजली दी जाएगी और वहां दी जाएगी जहां शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे एटा में माइनोरिटीज और शेड्यूल्ड कास्ट्स के बहुत से ऐसे गांव है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची हैं। एक कस्बा है भरगेन, जो तहसील पटियाली में है। वह 30 हजार की आबादी का गांव है, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और मुसलमानों की आबादी है लेकिन वहां आज तक बिजली नहीं गई है, 40 साल से ज्यादा हमें आजाद हुए हो गए हैं। आप इनसे अन्दाजा लगाइए कि यह हालत हमारे यहां की है। जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो यह सरकार पोल डाल देती है और जहां इलेक्शन खत्म हुए कि पोल वापस आ जाते हैं। सैकड़ों ऐसे गांव मेरे जनपद में हैं, जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची है और लोग परेशान हैं। आप जानते हैं कि अब लोग टेलीवीजन, रेडियो और ऐसी दूसरी चीजों के आदी हो गए हैं और उनके लिए बिजली 'मस्ट' है।

मैं एक बात और कहूंगा कि हरियाणा में बिजली घर-घर में है और वहां पर गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं। मैंने यह देखा है कि जहां भी दो घर है, वहां पर बिजली का पोल है और सड़क भी है। घर-घर में वहां बिजली है।

श्री अज़ीज कुरेशी (सतना) : पर पावर नहीं है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : पावर बिल्कुल नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं। हमारा सूबा बहुत बड़ा है। हरियाणा एक छोटा सूबा है। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा में घर-घर में बिजली है।

श्री अज़ीज कुरेशी : उसके लिए बंसीलाल जी ने सारी व्यवस्था की थी। वे कांग्रेस के मुख्यमन्त्री थे।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : हरियाणा का तो आप जवाब ही नहीं दे पायेंगे । खैर इसको छोड़िए । मैं तो मन्त्री जी से अपना रोना रो रहा था । मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि आप पैसा देते हैं तो राज्य सरकार से कह कर बिजली तो वहां लगवाएं ।

हमारे यहां अलीगंज तहसील है । वह तहसील हेडक्वार्टर है । लेकिन वहां हेडक्वार्टर में एस० डी० ओ० तक नहीं है । वहां आप एस० डी० ओ० तो दे दीजिए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : केन्द्रीय मन्त्री क्या करेंगे ?

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : हम यहां किस लिए हैं ?

[हिन्दी]

फिर तो हमको असेम्बली में होना चाहिए था । हम यहां मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचा दें ।

मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो वहां के हालात हैं उनको देखते हुए वहां बिजली की बहुत जरूरत है । वैसे तो उत्तर प्रदेश ही बहुत पिछड़ा हुआ सूबा है उसमें भी मेरा क्षेत्र तो बिजली के सिलसिले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है । वहां तो बिजली मिलती ही नहीं । आप किसी तरह से इस सवाल को हल करें ।

आखिर में मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं ।

شری محمد محفوظ علی خاں (ایٹہ): چیئرمین صاحب۔ میں آپ کا بڑا شکرگزار ہوں کہ آپ نے بجلی کی ڈیمانڈ پر بولنے کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ میں اسٹیٹ منسٹر شری کلپناتھ رائے جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں محکمے میں کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیندریہ سرکار میں یہ پہلے منتری ہیں جنہوں نے بجلی کا چارج سنبھالنے کے بعد یہ چیز شروع کی ہے کہ ہم لوگوں سے بھی پوچھا ہے حالانکہ میں خود بھی کلپریٹ ہوں کہ ان کا جواب نہیں دے پایا اور اس کے لیے میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔

ہمارے دیش کو آزاد ہوئے چالیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن جتنی ترقی اس محکمہ کو کرنی چاہیے تھی اتنی ترقی اس نے نہیں کی ہے۔ یہاں کی جنتا بجلی کے اوپر بالکل نربھر ہے۔ کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو پاور اچھی طریقے سے نہ ملے۔ نہ کوئی ادیوگ چل سکتا ہے اور نہ کوئی بیچارا کاشتکار کاشتکاری کر سکتا ہے۔ میں سدن کا زیادہ سمے نہیں لوں گا کیونکہ یہاں پر بہت بھائیوں نے کافی کمپریہنسن کر کے ڈیمانڈ میں اپنی باتیں کہی ہیں۔ میں دیہاتی چھیتر سے آتا ہوں اور وہاں کی جو سمسیائیں ہیں ان کی اور میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔

منتری جی کو پتہ ہے کہ اتر پردیش میں ایٹہ ایک پچھڑا ہوا ضلع ہے۔ ہم ہر طریقے سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہاں پر کوئی اچھا کالج نہیں ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے حالانکہ وہاں کی زمین بہت ہی عمدہ ہے۔ کاشتکار پریشان رہتا ہے۔ پانی کے لیے اور جب وہ کنکشن لینے کے لیے جاتا ہے تو انجینئر اس سے دو ہزار روپے جب تک نہیں لے لیتا تب تک کنکشن سینکشن نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے اس کا آپ کے پاس کیا علاج ہے کس طریقے سے وہ اپنی پیداوار کو بڑھائے۔ جب کنکشن لے لیتا ہے تو صبح آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ بجلی نہیں آرہی ہے بارش ہی ہو جائے۔

یہ کنڈیشن آج ہمارے یہاں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اترپردیش گورنمنٹ کے ایٹہ کے اندر دو ۱۳۲ کے وی کے اسٹیشن منظور کیے تھے ایک علی گنج کے لیے اور دوسرا جلیسر کے لیے۔ میں ایٹہ سے جیت کر آیا ہوں اور اپوزیشن پارٹی کا ممبر ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی گنج کے لیے وہاں پر اسٹیشن بنانے کے لیے سامان آچکا تھا لیکن اس کو جلیسر بھیج دیا گیا کیونکہ شری کیلاش یادو جلیسر سے ایم پی ہیں کانگریس (آئی) کے علی گنج میں وہ پہلے قائم ہونا چاہیے تھا لیکن سوتیلا دوہار ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ علی گنج بہت ہی پچھڑا ہوا چھیتر ہے اور کریمنلس کا چھیتر ہے سنٹر ہے وہاں پر بجلی کی ضرورت ہے اندھیرے کی نہیں۔ اگر وہاں پر بجلی ہوگی تو کریمنولوجی ختم ہو جائے گی کیونکہ کریمنلس اندھیرے میں کام کرتے ہیں۔ میں منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرونگا کہ وہ اترپردیش گورنمنٹ کو یہ لکھیں کہ کم سے کم اب تو وہاں پر کام ہونا چاہیے۔ کیونکہ جلیسر کا ۱۳۲ کے وی کا اسٹیشن پورا ہو چکا ہے علی گنج کا بھی آپ پورا کرا دیجیے جس سے اس چھیتر کی کچھ ترقی ہو سکے۔

سب سے بڑی پریشانی جو آپ کے سامنے بھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرمچاری ہیں ان کی یونین بنی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ کہیں پر اگر بجلی چلی جاتی ہے اور وہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں اور ہم ٹیلیفون کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ قطعی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور کبھی ان لوگوں پر سختی کی جاتی ہے تو لوگ اسٹرائک کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی پریشانی ہے جو کہ آپ کے سامنے بھی ضرور ہوگی۔ ساتھ ہی بجلی کی چوری بھی ہوتی ہے۔ آپ زیادہ بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہریش راوت جی نے کہا ہے کہ اترپردیش اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ پورے ملک کو بجلی دے سکتا ہے آپ یہ بھی سوچیے کہ جو بجلی کی چوری ہوتی ہے وہ کون کرتا

ہے۔ چوری لوگ کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنکشن آپ دیتے نہیں۔ اس کے لیے افسران رشوت مانگتے ہیں اور جب لوگ رشوت نہیں دے پاتے تو وہ الیگل طریقے سے بجلی لے لیتے ہیں اور ناجائز طور پر بجلی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرف بھی آپ دھیان دیجیے کہ کس طرح سے اس چوری کو ختم کیا جائے۔ دیہاتوں میں ابھی تک آپ نے یہ رول لگایا ہے کہ ایک ہزار کی آبادی والے گاؤں میں بجلی دی جائے گی اور وہاں دی جائے گی جہاں شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ایریا میں مائنریٹیز اور شیڈیولڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی ہے۔ ایک قصبہ ہے بھرگین جو تحصیل پٹیالی میں ہے وہ تیس ہزار کی آبادی کا گاؤں ہے جہاں پر شیڈیولڈ کاسٹ اور مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن وہاں آج تک بجلی نہیں گئی ہے۔ چالیس سال سے زیادہ ہمیں آزاد ہوئے ہو گئے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ حالت ہمارے یہاں کی ہے۔ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو یہ سرکار پول ڈال دیتی ہے اور جہاں الیکشن ختم ہوئے کہ پول واپس آجاتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے گاؤں میرے جن پد میں ہیں جہاں بجلی ابھی تک نہیں پہنچی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ ٹیلی ویژن ریڈیو اور ایسی دوسری چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں اور ان کے لیے بجلی مسئلہ ہے۔

میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہریانہ میں بجلی گھر گھر میں ہے اور وہاں پر گاؤں الیکٹریفائڈ ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی دو گھر ہیں وہاں پر بجلی کا پول ہے بجلی ہے اور سڑک بھی ہے۔ گھر گھر میں وہاں بجلی ہے۔

شری عزیز قریشی (ستنا) : پر پاور نہیں ہے

شری محمد محفوظ علی خاں : پاور بالکل نہیں ہے۔ میں اپنے چھیتر کی بات کہہ رہا ہوں۔

ہمارا صوبہ بہت بڑا ہے ہریانہ ایک چھوٹا صوبہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہریانہ میں گھر گھر میں بجلی ہے۔

شری عزیز قریشی : اسکے لیے بنسی لال جی نے ساری ویوستھا کی تھی وہ کانگریس کے منتری تھے

شری محمد محفوظ علی خاں : ہریانہ کا تو آپ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ خیر اس کو چھوڑیئے میں تو منتری جی سے اپنا رونا رو رہا تھا۔ میں منتری جی سے کہوں گا کہ آپ پیسہ دیتے ہیں تو راجیہ سرکار سے کہہ کر بجلی تو وہاں لگوائیں۔

ہمارے یہاں علی گنج تحصیل ہے۔ وہ تحصیل ہیڈ کواٹر ہے لیکن وہاں ہیڈ کواٹر میں ایس ڈی او تک نہیں ہے وہاں آپ ایس ڈی او تو دے دیجیے۔

Mr Chairman . What the Union Minister will do

Shri Mohd. Mahfooz AliKhan : Why are we here ?

پھر تو ہم کو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا ہم یہاں منسٹر صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری آواز کو اتر پردیش سرکار تک پہنچا دیں۔

میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو وہاں کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہاں بجلی کی بہت ضرورت ہے ویسے تو اتر پردیش ہی بہت پچھڑا ہوا صوبہ ہے اس میں بھی میرا چھیتر تو بجلی کے سلسلے میں بہت پچھڑا ہوا ہے وہاں تو بجلی ملتی ہی نہیں۔ آپ کسی طرح سے اس سوال کو حل کریں۔

آخر میں میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं ऊर्जा के लिए अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं ऊर्जा और विद्युत मन्त्री को गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उनके बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, ऊर्जा का उत्पादन और खपत देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। वास्तव में यह देश के विकास का मापदंड करने वाला कारक है। विशेष कर इस मन्त्रालय में विद्युत, कोयला और ऊर्जा के विकल्प स्त्रोत विषय रखे गए है। हम परमाणु ईंधन और तेल की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि अन्य मन्त्रालय के अधीन है। अत: मैं खुश होऊंगा यदि ऊर्जा से संबंधित एक सम्पूर्ण और उत्तम व्यवस्था की जाए जिससे कि ऊर्जा के सभी स्त्रोत एक ही मन्त्रालय के अधीन आ जायें।

हम लोगों ने ऊर्जा पर विशेष बल और प्राथमिक दी थी जो कि प्रथम योजना से भी देखा जा सकता है। प्रथम योजना में यह 260 करोड़ रु० था जो कि 13.3 प्रतिशत हुआ। द्वितीय योजना में यह 460 करोड़ रु० था जो कि 10 प्रतिशत हुआ। तृतीय योजना में यह 1252.3 करोड़ रु० था जो कि 14.6 प्रतिशत हुआ। चौथी योजना में यह 2931.5 करोड़ रु० था जो कि 18.1 प्रतिशत हुआ। पांचवीं योजना में यह 7540.7 करोड़ रु० था जो 19.2 प्रतिशत हुआ। छठी योजना में यह 19265 4 करोड़ रु० था जो 19.9 प्रतिशत हुआ। इस योजना में यह 420000 करोड़ रु० था।

अब हमें योजनावधि में की गई उपलब्धियों पर एक नजर डालनी चाहिए। प्रथम योजना के 1300 मेगावाट के लक्ष्य में से, 1100 मेगावाट की उपलब्धि हुई थी जो कि 84.6 प्रतिशत था। द्वितीय योजना के 3500 मेगावाट के लक्ष्य में से 2250 मेगावाट की उपलब्धि हुई थी जो कि 64.5 प्रतिशत हुआ। तृतीय योजना के 7040 मेगावाट के लक्ष्य में 4715 मेगावाट की उपलब्धि हुई थी जो 67 प्रतिशत हुआ। चौथी योजना के 9260 मेगावाट के लक्ष्य में से 4610 मेगावाट की उपलब्धि हुई जो 49.8 प्रतिशत था। छठी योजना का लक्ष्य 19666 मेगावाट था परन्तु इसमें 14000 मेगावाट की उपलब्धि की आशा थी। लेकिन सितम्बर 1976 में संशोधित कर इसे 12500 मेगावाट किया गया था जो साठ प्रतिशत हुआ। इस प्रकार ये पिछले लक्ष्यों और उपलब्धियों के तथ्य है। आज कुल कमी 10,000 मेगावाट की है। देश के उद्योग और कृषि व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा इसकी कल्पना की जा सकती है और विशेष रूप से उन उद्योगों पर जहां इंजीनियरी लोहा और इस्पात और अल्युमिनियम आर्थिक गतिविधियों का 25 प्रतिशत भार उठाते हैं। देश के आर्थिक विकास का यह मापदंड भी है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय मन्त्री और उनके योग्य राज्य मन्त्री कोयला और विद्युत के क्षेत्र में विगत चार, पांच वर्षों में अनेक नवीन परिवर्तन और सुधार लाए हैं। वास्तव में हम 22,245 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिकीकरण और नवीनीकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। इस पर 500 करोड़ रु० की धनराशि व्यय की जा चुकी है। हम लोगों में से कुछ को उन संयंत्रों में जाने तथा उनका निरीक्षण करने के अवसर मिले है जहां उनका नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हो रहा है। हम लोगों ने पर्यवेक्षण और समन्वय की कमी, प्लांट स्तर पर कार्य करने के लिए इच्छा की कमी आदि कमियों जिसके कारण इन विद्युत संयंत्रों के सफल कार्य में बाधा पहुंच रही है से सम्बन्धित रिपोर्ट माननीय मन्त्री को दे दी है। ये संयंत्र 'नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन' के नहीं है। ये अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मैं माननीय राज्य मन्त्री से

[श्री के० पी० सिंह देव]

अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस परामर्शदात्री समिति की उप समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रतिवेदनों का अध्ययन करने का कष्ट करें क्योंकि उन्होंने चार या पांच पत्र हम लोगों को लिखे हैं। इससे उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार 11 से 12 महीने सिर्फ राज्य सरकार और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के बीच अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और कुछ राज्य विद्युत संयंत्र विभागों के बीच पत्राचार में ही बरबाद हो गए। परिचर्चा कार्यवाही वृत्तांत नहीं रखा गया। अत: नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का हमारा उद्देश्य और जिस उद्देश्य से हमने 500 करोड़ रु० स्वीकृत किए हैं का कभी-कभी उचित रूप में उपयोग नहीं किया जाता। अत: आप इन कार्य में जो रुचि ले रहे है उसका फल तभी मिलेगा जबकि बेहतर समन्वय और ठीक ढंग से कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा।

फिर इस उद्देश्य के लिए जनशक्ति के प्रशिक्षण, कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। लेकिन राज्य में स्थापित इन संस्थानों में एक बड़ी कमी भी है। मैं इस मुद्दे पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि विद्युत के विकास के लिए सिर्फ ऊर्जा मन्त्रालय ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि विद्युत के विकास के लिए विभिन्न राज्यों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। विद्युत की कमी से आज बहुत से राज्य परेशानी में है। मेरे राज्य में पर्याप्त भाग में कोयला, पानी, जंगल और अन्य पदार्थ है। लेकिन 1987 के अन्त तक, उड़ीसा में 550 मेगावाट विद्युत की कमी हो गई थी। सिंचाई में भी यही हाल है। अत: प्रचुरता के बावजूद भी वहां कमी, पिछड़ापन और विकास की कमी है। मैं चाहूंगा कि इस पहलू पर मन्त्रालय ध्यान दे।

रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा अनुबन्धित 9 परियोजनाओं में से एक तालचेर सुपर तापीय विद्युत स्टेशन भी है। हम इसके विषय में 1980 से ही सुन रहे हैं। उस समय माननीय मन्त्री मन्त्रालय में नहीं थे। उनसे पहले के माननीय मन्त्री, जो विगत लोक सभा में यहां उपस्थित थे उन्होंने तालचेर की प्राथमिकता में परिवर्तन कर दिया। हम चौथे नम्बर से सातवें नम्बर पर आ गए। छठी योजना में सिर्फ पांच परियोजनाएं ही कार्यान्वित की गई थीं। अब हम भाग्यशाली हैं कि नवम्बर 1988 में ही तालचेर के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन इसकी आधारशिला रखे जाने के कार्य को स्थगित कर दिया गया है। हम लोगों ने सुना कि माननीय ऊर्जा मन्त्री श्री वसंत साठे परसों जाने वाले थे। लेकिन आज हमें मालूम पड़ा कि उन्होने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। तालचेर में 500 बिस्तर वाले अस्पताल के मामले में भी यही हुआ। परसों उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी जानी थी। वास्तव में मैं अपने जिले में कल जाने के लिए तैयार था। लेकिन पुन: मुझसे कहा गया कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अत:, जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है इस प्रकार कार्यक्रमों का बनना और रद्द होना आए दिन होता रहता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इसमें सुधार लायेंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि तालचेर सुपर तापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत हो सके जिसकी मांग उड़ीसा के लोग, उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा के संसदीय सदस्य कर रहे हैं और जिस बात पर जोर दे रहे हैं।

अब मैं संचारण और वितरण में कमी के मुद्दे की बात करता हूं जिसके बारे में अनेक सदस्यों ने कहा है। हम 21.5 प्रतिशत का नुकसान हम उठा रहे हैं और इसमें कमी कर इसे 17 प्रतिशत तक लाना है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस पर विचार करें। ऊर्जा मन्त्रालय चूंकि पहले से ही विभिन्न संगठनों, संस्थानों आदि से बात कर रहा है जो कि गैर सरकारी हैं, और अपने को विद्युत उत्पादन और ऊर्जा के उत्पादन में संलग्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वे इन संस्थानों, निगमों और निकायों को इसके ट्रांसमिशन और वितरण से सम्बद्ध करने पर विचार करेंगे ?

इससे न केवल स्पर्धा उत्पन्न होगी अपितु इससे उत्पादन के कतिपय दुर्लभ संसाधनों की भी बचत होगी और संचारण और वितरण का दायित्व एक विशेष संस्था को दे दिया जायेगा। यह सोचने की बात है और मैं आशा करता हूं कि वह इस पर विचार करेंगे।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को अपने कार्यकरण प्रबन्धन और विभिन्न दैनिक कार्यों में कुछ सुधार करने के लिए और ऊर्जा आदेशों कैपेसीटर्ज की स्थापना और विभिन्न अन्य आधुनिकीकरण के तरीकों को कार्यान्वित करने में, सुधार करने के लिए विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए हैं। अब महोदय, बिजली बोर्डों में क्या स्थिति है ? वास्तव में कोल इंडिया लिमिटेड स्वयं इन राज्य बिजली बोर्डों पर निर्भर करता है जिन्होने उन्हें 1000 करोड़ रुपये के संचित अधिक भुगतान की अदायगी नहीं की है जो उन्हें मिलनी चाहिए। वे कोल इंडिया से कैसे उचित ढंग से कार्य करने की आशा कर सकते हैं ? मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। माननीय मन्त्री के पास सभी आंकड़ें उपलब्ध हैं। परन्तु कोल इंडिया को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय संचित बकाया राशि अपने आप में काफी अधिक हैं। रेलवे, बी० ए० सी० एल० और एन० टी० पी० सी० के बारे में भी यही स्थिति है। अतः जब तक राज्य बिजली बोर्ड अपने कार्य-निष्पादन, अपने वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार नहीं करते, तब तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विस्तृत मार्ग निर्देश जारी करने से कोई लाभ नहीं होगा।

गत वर्ष सभी राज्य बिजली बोर्डों, एन० टी० पी० सी०, रेलवे और विभिन्न अन्य संगठनों का सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन स्वयं श्री वसंत साठे ने किया था। यह विद्युत उपयोगिता संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें विद्युत अभियन्ता सम्मिलित हुए थे। यहां तक कि विद्युत क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति डा० टाटा राव भी उपस्थित थे। उन्होंने कुछ विशेष सुझाव प्रस्तुत किए और इस बारे में एक सहमति हुई कि राज्य बिजली बोर्ड अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करेंगे। एक सुझाव ऋण ईक्विटी अनुपात के बारे में है जो 19.1 था। अतः इस ऋण साम्य अनुपात से हम कैसे किसी बोर्ड से कार्य करने की आशा कर सकते हैं जिसमें विद्युत बोर्ड केवल 6 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त क्षमता स्थापना के लिए प्रयास कर सकते हैं ?

कृषि पर लगाए जाने वाले विद्युत शुल्क के बारे में भी यही प्रश्न है। कृषि में लगभग 80 प्रतिशत विद्युत का उपयोग होता है परन्तु बकाया राशि के आंकड़े बहुत अधिक हैं। फिर सम्पूर्ण राज्य बिजली बोर्डों के पूंजीगत ढांचे का प्रश्न आता है। यह वित्तीय हानि न केवल बिजली बोर्डों अथवा विद्युत क्षेत्र में ही है अपितु इसका प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के अन्य विभिन्न क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। फिर मूल्य ह्रास दरों, निर्माण कार्य के दौरान ली गई पूंजी पर देय ब्याज विद्युत शुल्क, केन्द्रीय राजसहायता और राज्य राजसहायता की आवश्यकता और विद्युत उपयोग के पुनर्गठन की बात आती है और फिर हम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की बात पर आते हैं जिसका उत्तरदायित्व दूरदराज के क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्रों में भी बिजली की व्यवस्था करना है और यहीं पर पारेषण तथा वितरण के समय बिजली का भारी नुकसान होता है। अतः मेरा एक अन्य सुझाव विद्युत प्रणाली के विकेन्द्रीकरण के बारे में है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री प्रशासन और लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण पर बल दे

[श्री के० पी० सिंह देव]

रहे हैं ताकि जनता को फिर से शक्ति मिल सके और आजकल एन० टी० पी० सी० तथा अन्य संगठनों का कार्य काफी अधिक बढ़ गया है। उनके क्रियाकलाप व्यापक हैं अतः यह उचित समय है जब हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमें उन्हें विकेन्द्रित नहीं करना चाहिए और एक ऐसी 'होल्डिंग कम्पनी' की स्थापना नहीं करनी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय निकाय हों ताकि उनमें बेहतर प्रतिस्पर्धा बेहतर उत्तरदायित्व, बेहतर कार्य निष्पादन और बेहतर वित्तीय क्षमता उत्पन्न हो सके।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा यह होगा कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बहुत-सा उपयोगी कार्य किया गया है। परन्तु लोगों को जागृत करने, सूचना प्रणाली और संचार प्रणाली में कुछ कमी है। महोदय, इस संदर्भ में मैं वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा ऊर्जा और ऊर्जा कार्यकुशलता के बारे में किए गए अध्ययन के एक भाग को उद्धृत करना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

"ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता परन्तु इसका अपव्यय आसानी से किया जा सकता है और एक बार अपव्यय होने पर स्थाई रूप से हानि होती है। ऊर्जा कार्यकुशलता प्राप्त करने से कम लागत पर अधिक उत्पादन होता है और बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अर्थव्यवस्था का अधिक विकास करने में सक्षम बनती हैं तथा यह ऊर्जा की विद्यमान कमी को दूर करने का एक अच्छा उपाय है।

उद्योगों में ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसमें ऊर्जा की बचत करने के लिए अनेक अवसर और सम्भावनाएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विद्युत में केवल 10 प्रतिशत बचत करने के परिणामस्वरूप विद्युत लागत में लगभग 400 करोड़ रु० की बचत होती है और विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता के लिए 1900 करोड़ रुपये के निवेश से छुटकारा मिल जाता है। विद्युत क्षेत्र में कोयला उपयोग में भी लगभग 4.2 मिलियन टन की कमी होती है जिसकी कीमत 88 करोड़ रुपये से अधिक है। निर्मित उत्पादों के निर्यात में भी लगभग 700 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है, लगभग इतनी ही राशि के आयात में भी कमी की जा सकती है।"

महोदय, मेरा अन्तिम मुद्दा तालचेर कोयला क्षेत्र के बारे में है। मेरे पूर्व वक्ता श्री पाणिग्रही तालचेर कोयला क्षेत्र के बारे में कह रहे थे। तालचेर क्षेत्र में तालचर से लेकर रायराखोल, जिसे रामपुर के नाम से जाना जाता है, तक कोयला क्षेत्र है। यह मेरे चुनाव क्षेत्र में 142 किलोमीटर क्षेत्र में है। अब क्योंकि आप कोयला उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं अगुल उप-खंड अथामल्लिक और रायरखोल उप-खंड का समस्त क्षेत्र कोयला क्षेत्र में आते हैं। उनका एक बार उपयोग शुरू करने पर आपको वहां की जनता को हटाना पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश खानें खुले गर्त की हैं। यदि आप वहां के कोयला-क्षेत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपको भावी तरीके से यह सोचना चाहिए कि आप इन दो लाख से अधिक लोगों का पुनर्वास कैसे करेंगे। जिन लोगों को वहां से हटाया जाएगा उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ-साथ एक एकीकृत पुनर्वास प्रणाली के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जब वहां 'नालको' की स्थापना की गई थी तब हमने कठिन स्थिति का सामना किया था। हम वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति, वहां व्याप्त असन्तोष और वहां हो रही सामाजिक उथल-पुथल के बारे में जानते हैं। अतः तालचेर कोयला क्षेत्र एक समय एन० सी० डी० सी० के अन्तर्गत था फिर सी० सी० एल० के अन्तर्गत लाया गया और अब यह एस० ई० सी० एल० के अन्तर्गत है अर्थात् इसे कलकत्ता से रांची और फिर रांची से बिलासपुर ले जाया गया। मुझे आशा है

कि ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्यमंत्री श्री जाफर शरीफ ईब-घाटी और तालचेर क्षेत्र को मिलाकर इसे एक एकीकृत कोयला क्षेत्र बनायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान मांगों के ऊपर बोलने का मौका दिया। मैं इन मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज के इस युग में ऊर्जा की विशेष आवश्यकता है और विशेष महत्व है और इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसके विकास का कार्य कर रही है। लेकिन समय और देश की जनसंख्या के अनुसार जितनी मांग है, उन मांगों के अनुरूप अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत कुछ भारत सरकार की तरफ से और भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकारों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सी परियोजनाएं ली गई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ स्तर पर काम करना शेष है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से और भौगोलिक स्थिति से यदि देखें, तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस हिसाब, से देखें, तो भी उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज गांव-गांव में बिजली की मांग है जिन मांगों को हमें शीघ्र पूरा करना है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो परियोजनायें हमारी हैं, जब तक वे नहीं लगेंगी, जब तक विकसित नहीं होंगी, जब तक वे चालू नहीं होंगी, तब तक हम उन मांगो को पूरा नहीं कर पायेंगे। आज जो परियोजनायें स्वीकृत हैं और जिन पर जितनी तेजी से काम होना चाहिए उतनी तेजी से काम नहीं हुआ है। जितनी मात्रा में परियोजनाओं की मांग है, उतनी मात्रा में स्वीकृति भी शेष है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कई परियोजनाओं की स्वीकृति का मामला भारत सरकार की ओर से लम्बित है। मैं पहले तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया उन पर विचार करें और प्रदेश की मांग के अनुसार, उनको देखते हुए, जो इतने लम्बे समय से लम्बित हैं, उन पर स्वीकृति दें ताकि उन पर काम शुरू हो सके।

मान्यवर, दिसम्बर, 1988 के अन्त में जो अखिल भारतीय औसत प्लांट लोड फैक्टर था, वह 57.7 प्रतिशत का था। 31 जनवरी, 1989 को तापीय विद्युत गृह में 55.655 मिलियन यूनिट का उत्पादन कर अधिकतम तापीय उत्पादन का नया कीर्तिमान प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। लेकिन इसके बाद भी हमें अभी बहुत कुछ करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा है अभी जो परियोजनाएं अंकारा की, ओबराय की स्वीकृत थी, जिन थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी, उन पर जितनी तेजी से काम होना चाहिए उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं--टांडा थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट जो मेरे क्षेत्र में लग रहा है उस पर 1979 से काम शुरू हुआ है और मूल योजना 159 करोड़ की थी और आज 1989 हो गया, काम शुरू हुए 10 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक उस प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ है जबकि सरकार की तरफ से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अभी मुश्किल से हम दूसरी यूनिट 110 मेगावाट की चालू करने की स्थिति में आए हैं और अभी तो दूसरी यूनिट शेष है। उनको चालू करने में हम समझते हैं कि 100 करोड़ रुपया हमको और खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस पाइंट को यहां पर उठा रहा हूं जिस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है उसके बारे में अगर शासन सुनिश्चित करे, सरकार सुनिश्चित करे, समयबद्ध कार्यक्रम के तौर पर कि जिस कार्यक्रम की स्वीकृति दी जाए, उस प्रोजेक्ट को एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाए, तो सबसे अच्छा होगा। जिससे हमें उन प्रोजेक्ट्स में और

[श्री राम प्यारे सुमन]

धन न लगाना पड़ । 159 करोड़ की मूल योजना थी 4-5 वर्ष में योजना चालू होनी थी और 1982 में इसकी पहली यूनिट चालू होनी थी, लेकिन हम बड़ी मुश्किल के साथ 1988 के आखिर में, पहली यूनिट चालू कर पाए जिसे 1982 में चालू होना था और मार्च, 1989 में दूसरी यूनिट चालू करने की बात थी अगर यही स्थिति चलती रही, तो मैं मान्यवर यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस परियोजना के बारे में जो कहा जा रहा है कि इसकी शेष दो यूनिटें 1990 तक चालू कर पायेंगे, मुझे इसमें भारी संदेह है । हालांकि कहा जा रहा है कि हम उससे जल्दी ही, उससे पहले ही पूरी कर लेंगे, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है उससे ऐसा होना सम्भव नहीं प्रतीत होता है । इसलिए मेरा कहना है कि जिन परियोजनाओं को लिया जाए, उनको निश्चित समयावधि में पूरा किया जाए ।

मान्यवर, बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य है उस संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से पिछले वर्ष यह घोषणा की गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं, उनके परिवारों के घरों को विद्युत के प्रकाश से आलोकित करेंगे, उस दिशा में एक "कुटीर ज्योति" योजना प्रारम्भ की गई थी । उस योजना की घोषणा को एक वर्ष का समय पूरा हो गया है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में एक लाख 8 हजार फ्री कनेक्शन अनुसूचित जाति के लोगों को देने का आदेश हुआ था । लेकिन जैसी मेरी जानकारी है, अभी इस मामले में प्रगति बहुत शून्य है और उसे पूरा करने के लिए उचित रूप से आदेश भारत सरकार की तरफ से होने चाहिएं ।

1989-90 के लिए जो आपने 2.16 लाख की स्वीकृति दी है, हमारे पिछले वित्तीय वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और 1 लाख 8 हजार परिवारों को ही हम कनेक्शन दे पाए हैं तो इस तरह से अगले वित्तीय वर्ष में क्या स्थिति होगी ? शासन की जो मंशा निर्धन परिवारों के लोगों के यहां रोशनी, बिजली पहुंचाने की है, अगर यही गति काम करने की रही तो इन परियोजनाओं का क्या होगा ? इसलिए जो भी गाइडलाइन्स जारी की जाएं भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकारों से सुनिश्चित कराया जाए कि प्रदेश सरकारें उन परियोजनाओं, योजनाओं को तेजी से शासन की मंशा और प्रधान मंत्री जी की मंशा के अनुरूप अमल में लाए, उन्हें पूरा करें । गांव-गांव में अपने क्षेत्र में हम दौरा करते हैं, हरिजन और आदिवासी बस्तियों के नाम पर जो विद्युतीकरण करने की बात कही जाती है, अगर उनकी जांच की जाए तो 80 प्रतिशत मामले उसमें फर्जी पाए जाते हैं । गरीब की बस्ती के नाम पर सम्पन्न वर्ग के लोगों की बस्तियों का विद्युतीकरण हो रहा है और गरीबों की उपेक्षा की जा रही है । इसलिए मेरी मांग है कि हरिजन, आदिवासी बस्तियों के लोगों को जो रोशनी पहुंचाने की बात है, इसमें प्राथमिकता और तत्परता के आधार पर बिजली पहुंचाई जाए ।

राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति यह है कि उस पर हंसी आती है । जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उन्हें सफेद हाथी कहा जाता है, वहां इतनी करप्शन है । हालांकि उस दिशा में प्रदेश सरकारें जागरूकता से काम करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की बात है । आज हमें उस करप्शन को रोकना है । जो सबसे बड़ी करप्शन है वह आरक्षण के मामले में है । जो आरक्षण किया जाना है, भारत सरकार की मंशा है, आदेश-निर्देश हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है और बिजली बोर्डों में कई जगह अभी भी आरक्षण का प्रतिशत बहुत नीचे है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता और तत्परता के आधार पर आरक्षण को पूरा करने की व्यवस्था की जाए ।

मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश सरकारों ने यहां पर अपनी मांगें भेजी हैं, जिन परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और बिजली

विभाग में सुधार लाने की कोशिश करें और जहां पर विद्युत पहुंचाने की आवश्यकता है वहां पर टाइम से बिजली पहुंचाएं। आमतौर से ग्रामीण अंचलों में बिजली 2, 3, 4 घंटे हो रहती है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे बहुत जागरूक हैं, वह प्रदेशों का दौरा भी कर रहे हैं, कई हमारे जिलों में दौरा करके उन्होंने देखा भी है, मैं उनसे कहूंगा कि तत्परता के साथ जिन गांव में विद्युतीकरण होना है, उसको पूरा कराएं और जहां लाइन पहुंचे, वहां प्रकाश भी पहुंचे बिजली भी पहुंचे ताकि वहां के लोग उसका लाभ उठा सकें। यही मुझे कहना है, धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : सभापति महोदय, हम ऊर्जा मन्त्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग मेरे सभी माननीय सहयोगियों द्वारा ऊर्जा के महत्व पर बल दिया गया है। मैं यह कहूंगा कि ऊर्जा अपरिहार्य बन गई है और यह हमारी अर्थव्यवस्था का आधार और हमारे समाज का आधार है। परन्तु ऊर्जा मन्त्रालय इस बारे में अधिक रुचि नहीं ले रहा है। (व्यवधान)

निःसन्देह हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय जो कि यहां बैठे हुए हैं, एक गतिशील और उत्साही व्यक्ति हैं और ऐसा लगता है कि वे अपने मन्त्रालय को प्रोत्साहन देने में काफी रुचि लेते हैं। परन्तु एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि भारत सरकार और ऊर्जा मंत्रालय इस अवसर का लाभ उठायेंगे।

सत्तारूढ़ दल के मेरे मित्रों ने अपने भाषणों में शिकायतें की हैं और कठिनाइयां बताई हैं तथा अन्त में उन्होंने कहा है कि वे ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हैं। उनके भाषण सुनकर, ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार ने विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की भावनाओं और मांगों को ध्यान मे नहीं रखा।

मुझे खुशी है कि जटिल परिस्थितियों और तनावपूर्ण वातावरण में, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत और कुशलता से कार्य किया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने बिजली का पर्याप्त उत्पादन किया और वहां मांग और सप्लाई का संतुलन संतोषजनक है। पंजाब में जल स्रोतों से और बिजली नहीं पैदा की जा सकती और यह राज्य कोयला खानों से बहुत दूर है। अतः इस पर ऊर्जा के लिए निर्धारित अधिकांश राशि खर्च हो जाती है। इसलिए भटिंडा ताप बिजली संयंत्र और रोपड़ बिजली संयंत्र के तीसरे चरणों के प्रस्तावों को, जो कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय या योजना आयोग के पास लम्बित हैं, स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि आगामी वर्षों और आगामी योजना में ऊर्जा की सम्भावित कमी हो।

थेईं बांध परियोजना को भी पूरा किया जाना चाहिए। इस पर भारी धनराशि खर्च की जा चुकी है और कई वर्ष बीत चुके हैं।

मैं ऊर्जा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह पंजाब की मांगों पर विशेष ध्यान दें। पंजाब की कार्यकुशलता और उत्पादन को देखते हुए, उन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पंजाब में सामान्यतः यह भावना व्याप्त है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तथा उनके साथ पक्षपात किया जाता है। इस धारणा को और पंजाब की जनता के मन में व्याप्त इस भावना को दूर किया जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि ऊर्जा मन्त्री परिस्थितियों को देखते हुए भटिंडा ताप विद्युत परियोजना और रोपड़ ताप विद्युत परियोजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दान करेंगे।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि पंजाब में पन बिजली और पैदा नहीं की जा सकती और ताप विद्युत उत्पादन बहुत मंहगा है। पंजाब के लुधियाना जिले में गैस पर आधारित ताप विद्युत

[श्री चरणजीत सिंह वालिया]

संयंत्र लगाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है। इसे भी स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

सभी ने इस बात पर सही बल दिया है, ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों का इस्तेमाल इस बात को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए कि इस प्रयोजनार्थ बहुत कम राशि निर्धारित की गई है।

मैं सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के दोहन के लिए बजट में वृद्धि की जानी चाहिए।

7.00 म० प०

अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं इस मुद्दे को कई बार इस सभा में उठा चुका हूं। यह मुद्दा परमाणु विद्युत संयंत्र के स्थापना स्थल से सम्बन्धित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में, एक दल पंजाब का दौरा कर चुका है और उस दल ने पंजाब में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक स्थलों को देखा है। 10-15 वर्ष पहले स्थलों के बारे में सिफारिश की गई थी। मैं अनुरोध करता हूं कि स्थल चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार ही इस संयंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए। समिति ने परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए पटियाला जिले में पतरा नामक स्थान की सिफारिश की है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि पंजाब में परमाणु विद्युत संयंत्र को मंजूरी दी जानी चाहिए और स्थापित किया जाना चाहिए ताकि पंजाब राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति जी, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दिल्ली में काफी बिजली है। हम जानते हैं कि जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी और भारत की जितनी तरक्की होगी, उतनी ही ज्यादा बिजली की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें पता है और हमने देखा है कि पहले बहुत कम बिजली थी लेकिन अब गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है। पहले लोग बिजली के कनेक्शन लेते थे तो बत्ती, बल्ब या ट्यूबलाइट जला लेते थे, रेडियो सुन लेते थे लेकिन अब टेलीविजन भी हैं। आप टेलीवीजन के अलावा थ्रेशर भी चलाते हैं और इसके अलावा हर तरह की सहूलियत लोग चाहते हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा काम हुआ है लेकिन उसकी देखरेख के लिए ट्रांसफार्मर होना बहुत जरूरी है। आपके नजफगढ़ नरेला, महरौली, बदरपुर, लारेंस रोड, नांगलोई डिस्ट्रिक्ट में एक ही ट्रांसफार्मर है अगर बिजली चली जाती है तो ट्रांसफार्मर वहां से लाना पड़ता है, 12 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से और उसको ठीक करने में समय लग जाता है। हम यह चाहते थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक ट्रांसफार्मर आप भेजें, दो-दो हो जायें तो छोटे-छोटे गांवों की जो समस्याएं हैं, वह ट्रांसफार्मर्स जल्दी ठीक हो जाए। आपने जो ट्रांसफार्मर पहले लगाए थे उस वक्त कनेक्शन थोड़े थे लेकिन अब कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इसलिए आपके छोटे ट्रांसफार्मर सड़ जाते हैं, जल जाते हैं। हम चाहते हैं कि बड़े ट्रांसफार्मर हर डिस्ट्रिक्ट में एडवांस में होने चाहिए जिससे हम बड़ा ट्रांसफार्मर लगाकर जल्दी से जल्दी बिजली को चालू कर सकें।

दूसरा मेरा यह सवाल था, पिछले साल सूखा पड़ा तो डेसू ने हमारी बहुत मदद की और ऊर्जा मंत्रालय ने काफी कोशिश करके सूखे में पानी दिया, पानी नजफगढ़ ड्रेन से मुनक ड्रेन में डाला तो किसानों के कुओं की सतह ऊपर आई और वे फसल में पानी दे सके, इस तरह से खेती की पैदावार बढ़ सकी और सूखे का मुकाबला किया जा सका परन्तु उसका कार्माशियल बिल बनाकर भेज दिया,

क्योंकि किसान वह कामर्शियल बिल जमा नहीं कर सके इसलिए दिल्ली प्रशासन ने इस साल पानी नहीं दिया, वह पानी खेती के लिए था, ट्यूबवैल के लिए था। किसान कामर्शियल बिल अभी तक नहीं दे सके इसलिए मैं चाहता हूं कि कामर्शियल बिल न लगाकर उसमें खेती वाला बिल, ट्यूबवैलों वाला बिल लगाया जाय, उस किस्म का लगाया जाय जिससे वह फिर भी पानी दे सकें।

हमारे यहां दिल्ली में आबादी बहुत बढ़ गई है। 1981 तक के जो मकान बने हुए हैं उनके लिए तो आपका मंत्रालय बिजली दे रहा है, ऐसा पास कर दिया है, मैं चाहता हूं कि उनमें जल्दी से जल्दी आप कनेक्शन दे दें तो हमारी सारी प्राब्लम कम हो जायेगी। आपने देखा होगा कि जितने टेक्नीकल कर्मचारी हैं, उनकी दिल्ली में कमी है क्योंकि दिल्ली में कनेक्शन बहुत बढ़ गए हैं और टेक्नीकल कर्मचारियों की भर्ती पर बैन लगा हुआ है, मेरा अनुरोध है कि इस बैन को हटाया जाय जिससे हमारे टेक्नीकल कर्मचारी ठीक समय पर कम्पलैंट्स को अटेण्ड कर सकें। हमारे यहां कम्पलेंट आफिस बहुत ही थोड़े हैं और शिकायतें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि कम्पलेंट आफिस बढ़ाए जाएं, जिससे किसानों की जो ट्यूबवैल की समस्याएं हैं या किसानों की जो दूसरी समस्याएं हैं, उनको हर तरह से जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। सबसे जरूरी पुनर्वास कालोनियों में जो इंदिरा गांधी जी ने कालोनी बसाई थी, उसमें कई दफे बिजली चली जाती है। सुनते हैं, तो पता चलता है कि वहां ट्रांसफार्मर बहुत छोटा है, सड़ गया है। वहां बड़ा ट्रांसफार्मर लगायेंगे, तब जाकर हमारे को बिजली मिलेगी। मैं चाहता हूं कि बड़े से बड़ा ट्रांसफार्मर उन कालोनियों में लगाया जाए जिससे कि हमारी समस्या का निदान हो सके।

दिल्ली में बिजली बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली के बदरपुर के प्लान्ट में 500 मेगावाट बिजली बनती है और आई० आई० टी० में 150 मेगावाट बिजली बनती है और भाखड़ा से भी 350 मेगावाट बिजली लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहां भी एक थर्मल पावर प्लान्ट लगाया जाए, जिससे हमारी जो बिजली की आवश्यकता है, वह पूरी हो जाए। आबादी ज्यादा बढ़ने से कनेक्शन भी बढ़ गए हैं, इसलिए थर्मल पावर प्लान्ट का होना बहुत ही जरूरी है। बदरपुर प्लान्ट से जो बिजली बनती है, उसकी चिमनी से काफी राख उड़ती है और वह राख उड़कर किसानों के पशुओं के चारे में गिरती है. खाने में गिरती है। हम चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाए, ताकि वह राख न उड़े।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का समय दिया और मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं वे पत्र लिखते रहते हैं कि आपको कोई तकलीफ है, तो बताइए। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने एक महिला को बोलने का अवसर दिया। मैं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

पूरे भारत वर्ष में दिन पर दिन बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। माननीय ऊर्जा मन्त्री श्री कल्पनाथ राय जी ने सब को पत्र लिखकर कहा था, तो मैंने भी एक सुझाव भेजा था कि यदि आप कल्पनाओं का भारतवर्ष बनाना चाहते हैं, तो ऊर्जा की समस्याओं को आपको सोल्व करना पड़ेगा। गम्भीरता से इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप अपनी कल्पनाओं का भारत बना सकेंगे। आज भारत वर्ष में काफी ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि किसी-किसी जगह पर ऊर्जा ऐसी ही जा रही है, उस ऊर्जा को बचाने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष में जो हो रहा है, उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। जहां पर भी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको उसके लिए त्वरित उपाय सोचने चाहिए कि कैसे ऊर्जा

[श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि]

प्राप्त कर सकते हैं और जहां दूसरे राज्यों में ऊर्जा की कमी है, वहां पहुंचानी चाहिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जो ऊर्जा के माध्यम से काफी आगे बढ़ गए हैं। हम इक्कीसवीं सदी में जा रहे हैं। महिलाओं को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब वे किचन में काम करती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिन-जिन क्षेत्रों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उनमें से पेट्रोल है, नैचुरल गैस है, कोयला है, पवन चक्की है और सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इन सबका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। पानी से भी बिजली पैदा कर सकते हैं और सूर्य की शक्ति से भी, जैसे हमारे गुजरात में दरिया के किनारे पर ज्यादा से ज्यादा सूर्य की शक्ति से हम सोलर या पवन चक्की से बिजली उपलब्ध कर सकते हैं लेकिन सैन्टर की नजर उस तरफ होनी चाहिए।

मेरे क्षेत्र राजकोट में 5 साल में करीब 3 साल सूखा रहता है और बारिश नहीं होती है और खेती की सिंचाई के काम में बिजली की बहुत कमी रहती है। वहां पर किसानों की बिजली के कनेक्शनों के लिए बहुत डिमांड रहती हैं लेकिन वे मिलते नहीं हैं। सूखे क्षेत्र की तरफ आपकी निगाह रहनी चाहिए और सैन्टर की ओर से क्या आप कर सकते हैं, यह देखना चाहिए। प्रायरटी देकर वहां पर परियोजनाएं चालू की जाएं ताकि सूखे के समय में बिजली हम प्राप्त कर सकें। केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बिजली चाहिए, सूखे क्षेत्र में उद्योगों को भी बिजली मिलनी चाहिए। मैंने काफी समय तक ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर मैंने पाया कि सबसे ज्यादा बिजली की मांग थी। सूखे की वजह से वहां पर लोग डर गए हैं कि पानी नहीं मिल सकता और सिंचाई भी नहीं कर सकते और न ही उद्योग वहां पर लोग लगाना चाहते हैं। वहां पर ऐसे उद्योग लग सकते हैं, जिनमें पानी की खपत कम हो लेकिन बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल सके। मेरे क्षेत्र में डायमंड उद्योग में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लेकिन बिजली की पूरी सप्लाई न होने के कारण और बिजली की कमी के कारण, लोग डीजल इंजन से अपने जेनरेटर चला कर अपना काम चलाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा छोटे कारीगरों को करना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कुटीर उद्योग योजना चालू की, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूं। मेरे क्षेत्र में कुटीर उद्योग योजना पर बहुत अमल हो रहा है और वहां पर पिछड़े हुए आदिवासी और हरिजन लोगों को इस योजना का पूरा लाभ भी मिलता है।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो बिजली बोर्ड हैं, उनका विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। उसमें बहुत कमियां हैं। बिजली बोर्डों में कई जगहों पर, जैसा मेरे दूसरे साथी सदस्यों ने कहा, यूनियन की प्राब्लम है और दूसरी बहुत सारी प्राब्लम्स हैं। इसकी वजह से वे हर राज्य को पूरी मात्रा में बिजली नहीं दे पाते हैं। केन्द्र की निगाह इस पर जानी चाहिए और हर बिजली बोर्ड को चेतावनी दी जाए। तभी यह काम बनेगा और इस समस्या का हल करने के लिए हमें जरूर सोचना पड़ेगा। पूरे देश को यदि हम 21वीं सदी में ले जाना चाहते है, तो हमारी जो बिजली की समस्या है, उसको हल करने के लिए केन्द्र की ओर से जितना ज्यादा सहयोग मिलेगा, उतनी जल्दी यह समस्या हल होगी।

[अनुवाद]

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुर) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को निष्ठापूर्वक तथा अनुशासित ढंग से कार्य करने के लिए मुबारकबाद देता हूं।

शब्दों को रूप ज्ञान से मिलता है परन्तु कार्य भावना से किए जाते हैं। वे कर्त्तव्यपरायण और अनुशासित हैं, इसीलिए वे विद्युत उत्पादन में वृद्धि कर पाए हैं तथा ऊर्जा के गैर-परम्परागत

स्रोतों का पता लगा कर उनका विकास कर पाए है। संक्षेप में, उन्होने सक्रिय कार्य किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं एक परियोजना के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। यह परियोजना बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दार्शनिक पास्कल का एक वाक्य उद्धृत करूंगा :

> "शक्ति और न्याय एक साथ होने चाहिएं ताकि जो शक्तिशाली है वह न्याय प्रिय हो और जो न्यायसंगत है वही शक्तिशाली भी होना चाहिए।"

सरकार का मुख्य लक्ष्य न्यूनतम लागत पर ऊर्जा की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना और पर्यावरण को ऊर्जा स्रोतों के गलत उपयोग से बचाना है। सरकार का उद्देश्य यह है परन्तु बिहार की कोयल-कारो परियोजना का क्या भविष्य है ? मुझे केवल सरकार के कार्य-निष्पादन बजट के पृष्ठों को पढ़कर बताना है। पृष्ठ 12 पर लिखा है : केन्द्रीय सरकार ने अनेक ताप और जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की है और अन्तिम परियोजना बिहार की कोयल-कारो परियोजना है। फिर पृष्ठ 24 पर कहा गया है कि निगम फिलहाल चार परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगा है। ये परियोजनाएं हैं—दुलहस्ती (जम्मू-कश्मीर); चमेरा (हिमाचल प्रदेश); कोयल-काटो (बिहार) और टनकपुर (उत्तर प्रदेश)। पृष्ठ 12 पर यह लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने अनेक ताप और जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है और अन्त में बिहार की कोयल-कारो परियोजना का नाम लिखा है परन्तु पृष्ठ 24 पर जिन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कवर किया गया है उनमें सलाल जल विद्युत परियोजना; दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, चमेरा जल विद्युत परियोचना, टनकपुर जल-विद्युत परियोजना, चमेरा पारेषण प्रणाली, दुलहस्ती पारेषण प्रणाली, चुखा पारेषण प्रणाली और नई योजनाओं के नाम दिए गए हैं। कोयल-कारो परियोजना का नाम कहीं नहीं है। अब क्या किया जाए। मैंने सरकार के कार्य-निष्पादन बजट से पढ़कर सुनाया है। सभी कुछ लिखा है कि कार्यान्वियन चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहे हैं परन्तु पृष्ठ 24 पर कोयल-कारो परियोजना का कोई जिक्र नहीं है।

उर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में, कोयल-कारो परियोजना को कार्यान्वित न किए जाने के कारण मेरे अलावा बिहार के सभी संसद-सदस्यों ने बहिर्गमन किया था। उस समय श्री कल्पनाथ राय राज्य मन्त्री नहीं थे। उस समय श्रीमती सुशीला रोहतगी मन्त्री थी। इस परियोजना को लेकर बिहार के सभी संसद-सदस्यों ने बहिर्गमन किया था। श्री साठे ने हमें बताया था कि परियोजना के लिए 50,000 करोड़ रु० से अधिक राशि चाहिए जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी बताया था कि राज्य सरकार परियोजना के लिए भूमि मुहैया नहीं करा पाई है। अब आप ही निष्कर्ष निकालिए। मैं इस मामले को मंत्री जी पर छोड़ता हूं। मंत्री जी ने बताया कि कार्यान्वियन चल रहा है और दूसरी ओर वह कहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनाथ राय : यह राशि 1100 करोड़ रु० है। आप के आंकड़े गलत है।

श्री महावीर प्रसाद यादव : हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हों। आपने हमें बताया था कि कार्य चल रहा है परन्तु कार्य तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है।

कोसी नदी पर बिहार के सहरसा जिले में एक कटैया जल-विद्युत परियोजना है। यहां गाद की समस्या है जिसके परिाणस्वरूप यह विद्युत परियोजना रुग्ण हो जाती है और हमें नुकसान होता है।

दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहां है ? 1954 में, यह निर्णय किया गया था कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय 'मैंथों' में होगा परन्तु कुछ लोगों को मिलीभगत के कारण,

[श्री महावीर सिंह यादव]

मुख्यालय कलकत्ता में ही कार्यरत है। बिना किसी दोष के बिहार राज्य नुकसान उठा रहा है। इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि मुख्यालय मैथों में ही हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन मुद्दों पर बिहार के साथ न्याय करेगी और न्याय करने के लिए कोयल-कारो परियोजना का निर्माण यथाशीघ्र आरम्भ किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं और मन्त्री महोदय तथा राज्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं जिस तरह से उन्होंने इस मन्त्रालय को एक नयी दिशा दी है और सारे देश के अन्दर अपने मन्त्रालय का काम चलाया है। मैं केवल अपने क्षेत्र सतना के बारे में कहना चाहूंगा। बाण सागर का बांध वहां बनने वाला है। कई सालों से बन रहा है, उस पर करोड़ों रुपया आप खर्च कर चुके हैं। उस बाण सागर बांध से टोंस (तमस) का बराज है जिससे बिरसिंगपुर में पावर स्टेशन बनना है। लेकिन केन्द्र सरकार ने क्लीयरेंस नहीं दी है फारेस्ट और एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन उस इलाके के जो किसान हैं उनको न तो कनैक्शन मिलते हैं और न सड़कों पर बिजली है और न वन-पाइंट कनैक्शन मिलता है। माननीय मन्त्री जी विशेष रूप से इसको देखें। बांध बनने में चाहे दस, बीस या पचास साल लग जाए लेकिन कम से कम उस इलाके के लोगों को जिंदा रहने का अधिकार दिया जाए, विशेष रूप से इस तरफ तवज्जह दें। आपने दूसरी बात नान कन्वेन्शनल एनर्जी की कही है कि आपके मन्त्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि विंड सिस्टम जनरेटर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि विशेष कदम आपने उठाए हों। जहां सोलर एनर्जी और दूसरी तरह की एनर्जी को अपनाने जा रहे हैं, एनकरेज करते हैं वहां विंड सिस्टम एनर्जी को भी तवज्जुह दें। इस तरफ भी आप इसको देख कर अमल में लायें। बहुत सी बातें यहां कही गई झगड़ों के बारे में, बिजली बोर्ड हैं हमारे, मुझ भी सौभाग्य रहा है 1972 से 77 के बीच में मध्य प्रदेश में इरीगेशन मिनिस्टर होने का। मेरा सुझाव है कि इंडियन फारेस्ट सर्विस की तरह एक इंडियन पावर सर्विस बनाई जाये और जितने आपके पावर हाउसेज हैं, इंटरस्टेट के पावर हाउसेज हैं, नेशनल पावर हाउसेज हैं और सुपर पावर हाउसेज हैं इन सबका संचालन आपके यानि केन्द्र सरकार के मन्त्रालय द्वारा कराया जाये। इसी तरह से एक नेशनल ग्रिड बनाई जाये जिसमें आपके पास एनर्जी सुरक्षित हो और आवश्यकतानुसार तथा बिना किसी भेद-भाव के जो जरूरतमन्द और पिछड़े हुए राज्य हों, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है या यू० पी० है उनको बिजली दी जा सके। और वह बिजली आपके मापदण्डों के अनुसार दी जाये। जो पावर हाउसेज को लोकेट करते है, सेंक्शन करते है मेरा निवेदन है कि वहां बिना किसी राज्य को प्राथमिकता न देकर, क्योंकि पूरे संसार में एक सिद्धांत है कि पावर हाउस बनाया जाता है पिट हैड पर जहां कोयला होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाये। इस मामले में नाइन्साफी हुई है वहां सिंगरोली में कोयला था, भगवान ने हमें वह दिया था, लेकिन भूतकाल में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं वन पाइंट कनेक्शन कार्यक्रम के बारे में भी कहना चाहूंगा कि इस तरफ आप ध्यान दें। आर० ई० सी० की योजनायें जो आपकी स्वीकृत हुई हैं आप जानकारी मंगवायें कि कौन सी योजना किस साल में स्वीकृत की गई थी और क्या वह पूरी हुई है या नहीं हुई है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मन्त्री के रूप में मैंने 1974 में मैंने आर० ई० सी० को योजनायें स्वीकृत की थीं जहां पर, वे गांव छोड़ दिये गये हैं। मैंने आदिवासी क्षेत्रों, हरिजन और पिछड़े लोगों के इलाकों में बिजली लगाने की योजनायें भेजी थीं, लेकिन वहां पर न देकर अन्य जगह बिजली लगा दी गई है। आप देखें कि 1974 में स्वीकृत स्कीम्स अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई हैं। इसके लिए आप कम से कम जिम्मेदारी फिक्स करें और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इस मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

شری عزیز قریشی (ستنا) : سبھاپتی جی میں آپ کا آبھاری ہوں اور
منتری مہودے تتھا راجیہ منتری جی کو بدھائی دیتا ہوں جس طرح سے
انھوں نے اس منترالیہ کو ایک نئی دشا دی ہے اور سارے دیش کے
اندر اپنے منترالیہ کا کام چلایا ہے۔ میں کیول اپنے چھیتر ستنا کے بارے
میں کہنا چاہوں گا۔

بارن ساگر کا باندھ وہاں بننے والا ہے کئی سالوں سے بن رہا ہے۔ اس
پر کروڑوں روپیہ آپ خرچ کر چکے ہیں۔ اس بارن ساگر باندھ سے ٹونس
(تمس) کا ایراج ہے جس سے ویرسنگھ پور میں پاور اسٹیشن بننا ہے لیکن
کیندر سرکار نے کلیرنس نہیں دی ہے فاریسٹ اور انوائرمینٹ کی وجہ سے۔
لیکن اس علاقہ کے جو کسان ہیں ان کو نہ تو کنکشن ملتے ہیں اور نہ سڑکوں پر
بجلی ہے اور نہ ون پوائنٹ کنکشن ملتا ہے۔ مانیہ منتری جی وشیش روپ
سے اس کو دیکھیں۔ باندھ بننے میں چاہے دس بیس یا پچاس سال لگ جائیں
لیکن کم سے کم اس علاقہ کے لوگوں کو زندہ رہنے کا ادھیکار دیا جائے۔ وشیش
روپ سے اس طرف توجہ دیں۔ آپ نے دوسری بات ان کنوینشنل اینرجی کی
بات کہی ہے کہ آپ کے منترالیہ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن سبھاپتی جی
میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ونڈ سسٹم جنریٹر کے بارے میں
مجھے جانکاری نہیں ہے کہ وشیش قدم آپ نے اٹھائے ہوں۔ جہاں سولر
انرجی اور دوسری طرح کی انرجی کو اپنائے جا رہے ہیں انرجی کو نئے ہیں وہاں
ونڈ سسٹم انرجی کو بھی توجہ دیں۔ اس طرح بھی آپ اس کو دیکھ کر عمل میں لائیں۔
بہت سی باتیں یہاں کہی گئیں جھگڑوں کے بارے میں بجلی، بجلی بورڈ میں ہمارے
مجھے بھی سوچا گیا رہا ہے ۱۹۷۲ کے بیچ میں مدھیہ پردیش میں اریگیشن منسٹر ہونے کا۔
یہ سمجھا گیا ہے کہ انڈین فاریسٹ سروس کی طرح ایک انڈین پاور سروس

بنائی جائے اور جتنے آپ کے پاور ہاؤسز ہیں انٹر اسٹیٹ کے پاور ہاؤسز ہیں نیشنل پاور ہاؤسز ہیں اور سپر پاور ہاؤسز ہیں ان سب کا سنچالن آپ کے یعنی کیندر سرکار کے منترالیہ دوارا کرایا جائے۔

اس طرح سے ایک نیشنل گرڈ بنائے جائیں جس میں آپ کے پاس انرجی سرکشت ہو۔ اور آوشکیتا انوسار بنا کسی بھید بھاؤ کے جو ضرورتمند اور پچھڑے ہوئے راجیہ ہوں جیسے مدھیہ پردیش ہے بہار ہے یا یوپی ہے ان کو بجلی دی جا سکے۔ اور وہ بجلی آپ کے اپنے مانڈنڈ کے انوسار دی جائے۔ جو پاور ہاؤسز کو لوکیٹ کرتے ہیں سلیکشن کرتے ہیں میرا نویدن ہے کہ وہاں کسی راجیہ کو پراتھمکتا نہ دے کر کیونکہ پورے سنسار میں ایک سدھانت ہے کہ پاور بنایا جاتا ہے پٹ ہیڈ پر جہاں کوئلہ ہوتا ہے اس لیے اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ اس میں ناانصافی ہوئی ہے وہاں سنگرولی میں کوئلہ تھا بھگوان نے ہمیں وہ دیا تھا لیکن بھوت کال میں ہمارے ساتھ نیائے نہیں ہوا ہے۔ میں دن پوائنٹ کنکشن کے کاریہ کرم کے بارے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس طرف آپ دھیان دیں۔ آر۔ ای سی کی یوجنائیں جو آپ کی سویکرت ہوئی ہیں آپ جانکاری منگوائیں کہ کونسی یوجنا کس سال میں سویکرت کی گئیں تھیں اور کیا وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منتری کے روپ میں میں نے ۱۹۷۴ء میں آر۔ ای۔ سی کو جو یوجنائیں اویکرت کی تھیں جہاں پر وہ گاؤں چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ میں نے آر سی داس چھیتروں ہریجن اور پچھڑے لوگوں کے علاقوں میں بجلی لگانے کی یوجنائیں بھیجی تھیں لیکن وہاں پر نہ دے کر ایسی جگہ بجلی لگا دی گئی ہے آپ دیکھیں کہ ۱۹۷۴ء میں سویکرت اسکیم ابھی تک کیوں نہیں پوری ہوئی ہیں۔ اس کے لیے آپ کم سے کم ذمہ داری فکس کریں اور جو دوشی ہے اس کے خلاف کاریہ واہی کریں۔ انہیں شبدوں کے ساتھ میں آپ کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں اور اس منترالیہ کی اور ان کی مانگوں کا سمرتھن کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बिजली मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो नान कन्वेन्शनल एनर्जी के लिए जो बीस साल मंजूर किये हैं। वहां पर नान कन्वेन्शनल एनर्जी के द्वारा टी० वी० रेडियो कम्यूनिटी और गोबर गैस इत्यादि के लिए बीस लाख रुपए की योजना बनाकर भेजी गई थी। मैं इलेक्ट्रिकसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस करता हूं। आन्ध्र प्रदेश में सर्विस चार्जेज के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है। अगर एक गांव में किसी मकान में बिजली चाहिए तो जहां पर पावर है वहां से उस मकान तक जितने पोल का खर्चा और वायर का खर्चा आयेगा वह उस मकान वाले को देना होगा, जैसे कि एक बौली से दूसरी तक पांच खम्भे बिजली के चाहिए और वहां पर एक है तो चार पोल का खर्चा उसको देना होगा। बिजली वाले कहते हैं कि पहले हमें पोल का खर्चा और केबिल का खर्चा दो तब कनेक्शन दिया जायेगा। इससे पहले सर्विस चार्जेज का मतलब था कि जिस सरकारी स्थान पर बिजली है वहां से दूसरे स्थान पर बिजली लगाने का खर्चा इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड के जिम्मे था और सरकार के स्थान से घर तक ले जाने का सर्विस चार्ज दो सौ फीट से कम का लेते थे। इसलिए मैं इस इलेक्ट्रिकसिटी एक्ट में संशोधन की मांग करता हूं।

इसके साथ-साथ मेरा अनुभव यह रहा है कि जब आन्ध्र प्रदेश में पूरे भारत का 14 प्रतिशत कोयला निकलता है, और शेष 86 परसेंट कोयला देश के अन्य भागों में निकलता है, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु में कोयला बिल्कुल नहीं निकलता, तो आप उस कोयले को लेकर देश के तमाम भागों में बंटवारा क्यों करते हैं, इसके कारण आन्ध्र प्रदेश में थर्मल पावर स्टेशनों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलता और वे आवश्यकता के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं कर पाते। मेरी मांग है कि आप कोयले से सम्बन्धित स्कीमों में ऐसा परिवर्तन करें जो समय की मांग के अनुसार खरा उतरे। आज आन्ध्र प्रदेश में बिजली की इतनी कमी है कि जहां हम देश के अन्य भागों म जनवरी या मार्च से बिजली की कटौती होते सुनते हैं, वहीं आन्ध्र प्रदेश में वह कटौती नवम्बर में शुरू हो जाती है। उत्पादन में कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश में स्टील का भाव डबल हो गया है, सीमेंट का रेट डबल हो गया है। बावलियों में पानी रहने पर भी बिजली नहीं मिलती है इस कारण किसान अपना उत्पादन करने में बिल्कुल निष्फल हो रहा है। इसके कारण क्या है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप कोयले की अधिक से अधिक व्यवस्था कीजिये। जैसा यहां मेरे भाई साहब ने भी कहा, जहां कोयला निकलता है, वहां आप थर्मल पावर स्टेशन बनाइये। मन्त्री जी, मेरे गांव भूपालपल्ली में, जो वारंगल जिले का एक गांव है, कोयले के पिट्स शुरू हो गये हैं, जहां काफी कोयला मिलने की सम्भावना है। इसलिए मेरी मांग है कि आप वहां पर एन० टी० पी० सी० के जरिये कोई थर्मल पावर स्टेशन जल्दी से जल्दी खोले जाने की व्यवस्था कीजिये ताकि उस कोयले का उपयोग हो सके और बिजली की कमी भी दूर हो जाये। आज आन्ध्र प्रदेश में बिजली का भारी संकट है। मेरे विचार में पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश में बिजली के उत्पादन में लगातार गिरावट आयी है और इस कारण दूसरे उत्पादन भी गिरे हैं। इसके लिये आवश्यक है कि केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश को अधिक से अधिक कोयला उपलब्ध कराए।

हमारे यहां कुटीर ज्योति नाम का कार्यक्रम भी चल रहा है और वहां के एम० एल० ए० या कलैक्टर जिस गांव में कुटीर ज्योति कार्यक्रम को लागू करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से लागू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे एक एम० एल० ए० को किसी गांव में कुटीर ज्योति आरम्भ करवाने के अधिकार दिये गये हैं, हम एम० पीज० को भी एक या दो गांवों में वैसे ही अधिकार मिलने चाहिए। आप इस सम्बन्ध में यहां से आदेश जारी करें। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत

[श्री सी० जंगा रेड्डी]
सारा पैसा केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है लेकिन आज स्थिति यह है कि हर विधान सभा के एम० एल० ए० को अपने-अपने क्षेत्र में या गांव में बिजली पहुंचाने के लिये कुछ अधिकार मिले हुए हैं जब कि हम पार्लियामेंट के मैम्बर्स को ऐसे कोई अधिकार नहीं कि हम किसी गाव में विद्युतीकरण करा सकें जब कि आर० ई० सी० का सारा पैसा केन्द्रीय सरकार से जाता है। मैं चाहता हूं कि आप हम एम० पीज० को भी ऐसे अधिकार दें ताकि हम भी दो-तीन गांवों का विद्युतीकरण अपने विवेक के अनुसार करा सकें, जिसे हम निर्देशित कर, उसका विद्युतीकरण हो जाये। हमारे आन्ध्र प्रदेश में गैस पर्याप्त मात्रा में मिलती है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे यहां गैस पर आधारित बिजली तैयार करने के प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगायें। एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि एन० टी० पी० सी० द्वारा किसानों या दूसरे लोगों की जो जमीन एक्वायर की जाए, उस व्यक्ति के परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को आप नौकरी ज़रूर दें ताकि उसका किसी रूप में कम्पैन्सेशन हो जाए। इस बारे में मैंने आपको पत्र भी लिखा है। रायगुण्डम में आपने जितनी प्रगति की है, बिजली दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, 500 मेगावाट आप बिजली पैदा कर रहे हैं, वह पूरी बिजली आप आन्ध्र प्रदेश को दीजिए ताकि वहां बिजली का संकट खत्म हो सके। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए, अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विभाग का देश की प्रगति में बड़ा महत्व है। यदि ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलने लग जाये तो हमारा देश बहुत शीघ्र समृद्धिशाली बन सकता है लेकिन आज हमारे देश में ऊर्जा की कमी है और औसतन प्रतिव्यक्ति 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है। इसके अलावा प्रेषण और वितरण में 21.५ प्रतिशत हानि होती है, मैं चाहूंगा कि सरकार इस हानि में कमी लाने की कोशिश करे।

हमारे बिहार में कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं परन्तु बिहार ऐसा प्रान्त है जो हमेशा से पिछड़ा हुआ है और दिनोंदिन पिछड़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि कोयले के इतने भंडार होने के बावजूद, बिजली की कमी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार सरकार ने कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनियों को उद्योग खोलने के लिए बिहार में निमंत्रित किया था, लेकिन बिजली की कमी के कारण उन सब कम्पनियों ने बिहार में उद्योग नहीं खोला। इसी से आपको पता चल जाएगा कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार विद्युत बोर्ड में इस समय जो चेयरमैन आए हैं, वैसे चेयरमैन अभी तक विद्युत बोर्ड में नहीं आए हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण और केन्द्रीय सरकार द्वारा, बिहार सरकार को जो हिस्सा मिलना चाहिए जो अनुदान या ऋण मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलने के कारण बिहार के विद्युत बोर्ड का काम ठप्प पड़ने जा रहा है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से और खासकर मन्त्री जी से मांग करूंगा कि जब बिहार के अन्दर इतना पिछड़ापन है और बिहार के अन्दर पंजाब की तरह उग्रवादी आंदोलन खड़ा हो रहा है. उस स्थिति में आंख खोलकर देखना चाहिए कि बिहार में जो विद्युत बोर्ड है, उसका काम ठप्प न पड़े और उसको ऋण मिलना चाहिए। कृषकों को बिजली मिल सके, उद्योग खड़े किए जा सकें, जिससे बिहार का पिछड़ापन कम हो सके। बिहार में पिछड़ापन बढ़ाने में केन्द्रीय सरकार दोषी है। आज तक उसने बिहार को उसका उचित हिस्सा नहीं दिया है और न बिहार के नेताओं ने अपने उचित हिस्से के लिए केन्द्रीय सरकार से लड़ाई की है। वे एक नौकर की तरह उसके पीछे-पीछे चले हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार के विद्युत बोर्ड को काफी ऋण और अनुदान दें जिससे बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : "कुरान" में लिखा हुआ है :

"नूरनस्स समावति वल अर्द"

इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का प्रकाश विश्व और पृथ्वी का प्रकाश है। और एक जगह लिखा हुआ है :

"मिन्नज्जुलमात वल अर्द"

इसका अर्थ है कि ईश्वर हमें अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण है; प्रकाश ही जीवन है, प्रकाश के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर घाटी, जो 10,000 मे० वा० बिजली उत्पन्न कर सकती है—यह एक सर्वेक्षण, एक अध्ययन के द्वारा सिद्ध किया गया है—प्रत्येक सर्दी के मौसम में बिजली की कमी के कारण कठिनाई महसूस करती रही है। अबकी बार सर्दियों में सप्ताह पांच से छः दिन बिजली की सप्लाई में कटौती की गई; अनुमान लगाइए कि शेष दिन (एक या दो दिन) पांच-छः घंटे बिजली की अनियमित सप्लाई चलती रही। इससे जनता, अर्थव्यवस्था, उद्योग, सभी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, समस्त जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है; छोटे उद्योग तथा मध्यम उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; हस्तशिल्प उद्योग भी प्रभावित हुआ है। इससे शीतऋतु में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे कम उत्पादन हुआ है। रोजगार के अवसरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब आप हमारी कठिनाई समझ सकते हैं। यह अत्यन्त दुःख की बात है। मैं श्री कल्पनाथ राय से, जो एक अत्यन्त प्रगतिशील और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, निवेदन करता हूं कि वे हमारी कठिनाई को समझें और पूछताछ करें कि सलाल परियोजना का निर्माण निर्धारित समय पर क्यों नहीं हो पाया है। इसमें 16 से भी अधिक वर्ष लग गए हैं। योजना निर्माताओं के लिए कश्मीर को सलाल के साथ हाई टेंशन लाइनों से जोड़ना सहज होता। यदि पिछले 4-5 वर्षों में हमारी सरकार ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम लेती और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाती तो उनके लिए हाई टेंशन लाइनों को बिछाना सहज हो जाता। केवल 2-3 करोड़ रुपये खर्च करके, इस हाई टेंशन लाइन को समय पर बिछाया जा सकता था और कश्मीर घाटी को अभूतपूर्व कठिनाइयों से बचाया जा सकता था। घाटी के लोग समझते हैं कि उनके साथ 1947 के बाद से हर क्षेत्र में भेदभाव किया गया है।

जब जम्मू को विद्युत की पर्याप्त सप्लाई की जा रही थी, और जब अन्य भागों के उद्योग के लिए, जनता के उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही थी तो घाटी के लोगों को इसमें कठिनाई क्यों हुई? इसके परिणामस्वरूप कई बार कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। सैकड़ों सहस्रों लोग घरों से निकल आए; समस्या का समाधान करने के बदले निर्दोष लोगों को गोलियों से मार दिया गया। यह है हमारी दुखद स्थिति। आप इसको समझने की कोशिश करें और इस उलझन का समाधान कीजिए।

इस संबंध में मैं फिर कहता हूं कि कश्मीर प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। सभी इस बारे में जानते हैं। हमारे यहां नदी नाले हैं और सदा बहने वाली नदियां हैं। हम पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं; हम केवल आत्म-निर्भर ही नहीं हो सकते किन्तु हम इसे अन्य राज्यों को भी सप्लाई कर सकते हैं। हम से भेद-भाव क्यों किया जाता है?

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

लियाकत अली खां और पंडित नेहरू की सदस्यता में एक आयोग गठित किया गया था तीन नदियां भारत को दी गई थी और तीन नदियां पाकिस्तान को दी गई थी जिससे हमें हानि हुई थी। अब एक वुलर बांध का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी ओर से आरोप लगाये जा रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि वुलर बांध का निर्माण हो। इससे बिजली पैदा की जा सकेगी, इससे हमें राज्य को बिजली सप्लाई करने के लिए अधिक क्षमता प्राप्त होगी। किन्तु कुछ समस्याएं हैं। इस मामले में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है और मैं समझौते के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता हूं। महोदय, किन्तु आपकी अनुमति से मैं कहता हू कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर राज्य की क्षति-पूर्ति करनी है । आपको हमारी क्षतिपूर्ति करनी है क्योंकि हमारी अपनी समस्याएं हैं। हमें अधिक से अधिक बिजली चाहिए और हमें सिंचाई के लिए जल भी चाहिए। हमारी अन्य बहुत सी समस्याएं हैं। श्री कल्पनाथ राय, यदि आप वास्तव में कश्मीर की सहायता करना चाहते हैं तो कश्मीर के पिछड़े क्षेत्रों की देखभाल की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में राजनीतिक तनाव का वातावरण रहा है। इसके अनेक कारण रहे हैं और यह भी एक कारण है तथा इन्हें अवश्य दूर किए जाना चाहिए।

कुछ परियोजनाएं, जैसे उड़ी, सतकना और डूलहस्ती परियोजनाएं अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। अन्य परियोजनाएं भी हैं। व्यावहारिक रूप में कुछ भी नहीं किया जा रहा है और कोई उपलब्धि भी नहीं है। शरद ऋतु में हमें समस्याएं हैं क्योंकि नदियों में पानी कम होता है और इससे वि[illegible] उत्पादन में कमी होती है। आप हमें कोई तापीय परियोजना अथवा कोई गैस टर्बाइन देकर हमा[illegible] क्षति पूर्ति क्यों नहीं करते हैं, जो हमारी जरूरत है? यदि ऐसा किया जाता है, तो पर्यटन उन्नति करेगा, रोजगार के अवसरों में आज की तुलना में वृद्धि होगी, और अन्य अनेक क्षेत्रों को भी सहायता मिलेगी। अतः यह मेरा नम्र निवेदन है। मैं अपना भाषण और अधिक नहीं बढ़ाना चाहता हूं। समय बहुत सीमित है। माननीय सभापति की अनुमति से मैं प्रगतिशील मन्त्री श्री कल्पनाथ राय से निवेदन करता हूं कि वे व्यक्तिगत रूप से इसकी ओर ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि कश्मीर की इन सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों से सम्बद्ध इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिनका [illegible] आजकल सामना कर रहे हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस संबंध में कुछ विशेष विचार कि[illegible] जाए ताकि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए और हमारी क्षतिपूर्ति की जाए। जो भी [illegible] भाव कश्मीर के साथ हो रहा है, इस [illegible] दूर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय कल उत्तर देंगे।

7.43 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1989/17 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

————

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006